(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्टम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 24 वां दिवस [संख्या 20

शुक्रवार
23 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 10.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष ! प्रश्न। श्री बिरदमल सिंघवी !

राज्य सरकार द्वारा सीमेन्ट का आवंटन

467. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य सरकार द्वारा सीमेण्ट का आवंटन 1 जुलाई, 1977 से 31-12-77 तक भिन्न-भिन्न तिमाही में कितना हुआ है ? जिले अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) आवंटित सीमेंट में से कितनी डिलीवरी जिला प्रशासन को प्राप्त हुई ?

(3) यह डिलीवरी जिला अनुसार पूरी प्राप्त नहीं होती, इसके क्या कारण हैं ?

(4) भविष्य में आवंटित सीमेंट की डिलीवरी पूर्ण रूप से हो इसके लिए राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री सूर्य नारायण चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विभिन्न जिलों में आवंटन के अनुसार सीमेंट प्राप्त नहीं होने का कारण यह है कि सीमेंट विक्रेता सीमेंट फैक्ट्रीज द्वारा सीधे ही नियुक्त किये जाते हैं एवं वे ही सीमेंट फैक्ट्रीज से सीधे प्राप्त करते हैं। फैक्ट्रीज द्वारा सीमेंट सीधा ही उन्हें भेजा जाता है।

(4) सीमेंट फैक्ट्रीज का पूर्ण कन्ट्रोल भारत सरकार का है एवं भारत सरकार से इस संबंध में पूरा सीमेंट प्राप्त करने के अथक प्रयास किए जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बिरदमल सिंघवी: यह जो आवंटन किया जाता है, उसका आधार क्या है? क्षेत्रफल है, आबादी है या औद्योगीकरण है ? दूसरे, क्या केन्द्रीय सरकार का कोई कमिटमेंट था कि हम इतना सीमेंट देंगे जिसके आधार पर आवंटन किया गया ? तीसरे जिला प्रशासन अलाटमेंट के अनुसार वित-

Page No 2

(2)

(श्री बिरदमल सिंघवी)

रण की नीति बना लेता है जैसे राशन कार्ड पर इतना देंगे, इस प्रकार वितरण किया जायेगा। किन्तु जितना अलाटमेंट होता है उतना सीमेंट जब नहीं मिल पाता है तो फिर भ्रष्टाचार फैलता है। चौथे, कई जिलों में तो आवंटन जितना था उससे अधिक प्राप्त हुआ है, जैसे जयपुर में 14630 टन का आवंटन था लेकिन प्राप्ति 15 हजार टन की है,गंगानगर में 5400 टन की जगह 7 हजार टन मिला है,सवाई माधोपुर में 1900 की जगह 2500 टन मिला है,उदयपुर में 7500 की जगह 8281 टन,मगर जोधपुर में 4 हजार टन की जगह केवल 2800 टन दिया गया है। तो यह क्यों? कहीं पर अलाटमेंट से ज्यादा, कहीं अलाटमेंट से कम दिया जाता है? आखिर आवंटन की नीति क्या है? विभिन्न जिलों में भेद-भाव क्यों किया जाता है?

खाद्य मन्त्री (श्री जय नारायण पूनिया): दरअसल सीमेंट के बारे में जो आवंटन व डिलीवरी का सवाल है, आवंटन राज्य सरकार को केन्द्र से होता है, इस पर हमारा उस समय कन्ट्रोल होता है उस समय कुछ कर सकते हैं जब डीलर्स अपना स्टाक लेकर सूचित करते हैं कि हमारे पास इतना सीमेंट आ चुका है। उसके बाद में हम व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे जिलावार आवंटन किया हुआ है, उसके अनुसार डिलीवरी नहीं होती। डीलर्स हम नहीं नियुक्त करते, फैक्ट्रीज की तरफ से होते है। आवंटन की राशि जब भेजते हैं फिर डीलर्स फैक्ट्रीज से माल उठाते हैं, उनका कन्ट्रोल हमारे पास नहीं है, वे सीधे फैक्ट्रीज से लाते हैं। इसलिए डीलर्स के सामने भी कुछ कठिनाई होती है। कभी कभी फैक्ट्रीज भी समस्या खड़ी कर देती हैं। वह कहती हैं कि पहले पैसा जमा कराओ। कभी-कभी डिलीवरी के लिए वाहन जैसे रेलवे वेगन्स नहीं मिलता ओर कोई सुविधा नहीं मिलती तो सारा कन्ट्रोल डीलर्स के और फैक्ट्रीज के बीच में हैं और बाद में जाकर केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। हम जल्दी से जल्दी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिख कर आग्रह करते रहते हैं। कभी-कभी यह होता है कि आवंटन हो जाता है कि इतना माल फैक्ट्रीज से उठाया जायगा। दरअसल उसकी क्षमता उतने निर्माण की नहीं होती है तो बैलेंस में चलते रहते हैं। यह सब बिना भेदभाव के किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को अलाटमेंट मिलता है और जिलों में आवंटन ये करते हैं। यह जो भेदभाव है, राज्य सरकार से होता है। दूसरे,मंत्री जी ने कहा कि व्यापारियों को फैक्ट्री से अलाट होता है, वह भी राज्य सरकार की नीति से होता है। तीसरे, वैगन और ट्रकों के अलाटमेंट के लिए व्यापारियों का कहना है कि ट्रकों से माल लेने को तैयार हैं। फैक्ट्रीज में जो भ्रष्टाचार है, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह अलाटमेंट जिलेवार राज्य सरकार करती है, उसका क्या क्राइटेरिया है? व्यापारी व फैक्ट्री के बीच में जो गड़बड़ी होती है और ट्रकों व वैगनों का अलाटमेंट नहीं होता है, उसके बारे में मंत्री महोदय क्या जवाब देते हैं?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : डीलर्स पर कोई कन्ट्रोल नहीं है और सीमेंट के वितरण पर कन्ट्रोल सरकार का है?

(श्री भंवरलाल ऐरन)
यदि सीमेंट नहीं आए तो आप क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : स्पष्ट प्रश्न मंत्री महोदय से पूछा गया था कि भिन्न-भिन्न जिलों में किस आधार पर आप सीमेंट देते हैं और कमी क्यों की गई है ? इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अलाटमेंट के बाद ही डिलीवरी होती है। क्या मंत्री महोदय व्यवस्था करेंगे कि जिलेवार अलाटमेंट के अनुसार सीमेंट प्राप्त हो ?

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : मैं पूछना चाहूंगा कि जोधपुर के मुकाबले जयपुर को सीमेंट चार गुना ज्यादा दिया गया है, इसके क्या कारण हैं ? प्रश्नकर्त्ता ने पूछा कि वितरण की नीति व अलाटमेंट नीति क्या है, वह तो स्पष्ट करें ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : हिन्दुस्तान में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में होता है। तीन बड़ी फैक्ट्रीज सवाई माधोपुर व लाखेरी में काम कर रही हैं। फिर भी दुर्भाग्य है कि हम पर्याप्त मात्रा में सीमेंट अपने लोगों को नहीं दे पाते हैं। यह 500-500 आदमियों की लाइन क्यों लगती है जब कि सारे देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन है ? राजस्थान के लिए अधिकतम कोटा होना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या आपके ध्यान में है कि सीमेंट का ब्लेक सरे आम हो रहा है, 45–50 रु. के बीच में एक बोरा बिक रहा है सब जगह ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि प्रत्येक थैले में 5 किलो से 15 किलो सीमेंट कम आ रहा है? यदि यह आपके ध्यान में नहीं है, तो आप इसकी व्यवस्था करेंगे जांच करके कि कम से कम सीमेंट पूरा और सही उपलब्ध हो और ब्लेक में न बिके।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सीमेंट के थैले हैड क्वार्टर्स पर आते हैं। गांव के लोग 12 महीने में एक सीमेन्ट का थैला भी लेने में असमर्थ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : डीलर्स को सीमेंट का अलाटमेंट होता है उसके साथ-साथ उनका अपना स्पेशल कोटा भी होता है। जनता को बांटने के लिये सीमेंट का कोटा होता है उसका ब्लेक करते हैं और अपने कोटा का भी ?

श्री बिरदमल सिंघवी : जनवरी से मार्च तक का सीमेन्ट अलाट हो गया तो क्या जिन जिलों को कम सीमेन्ट मिला है उनमें अधिक सीमेन्ट देने का विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय !

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती मदनकौर !

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : जिलों को सीमेन्ट अलाट करने का आधार क्या है? क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जब अमुक कोटा अलाट कर दिया तो उतना सीमेन्ट अमुक जिलों में पहुंचे ?

श्री जयनारायण पूनिया : मैं निवेदन करूंगा। यह पूछा गया है कि क्या क्राइटेरिया है किस जिले में कौन से कार्य चल रहे हैं, कितने सीमेन्ट की खपत हो रही है, जिले की मांग के अनुसार जिलेवाइज अलाट किया जाता है। जहां तक यह सवाल है कि गड-बड़ियां होती हैं, सीमेन्ट ब्लेक में बिकता है, डीलर्स की ओर से गड़बड़ियां होती हैं, किस हिसाब से इसका आवंटन होता है इसको मैं देखूंगा। आइन्दा गड़बड़ियां न हों, ब्लेक में न बिके इसकी व्यवस्था पूरी तरह से की जावेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि तीस तीस मील से किसान चल कर आता है तो उसको एक बैग अलाट किया जाता है। सीमेन्ट नहीं है तो अलाटमेंन्ट बन्द कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैंने 15 मिनट दे दिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सीमेन्ट नहीं है तो अलाटमेंट बन्द कर दीजिये।

प्रश्न संख्या 468

श्री अध्यक्ष : श्री हनुवन्तसिंह राणावत !

(अनुपस्थित)

सुश्री पुष्पा जैन !

आमेर विधान सभा क्षेत्र में सैटलमेन्ट का कार्य

469. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की 12 मील की परिधि में आमेर विधान सभा क्षेत्र के करीब 60 गांवों की पैमाइश करवाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि पैमाइश के अन्तर्गत लैण्ड रिकार्ड की दुरूस्ती राजस्व सम्बन्धी मामलों के निपटारे, उज्रदारियों के निपटारे आदि का कार्य भी सम्पूर्ण कर लिया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सभी गांवों का नक्शा व खसरा रिकार्ड तह-सीलदारों और सम्बन्धित पटवारियों को दिया जा चुका था ?

(4) क्या यह सही है कि इतना होने के बावजूद भी हजारों किसानों की राहत को समाप्त कर उपरोक्त सैटलमेंट के प्रभाव को अचानक रोक दिया गया ?

(5) क्या यह सैटलमेन्ट विधिवत् करवाया गया था ? अगर हां, तो कब तक प्रभाव में लाया जावेगा ? और इसको रोके जाने की राज्य सरकार की क्या नीति रही है ?

(6) क्या 8 गांवों का सैटलमेन्ट हो जाने के बाद पुनः सैटलमेन्ट कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोतम मंत्री) : इस प्रश्न को मैंने स्थगित करने के लिये

(व्यवधान)

निवेदन किया है। जो जवाब मेरे पास आया है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं।

(व्यवधान)

I am not satisfied. Hence I am requesting the chair to postpone it.

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता !

जैतारण–मण्डावल सड़क पर व्यय की गई राशि

470. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि जैतारण–मंडावल के बीच की सड़क डामर सड़क स्वीकृत है तथा योजना में आई हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सडक के लिए प्रति वर्ष बजट से रकम मंजूर की गयी ? यदि हां, तो वर्षवार जो रकम स्वीकृत की गई व व्यय की गई उसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि बजट में जो रकम स्वीकृत इस सड़क के लिये की गयी वह दूसरी सड़कों पर व्यय कर दी गई? यदि हां, तो कब-कब व कितनी रकम का ऐसा हुआ ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

(4) क्या यह भी सही है कि इस सड़क के पूरे टुकड़े के लिये ग्राम लीलाम्बा में अकाल राहत कार्य के तहत गिट्टी तुड़वाई गई थी ? यदि हां,तो उस गिट्टी का उपयोग किस जगह पर हुआ व कितनी गिट्टी तोड़ी गयी व कितनी अभी मौके पर मौजूद है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त लीलाम्बा की गिट्टी, जो सरकारी धनराशि से अकाल राहत कार्यों के तहत तोड़ी गयीं थी, का उपयोग स्थानीय ठेकेदारों ने कर लिया एवं इन्जीनियरों की मिली भगत से उक्त गिट्टी के पैसे भी ठेकेदारों ने उठा लिये ? यदि हां,तो राज्य सरकार दोषी इन्जीनियर्शों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(6) राज्य सरकार उप-खंड मुख्यालय को जिले से मिलाने वाली तथा बीकानेर से उदयपुर के सीधे रास्तों वाली इस बीच की 90 मील की सड़क को पूरा करने का इरादा कब तक रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया): (1) जैतारण से चंडावत के बीच की सड़क योजना में सीमित रूप से सन् 1968–69 में 2.50 लाख रुपये प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति की गई। इस स्वीकृति को सन् 1972 में सीमित रिवाइज रूप में 4.50 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

(2) योजना मद में सन 1969-70 से 1972-73 तक बजट प्रावधान किया गया था। बजट की रकम व व्यय की गयी राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। इस सड़क पर जैसा बताया गया है योजना मद में केवल 4.50 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके अन्तर्गत 4.48 लाख व्यय किया गया। इस स्वीकृत रकम को दूसरी सड़क पर व्यय नहीं किया गया है।

(4) ग्राम लीलम्बा में क्वारी होने के कारण गिट्टी तुड़वाने का कार्य अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया गया था, जो गिट्टी तुड़वाई गई थी उसमें से 2700 क्य. मीटर इस सड़क (जैतारण-चंडावत) पर डाली गई व 6668 क्यू. मीटर बर-बिलारा रोड पर ढुलाई कर एडवांस प्लान

(श्री जयनारायण पूनिया)

के अन्तर्गत काम में ली गई व शेष 188 क्यू.मीटर क्वारी पर है।

(5) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(6) प्रस्तावित सड़क को बनाने के लिए अनुमानित लागत 2.25 करोड़ रु. की धन राशि की आवश्यकता होगी और सीमित धनराशि की उपलब्धि को देखते हुए इस कार्य को पूरा करना विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री उगमराज मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मंडावल-जैतारण रोड पर गिट्टी डाली गयी थी और ठेकेदार ने बराबर उठाई है, जब कि आप कह रहे हैं कि नहीं। दूसरी सड़क बनी वहां काम में ली। इसमें एक्स. ई. एन. का हाथ है बड़ा घोटाला है। जैतारण से मंडावल 8 मील का टुकडा है। पाली का 20 मील का टुकड़ा है। यह बन जाय तो जनता को सुविधा रहेगी। इसलिए निवेदन करूंगा कि जनता की सुविधा को देखते हुए इसको 78-79 में पूरा करावें।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): गिट्टी या ग्रेवल यह अकाल राहत कार्य में बहुत जगहों पर पड़े हुए हैं। कान्ट्रेक्टर एक्स ई. एन. और ए.ई.एन से मिलकर दुरुपयोग करते हैं। लाखों रुपये बरबाद हो रहे हैं। क्या आप इसकी जांच करायेंगे? यह सारे राजस्थान का प्रश्न है। जहां-जहां अकाल राहत कार्य खुले हुए हैं वहां लाखों रुपयों की सामग्री का दुरुपयोग हो रहा है।

श्री अचलाराम (देसूरी) : कई गबन और घोटाले हुए हैं। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार के गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना उचित नहीं समझते ?

श्री नूरा (मसूदा) : राजस्थान में सारी जगहों पर जहां अकाल राहत कार्य हुए हैं, गिट्टी पड़ी हुई है उसको इस योजना में काम में लेंगे ?

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या बरसात से पहले सड़क बन जावेगी ?

श्री अचलाराम : गबन घोटाले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि ठेकेदारों ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण दूसरी सड़कों पर से मिट्टी-गिट्टी का दुरुपयोग किया है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया था कि 6668 क्यु. मीटर बर बिलारा रोड पर एडवांस योजना में काम में ली गई इसकी ढुलाई की गयी थी। यह ठेकेदार को ठेका देते समय इस गिट्टी का मूल्य काट कर दिया गया था सिर्फ ढुलाई के लिए मद बतायी गई थी। इसलिए इसमें गड़बड़ी या गबन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। माननीय सदस्यों ने राजस्थान लेवल के रूप में प्रश्न उठाये हैं उसके लिये कार्यवाही की जावेगी। दो सड़कें

Page No 7

(7)

(श्री जयनारायण पूनिया)

बनती हैं तो फेमिन विभाग में क्रेडिट होता है और पी. डब्ल्यू. डी. में डेबिट किया जाता है इस तरह से एडजस्टमेन्ट किया जाता है।

प्रश्न संख्या 471

श्री अध्यक्ष: श्री कार्नसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखें)

श्रीमती मदनकौर!

बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले के लोगों को विशेष सहायता के रूप में दी गई राशि

472. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि संवत 2025 और 2026 में अकाल से ग्रस्त बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लोगों को विशेष सहायता (एस.जी.आर) प्रति व्यक्ति प्रति माह 12.50 पैसे दिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है, इस प्रकार दी गई सहायता में जो कर्ज का अंश था वह लगभग पूरा ही वसूल हो चुका है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि इस विशेष सहायता की राशि में से जो अनुदान का अंश था वह भी कुछ परिवारों से वसूल किया जाये ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

सहायता मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया): (1) जी हां

(2) जी नहीं ।

(3) हां यह सही है कि जिन परिवारों के सदस्यों को राज्यादेशों के विपरीत अनियमित भुगतान किया गया था उनसे वसूली की जा रही है ।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि किन राज्यादेशों की किस प्रकार अवहेलना करके यह अनुदान दिया गया? यह राज्य सरकार की जानकारी में किस प्रकार आया कि राज्यादेशों की अवहेलना की गई है ?

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यह बात पूछी है कि वह क्या राज्यादेश थे । इस राशि को वितरण करने के लिए कुछ मुद्दे निर्धारित किये गये थे कि किस प्रकार के व्यक्तियों को यह राशि दी जायेगी। उन मुद्दों के तहत जो व्यक्ति आते थे उनको उनके अनुसार दी, वह सही है ।

श्रीमती मदन कौर : कौन से मुद्दे थे और राज्यादेशों की किस प्रकार से अवहेलना हुई है ?

श्री जयनारायण पूनिया : जिस परिवार में 6 व्यक्ति हैं उनको नहीं दी जायगी, जो आदमी किसी फेमिली के चले गए दूसरी रोड पर काम करने के लिए उनको नहीं दी जायेगी, कुछ आदमी वह थे जो कि खेती के अलावा दूसरा धंधा करते थे उन व्यक्तियों को नहीं दी जायगी, जिनके परिवार के सदस्य सर्विस में थे उनको नहीं दी जायगी । यह राशि जिस समय वितरित की गयी उस समय उनके जो परिचय कार्ड थे उनकी किसी ने जांच नहीं की और दबादब राशि बांट दी लेकिन जब आडिट हुआ

(श्री जयनारायण पूनिया)

तो यह बात ध्यान में आई , जो फार्म भरकर दिये थे उनके अन्दर गलतियां पाई गयीं । इस कारण उनसे वसूलियां की गयीं ।

श्रीमती मदन कौर: मैं यह जानना चाहती हूं, क्या यह सही है कि परिवार के वह सदस्य जो कि अपने पशुओं को लेकर उनकी जान बचाने अपने घरों से कहीं बाहर चले गये उन लोगों को सहायता दी उनसे भी वसूली की जा रही है ? वह कहीं मजदूरी पर नहीं गये, उनका घर का कोई आदमी काम पर नहीं लगा हुआ है वह अपने पशुओं की जान बचाने के लिए बाहर कहीं आते जाते रहते थे । उनको राशि दी गयी उसकी उनसे वसूली की जा रही है ।

श्री जयनारायण पूनिया : ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों से वसूली की जा रही है ।

श्रीमती मदन कौर : इस प्रकार विभिन्न शिकायतें आई हैं.....

श्री जयनारायण पूनिया : अगर ऐसी बात है तो मैं जांच कर लूंगा ।

श्रीमती मदनकौर : मैं मंत्री महोदय को निश्चित रूप से बताना चाहती हूं कि उन लोगों से वसूली की जा रही है जो कि अपने पशुओं की जान बचाने के लिए अपने गांवों से बाहर कहीं आते-जाते रहे हैं । मैने तीन महीने पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा, आपको लिखा और जिलाधीश को लिखा किन्तु इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । अभी 4 मार्च को बालोतरा में नये पंच,सरपंच और कलेक्टर की मीटिंग हुई उसमें भी यही मुद्दा आया था । अब तक इस संबंध में सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें आप अविलम्ब कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट प्रश्न ! श्री मनीराम आर्य !

चूरू जिले के गांवों में राजस्व अभियान के दौरान किये गये कार्य

473. **श्री बहादुरसिंह** (नोहर): [श्री मनीराम आर्य (तारानगर) की अनुपस्थिति में] : राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

चूरू जिले के गांवों में राजस्व अभियान के दौरान किन-किन गांवों में कितनी-कितनी भूमि गांवों में बसने वाले लोगों की आवासीय समस्याओं को हल करने हेतु कृषि भूमि, चरागाह व बंजड़ भूमि से आबादी भूमि में तब्दील की गई ? गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : चूरू जिले में गांवों में राजस्व अभियान के दौरान निम्नांकित तहसीलों में सिवाय चक कृषि भूमि आवासीय समस्याओं को हल करने हेतु आबादी में तब्दील की गई है । कोई चरागाह व बंजड़ भूमि तब्दील नहीं की गई है :

नाम तहसील	तादाद गांव	आबादी हेतु तब्दील हुई
राजगढ़	6	73) 4
सरदार शहर	9	168॥) 1
रतनगढ़	5	67॥।) 1
सुजानगढ़	1	4॥) 3
चूरू	5	58।) 1
श्री डूगरगढ़		—
तारानगर		—
योग	26	372॥)

(श्री पुरुषोतम मंत्री)

गांव वार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हर गांव में आबादी की समस्या बनी हुई है ? आपने जितने गांव बताये उनके अलावा भी हर गांव में लोग गोचर भूमि और आराजी भूमि पर घर बनाकर आबाद हुए हैं। राज्य अधिकारी उनको हमेशा तंग करते रहते हैं और उनसे पैसा बटोरते रहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है ?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहूंगा। कृषि की जिस जमीन पर लोगों के दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह और बीस-बीस साल से अवैध कब्जे हैं उनको नियमित करने के लिए क्या कन्वर्शन चार्जेज की जो रेट है उसमे कोई तब्दीली करने का माननीय मंत्री महोदय विचार रखते हैं? अभी जो कन्वर्शन की रेट है वह इतनी ज्यादा है कि किसी भी कीमत पर जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं पिछड़ी जाति के जिनकी आमदनी 300 रुपये से कम है वह परिवर्तन मूल्य जमा नहीं करा सकते और इसी कारण से यह अवैध कब्जे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, सारे राज्य के लिए पूछ रहे हैं आप तो।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले की रतनगढ तहसील में आपने पांच गांवों को लिया है जब कि वहां के 60 गांवों में आबादी की भूमि की समस्या है.

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गांवों में भूमि को आबादी में परिवर्तित कराने के लिए सूची आई थी लेकिन ग्राम पंचायत का प्रस्ताव साथ में नहीं था इसलिए उस पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके अलावा सूची में कुछ ग्रामों के अन्दर चरागाह को आबादी में परिवर्तित करने की सिफारिश भेजी थी। प्रस्ताव काफी बड़ी संख्या में थे, जैसा सूची प्रस्तुत की गई थी उससे प्रकट होता है। यह प्रस्ताव पुरानी ग्राम पंचायत के समय में बने थे अत: जिलाधीशों को लौटा दिये। यह तय हुआ कि नये सिरे से प्रस्ताव आमंत्रित करें। शिकायतों की जांच करने के उपरांत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजें।

श्री मूलचन्द डागा : पंचायत ने पहले आपको प्रस्ताव भेज दिये उनको नहीं माना। यह कौन सा कानून आज्ञा देता है कि आप वापस भेज दें ? इस प्रकार हरेसमेन्ट क्यों किया जा रहा है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : कोई हरेसमेन्ट का प्रश्न नहीं है। जो पंचायत पहले थी वह प्रापरली काम नहीं कर रही थी इसलिए यह मुनासिब समझा गया....

श्री मूलचन्द डागा : पंचायतों ने काम किया।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : इसमें बुराई क्या है दुबारा जांच हो जाती है तो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता !

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा : मैं मंत्री महोदय से .....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ?

Page No 10

(10)

श्री बहादुरसिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो लोग पिछले कई सालों से इस तरह की गैर आबाद भूमि में बसे हुए हैं उनके लिए सरकार क्या इरादा रखती है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर भूमि के कन्वर्शन का प्रश्न है यह सरकार के विचाराधीन है और सम्भवत: बहुत जल्दी ही इसके ऊपर निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री **अध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन !

श्री **जगदीशचन्द्र शर्मा** : एक प्रश्न है ग्राम सभाओं की मार्फत प्रस्ताव आया...

श्री **अध्यक्ष** : नैक्स्ट !

श्री कौशल किशोर जैन : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । श्री सुभाष चन्द्र !

श्री **रघुवीर सिंह कौशल** : अध्यक्ष महोदय, आज 3 स्थगित प्रश्न हैं उनके लिए भी समय का ध्यान रखें ।

प्रश्न संख्या 474

श्री अध्यक्ष: श्री सुभाषचन्द्र !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें ।

श्री अचलाराम !

बीकानेर में डेयरी की स्थापना

475. **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बीकानेर में एक डेयरी की स्थापना करके उसके भवन का निर्माण कराया गया, स्टाफ की नियुक्ति की गई, मशीनें खरीदी गई, राज्य कोष से इस डेयरी पर लाखों रुपया व्यय हुआ लेकिन इससे एक बोतल दूध का भी विक्रय या उत्पादन नहीं हुआ ? इस डेयरी का निर्माण एवं संचालन डा. मोहनसिंह के अधीन हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस दुरुपयोग की जांच करायगी ?

डेयरी विकास मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह): जी हां, उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के अधीन बीकानेर में 199 लाख रुपये की लागत से एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की डेयरी स्थापित की गई है । किन्तु यह सही नहीं है कि इस डेयरी से एक बोतल दूध का भी विक्रय या उत्पादन नहीं हुआ एवं इसका निर्माण एवं संचालन डा. मोहनसिंह के अधीन हुआ...

श्री **मूलचन्द डागा** : आवाज ही नहीं आ रही है ।

श्री कौशल किशोर जैन: अध्यक्ष महोदय, सुनाई ही नहीं दे रहा है ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं दुबारा पढ़ देता हूं ।

जी हां, उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी सघ लि. के अधीन बीकानेर में 199 लाख रुपये की लागत से एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की डेयरी स्थापित की गई है । किन्तु यह सही नहीं है कि इस डेयरी से एक बोतल दूध का भी विक्रय या उत्पादन नहीं हुआ एव इसका निर्माण एवं संचालन डा. मोहनसिंह के अधीन हुआ । इसी डेयरी द्वारा प्रति वर्ष लाखों लीटर दूध सकलन एवं वितरण किया गया । डा. मोहनसिंह पूर्व में केवल संचालक मंडल के सदस्य थे।

श्री **अचलाराम** : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस डेयरी का इस धरती पर कोई अस्तित्व है ? इस डेयरी ने एक भी बोतल दूध नहीं बेचा है । आप कहते हैं कि बेचा है तो कितनी बोतल दूध बेचा है?

श्री **दिग्विजयसिंह** : मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि इस सहकारी समिति से कितना दुग्ध संकलन किया गया । सन् 74-75 में 32,17,077 लीटर, 75-76 में 46,05,584 लीटर का संकलन किया । इसके बाद 1976-77 में 1,41,08,536 लीटर का और 1977-78 में जनवरी तक 91, 49, 019 लीटर का संकलन किया है । आप कहते हैं कि एक बोतल का भी विक्रय नहीं किया, यह बिल्कुल गलत है ।

(व्यवधान)

श्री **कौशल किशोर जैन** : आप यह बतायें कि प्रतिदिन दूध की कितनी बोतल का विक्रय किया गया बीकानेर शहर में ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रामकृष्ण दास गुप्ता !

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्तरी राजस्थान उत्पादक सहकारी सघ लि. के नाम से सघ का गठन किया गया है उसमें यह था कि बीकानेर शहर के भीतर बोतल सिस्टम से दूध की सप्लाई की जाएगी ? यदि हां, तो क्या बीकानेर में बोतलों से दूध सप्लाई होता है? यदि होता है तो कितनी बोतलें दूध प्रतिदिन बेची जाती है ?

श्री **दिग्विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया था उसकी जानकारी मैंने दे दी है । जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, यह सूचना वहां पर बोतलों से दूध सप्लाई की मांग रहे हैं । मेरे पास इसकी सूचना अभी नहीं है । मैं माननीय सदस्य को बाद में बता दूंगा ।

श्री **मूलचंन्द डागा** : डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अन्दर गवर्नमेंट ने जो टार्गेट फिक्स किए थे उसमें से कितना प्रतिशत टार्गेट अचीव किया ? यह महरबानी करके बतायें प्रश्न कर्ता का यह सवाल है ।

(व्यवधान)

199 लाख की लागत से डेयरी स्थापित की गई तो उसके क्या टार्गेट थे और उसमें से कितने प्रतिशत अचीव हुए? सवाल यह है ।

श्री **कौशल किशोर जैन** : 2 प्रश्न के अन्दर .....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकर्ता को पूछने दें ।

श्री **कौशल किशोर जैन** : अनुपूरक प्रश्न करने का मुझे भी अधिकार है । मैं भी प्रश्न पूछ सकता हूं । मैं यह जानना चाहता हू कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अन्दर जो बातें कही गई थीं उसमें कितने प्रतिशत पूरी हुई और कितनी अभी होना बाकी है ?

श्री **मूलचन्द डागा** : Are you meant for defending the Government that you are replying ?

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : इसमें कितने रुपयों का नुकसान हुआ है ?

श्री **मूलचन्द डागा** : Sir, they are not giving the correct answer.

श्री अध्यक्ष : I am not so sure.

श्री अचलाराम : इस डेयरी में कितने रुपयों का नुकसान हुआ ?

श्री रघुनन्दन व्यास: प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर जितना नुकसान हुआ है क्या उसकी विधायकों की कमेटी से जांच करायेंगे ?

प्रश्न संख्या 476

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 477

श्री नरेन्द्रपालसिंह !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 478

श्री बाल कृष्ण थानवी !

(अनुपस्थित,कृपया आगे देखें)

श्री लाल शंकर डेंडोर !

ड्ंगरपुर जिले में अतिवृष्टि से क्षति

479. **श्री लालशंकर डेंडोर**(सागवाडा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1973 में सागवाड़ा, गलियाकोट जिला डूंगरपुर में अतिवृष्टि से बाढ़ आयी थी ? यदि हां,तो इससे कुल कितने लोग प्रभावित हुए व जान-माल का कितना नुकसान हुआ?

(2) भारत सरकार व राज्य सरकार ने कितनी–कितनी सहायता दी थी? अनाज,लकडी,कपड़े, दवाइयां कितनी-कितनी वितरित की गई ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व मंत्री श्री भीखाभाई, श्री हरजी, भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति, सीमलवाड़ा व श्री विमल प्रकाश ,प्रधान, पंचायत समिति, ,सागवाडा ने चार लाख रुपयों का भुगतान झूंठा किया? यदि हां, तो सी. बी. आई. व राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या सरकार यह चार लाख रुपया वसूल करेगी ?

(5) सहायता का दुरुपयोग करने वालों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

अकाल राहत मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया): (1) जी हां, माह सितम्बर,1973 में सागवाड़ा , गलियाकोट, जिला डूंगरपुर में अतिवृष्टि से बाढ़ आई थी जिसमें 85 ग्राम प्रभावित हुए थे जिनकी जनसंख्या 58,746 थी । बाढ़ से किसी भी व्यक्ति के मरने की कोई सूचना नहीं मिली ।

746 पशुधन की हानि हुई, लगभग 94,33,000) रु. की फसल की हानि हुई ।

(2) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं वितरित सहायता का विवरण निम्न प्रकार है:–

1	स्वीकृत 2	वितरण 3
1. क्षतिग्रस्त मकानों के लिए	4,40,000	4,40,000

(श्री जयनारायण पूनिया)

1	2	3
2. भोजन, आवास, केरोसीन, कपड़ा	40,000	40,000
3. बाढ़पीड़ितों की इमारत कवाडा दिया गया	1,00,000	88,350
4. बाढ़पीड़ितों को दवाइयों का वितरण	32,000	15,130
	6,12,000	5,83,480

(3) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध जांच और कानूनी कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है जिसके आधार पर 17 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

(4) इस सम्बन्ध में उपरोक्त जांच और कानूनी कार्यवाही के वाद सरकार जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह करेगी।

(5) इस सम्बन्ध में चाही गई जानकारी खण्ड (3) के साथ संलग्न की जा चुकी है। सहायता के दुरुपयोग के दोषी व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय मंत्री महोदय, प्रश्नकर्त्ता ने स्पष्ट रूप से प्रश्न किया है कि क्या यह सही है कि भूतपूर्व मंत्री श्री भीखाभाई, श्री हरजी, भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति, सीमलवाड़ा व श्री विमल प्रकाश, प्रधान पंचायत समिति सागवाड़ा ने चार लाख रुपयों का भुगतान झूठा किया ? यदि हां, तो सी. बी. आई. व राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो आपने सूची दी है उसमें क्या इन लोगों के नाम हैं या नहीं?

(व्यवधान)

श्री लाल शंकर हंडोर : इन लोगों ने लाखों का घोटाला किया है लेकिन भूतपूर्व सरकार ने इसको रफा-दफा करके कुछ भी कार्यवाही नहीं की और न मुलजिमों को गिरफ्तार किया। वह लोग अभी भी अनियमिततायें करते हैं। अपने क्षेत्र में लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। भूतपूर्व सरकार ने ये सारी अनियमिततायें कीं। जिन लोगों ने इस तरह से गरीबों के नाम पर लाखों रुपयों का घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करके उचित दण्ड दिया जावे। जिन लोगों ने राज्य के खजाने के रुपयों का गबन किया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही करके वह पैसा वापस खजाने में जमा कराया जावे। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि जिन लोगों ने शोषण किया है गरीबों को परेशान किया है, उनकी सहायतार्थ जो इमारती लकड़ी, धनराशि, आवास, भोजन, कपड़ा, केरोसीन की व्यवस्था की गई वह खा गये; बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिए जो अनाज दिया गया था उसकी झूठी भर पायी प्राप्त कर वह अनाज भी ये लोग खुद ही खा गये, सारा कपड़ा बेच दिया। इनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। सारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अनियमितताएं करने

(श्री लालशंकर डेंडोर)

वाले भूतपूर्व मंत्री भीखा भाई थे। उन्हें पुनः मुलजिमान मे शामिल किया जावे। सी. बी. आई. से जांच कराई जावे तथा आयोग बैठाया जाय। जांच आयोग द्वारा जो दोषी पाये जाय उनको कठोर सजा दी जावे। यह मेरा अनुरोध है ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, जो सहायता कार्य किया गया उसमें धन राशि का दुरुपयोग हुआ था। उसके बाबत शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच की और राज्य के अन्य अधिकारियों ने भी जांच की। यह बात सही पाई गई कि कुछ गबन हुआ है। इस मामले में चालान के काबिल 17 व्यक्ति पाये गये हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। उन 17 व्यक्तियों के नाम मैं आपको बता देता हूं :–

1. श्री पुरुषोत्तमलाल, गिरदावर, त. सागवाड़ा
2. श्री शंकर, सरपंच, विकास पंचायत, कोचरी
3. श्री दोहदाअली खां, पटवारी, चीखली
4. श्री शाह मोहम्मद, पटवारी, तहसील सागवाड़ा
5. श्री इस्माइल खां, पटवारी, तहसील सागवाड़ा
6. श्री ऊँकार भाई, अध्यक्ष, सहकारी समिति, बावड़ी
7. श्री धूलजी, सरपंच, विकास पंचायत, बावड़ी
8. श्री प्रेम पुरी, पटवारी, तहसील सागवाड़ा
9. श्री विमल प्रकाश, प्रधान पंचायत समिति, सागवाड़ा
10. श्री जीतमल जैन, टी. आर. ए, तहसील सागवाड़ा
11. श्री हरजी भाई, प्रधान, पंचायत समिति, सीमलवाड़ा
12. श्री डायाशंकर, गिरदावर, तहसील कानूनगो, सागवाड़ा
13. श्री गुलाबसिंह चौहान, तहसील सागवाड़ा
14. श्री अमृतलाल ओ. का. तहसील सागवाड़ा
15. श्री रामप्रसाद, नायब तहसीलदार, सागवाड़ा
16. श्री कमलाशंकर, पटवारी, तहसील सागवाड़ा
17. श्री रतनलाल, रीडर, तहसील सागवाड़ा

इन व्यक्तियों के चालान प्रस्तुत कर दिए जायेंगे जिसके लिए अदालत ने 7-4-78 की तारीख दी है।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, डूँगरपुर आपका क्षेत्र है। आप तो जानते हैं वहां पर भीखाभाई वगैरह ने मिलकर लाखों रुपयों का गबन किया है यह काण्ड हुआ था जिस समय इस की जांच चल रही थी तब मैं भी वहां था। उस समय उन लोगों ने मिलकर यह सारा मामला रफा-दफा कराया। आप उस रिपोर्ट को मंगा कर देखें। अगर मंत्री महोदय उसकी जांच करेंगे तो पता लगेगा कि जो और बड़े-बड़े थे वह बच निकले। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच करें और रिपोर्ट मंगावें। बाद में मैं भी आपको अपनी रिपोर्ट दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती श्यामा कुमारी!

Page No 15

(15)

उदयपुर डिविजन की सहकारी समितियां

480 **श्रीमती श्यामा कुमारी संगर** (कपासन) : क्या सहकारिता मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उदयपुर डिविजन में कितनी सहकारी समितियां खोली गई हैं? वे चल रही हैं या नहीं? तहसीलवार उनका नाम व विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कई समितियां नहीं चलने के कारण तोड़ दी गई और चार पांच मिलाकर एक कर दी गई? अब उनका क्या नाम कर दिया गया है तथा अब उनकी क्या स्थिति है।

(3) क्या राज्य सरकार अब भी इन सभी सहकारी समितियों को ठीक चलाने के लिये सोच रही है? अगर हां,तो राज्य सरकार इनको किस प्रकार चलवायेगी ?

(4) किन–किन सहकारी समितियों के घोटाले राज्य सरकार के सामने आये हैं और अब तक उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल): (1) ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ट अ।

(2) जी हां। ब्योरा संलग्न सूची 'अ' में अंकित है।

(3) जी हां। इन समितियों को हिस्सा राशि अंशदान देकर सदस्यों को ऋणों में वृद्धि कराकर, नोन क्रेडिट व्यापार की वृद्धि आदि की व्यवस्था कर सक्षम बनाकर कार्य करने को प्रोत्साहित किया जावेगा।

(4) उदयपुर खण्ड की 165 सहकारी समितियों में धन के गबन दुरुपयोग के मामले विभाग की जानकारी में आये हैं जिनमें राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत मामले दर्ज कर लिये गये हैं और उनमें कार्यवाही की जा रही है। 16 मामले पुलिस में दर्ज कराये जा चुके हैं तथा 22 मामले और पुलिस में दर्ज करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती श्यामा कुमारी संगर : अध्यक्ष महोदय, कृपया यह बताने की कृपा करें, क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कई छोटी-छोटी सहकारी समितियों को तोड़कर नई-नई सहकारी समितियां बना दी थी? इस तरह की कार्यवाही से कठिनाइयां आने पर कई सहकारी समितियां बन्द हो गई। क्या राज्य सरकार अब उन्हें वापस अलग-अलग करके चालू करने का विचार रखती है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना यह चाहूंगा, क्या यह सही है कि इन सहकारी समितियों में करोड़ों रुपये के घोटाले थे ? ऐसा भी हुआ है कि कुछ सहकारी समितियों के घोटालों के कागजों का पुलन्दा बनाकर उनको कुए में डाल दिया गया था जिससे कि इन घोटालों का पता नहीं लग सके ?

श्री कौशल किशोर जैन: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा, क्या यह सही है कि भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करने के लिए कई छोटी-छोटी सहकारी समितियों को मिलाकर एक पंचायत समिति में वृहताकार सहकारी समिति बना दी थी ? जैसे सलादिया ग्राम सहकारी समिति के 350 सदस्य थे उसको ग्राम सहकारी समिति स्वरूपगन्ज में मिला दिया। इसके क्या कारण थे ? क्या अब राज्य सरकार वापस उनको अलग-अलग करने की कार्यवाही करेगी ? वहां पर जो सरपच था वह कांग्रेसी था उसने वहां पर लाखों के घोटाले किये हैं। क्या राज्य सरकार उस सरपंच के खिलाफ में कार्यवाही करेगी ?

श्री मूलचन्द डागा : अब वह सरपंच ही नहीं रहा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनमें तो माननीय सदस्य अपार घोटाले हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या उस सरपंच के खिलाफ में कार्यवाही राज्य सरकार करेगी?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : कम से कम एक सप्लीमेन्ट्री का जवाब तो आने दें क्या एक के बाद एक सप्लीमेन्ट्री पूछ रहे हो।

श्री अध्यक्ष : धीरे-धीरे सभी घोटाले बाहर आ जायेंगे। अब मन्त्री महोदय एक मिनट में क्या जवाब दें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें। स्थगित प्रश्न

श्रीमती नारंगी देवी !

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्ट्री का जवाब तो आना चाहिये। यह क्या कि एक सप्लीमेन्ट्री का जवाब नहीं आया और दूसरा सप्लीमेन्ट्री पूछ लिया। पहले एक सप्लीमेन्ट्री का जवाब मन्त्री महोदय से आना जरूरी है।

श्री कौशल किशोर जैन : आप बार-बार क्यों पूछते हैं? हमें तो सप्लीमेन्ट्री पूछने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्री जवाब देना चाहते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, कपासन से आने वाली माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया उसके जवाब में निवेदन है कि छोटी-छोटी सहकारी समितियों का एक वृहताकार ग्रामीण सहकारी समिति में गठन किया गया था वह दांते कमीशन की रिपोर्ट थी उसकी सिफारिशों के अनुसार किया गया था। जहां तक गबन घोटाले का प्रश्न है उसके बारे में जो कानसिंह कमेटी में कार्यवाही होगी वह होगी। जहां तक उनको अलग करने का प्रश्न है, जो छोटी-छोटी समितियां अलग-अलग होनी चाहती थीं और उनमें जो कठिनाइयां थीं उनमें से कइयों का तो निपटारा कर दिया गया था और कुछ में निपटारा होना बाकी है।

Page No 17

(श्री कैलाश मेघवाल) उसके लिए जो भी कार्यवाही कानूनी करनी होगी वह की जायेगी। इनमें से कइयों

(व्यवधान)

को ठीक कर दिया गया है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि ग्रामीण सहकारी समिति बदार में, काफी घोटाले थे। इसलिए लोगों ने मिलकर कागजों को बन्द कर कुए में डाल दिया। चोरी की एक शिकायत भी लिखाई गयी। बाद में कागजात बरामद कर लिए गये थे। घटना के थोड़े समय बाद रिकार्ड को पुलिस ने बरामद कर लिया। वह रिकार्ड एक बोरी में सुतली से बान्ध कर डाल दिया गया। चूंकि उसकी जल्दी ही रिकवरी कर ली इसलिये ज्यादा समय नहीं लगने से सारा रिकार्ड खराब नहीं हो सका। उसको कब्जे में कर लिया गया। इस पर जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह की जावेगी। इसी तरह भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि छोटी-छोटी समितियां एक कर दी गई। स्वरूप गंज की सोसाइटी वृहताकार बनायी गयी उसके अन्दर घोटालों के बारे में कहा तो उसकी सूचना नहीं है। सूचना आने पर मैं कार्यवाही करूंगा उसकी जांच करवा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह आप देख लें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जहां-जहां घोटाले हैं और रिकार्ड सीज किया गया उसके सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं

श्री कैलाश मेघवाल : इसके लिये जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वह की जायेगी। जांच में जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न 144

(10 मार्च, 1978)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नारंगी देवी!

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट प्रश्न!

स्थगित प्रश्न 154, श्री कमलेन्द्रसिंह!

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 144 काफी महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। प्रश्न संख्या 144 और 154 एक ही तरह की संख्या है। आप देख लीजिये।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1978)

दरौली (जिला उदयपुर के सरपंच) को अलाट की गयी भूमि

154. **श्री कमलेन्द्रसिंह** (वल्लभनगर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सरपंच, दरौली जिला उदयपुर को सन् 1957 से तक 1969 तक कब, कितनी-कितनी सरकारी जमीन अलाट की गई?

(2) सरपंच, दरौली ने सन् 1957 से 1969 तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति की कितनी जमीन कब-कब अपने नाम पर खाते करवायी है?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोतम मन्त्री) : (1) भूतपूर्व सरपंच, दरौली श्री निर्भयसिंह को सन, 1957 से 1969 तक 30 बीघा

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

12 बिस्वा भूमि का आवन्टन हुआ था। आवंटित भूमि का विवरण संलग्न है।

(2) भूतपूर्व सरपंच दरौली ने सन, 1957 से 1969 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कृषकों से 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि खरीद कर अपने नाम करवाई। विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री कमलेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि सरपंच, दरौली ने सन् 1957 से 1969 के बीच में कितनी जमीन अनुसूचित जन. जाति और अनुसूचित जाति के लोगों की हड़पी है ? उक्त सरपंच ने 15 बीघा से ज्यादा जमीन अपने नाम गलत अलाट करवाली व 30 बीघा जमीन उसने अलग हड़प ली, क्या राज्य सरकार उससे वह जमीन वापस लेकर उसके खिलाफ में नाजायज जमीन हड़पने के लिये कार्यवाही करेगी ? सदन में आश्वासन की जरूरत इसलिये भी अध्यक्ष महोदय है, क्योंकि सरपंच, जिसकी चर्चा हो रही है,के एक परम मित्र और कानूनी सलाहकार राज्य मन्त्रीमण्डल के सदस्य हैं। यह नहीं हो कि यह मसला केबिनेट स्तर पर ही रफा-दफा कर दिया जाय। उस सरपन्च को तत्काल निलम्बित किया जाय और उसके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

(व्यवधान)

श्री ओंकार लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से यह जानना चाहुंगा कि जिस सरपंच ने नाजायज तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों की जमीन हड़पली उसके खिलाफ में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय ,यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यह सरपन्च ऐसा व्यक्ति है जिसने सैंकड़ों लोगों की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। उसके खिलाफ में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। क्योंकि वह भूतपूर्व कांग्रेसी शासन के लोगों का व्यक्ति है। मेरा,अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से यह निवेदन है कि इस सरपन्च के खिलाफ में कार्यवाही होनी चाहिये इस सरपन्च को तुरन्त निलम्बित करके उसका चालान पेश किया जाना चाहिये तथा उस सरपन्च को जेल के सींकचों में बन्द किया जाना चाहिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : साथ में उनके कानूनी सलाहकार को भी।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, 60 बीघा जमीन है उनके नाम। उन्होंने किस-किस अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन ली है उन सभी लोगों को जमीन वापिस दिलायी जाय और उस सरपन्च के खिलाफ में कार्यवाही की जाय।

श्री मूलचन्द डागा : उस सरपन्च को जिस-जिस ने जमीन बेची नाजायज तरीके से उनके खिलाफ भी क्या एक्शन लिया ?

श्री बन्शी लाल सारस्वत : इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि भीलवाड़ा से आने वाले सदस्य ने और दूसरे सदस्यों ने भी कहा,मेरा यह निवेदन है कि यह गलत अलाटमेन्ट क्यों हुआ ? उसके

(श्री बशीलाल सारस्वत)

लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री पुरुषोतम मंत्री : श्री निर्भयसिंह पुत्र श्री बूंदीलाल महाजन भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत दरौली के पास पूर्व में खाते में सिंचित भूमि 1 बीघा 5 बिस्वा एवं असिंचित भूमि 6 बिस्वा, इस प्रकार 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि थी। 10 बीघा 2 बिस्वा भूमि जागीरदार सबीना खेड़ा द्वारा दिये गये पट्टे के आधार पर इनके नाम पर नामान्तरकरण सं 153 सन् 1958 से अंकित हुई। वर्ष 1961, 1963 एवं 1964 में कुल मिलाकर इन्हें 30 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ है। जिलाधीश ने बताया है कि सन् 1970 से पूर्व का रिकार्ड जाया हो जाने से भूमि आवंटन की पत्रावली उपलब्ध नहीं है। अतः अब यह बतलाना सम्भव नहीं है कि भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की राय से हुआ या नहीं और इन बैठकों में श्री निर्भयसिंह शामिल थे अथवा नहीं ? श्री निर्भयसिंह ने आवंटन शुदा भूमि में से कोई बेचान नहीं किया।

आवंटन के समय राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1957 लागू थे। नियम 12 (1) में प्रावधान है कि सिंचित 5 बीघा एवं असिंचित 15 बीघा भूमि तक का ही आवंटन किया जा सकता है। इस प्रकार जो आवंटन इन्हें हुआ है वह नियमों में निर्धारित की गई सीमा के विपरीत हुआ है। इनके पास प्रथम आवंटन के समय 19 बीघा जमीन थी जिसमें 1 बीघा 5 बिस्वा सिंचित भूमि भी शामिल थी जो 3 बीघा 15 बिस्वा असिंचित भूमि के बराबर मानी जावेगी।

इस प्रकार यह आवंटन नियमों के विरुद्ध हुआ। इस प्रकार के आवंटन को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत जिलाधीश स्वयं अथवा किसी के आवेदन पत्र दिये जाने पर विचार करके निरस्त करने की कार्यवाही कर सकते हैं। वैसे अब आवंटी इस भूमि का खातेदार हो चुका होगा।

जो भूमि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कृषकों से खरीदी गई है वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 42 (बी) के प्रावधानों के विपरीत है। इस खरीद को निरस्त करने एवं खरीददार को बेदखल करने के लिये धारा 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के तहत अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह खरीद सन्, 1957 में की गई थी। उस समय भी इस प्रकार की खरीद इस प्रावधान के तहत गैर कानूनी थी परन्तु धारा 175 के तहत दरख्वास्त देने के लिये राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के तीसरे शिड्यूल में क्रम संख्या 66 पर वर्णित समयावधि 3 वर्ष ही थी जो बाद में 23-4-71 से बढा कर 12 वर्ष की गई। चूंकि यह खरीद सन् 1958 अथवा इससे पूर्व की है, अतः इसके बाबत धारा 175 के तहत कानूनन कार्यवाही नहीं हो सकती। जब तक कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत यह नहीं बताया जा सके कि विलम्ब के लिये क्या पर्याप्त कारण है ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं इसके बारे में जांच कराऊंगा।

(व्यवधान)

सुन तो लीजिये।

Page No 20

(20)

श्री कौशल किशोर जैन : क्या जांच होगी ?

श्री कमलेन्द्रसिंह : जांच करने की कोई जरूरत नहीं। मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि नियमों के विपरीत उनको जमीन मिली है। फिर जांच की कहां जरूरत है ?

श्री मूलचन्द डागा : इसमें कलेक्टर को सुओ मोटो पावर्स हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल शर्मा (मिनाय) : मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उनके पास कम से कम 350 बीघा जमीन है, उनकी घरवाली के नाम अलग है, बच्चों के नाम से अलग है कुल मिलाकर 350 बीघा जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। क्या मंत्री महोदय तत्काल जिलाधीश को इस गैर कानूनी अलाटमेंट को कैन्सिल करने की कार्यवाही करने का आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : सरकार ने उस जमीन को कब्जे में ले लिया या नहीं ? उस जमीन को आप अपने कब्जे में ले लो।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जमीन कब्जे में की जाये और जिस अधिकारी ने अलाटमेंट किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री रतनलाल वर्मा: बिल्कुल, बिल्कुल।

श्री कौशल किशोर जैन : उस मंत्री के खिलाफ भी कार्यवाही की जाये जिनका वरद हस्त उनके ऊपर है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वह मंत्री कौन हैं ?

श्री नवरंगसिंह : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उस मंत्री का नाम बतायें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह खुला भ्रष्टाचार है, अध्यक्षजी। वह मंत्री कौन हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री कमलेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई आश्वासन नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वह मंत्री कौन हैं ?

पंचायत राज्य मंत्री : (श्री कैलाश-मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस रूप में इस बात को रखा है, उसके लिए मुझे अफसोस है। मैं स्वीकार करता हूं कि दरौली के सरपन्च श्री निर्भय-सिंह, जिनका मुकदमा 1967 में हुआ और जो 1975 तक चला का, मैं वकील रहा हूं। मेरे वक्त में जो उस सरपन्च के खिलाफ शिकायत आई थी, उस पर मैंने उनके सामने ही जांच के आदेश दे दिये थे। वकालत का रिश्ता अलग है और मंत्री का अलग।

Page No 21

(२१)

(श्री कैलाश मेघवाल)

अगर वह अपराधी है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नियमों के खिलाफ कोई भी अगर उन्होंने गड़बड़ की है तो उसकी जांच कराऊंगा और अपराधी को दण्ड दिया जायेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप जिम्मेदार हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि वह सरपन्च के वकील रहे हैं। क्या कोई भी न्याय प्रणाली इस बात को स्वीकार करेगी कि जो आदमी किसी का वकील रहा हो वह ही उनका न्यायाधीश भी बने ? इसलिए यह मामले किसी अन्य मंत्री को सौंपे तो न्याय हो सकेगा। यह संगीन मामला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री नवरंग सिंह : माननीय मंत्री जी उनके वकील रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता महोदय ! केवल एक सप्लीमेन्ट्री।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह पंचायत मंत्री का मामला है ही नहीं, रेवेन्यू मिनिस्टर का मामला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। एक सप्लीमेंन्ट्री केवल प्रश्न कर्ता माननीय सदस्य पूछेंगे।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैं माननीय मंत्री महोदय को सलाह देना चाहूंगा कि उनके बारे में अगर कोई...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी वकालत थोड़े ही कर रहे हैं ?

श्री कमलेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष; केवल एक ही एफीडेविट के आधार पर भी माननीय मंत्री महोदय ने सरपंचों को निलम्बित किया है। अब यहां सरकारी बयान से प्रूव हो गया है कि सरपंच ने गलत अलाटमेंट कराया है और अनुसूचित जन-जाति वालों की जमीन हड़पी है तो क्या सरकार आश्वासन देगी कि उस सरपंच को इमीजियटली निलम्बित करेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : यह जो कानून के खिलाफ अलाटमेंट हुए हैं उनको निरस्त करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिन अफसरों की गलती पाई जायेगी उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल!

स्थगित प्रश्न

(16 मार्च, 1978)

तहसील लाडपुरा में अलाट की गई भूमि की जांच

301. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1963 में आज के मुख्य सचिव श्री जी. के

Page No 22

(22)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

भनोत ने कोटा जिले कि लाड़पुरा तहसील के अलाटमैंट (भूमि) की अनियमितताओं की जांच की थी ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम उस अलाटमेंट में थे ? क्या वह जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील शाहबाद व किशनगंज में अनियमित अलाटमेंट व धन के अपव्यय की जांच कुछ वर्षों पूर्व श्री शेरसिंह ने की थी ? यदि हां, तो क्या वह जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई ? क्या उस रिपोर्ट में अनियमिततायें पाई गई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार कोटा जिले में हुए भूमि के अलाटमेंट की अनियमितताओं की जांच कराने का विचार कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोतम मंत्री): (1) यह सही है कि वर्तमान मुख्य सचिव श्री जी. के. भनोत ने, जो उस समय निदेशक, जन अभियोग निराकरण विभाग के पद पर आसीन थे, ने यह जांच की थी एवं उन्होंने अक्टूबर, 1965 में राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट के अनुसार जिन सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिश्तेदारों ने भूमि ली उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसील शाहबाद एवं किशनगंज में हुए आवंटनों के बाबत श्री शेरसिंह ने कोई जांच नहीं की है।

(3) वर्तमान में आवंटन में हुई अनियमितताओं के बाबत जांच कराने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जांच रिपोर्ट दी सन् 65 में क्या उसके अनुसार कार्यवाही की गई है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जो अलाटमेंट हुए हैं, उसमें नाबालिग लोग भी हैं ? क्या भारत सरकार के भूतपूर्व राज्य मन्त्री, गृह रामनिवास मिर्धा ने भी जमीन ली हुई है ? राजस्थान के भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री के बड़े भाई श्री सुलतानसिंह ने अपने-अपने पुत्र श्री भंवरसिंह और पत्नी अजानकौर के नाम से कोटा नगर के पास जो इण्डस्ट्रीज एरिया है, वहां की जमीन अलाट कराई है ? माननीय मन्त्री महोदय, क्या कोई जांच नहीं करवाना चाहते ? सन् 1965 से यह मामला लटका पड़ा है। सदन में तीन बार यह मामला उठाया गया किन्तु आज तक सारे अलाटमेंट रद्द नहीं हुए। दो चार बीघा नहीं, 44 बीघा जमीन एक-एक व्यक्ति को अलाट की है। मेरा निवेदन है कि ऐसे अलाटमेंट को निरस्त किया जाये।

क्या यह भी सही है कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य, डायरेक्टर कोलोनाइजेशन, डायरेक्टर एग्रीकल्चर और बड़े-बड़े अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज इन सब की पत्नियां और बच्चे भी इसमें शामिल है। इसलिये सरकार इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे स्वर्गीय भाई सुलतानसिंह जी का नाम माननीय जोशी ने लिया है। मैं भी चाहूंगा यदि उनके नाम से, चाहे पत्नी के नाम से या पोते के नाम

(श्री खेतसिंह राठौड़)

से अलाटमेंट है निश्चित रूप से जांच की जानी चाहिये। अगर हम दोषी हैं तो उसकी सजा देनी चाहिये। मेरे परिवार में किसी को कोटा के अन्दर कोई अलाटमेंट नहीं हुआ है, न हमने ली है।

(व्यवधान)

यह सुलतानसिंह आई. जी. नहीं हैं, कोई दूसरे होंगे····

श्री दाऊदयाल जोशी : अजान कंवर, भंवरसिंह ! यह बिल्कुल गलत है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जोशी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कृपया सुनिये।

सुलतान की धर्मपत्नी का नाम रतन कंवर है, अजान कंवर नहीं है। सुलतानसिंह जी का लड़का प्रभुसिंह है भंवरसिंह नहीं, पोते का नाम भी भंवरसिंह नहीं। हमारे परिवार में जो नाम बताये, इन नामों का कोई व्यक्ति नहीं है। यह सुलतानसिंह कोई दूसरा होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : चीफ सेक्रेटरी मनोत····

(व्यवधान)

श्री हरिश शर्मा : चोर मचाये शोर, यह सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री अब्दुल अजीज : इस आधार पर जांच करें। दोषी पाये गये सदस्य को निलम्बित कर दीजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : प्रश्नकर्त्ता खुद तो बतायें, कितना पैसा इकट्ठा कर रखा है।

श्री पुरुषोतम मंत्री : सबसे पहले तो माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो कुछ आदेश हुए हैं वे भूतपूर्व सरकार के थे। श्री जी० के० मनोत ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 6-10-65 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की थी। यह जांच 78 मामलों में की गई। जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अनेक मामलों में गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं। ऐसी दशा में श्री मूलसिंह, आई. ए. एस तत्कालीन निदेशक, उपनिदेशक, चम्बल परियोजना, श्री आई. एन. कौल, तत्कालीन निदेशक, उपनिवेशन, चम्बल परियोजना एवं श्री राम लखन शुक्ला तत्कालीन सहायक उपनिवेशन अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चालू की गई। श्री मूलसिंह एवं श्री कौल के विरुद्ध चालू की गई कार्यवाही को कार्मिक विभाग ने बाद में विचार करके समाप्त कर दिया क्योंकि दोनों के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होते थे जहां तक श्री राम लखन शुक्ला का संबंध है, राजस्व मण्डल ने दिनांक 2-3-76 को उनके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच को भी ड्राप करने का निर्णय लिया।

राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट पर विचार कर यह भी निर्णय लिया कि जो आवंटन खरीद के मामले रिपोर्ट में उल्लिखित है उनके बाबत कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं हैं। यह सरकारी कार्यवाही भूतपूर्व सरकार की है जितने आदेश हुए हैं वह उसके जमाने के हैं। अतिरिक्त जिलाधीश, कोटा, उपनिवेशन श्री कुशालसिंह ने दिनांक 22-3-78 को टेलीफोन पर सूचित किया है कि जिन 78 मामलों की जांच की गई थी उनमें से 5 मामलों में आवंटन की शर्तों की

(श्री पुरुषोतम मंत्री)
पूर्ति न होने के कारण उन्हें निरस्त कर दिया गया है। 47 मामलों में खातेदारी अधिकार दिये गये हैं एवं 26 मामलों में अभी खातेदारी अधिकार दिये जाने शेष हैं। कुल मामलों में से 44 मामले राज्य कर्मचारियों के रिश्तेदारों आदि के थे जहां तक इन 44 मामलों का सम्बन्ध है, इनमें से 4 के आवंटन निरस्त किये गये हैं, 23 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये एवं 17 को खातेदारी अधिकार देना शेष हैं। अनियमितताओं के कारण इन मामलों में जिला स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ऐसा भी उन्होंने बताया है।

जहां तक प्रश्न के भाग (2) का संबध है, राजस्व मण्डल ने सूचित किया है कि श्री शेरसिंह द्वारा की गई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। जिलाधीश, कोटा ने सूचित किया है कि उन्हें भी कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। जब शेरसिंह से इस हेतु सम्पर्क किया तो उन्होंने अवगत कराया कि उन्होंने ऐसी कोई जांच नहीं की।

यह कहा गया है कि दुबारा कार्यवाही की जानी चाहिये। अगर कानूनी रूप से कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह कार्यवाही जरूर की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल एक है। यह प्रश्न ऐसा है जिसके सम्बन्ध में बार वार एक दूसरे पर इल्जाम लगाये गये हैं इसलिये बहुत आवश्यक है कि इसकी उच्च अधिकारी से जाँच करवाई जाये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय मंत्री महोदय बहुत अच्छे रेवेन्यू के वकील रहे हैं। वे हमें कहें कि सरकारी कर्मचारी, उनके बच्चों को क्या अलाटमेंट नहीं किया गया ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह एक कन्ट्रोवर्शियल सवाल है। इसकी जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इसमें अनियमितता बरती गई है। रेवेन्यू बोर्ड ने भी जाँच की है। किसी को निलम्बित नहीं किया गया है। जो अलाटमेन्ट अधिकारी हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिये यह जरूरी है कि इसकी जांच करवाई जाए। राज्य सरकार इसकी जांच कराने की घोषणा करे और जांच रिपोर्ट इस सदन में पेश की जाए।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, हमारे मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि वे भ्रष्टाचार उन्मूलन करेंगे। यह भी कहा गया है कि खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं। मेहरबानी करके जो गलत अलाटमेन्ट हुए हैं, उनको रि-ओपन करके सारे कैन्सल कीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारा भी आपसे निवेदन है कि जो चार्जेज लगाए गए हैं उनको देखते हुए दुबारा जांच करवा लीजिये।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कानूनी रूप से कार्यवाही की जाएगी। सरकार कानून की सीमा में बंधी हुई है। सुओ मोटो पावर्स सरकार को हैं यह मैं मानता हूं फिर भी""

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप कानून और बनाइये। संशोधन कीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : कानून से बचते हैं तो कानून में अमेन्डमेन्ट कीजिए। कानून का बहाना मत लीजिये।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : ऐसे अलाटमेन्ट के बारे में जांच करने के लिए बैरी कमीशन की

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

नियुक्ति की गई है वहां पर यह मामला रखा जाएगा।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : बेरी कमीशन से यह कोई ताल्लुक नहीं रखता है।....

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : पूरी बात तो सुनिए। अगर माननीय सदस्यों की यह इच्छा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं पूरी बात तो निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आपका उत्तर पर्याप्त है। स्थान ग्रहण करें। अब इस प्रश्न पर बहस नहीं होगी। माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय मसला गंभीर है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अगर आप आसन की अवहेलना इसी तरह से करेंगे तो मजबूर होकर आपको ताड़ना दूंगा। सदन की परम्परा का ध्यान रखें

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको बाहर निकाल दीजिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर द्वारा बनवाई गई सड़क

468. **श्री हनवन्त सिंह राणावत (बाली)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर के द्वारा एक सड़क का निर्माण हुआ जो ग्राम बावड़ी के नाम से स्वीकृत हुई और उसका निर्माण दूसरी जगह श्री जेठूसिंह, जो उपरोक्त समिति के संचालक मण्डल के सदस्य थे, ने अपने फार्म के लिए करवा लिया है, जो अवैध है? यदि हां, तो इस सार्वजनिक राशि को क्यों न उनसे वसूल किया जाय ?

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर द्वारा उक्त सड़क का निर्माण सोडेराव बांगड़ी सड़क के भाग दो के नाम से किया गया। यह निर्माण बोर्ड द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार नहीं किया गया। अतः बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं दी गई। मामले की पूरी जांच करवाई जाकर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बाड़मेर एवं जैसलमेर के पशुओं के इलाज की व्यवस्था

471. **श्री कानसिंह (शिव)** : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1976-77 एवं 1977-78 के अन्दर बाड़मेर, जैसलमेर जिले में भेड़ बकरी, ऊंट, गाय, बैल एवं गधों, घोड़ों के मरने की क्या संख्या रही एवं कितने पशु उनमें से बीमारी की वजह से मरे और उन बीमारी से मरे हुए पशुओं के लिए क्या कोई राज्य सरकार की तरफ से इलाज हेतु व्यवस्था की गई थी? अगर हां, तो क्या व्यवस्था की गई ?

(2) इस समय जो भेड़ों एवं बकरियों, ऊंटों एवं गायों में जो बीमारी फैली हुई है जिसके फलस्वरूप शिव क्षेत्र की काफी संख्या

(श्री कानसिंह)

में भेड़, ऊंट, बकरी व गायें मर चुकी हैं व मरने जा रही हैं, बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार तात्कालिक एवं स्थाई रूप से क्या-क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) संक्रामक रोगों के आउट ब्रेक्स में हुई पशुओं की मृत्यु के अतिरिक्त पशुओं की मृत्यु संबंधी आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं। बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में वर्ष 19-76-77से ऊंट में सर्रा व आंतरिक परजीवी (इन्टरनल पेरासाइट) के प्रकोप से 16-42 पशु प्रभावित हुए उनमें से पचास के मरने की सूचना है। इसी प्रकार गल घोटू रोग से प्रभावित 25 गाय, भैंसों का उपचार किया गया एवं 9 की मृत्यु हुई। भेड़ बकरियों में सी. सी. पी. पी. (फेफड़िया) तथा आंतरिक परजीवी से 68 पशुओं का उपचार किया गया एवं बारह भेड़-बकरियां मरीं।

उपरोक्त जिलों से बीमारी की सूचना मिलते ही पशु रोग अनुसंधान अधिकारी के साथ विशिष्ट दल ने वहां जाकर रोग नियंत्रण कार्य किया एवं आवश्यक दवाइयों की विशेष व्यवस्था की गई। रोगों की जांच के बाद आगे उपचार व्यवस्था जिला पशुपालन अधिकारी जिला भेड़ व ऊन अधिकारी एवं स्थानीय चिकित्सकों के द्वारा की जा रही है।

(2) इस वर्ष शिव क्षेत्र एवं बाड़मेर एवं जैसलमेर के अन्य क्षेत्रों में ऊंटों की सूचना मिलने पर उसके बीमारी सर्रा व आंतरिक परजीवी फैली थी। सूचना मिलने पर उसके नियंत्रण हेतु माह दिसम्बर में पशुरोग अनुसंधान अधिकारी के दल ने जाकर चिकित्सा कार्य किया।

अभी शिव क्षेत्र एवं बाड़मेर जिले के लगभग चालीस गांवों एवं ढाणियों में भेड़, बकरियों में सिस्टोजोमियोसिस (परजीवी) बीमारी का प्रकोप है, जिससे केवल 309 भेड़, बकरियों के मरने की सूचना है। यह सही नहीं है कि बहुत संख्या में पशु मरे हैं या मर रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही जयपुर से अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी 27 फरवरी को पहुंच गए एवं वहां उपचार हेतु पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। दवाइयों की विशेष व्यवस्था भी की गई। वहां के स्थानीय पशु पालन अधिकारी एवं भेड़ एवं ऊन अधिकारी उपचार हेतु कार्यरत हैं। स्थाई कदम के रूप में, आगामी वर्ष बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में ऊंटों की सर्रा बीमारियों के उपचार हेतु एक एक भ्रमणशील इकाई स्थापित की जा रही है।

पंचायत समिति, बुहाना के प्रधान के विरुद्ध जांच

474. **श्री सुभाष चन्द्र** (सूरजगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बुहाना के प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की कोई जांच राज्य सरकार द्वारा कराई गई या करवाई जा रही है ? यदि करवाई गई तो क्या-क्या परिणाम रहे एवं भ्रष्टाचार एवं गबन, अनियमितताओं के आरोप उनके खिलाफ क्या-क्या सिद्ध हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री सुभाष चन्द्र)

(2) उपरोक्त जांच परिणामों के आधार पर उनके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या एक्शन लिए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1 पंचायत समिति, बुहाना के भूतपूर्व प्रधान श्री प्रहलादसिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रारम्भ की गई जांच जिलाधीश झुन्झुनू एवं पुलिस के अधीन विचाराधीन है।

(2) जांच पूर्ण होने पर ही भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति, बुहाना के विरुद्ध आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव है।

(3) जांच शीघ्र पूर्ण कराने की व्यवस्था की जा रही है।

सोडियम सल्फाइड को बिक्री

476. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजकीय उपक्रम विभाग के पास जो सोडियम सल्फाइड करीब 25–30 लाख रुपये का पड़ा हुआ खराब हो रहा है उसकी बिक्री के लिए सरकार के पास कोई योजना है ? सोडियम सल्फाइड इतने दिनों तक रखने के क्या कारण हैं ? इसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर है ?

उत्तर

राजकीय उपक्रम विभाग के पास वर्तमान में 20 से 22 लाख रुपये का सोडियम सल्फाइड स्टाक में संग्रहित है।

स्टाक में दिन-प्रतिदिन की वृद्धि को देखते हुए विभाग ने बिक्री में बढ़ोतरी हेतु निम्न सुविधाएं खरीददारों को उपलब्ध कराई हैं:—

(क) सही वित्तीय स्थिति वाले खरीददारों को बैंक के माध्यम से 45 से 60 दिन के आधार की सुविधा।

(ख) बाजारों जैसे मद्रास, कलकत्ता व बम्बई, जो डीडवाना से 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं, के व्यापारियों को भाड़े में छूट दी गई है।

(ग) बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए सोल-सेलिंग एजेन्सी की पद्धति का भी प्रयोग किया गया है।

महाराष्ट्र के लिए सोल सेलिंग एजेन्ट नियुक्त किया गया है जिनको एक तिमाही में 75 टन या अधिक माल लेने पर रु॰ 75/- प्रति टन छूट देने का प्रावधान रखा गया है व 5% एजेन्सी-कमीशन भी देना स्वीकार किया गया है।

उपरोक्त स्थितियों को दृष्टि में रखकर वर्तमान में विभाग के द्वारा सल्फाइड की उत्पादन क्षमता का आधा ही उत्पादन करने का निर्णय लिया है जिससे संग्रहित स्टाक में दिन-प्रतिदिन और वृद्धि नहीं हो।

पुराने सोडियम सल्फाइड के विक्रय हेतु देश के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन नोटिस जारी कराये हैं व नीलाम की तिथि 5/4/78 निश्चित की गई है।

Page No 28

(28)

तहसील मावली में नये पशु चिकित्सालय

477. श्री नरेन्द्रपालसिंह (मावली) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील मावली, जिला उदयपुर में एक ही पशु चिकित्सालय है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस तहसील में इस वर्ष नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कब तक यह चिकित्सालय कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे।

उत्तर

जी हां!

यदि वित्तीय साधन उपलब्ध हो सके तो विचार करना सम्भव होगा।

फलौदी ऊनी धागा कताई मिल की स्थापना की योजना

478. श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से फलौदी की ग्राम सभा में मुख्य मन्त्रीजी ने जिस ऊनी धागा कताई मिल की फलौदी में स्थापना करने की घोषणा की थी वह कब तक स्थापित कर दी जायेगी और उसके जरिये कितने मजदूरों एवं शिक्षितों को रोजगार मिल सकेगा?

उत्तर

मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा राजकीय क्षेत्र में ऊनी धागा कताई मिल फलौदी में लगाने हेतु कोई घोषणा नहीं की गई। यदि कोई उद्यमी निजी क्षेत्र में ऊनी धागा कताई मिल की स्थापना हेतु आवेदन करेगा तो उसे राज्य सरकार की ओर से उचित सुविधाएं प्रदान की जावेंगी।

ग्रतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य कर्मचारियों के समर्पित ग्रवकाश का मामला

196. श्री ग्रजीतसिंह (टौंक) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को दो साल में एक बार समर्पित ग्रवकाश लेने पर एक महीना छुट्टी जाना ग्रावश्यक है? यदि हां, तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में सरकार सुधार करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां, सेवा में रहते हुए कुछ समय के लिए ग्रवकाश पर रहने से विश्राम मिलता है जिससे मानसिक तथा शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है ग्रौर कार्यकुशलता बढ़ती है। इस प्रक्रिया में सुधार करने का कोई विचार नहीं है।

राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत धौलपुर में निर्णीत मामले

198. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धौलपुर में 28 फरवरी, 1978 तक हस्बे दफा 175 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के कितने केसेज का निर्णय ए. सी. एम. धौलपुर (बाड़ी) द्वारा किया गया? उनमें से कितने ऐसे केस हैं जिनमें दोनों पक्षों को बेदखल किया गया एवं उस भूमि का क्या किया गया?

(श्री जगदीश सिंह)

कितने ऐसे केस हैं जिनमें अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन-जाति को कब्जा वापस दिलाया गया तथा कितने किस प्रावधान के अन्तर्गत सवर्ण जाति के लोगों के फेवर में केस विथड्रा किये गये ?

उत्तर

कुल 369 केसों में से 230 का निर्णय किया गया है एवं 119 केस विचाराधीन हैं; कुल 194 केसों में निर्णय के अनुसार दोनों पक्षों को बेदखल कर भूमि को राज में निहित किया गया है। कुल 63 केसों में भूमि का मूल अनुसूचित जाति के कृषकों के हित में भूमि वापस छोड़ी गई एवं अतिक्रमणी के नाम से प्रविष्टियां खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त कुल 66 केसों में प्रार्थना-पत्र मरे हुये व्यक्तियों के नाम से प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये गये हैं, एव तहसीलदारान को पुन: नवीन रूप से उनके वारिसान को पक्ष बनाकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। किसी सवर्ण जाति के कृषक के हित में कोई केस विथड्रा नहीं किया गया है। कुल 27 केसों में प्रार्थना-पत्र कानून मियाद के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने से या वास्तव में अतिक्रमण न होने से खारिज किये गये हैं।

तहसील पिड़ावा में चरागाह की भूमि

199. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ में चरागाह भूमि की ग्रामवार सूची उन पर 7-7-78 में किये गये अतिक्रमण का क्षेत्रफल एवं अतिक्रमियों के नाम दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितने चरागाह के अतिक्रमियों को सिविल जेल भेजा गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार का इरादा चरागाह समाप्त करने का है ?

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 19 अतिक्रमियों को सिविल जेल में भेजा गया। सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भुगड़ा से खमेरा सड़क

200. श्री नाथूलाल (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भुगड़ा से खमेरा सड़क बनाने की सम्भावना कब तक है ?

(2) क्या इस वर्ष उक्त सड़क का कार्य चालू कर इसे पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस सड़क के निर्माण के लिये योजना मद में कोई स्वीकृति नहीं है। अत: प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) इस वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अनुमानित लागत 6,32,000) रु.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। सड़क की लम्बाई 20 किलोमीटर है और इसको पूरा कराने की अनुमानित लागत 35 लाख रुपया होगी।

इस वर्ष पूरा कराया जाने का प्रश्न नहीं उठता।

झुंझुनूं जिले में अकाल राहत कार्य

201. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) राज्य के कौन-कौन से जिले इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा अकाल ग्रसित घोषित किये गये हैं? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) अकाल राहत कार्यों के लिये अब तक राज्य सरकार ने कितनी धनराशि का जिलेवार आवंटन किया है? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) झुंझुनूं जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कितने और कहां-कहां कार्य खोले गये हैं? तथा कितने मजदूर इन कार्यों पर लगे हुए हैं? विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें?

(4) क्या यह बात सही है कि अकाल राहत कार्यों में प्रति मजदूर को 3 रु. प्रति दिन ही मजदूरी दी जाती है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन मजदूरों पर भी श्रम कानून के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन देने पर भी विचार कर रही है।

(5) क्या यह बात सही है कि झुंझुनूं जिले में चारे का अभाव होते हुए भी अब तक चारे के डिपो नहीं खोले हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार तत्काल डिपो खोलने पर विचार कर रही है?

उत्तर

(1) राज्य में इस वर्ष 19 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिलेवार राहत कार्यों के लिये आवंटित राशि की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) झुंझुनूं जिले में स्वीकृत राहत कार्यों की सूची तथा इस समय उस पर कार्यरत श्रमिकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी हां, इस वर्ष राहत कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी निम्न प्रकार दिये जाने के आदेश दिये गये हैं। पी.डब्ल्यू.डी. के बी.एण्ड आर. में निर्धारित टास्क में 10 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत की कमी की जाकर टास्क के आधार पर प्रतिदिन अधिकतम 1)रु. प्रति माह व 2 किलो गेहूं मजदूरी के रूप में दिया जा सकता है, जो कार्य शत प्रतिशत गेहूं मजदूरी के रूप में दिये जाकर कराये जा सकते हैं उन कार्यों के लिए 3 किलो गेहूं तक अधिकतम मजदूरी प्रतिदिन दी जा सकती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत राहत कार्यों पर न्यूनतम मजदूरी दिये जाने की अनिवार्यता से छूट दी जाने के बावत विज्ञप्ति 14-3-78 को जारी की जा चुकी है।

(5) राज्य सरकार ने जिलाधीश, झुंझुनूं को 50 हजार क्विंटल कड़वी खरीद कर अभावग्रस्त क्षेत्रों में वाजिब दरों पर

(अकाल राहत मन्त्री)

उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं। जिसके अनुसार जिलाधीश चारा वितरण की उपयुक्त व्यवस्था कर सकेंगे। वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त होते ही डिपो खोले जाने के बाबत औपचारिक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

चूरू जिले में अकालग्रस्त घोषित किये ग्राम

202. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सम्वत् 2002 से अब तक चूरू जिले के किन-किन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया ? तहसील तथा गांव वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार सम्वद् 2020 से 2034 तक अकालग्रस्त गांवों की संख्या तहसीलवार तथा गांव वार सूची सदन के पटल पर रखदी गई है। सम्वत् 2002 से 2019 की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खाद्य व रसद विभाग द्वारा प्रसारित आदेश

203. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

दिनांक एक अप्रेल, 1976 से लेकर अब तक खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा किस-किस प्रकार के आदेश कब-कब और क्यों प्रसारित किये गये ? कृपया आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

दिनांक 1-4-76 से लेकर अब तक खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा प्रसारित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं। ये आदेश राज्य सरकार एवं भारत सरकार की नीति के अनुसरण में आदेशों में उल्लेखित तिथि को प्रसारित किये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बामनवास–पिपलाई सड़क में सोलिंग का कार्य

204. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आजकल नई सड़क बनाने में सोलिंग बिछाना आवश्यक नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो सवाई माधोपुर जिले में बामनवास पिपलाई रोड के मध्य कुछ किलोमीटर बन रही सड़क पर सोलिंग क्यों नहीं बिछाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बन रही सड़क पूर्व निर्धारित ऊंचाई के अनुसार भी नहीं बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार जिले में इस प्रकार के हो रहे भ्रष्ट कार्यों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। नई सड़क के निर्माण में सोलिंग लगाने के एवज में ओवरसाइज मेटल लगाना प्रचलित किया जा रहा है। वामनवास सड़क इसी स्पेसीफिकेशन के अन्तर्गत सोलिंग नहीं लगा कर ओवर साइज मेटेरियल लगाया जा रहा है।

(2) जी नहीं। सड़क निर्धारित ऊंचाई की बनाई जा रही है।

(3) भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं उठता।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की सड़कें

205. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की किन-किन नई सड़कों के निर्माण व पुरानी सड़कों की मरम्मत की योजना विचाराधीन है ? कृपया पूर्ण विवरण दें।

(2) क्या पिड़ावा से सुसनेर सड़क मास्टर प्लान में ली गई है ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई समझौता किया गया है ?

(4) क्या पिड़ावा नगर के बाहर की सड़कों की इस वर्ष मरम्मत कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में अभी कोई नई सड़क बनाना विचाराधीन नहीं है। इस तहसील की दो मुख्य सड़कें निम्न हैः —

1. सूलिया-सुनेल-पिड़ावा सोयत

37 किलोमीटर डामर।

2. सुनेल-पाटन

7 किलोमीटर मेटल्ड, 6 कि.मी. कच्ची

वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में उक्त सड़कों पर कोई कार्य किये जाने का प्रावधान नहीं है। सुनेल से पिड़ावा तक सड़क की लम्बाई 25 कि. मी. है। यह पूर्णतया डामर निर्मित है किन्तु इस पर पुलियाएं नहीं बनी हुई हैं। इस पर पुलियाओं के निर्माण हेतु अनुमानित 25 लाख रुपये लागत आयेगी।' इस प्रकार पिड़ावा-सोयत सड़क एवं सुनेल-पाटन सड़क पर पुलियाओं के निर्माण हेतु क्रमशः 9 लाख व 29 लाख रुपये की लागत आयेगी।

(2) पिड़ावा से सुसनेर अभी कोई प्लान में नहीं ली गई है।

सुसनेर कस्बा मध्य प्रदेश में है। पिड़ावा से सुसनेर की दूरी 27 कि० मी० है। इन दोनो कस्बों को मिलाने वाली कोई सड़क नहीं है।

(3) मध्य प्रदेश सरकार से अभी कोई एग्रीमेन्ट होने की सूचना नहीं है।

(4) वार्षिक मरम्मत हर साल को तरह कराया जायगा। पिछले दो वर्षों में रोड गेंग व साधारण मरम्मत पर खर्चा इस प्रकार हैः —

1975-76	....	3.09 लाख
1976-77	....	6.31 लाख

Page No 33

(33)

बौंली कस्बे के पास लोहे की खान

209 श्री कुंजी लाल (बामनवास) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे?

(1) क्या यह सही है कि बौंली कस्बे के पास (सवाई माधोपुर) में एक लोहे की खान है ? यदि हां, तो क्या इसे किसी को दे रखी है ? यदि दे रखी है, तो किसको ? कृपया पार्टी का पूरा पता देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त खान का कार्य बिलकुल बन्द है ? यदि हां, तो क्यो ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त खान को चालू कराने का प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) बौंली कस्बे के पास सवाई माधोपुर जिले में लोहे की कोई खान स्वीकृत नहीं है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य के प्रधानों के विरुद्ध शिकायतें

210. श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) : क्या पंचायती राज एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के किन-किन प्रधानों की शिकायत राज्य सरकार को अब तक प्राप्त हुई है ?

(2) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) कितनों को किस आधार पर माफ किया गया और कितनों को क्या दण्ड दिया?

उत्तर

(1) अब तक राज्य सरकार को जिन प्रधानों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) विवरण निम्न प्रकार है:—

1. श्री मेहताबसिंह, पं. स. आसपुर:–आडिट आक्षेपों के आधार पर जांच कार्यवाही की गई थी। आडिट आक्षेपों के अनुसार वसूल योग्य राशि वसूल की जाने के बाद कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

2. श्री भंवरलाल मेहता, पं. स. डूंगला:–आडिट आक्षेपों के आधार पर जांच कार्यवाही की गई थी। आडिट आक्षेपों के अनुसार वसूल योग्य राशि वसूल की जाने के बाद कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

3. श्री रामचन्द्रसिंह, पं. स. धरियावद:–आडिट आक्षेपों के आधार पर जांच कार्यवाही की गई थी। आडिट आक्षेपों के अनुसार वसूल योग्य राशि वसूल की जाने के बाद कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

4. रामानन्द, पं.स. निवाई:-आडिट आक्षेपों के आधार पर 60 रुपये की वसूली की कार्यवाही जारी रखते हुए मामला चेतावनी देकर समाप्त किया गया ।

(पंचायती राज एवम् विकास मंत्री)

5. श्री महेन्द्रकुमार, पं.स. वेवली:-अनियमितताओं व विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के कारण चेतावनी देकर मामला समाप्त किया गया।

6. श्री जीवन राम, पं स. राजगढ़:–जांच पूर्ण करके निर्णय लेखबद्ध किया जा चुका है जिससे वे 5 वर्ष की अवधि के लिये चुनाव में खड़े होने योग्य नहीं रहें।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

कोटपूतली को ग्राम सेवा सहकारी समिति की बकाया राशि

211. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कोटपूतली की किस-किस ग्राम सेवा सहकारी समिति में कितना बकाया है और उनके अध्यक्षों को बकाया का नोटिस देने पर भी किस-किस ने जमा नहीं कराया ?

(2) जिनको बकाया का नोटिस दिया है क्या उनकी विभाग के पास रसीद है या केवल सुनकर या अन्दाज से ही बकाया निकाल कर लोगों को तंग किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) कोटपूतली पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बकाया की सूची संलग्न है। इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से केवल 2 ग्राम सेवा सहकारी समिति पाथरेखी एवं राजनोता के अध्यक्ष क्रमशः श्री जयसिंह व श्री रूपसिंह के विरुद्ध निरीक्षण के दौरान क्रमशः 19312–45 व 1200 रु० के अपहरण के मामले पाये गये जिनके विरुद्ध सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप श्री जयसिंह से 19312–45 बैंक में जमा हो चुके हैं। श्री रूपसिंह के विरुद्ध मामला विचाराधीन है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

बासड़ी पंचायत के भूतपूर्व सरपंचों व पंचों के खिलाफ गबन के मामले

212. श्री राम करण सिंह (कोटपूतली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे?

(1) कोटपूतली की बासड़ी पंचायत के भू.पू. सरपंच व पंचों के खिलाफ किस-किस तरह के गबन के मामले हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले विधान सभा सत्र में उन्हें दोषी बताते हुए केस रजिस्टर करने का राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या आज तक उस आश्वासन का पालन नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। जी नहीं दिनांक 14-2-1978 को मामला पुलिस को दिया जा चुका है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

नागौर जिले की चर्म उत्पादक सहकारी समितियां

213. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) नागौर जिले में पिछले 15 वर्षों में कितनी चर्म उत्पादक व लघु उद्योग उत्पादन सहकारी समितियां बनाई गई ?

(2) नागौर जिला अन्तर्गत डेगाना तहसील व मेड़ता तहसील की ऐसी सहकारी समितियों, मय उन सहकारी समितियों, जिनका रजिस्ट्रेशन किसी कारण से न किया जा सका है पर उनका शेयर मनी जमा हो चुका है, की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। साथ में शेयर मनी की राशि जमा कराने की तारीख भी दर्शाने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त सहकारी समितियों की शेयर मनी आने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन किस-किस तारीख को किया गया ? यदि इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो इनको अब तक ऋण क्यों नहीं मिला? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया तो किन-किन कारणों से रोका गया ?

(4) बिखरनियां चर्म उत्पादक समिति का शेयर मनी किस तारीख को कितना जमा कराया गया तथा उसको कब ऋण दिया गया ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में पिछले 15 वर्षों में 61 चर्म उत्पादक, 147 लघु उद्योग उत्पादनक, सहकारी समितियां बनाई हैं।

(2) तहसील डेगाना एवं मेड़ता में पंजीकृत सहकारी समितियों की सूची परिशिष्ट 'अ' में अंकित है। इन तहसीलों में ऐसी कोई समिति नहीं है जिसकी शेयर मनी प्राप्त हो जाने के उपरान्त पंजीयन नहीं किया गया है।

(3) परिशिष्ट 'अ' में दिनांक पंजीयन अंकित है। पंजीयन क्रमांक अब प्रत्येक समिति को दे दिये गये हैं। कोई समिति ऐसी नहीं है जिसका पंजीयन नहीं किया गया है। अतः कारण अंकित करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) बिकठनियां चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि० का शेयर मनी तारीख 6-7-72 को नागौर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि० में 780 रु० जमा कराया गया। इस प्रकार की समितियों को दिये जाने वाले ऋणों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्भरण की सुविधा प्राप्त न होने के कारण केन्द्रीय सहकारी बैंक तब तक इन समितियों को नहीं देते जब तक कि बैंक इतना सुदृढ़ नहीं कि वह अपने साधनों से ऋण दे सके।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला जालौर में ग्रेनाइट पत्थर

214. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में ग्रेनाइट पत्थर का भण्डार कई रंगों में जालौर भारवरी में बहुत ज्यादा उपलब्ध हुआ है ? अगर हां, तो उस पत्थर का निकालना कितने वर्ष पूर्व ग्रामीणों द्वारा शुरू किया गया था ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त पत्थर निकाल कर उसको साफ कर बेचने में महंगा होने से व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद साबित नहीं हुआ है ? अगर हां, तो इस खान उद्योग के विकास हेतु राज्य सरकार ने अब तक उचित कदम क्यों नहीं उठाए ? भविष्य में राज्य सरकार द्वारा इस पत्थर उद्योग के समुचित विकास हेतु कब तक क्या-क्या कदम उठाए जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि आर. एम. आई. डी. सी. द्वारा इस उद्योग के विकास हेतु जोधपुर में कोई प्लांट लगाने का विचार रखती थी ? अगर हां, तो वह क्या योजना थी ? इस योजना का प्लांट जालोर में ही क्या राज्य सरकार लगवाना जनहित में उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला जालौर में चीनी मिट्टी का खनिज पदार्थ भी उपलब्ध हुआ है ? अगर हां, तो कहां एवं कितनी मात्रा में ? इस खनिज के विकास हेतु राज्य सरकार कब तक क्या-क्या कदम उठाना उचित समझेगी ?

(5) क्या यह सही है कि जिला जालोर की भीनमाल तहसील के ग्राम करडा में एक बहुत कीमती एवं उपयोगी खनिज की खान निकली है ? अगर हां, तो इस खनिज के विकास हेतु अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ? इस खनिज से राज्य सरकार को सालाना क्या आमदनी होने लगी है एवं इसकी आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ? इस खनिज पर आधारित उद्योग की स्थापना ग्राम करड़ा में कब तक राज्य सरकार करने में सफल हो सकेगी एवं वह उद्योग क्या होगा ?

(6) क्या यह भी सही है कि जिला जालोर में और भी कई खनिज निकाले जाकर उन पर आधारित उद्योग लगाए जा सकते हैं ? अगर हां, तो कब तक क्या-क्या उद्योग लगाए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। खनिज विभाग के आलेखों में इसका उल्लेख नहीं है कि ग्रामीणों ने कितने वर्ष पूर्व इस पत्थर को निकालना शुरू किया था। ग्रामीणों द्वारा शताब्दियों से इसका उपयोग किया जा रहा है।

(2) जी हां। पत्थर अत्यधिक कठोर होने से इसका गढना कठिन है। जालोर अन्य बड़े नगरों से दूर होने के कारण छोटे पैमाने पर इसका उत्पादन एवं विक्रय व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं था।

(3) इस उद्योग के समुचित विकास हेतु राज्य सरकार ने आर०एम०आई०डी०सी० को जून 1970 में इस क्षेत्र का खनन पट्टा आवंटित किया था। निगम ने खनन कार्य के विकास हेतु लगभग 10 लाख रुपये की राशि विभिन्न उपकरणों के खरीदने में खर्च की है। निगम द्वारा ग्रेनाइट कटिंग व पालिसिंग हेतु एक कारखाना चलाया जा रहा है।

जी हां। ग्रेनाइट की कटिंग व पालिसिंग की आयातित मशीनें जोधपुर में लगाकर 14 हजार स्क्वायर मीटर पट्टियां प्रति वर्ष तैयार कर निर्यात करने की योजना है। अभी ग्रेनाइट की कटिंग व पालिसिंग का छोटा कारखाना जालोर में लगा हुआ है

(खनिज मंत्री)

इसके अलावा एक और बड़ी कटिंग व पालिसिंग की मशीन लगाने की योजना राज्य सरकार आर०एम०आई०डी०सी० के माध्यम से बना रही है।

(4) जालौर के निकट ग्राम पाल तहसील सांचोर तथा गांव भादरा जून तहसील आड़ोर में चीनी मिट्टी खनिज के भण्डार मिले हैं परन्तु ये भण्डार उपयुक्त किस्म के नहीं है। पूर्व में इस खनिज के दो खनन पट्टे श्री सोहन लाल जैन ने लिये थे परन्तु इस खनिज के उपयोग में लाने में वे सफल नहीं हुए। अगर भविष्य में कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में खनन पट्टा लेने को तैयार हों तो विभाग द्वारा उन्हें सहयोग दिया जायगा।

(5) जी हां। ग्राम करडा के पास फ्लोराइट नाम के खनिज की खानें निकली है। यह क्षेत्र आर०एम. आई. डी०सी० को स्वीकृत किया जा चुका है और निगम द्वारा छोटे पैमाने पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अभी तक भण्डारों का पूरा परीक्षण नहीं हुआ है इसलिये पूरे विकास के लिये परीक्षण के बाद ही कदम उठाये जा सकेंगे।

इस खान से राज्य सरकार को रायल्टी के रूप में 22974 रुपये की आय 1976–77 में हुई है।

फ्लोराइट पर आधारित फ्लोराइट परिष्करण संयंत्र तथा हाईड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का संयत्र यदि पर्याप्त मात्रा में भण्डार सिद्ध हो जाये तो लगाने पर विचार किया जावेगा।

(6) ग्रेनाइट एवं फ्लोराइट के अलावा बेराइटीज जिप्सम, क्ले मेग्नेसाइट, ब्रिक अर्थ सिलिका सैण्ड, बुलेस्टोनाइट वालकेनिक, एसज आदि खनिजों के मिलने की सम्भावना है। पर्याप्त मात्रा में भण्डार सिद्ध होने तथा परीक्षण के पश्चात ही उद्योगों के बारे में विचार किया जा सकता है

राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० (अपेक्स बैंक) द्वारा खर्च की गई राशि

215. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी–बाजार, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1976–77 में राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० (अपेक्स बैंक) यात्रा व्यय व फीस तथा उपहार खर्चे का बजट 40,000 रुपया रखा गया था ?

(2) क्या यह सही है कि जुलाई, 1976 से मार्च, 1977 तक 9 माह में उक्त मद कुल 12,414.80 रु० खर्च हुए ?

(3) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1977 से जून, 1977 तक तीन माह में उक्त मद में में 27,585.20 रु० खर्च किये हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार की दृष्टि में यह खर्चा उचित व आवश्यक था ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त 3 माह में इतना व्यय चेयरमैन व डायरेक्टरों को खुश रखने के लिए किया गया था ?

(6) क्या यह सही है कि गरीब किसानों से प्राप्त ब्याज की कमाई का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टरों के नाज-नखरों पर खर्च किया गया ?

(श्री गुल मोहम्मद)

(7) क्या यह सही है कि उपहार-स्वरूप तीन-तीन सौ रुपये की एच० एम० टी० की हाथ घडी प्रत्येक डायरेक्टर को भेंट की गई ?

(8) क्या इस तरह भेंट देने का प्रावधान राजस्थान कोआपरेटिव सोसाईटी एक्ट में है ?

(9) यदि नहीं, तो राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, 40000/–रु० का बजट केवल टी०ए०डू० डायरेक्टर्स एवं मीटिंग फीस का था। इसके अतिरिक्त 25,000/–रु० का बजट प्रावधान विविध व्यय के मद में और था।

(2) जी नहीं। यह 12414.80 रु० की राशि मीटिंग फीस व यात्रा व्यय संचालकों की मद में खर्च हुई है।

(3) जी नहीं। अप्रेल 1977 से जून 1977 तक तीन माह में मीटिंग फीस व यात्रा व्यय संचालकों में केवल 8032.44 रु० ही खर्च हुए हैं।

(4) इसका सम्बन्ध बैंक के संचालक मंडल से है, जो कि स्वीकृत बजट के अन्तर्गत खर्च करने हेतु है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(7) जी हां। एच० एम० टी० की एक एक हाथ घड़ी 279.91 की प्रत्येक डायरेक्टर को उपहार स्वरूप दी गई थी। सूची संलग्न है।

(8) बैंक के प्रत्येक प्रकार के बजट प्रावधानों के अन्तर्गत खर्च के लिये उसका संचालक मडल उसके उप-नियमानुसार पूर्ण रूप से सक्षम है।

(9) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, छोटा लाम्बा

216. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अजमेर जिले की अराई पंचायत समिति की छोटा लाम्बा ग्राम सेवा सहकारी समिति का समय-समय पर विभागीय आडिट होता रहा है ?

(2) क्या उपरोक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री दाऊदयाल जोशी के विरुद्ध लगभग एक लाख रुपये की धनराशि के गबन व दुरुपयोग के मामले विभागीय आडिट के समय जानकारी में आये हैं ?

(3) राज्य सरकार संबंधित अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष ने समय-समय पर ऋण समिति के सदस्यों के नाम से सहकारी बैंक से उठाया था वह सब ऋण राशि अपने निजी कार्यों में ले ली तथा उस ऋण राशि को सदस्यों में फर्जी रूप में वितरण बतलाया गया है ?

(श्री करतारसिंह)

(5) क्या राज्य सरकार एवं संबंधित अधिकारियों के समक्ष ग्रामवासियों की कोई फर्जी ऋण वितरण संबंधी शिकायत आई थी ? यदि हां, तो आज तक राज्य सरकार एवं संबंधित अधिकारियों ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(6) क्या यह सही है कि बार-बार ग्रामबासियों द्वारा संबंधित अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत देते रहने पर भी अधिकारियों ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर शिकायत पत्रों को दबाये रखा ?

(7) क्या राज्य सरकार शीघ्र दोषी अध्यक्ष के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करेगी ? साथ ही राज्य सरकार क्या संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने कि उपरोक्त प्रकार के गबन व धन के दुरुपयोग में समिति के अध्यक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अध्यक्ष के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत मामला रजिस्टर कर दिया गया है एवं पुलिस में देने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(4) ऋण के संस्थापन के समय सदस्यों के नाम फर्जी ऋण लिया जाना पाया गया है।

(5) जी हां, शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

(6) जी नहीं।

(7) जी हां। जो भी दोषी होगा कार्यवाही की जावेगी।

तहसील पिडावा में भ्रमणशील पशु चिकित्सालय द्वारा की गयी चिकित्सा

217. श्री ईश्वरचन्द्र (पिडावा) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले की तहसील पिडावा में भ्रमणशील चिकित्सा इकाई द्वारा कितने पशुओं को टीके लगाये गये हैं तथा कितने पशुओं का उपचार-बधिया करण आदि किया गया है ?

(2) क्या राज्य सरकार रायपुर, पिडावा व सुनेल में पशु चिकित्सा सेवा में विस्तार करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील पिड़ावा में भ्रमणशील इकाई द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 31231 पशुओं के रोग निरोधक टीके लगाये। इसके अतिरिक्त झालावाड़ भ्रमणशील इकाई द्वारा ग्राम सरखेड़ी तहसील पिड़ावा में गलघोट बीमारी फैलने पर इस बीमारी की रोक हेतु 630 टीके लगाये गये। उपचार एवं बधियाकरण का कार्य पिड़ावा स्थित पशु चिकित्सालय द्वारा किया जाता है। जो निम्न प्रकार है:—

पशुओं की चिकित्सा	6481
बधियाकरण	1247

(2) पिड़ावा में पशुचिकित्सालय एवं सुनेल टप्पा में औषधालय पूर्व मे विद्यमान्

(पशुपालन मंत्री)

है। पशु चिकित्सा सेवा में विस्तार अभी सम्भव नहीं है।

कोटपूतली कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव के विरुद्ध शिकायत

218. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव वाकलीवाल के विरुद्ध भू. पू. अध्यक्ष श्री घासीसिंह ने क्या शिकायत की ?

(2) उसकी जांच किसने की ?

(3) उसमें क्या पाया गया और विभाग ने क्या कार्यवाई की ?

(4) क्या इन सज्जन के खिलाफ अब भी कोई नीम का थाना से नई शिकायत आई है ?

उत्तर

(1) बोर्ड कार्यालय के पास कोटपूतली के भूतपूर्व अध्यक्ष से भूतपूर्व सचिव श्री वाकलीवाल के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) श्री वाकलीवाल के खिलाफ नीम का थाना से एक शिकायत माह नवम्बर, 77 में प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की जा रही है।

कोटपूतली कृषि उपज मंडी समिति के सचिव पर हमला

219. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली कृषि उपज मंडी समिति के सचिव बाकलीवाल को एक कार्यालय लिपिक ने छूरे या चाकू से घायल किया ? यदि हां, तो वे कितने दिन अस्पताल में भर्ती रहे और उनसे कौन-कौन अधिकारी मिलने गये ?

(2) विभाग ने इस सम्बन्धी जांच करके क्या पाया और उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) बोर्ड कार्यालय या मण्डी समिति के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उद्योगपतियों पर राज्य का बकाया ऋण

220. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार का ऋण किन-किन उद्योगपतियों पर बकाया है ? वर्षवार तथा व्यक्तिवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? उक्त उद्योगपतियों से ऋण की वसूली के बारे में क्या-क्या कार्यवाही की गई और की जा रही है ?

उत्तर

जिन उद्योगपतियों में राज्य सरकार का ऋण बकाया है उनकी जिलेवार सूची/

(उद्योग मंत्री)

व्यक्तिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। ऋण वसूली की कार्यवाही सूची के अन्तिम कॉलम में वर्णित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीमेन्ट पर आधारित उद्योग

221. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि सीमेन्ट पर आधारित उद्योग सीमेन्ट की कमी से बंद हो रहे हैं? यदि हां, तो कब-कब कौन-कौन से उद्योग बंद हो गये और उनका उत्पादन प्रति वर्ष कितना-कितना था?

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की और अब क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) राज्य में सीमेन्ट का कोटा भारत सरकार द्वारा आवंटन होने पर औद्योगिक इकाइयों के वास्ते सीमेन्ट का कोटा खाद्य विभाग द्वारा हर तिमाही के वास्ते निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित माल का आवटन इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही के वास्ते सीमेन्ट की खपत करने वाली इकाइयों को आवंटन कर सिफारिश क्षेत्रीय सीमेन्ट नियन्त्रक, नई दिल्ली को भेजी जाती है जो कि औद्योगिक इकाइयों के नाम से सीमेन्ट उत्पादनकर्ताओं से सीमेन्ट प्राप्त करने हेतु अधिकार पत्र जारी करता है। राजस्थान में उत्पादनकर्ता उदयपुर, निम्बाहेड़ा लाखेरी, चित्तौडगढ़ व सवाई-माधोपुर में है। पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित सीमेन्ट का कोटा राज्य की औद्योगिक इकाइयों के वास्ते दिया गया।—

वर्ष	1975	51000 मै० टन
वर्ष	1976	32500 मै० टन
वर्ष	1977	33850 मै० टन

इस वर्ष प्रथम तिमाही, 1978 में 10,000 मै० टन सीमेन्ट का कोटा औद्योगिक इकाइयों के वास्ते दिया गया है जिसका आवटन सीमेन्ट की खपत करने वाली इकाइयों को किया गया है। इसमें से 2000 मै० टन विभिन्न जिलाधीश को ऐसी छोटी इकाइयों, जिनकी मांग कम मात्रा में या वैगन लोड से कम है, को आवंटन करने के वास्ते दिया गया है।

वर्तमान में औद्योगिक इकाइयों के लिए जो सीमेन्ट का कोटा निर्धारित मात्रा में प्राप्त होता है वह इकाइयों की मांग के अनुकूल कम होने के कारण इकाइयों को मांग के अनुसार देना संभव नहीं हो पाता। फिर भी प्रत्येक इकाई को माल की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए आवटन करने के प्रयास किये जाते हैं। विभिन्न जिला अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार सीमेन्ट के न मिलने के कारण केवल अजमेर जिले में 19 इकाइयां बन्द पड़ी है, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) औद्योगिक इकाइयों के लिए सीमेन्ट का कोटा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। कई बार इस बाबत केन्द्र से सम्पर्क किया जा चुका है और अधिक कोटा लेने को आतुर है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

राजस्थान न्यायिक सेवा तथा उच्च न्यायिक सेवा में से अनुसूचित जाति जन-जाति के व्यक्तियों का आरक्षण

222. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान न्यायिक सेवा व राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा में कुल कितने पद अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) यदि अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं की भांति प्रावधान रखा गया है तो कब से और अब तक उक्त प्रावधान के तहत इन जातियों के कितने अधिकारियों को किन-किन पदों पर पदोन्नत किया गया है ? साथ ही जो रोस्टर बनाया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) राजस्थान न्यायिक सेवा में कुल कितने अधिकारी हैं? उनमें से अनुसूचित जाति व जन-जाति के कुल कितने अधिकारी किस-किस वेंच के हैं ? सूची मय सेवा काल की जानकारी के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) अप्रेल, 1974 में कुल कितने अधिकारियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया और कब-कब किया गया ? उनमें से अनुसूचित जाति व जन-जाति के कुल कितने अधिकारियों को किन-किन पदों पर पदोन्नत किया गया और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान न्यायिक सेवा में अनुसूचित-जाति व जन-जाति के अधिकारियों को पदोन्नत करने में जानबूझ कर राज्य सरकार उपेक्षा करती जा रही है ? क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति व जन-जाति के अधिकारियों को पदोन्नत करने का प्रतिशत बढ़ाना चाहती है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान न्यायिक सेवा व राजस्थान उच्चत्तर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती हेतु अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये आरक्षण अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं में आरक्षण की भांति ही रखा हुआ है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं रखा है।

(2) यह नियम सन् 1955 में बनाये गये थे। तब ही से यह आरक्षण रखा गया है। चूंकि पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं है अतः किसी अधिकारी को आरक्षण के आधार पर पदोन्नति नहीं दी गई है। न कोई रोस्टर ही बनाया गया है।

(3, राजस्थान न्यायिक सेवाओं में इस समय कुल 323 अधिकारी हैं, जिनमें से 24 अधिकारी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के हैं।

इन अधिकारियों के सेवा काल बाबत जानकारी संलग्न सूची (अ) में प्रेषित है।

(4) अप्रेल, 74 से जिन अधिकारियों को पदोन्नत किया गया उनके बाबत विवरण संलग्न सूची (ब) में प्रेषित है। पदोन्नत अधिकारियों में श्री ओम प्रकाश वर्मा, अनुसूचित जाति के हैं जिन्हें दि, 2-6-77 से सिविल न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया है।

Page No 43

(43)

(विधि एवं न्याय मन्त्री)

(5) राज्य सरकार का पदोन्नति से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बाबत राजस्थान उच्च न्यायालय ही नियमों के अन्तर्गत अधिकृत है। राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में कोई दखल नहीं है। अतः शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

ग्राम मलकाना खुर्द में पंचायत चुनाव में फर्जी वोट

223. **श्री मनफूलराम** (मांडलगढ़): क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की तहसील करनपुर की ग्राम पंचायत मलकाना खुर्द में हाल में ही पंचायत चुनाव सम्पन्न हुए हैं? यदि हां, तो इसमें जाली एवं मृत व्यक्तियों के कितने वोट पोल करवाये गये?

(2) राज्य सरकार इस मामले की जांच करा कर दुबारा चुनाव कब तक कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मलकाना खुर्द में हाल ही में पंचायत चुनाव सम्पन्न हुए। इस बाबत राज्य सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) इसको केवल सक्षम न्यायालय ही याचिका में तय कर सकता है।

जयपुर में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ

224. **श्री रामकृष्णदास गुप्ता** (कोलायत): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीकानेर व जयपुर जिलों में सन् 1947 के बाद से फरवरी, 1978 तक कुल कितनी औद्योगिक इकाइयों को पंजीकृत किया गया है? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों के मालिकों, संचालकों तथा भागीदारों की सूची निम्न विवरण के साथ सदन के पटल पर रखने की कृपा करे:–

नाम उद्योग,	उद्योग का प्रकार संचालक मालिक	अथवा भागीदारों के नाम व पते

उत्तर।

(1) लघु उद्योगों को पंजीकृत करने की योजना वर्ष 1956-57 से प्रारम्भ हुई है। अतः इससे पूर्व की सूचना का प्रश्न नहीं उठता। उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर वर्ष 1956-57 से फरवरी, 1968 तक बीकानेर में 370 एवं जयपुर में 327 औद्योगिक इकाइयां पजीकृत की गई थीं। इन पंजीकृत इकाइयों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों के नाम, उद्योग का प्रकार संचालकों, मालिकों अथवा भागीदारों के नाम व पते, जो रेकार्ड पर उपलब्ध हैं, सलग्न सूची में अंकित कर दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्लाट्स व शेड्स का आवंटन

225. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में उद्योग विभाग या राजस्थान मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन के पास कुल कितने कहां-कहां औद्योगिक क्षेत्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में कितने-कितने प्लाट्स और शेड्स हैं ?

(3) क्या अनुसूचित जातियों को प्लाट्स एवं शेड्स अलाट करने का कोई प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो अब तक कितने और कहां कहां अनुसूचित जातियों को आवंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) अनुसूचित जातियों को प्लाट्स एवं शेड्स अलाट करने के आरक्षण में क्या राज्य सरकार प्रतिशत बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में उद्योग विभाग के पास 15 औद्योगिक क्षेत्र है और राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि., जयपुर के पास 54 औद्योगिक क्षेत्र हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) संलग्न सूची क, ख, और ग में प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट्स एवं शेड्स की सख्या अंकित है।

(3) प्लाट्स एवं शेड्स प्रत्येक जातियों के उद्यमियों को बिना किसी भेदभाव के अलाट करने का प्रावधान है इसलिये अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को आवंटित प्लाट्स एवं शेड्स की सूचना अलग से संकलित नहीं की गई है।

(4) प्लाट्स एवं शेड्स आवंटन करने में आरक्षण नहीं है इसलिए प्रतिशत बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। राज्य सरकार इस बात पर विचार करने को तैयार है कि यदि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों के उद्योग लगाने के प्रार्थना पत्र प्राप्त हों तो उन्हें तरजीह दी जा सके।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा 1970-71 में क्रय किया गया सामान

227. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation) द्वारा वर्ष 1970-71 में कुल कितना सामान क्रय किया गया ? उसमें से जोधपुर सभाग से कितना और जयपुर सभाग से कितना किया ?

(उद्योग मन्त्री) उत्तर

वर्ष 1970–71 में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कुल क्रय	जयपुर संभाग से क्रय	जोधपुर संभाग से क्रय
25,47,069–00	11,43,621–00	4,27,646–00

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा 1971—72 में क्रय किया गया सामान

228. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation) द्वारा वर्ष 1971–72 में कुल कितना सामान क्रय किया गया ? उसमें से जोधपुर संभाग से कितना और जयपुर संभाग से कितना किया।

उत्तर

वर्ष 1971-72 में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कुल क्रय	जयपुर संभाग से क्रय	जोधपुर संभाग के क्रय
27,12,128-00	12,57,848-00	1,21,779-00

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

आरक्षियों द्वारा 6 मार्च, 1978 को विधान सभा परिसर का उपयोग

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक 13 मार्च, 1978 को सर्व श्री हरिसिंह व बजरंगलाल शर्मा, सदस्य विधान सभा ने एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की सूचना दी थी, जिसमें कहा गया था कि गत 6 मार्च को पुलिस द्वारा किसान प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज के सिलसिले में पुलिस के कुछ कर्मचारी विधान सभा परिसर में प्रवेश कर गये। उन्होंने इस प्रकार विधान सभा परिसर का उपयोग करके सदन एवं अध्यक्ष तथा सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है।

इस प्रश्न पर प्राइमाफेसी जांच के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह मामला इस प्रकार का है, जिस पर विशेषाधिकार समिति द्वारा तथ्यान्वेषण, जांच तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

अतः मैं, इस मामले को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 162 के

(श्री अध्यक्ष)

अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री मदनसिंह व नूरा सदस्य विधान सभा की ओर से श्री गुल मोहम्मद, थानेदार, गवर्नमेंट रेल्वे पुलिस, अजमेर द्वारा अपनी मांगों को लेकर गृह मंत्रीजी के निवास स्थान पर की जा रही भूख हड़ताल के विषय में,

(2) श्री समरथलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (अलवर) में गत आठ-दस दिनों से छात्रों द्वारा की जा रही हड़ताल के विषय में

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से श्री गुलाम मोहम्मद थानेदार के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई और उसे गत 9 वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है इस विषय में।

इस प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों के अनुसार यह मामला न्यायालय के विचाराधीन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में इसे मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री रामकरणसिंह सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में ट्रक गाड़ियों में चेसिस मिलने में कठिनाई आ रही है, इस विषय में,

(5) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से पाकिस्तान के पास पोर्ट लेकर आए एक सिन्धी परिवार को केसरीसिंहपुर कस्बे में उनके मां बाप से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, इस विषय में,

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। फिर भी इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

(6) सर्व श्री अब्दुल अजीज, माधवसिंह दीवान, रामनारायण डूंडी, सूरजपाल सिंह, अब्दुल हादी, राम रघुनाथ चौधरी, शंकरलाल, सुखलाल संगणचा, व रामकृष्ण दास, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में वक्फ, कब्रिस्तान व दरगाहों की जमीनों पर अनधिकृत कब्जों एवं जायज तामीरात में रुकावट के कारण मुस्लिम समाज में असन्तोष बढ रहा है, इस विषय में।

यह प्रस्ताव अस्पष्ट है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर में कुकिंग गैस के वितरण में हो रही अव्यवस्था के विषय में।

इस प्रस्ताव को भी राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा: अध्यक्ष महोदय, इसका जजमेन्ट हो चुका है। यह सब-जुडिस मटर

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेन्ट दे दिया है। उसके बावजूद सरकार इसकी अनुपालना नहीं कर रही है। श्रीमन्, यह सब-जुडिस का सवाल नहीं रहा है। मेरे फेक्ट साफ हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : एक व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं....

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, यह सब-जुडिस नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने इन्फरेन्स यही निकाला कि यह मामला सब-जुडिस है। इसके अतिरिक्त आपको विशेष जानकारी देनी है तो मेरे कक्ष में मिल लें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, यह मामला किसी कोर्ट में नहीं है। इसका जजमेन्ट हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : अगर कोर्ट में नहीं है तो पांच मिनट दूंगा इस बारे में चर्चा करने के लिए।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि मामला सब-जुडिस नहीं है। जब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट का निर्णय हो चुका है तो सरकार को आदेश दिया जाना चाहिए कि वह इस बारे में वक्तव्य दें। राज्य सरकार जजमेन्ट की अनुपालना क्यों नहीं कर रही है ?

श्री मोहम्मद जहूर : इस मामले में सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय डागा ने जो प्रश्न किया है, यह उसके विपरीत है। जो तथ्यों की विशेष जानकारी देना चाहते हैं वे दे सकते हैं जैसा कि विरोधी नेता महोदय ने सुझाव दिया है। मैं उसकी जानकारी करके देखता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री मोहम्मद जहूर : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रस्ताव था, माननीय सदस्य ?

आपने प्रस्ताव शाम को दिया है उसकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद व्यवस्था दे सकूंगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय आपके पास प्रस्ताव भेजे जाते हैं जो पहले भेजे जाते हैं, वह बाद में आते हैं जो बाद में दिये जाते हैं वह पहले आ जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसे करेक्ट करवाने की कृपा करें।

एक माननीय सदस्य : इन्हें पहले दिया जाये, मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक पुलिस के मामले में....

श्री अध्यक्ष : पुलिस के मामले में क्या कह रहे हैं, माननीय सदस्य ?

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, थानेदार गुल मोहम्मद ने गृह मंत्री के घर पर धरना दिया है।

श्री सम्पतराम : (गृह मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मेरे मकान पर कोई धरना नहीं है।

Page No 48

(48)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, कल तक धरना था।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नूरा ने थानेदार का नाम गुल मोहम्मद बताया है। मेरा निवेदन है कि उसका नाम गुलाम मोहम्मद है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव भेजा है। मंत्री महोदय कहते हैं कि यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, पक्षपात किया गया है। इल्लीगल तरीके से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया एक-एक करके माननीय सदस्य बोलें। पांच-पांच मिनट माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं बोल नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर क्या कह रहे हैं, माननीय सदस्य ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा है। हड़ताल हो रही है। माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं, नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पक्ष और विपक्ष को सुनने के पश्चात् मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री ने आज की बात कह कर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री से कहना चाहता हूं, गुलाम मोहम्मद थानेदार....

(व्यवधान)

को यातना दी गई है। वह हाई कोर्ट में गया है सुप्रीम कोर्ट में गया है। फैसला हो जाने के बाद उसकी अनुपालना नहीं हो रही है। जब गृह मंत्री से मिलने गया तो उन्होंने मिलने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करते हैं। यहां प्रदर्शन करने के लिए वह आया है गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के कारण न्याय नहीं हो रहा है। गृह विभाग के अन्दर क्या हो रहा है। दूसरों के ऊपर लाठी बन्दूक, और आंसू गैस चलायेंगे लेकिन खुद के विभाग में क्या हो रहा है। थानेदार कई बार मिला है। धरना दिया है। किन्तु न्याय नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपके विभाग का कर्मचारी है। दूसरे के लिए डण्डा लेकर आ जाते हैं। आपके विभाग का कर्मचारी आता है तो उसके मामले को निपटाना चाहिए। मैं आशा करूंगा कि आप उस थानेदार को न्याय दिलायेंगे

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष जी आप मेरी बात सुन लें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, पहले आप की बात सुन लें।

Page No 49

(४९)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, एक समाचार पत्र राष्ट्रदूत में माननीय सदस्या श्रीमती उजला अरोड़ा को कांग्रेस का सदस्य बताया गया है। क्या इस बारे में माननीय सदस्या कोई स्पष्टीकरण देंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर) : ग्रामीण) : स्पष्टीकरण का प्रश्न ही नहीं है। वह प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेरे कांग्रेस सदस्य होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं जहां हूं, वहीं हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं मेरी बात कह दूं। उम्मीद है कि मेरी बातों का जवाब दिया जाएगा। मैं यह सुनता आया हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने न्याय के दरवाजे बन्द कर दिये थे। लेकिन आज जनता पार्टी क्या कर रही है ? गुलाम मोहम्मद थानेदार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जजमेण्ट हुआ। हाई कोर्ट से जजमेण्ट हुआ। मेहरबानी करके....

श्री सम्पतराम : मैं माननीय सदस्य को न्योता देता हूं। सारी पत्रावली आप देख लें, अगर अन्याय हुआ हो तो मैं मानने को तैयार हूं।

श्री मूलचन्द डागा : जब हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है; सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील की, वह खारिज हो गई....

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य, राजनैतिक भाषा नहीं बोलें। मैं आपको फाइल देखने के लिए न्योता दे रहा हूं। फिर यह भाषण किस बात का है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि आपके दरवाजे पर, आपके बंगले पर उसने भूख हड़ताल शुरू की थी, और आपने भूख हड़ताल करने के बाद बात की थी ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ऑन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

क्या गृह मन्त्री महोदय इस प्रकार से फाइल किसी माननीय सदस्य को दे सकते हैं ? क्या यह कानून की अवहेलना नहीं है ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि जिस सब-इन्सपेक्टर का माननीय सदस्यों ने जिक्र किया, वह मेरे मकान के सामने भूख हड़ताल पर बैठा। मैंने उनको बुलाया। मैं जानता था क्योंकि भीड़ इकट्ठी थी इसलिए वहां सुनने में दिक्कत थी। वह नहीं आये। मैंने उनको अनुरोध किया कि आप आयें और बैठ कर बात करें। मैं दो-तीन दफा गया और बात की। रात को भी माननीय सदस्य मुझसे मिले थे और आज भी मुझसे कई माननीय सदस्य इस बारे में मिले। मैंने उनको सारी बात से अवगत करा दिया। मैंने कहा कि फिर भी कोई गलती रह गई हो और कोई वाजिब रिलीफ देना हो तो सरकार उस पर निश्चित तौर से विचार करने को तैयार है। माननीय सदस्यों ने बगैर समझे कहा है क्योंकि वन साइडेड पिक्चर इनके सामने थी, सारे फैक्ट्स इनके सामने नहीं थे, इसलिए इनकी यह कल्पना होना स्वाभाविक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूख हड़ताल हो जाय और पुलिस सामने आ जाय तो कुछ बात बढ़ सकती है। आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज कर दूं--

In 1967 H. C. Gulam Mohd. who was posted in C. I. D Crime

(श्री सम्पतराम)

Branch, was taken in the approved list of H. Cs. for promotion to the rank of S. I after going through the qualifying examination required under the rules. He was promoted as S. I. in Crime Branch on an adhoc basis. He was sent to undergo promotion cadre course in 1969 at PTS Kishangarh in accordance with rule 27 of the Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1966.

इसमें, अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कर दूं कि किसी आदमी को प्रमोशन देने से पहले प्रिन्टेड रूल्स में यह व्यवस्था है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। जो एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं ..

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली): अध्यक्ष महोदय, ये लोहियावादी बैठे हुए हैं। लोहियावाद को समाप्त कर रहे हैं, अंग्रेजी में कैसे....

श्री सम्पतराम: आपका हुक्म मुझे स्वीकार है, बीच में कोशिश करूंगा क्लियर करने की।

प्रमोशन देने से पहले उसको क्वालिफाइंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। लेकिन वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। फेल हो जाने के बाद उसको दुबारा मौका दिया गया, उसमें भी वह फेल हो गया—

He failed in the P. C. C. Examination and was sent to undergo the P. C. C. for the second time in 1970. He failed to qualify in the P. C. C. on the second occasion also and was reverted to his substantive rank of Head Constable, on 4-4-70 In view of vacancies available in G. R P at that time and there being no candidate on the approved list, the H. C. was promoted as Offg. S. I. on adhoc basis on basis of seniority and posted to G. R. P Subsequently, he was reverted to his substantive rank of H. C. on 2-5-1971 in order to make room for seniors.

Thereafter, H.C. Gulam Mohd. filed a writ petition in Rajasthan High Court which was dismissed at admission stage by a single Judge bench dated 31-8-1971. The appellant filed a special appeal against the order of the learned single Judge which was admitted and the division bench of the High Court issued an ad-interim stay order on 7-9-1971 to stay the reversion of the petitioner. Accordingly on 17-9-71 orders were issued promoting the H. C. as adhoc S. I. on an officiating basis.

क्योंकि हाई कोर्ट ने यह कहा है कि उसको एडहाक प्रमोशन दे दिया जाय, इसलिए उसको एडहाक प्रमोशन दिया गया।

(श्री सम्पतराम ,

The Hon 'ble High Court vacated the aforesaid ad-interim stay order in its special appeal No. 400/71 dated 4-12-1971 and as a result he was reverted again to his substantive rank of Head Constable on 7-12-1971.

The judgment in the aforesaid D. B Special Appeal No. 400/71 was delivered on 6-2-1972 of which the operative portion reads as unders—

" The result of the aforesaid discussion is that the respondents Nos 1,2 and 3 are directed not to insist that the appellant shall pass the qualifying examination as envisaged by Rule 28 (1) of the Rules. They are further directed to permit the appellant to appear in the promotion cadre course examination if he makes a timely application for the purpose. There will be no orders as to costs."

यह हाई कोर्ट का आर्डर है।

The claim of the H C. for re-promotion was not entertained by the High Court in its judgment but partial relief was afforded to him so that he could appear in the P. C C. again. It may be noted that H C. Gulam Mohd, who had proceeded on long leave apparently due to illness claimed by him after filing the writ petition in the High Court, reported back on duty after the aforesaid judgment was delivered.

It may be stated that the H. C. had failed to qualify in three subjects and also in the aggregate in the second P. C. C examination at which he had appeared. Since no P. C. C. was scheduled for 1973. special arrangements were ordered by P. H. Q. on 30-8-1974 to hold P. C C. examination of Shri Gulam Mohd. under Rule 28 (a) of the Rules. The H. C. was required to appear before special Board of examiners on 16-9-1974 but he failed to appear. The applicant left for his home in Bikaner and expressed his inability to appear in the prescribed examination and sent a certificate in support of his illness. The Government Advocate was informed of the position and simultaneously PHQ directed S. P. G. R. P. to enquire from the HC as to when he would be in a position to appear at the examination after recovery form illness. There after on 1-1-1975 SP GRP requested for constitution of the medical board and directed the H. C. to appear before it for his medical examination. The H. C. refused to take notice of the efforts

(52)

(श्री सम्पतराम)

made to have him examined by the Medical Board on various dates.

The case for compulsory retirement under Rule .244 (2) of R. S. R. of the H. C was considered, keeping in view his adverse service record. He was deemed to be a malinger and a habitual absentee with a bed reputation and as such he was retired compulsorily from service on 21-1-1976.

It may be mentioned that the H. C. in the course of his various representations had claimed that eleven persons Sarve Shri GauriShanker, Ram Singh, Virendra Singh, Badri Narayan Kalla, Vijai Singh, Shambbu Singh, Uda Ram, Genda Singh, Jai Dayal Sharma, Madanlal and Sher Singh were given promotion at various time ov erlooking his own case for the same. His contention was found totally i ncorrect. All except ASI Guari Shankar and H.C. Sher Singh have passed the prescribed P.C.C. examination according to rules and hence their promotion to the rank of S. I. remain justified. ASI Gauri Shankar is not on the approved list for promotion to the rank of S. Is. but has been promoted as S. I. on adhoc basis since the candidate on the approved list stands exhausted. He will be reverted in order to make way for those who are taken in the approved list in the next qualifying examination. Similarly, Sher Singh HC was promoted as A. S. I. in Jaipur district but was reverted to the rank of HC because of his failure in the pre scribed examinations.

The H. C. has also claimed payment of salary due to him from 1971 till the date of his retirement in 1976. It may be stated that all the dues from February 1971 to June 1973 were cleared and paid to him after deciding the leave cases. The HC remained absent from 29.6.73 right up to 31.1.1976 which was the date of his compulsory retirement and as such extra ordinary leave without pay was sanctioned for this period. He joined duty only for one day on 18.5.1975 for which day orders for payment of salary have been issued.

अब मैं इसको पढ़ने के बाद, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से....

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की विशेष परिस्थिति में अंग्रेजी में स्टेटमेण्ट जो पढ़ा गया है यह सुन लिया है। आयन्दा हम नहीं सुनेंगे। हम यहां अंग्रेजी सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं....

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : हम यहां अंग्रेजी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं....

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह सारा सब कुछ मैंने सदन के सामने बयान किया है इसके बावजूद मैं स्वयं यह चाहता हूं कि उनको सुनूं और सारे कागजात को दुबारा देखूं कि किसका कसूर है। मैं ईमानदारी से सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि कोई इनजस्टिस हुआ होगा तो ठीक करने की कोशिश करूंगा। इस पर भी माननीय सदस्य यदि सेटिस्फाइड न हों तो मेरा उनको निमन्त्रण है। उनसे बातचीत करके सारे मामले को देख लूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैंने सब डिटेल्स रखे थे, अभी होम मिनिस्टर साहब से मिला था। आपके आश्वासन पर उसकी भूख हड़ताल तुड़वा दी। उसका कहना है कि हाई कोर्ट ने जब यह आदेश दिया एक्जामिनेशन में बैठने दें तो सबके साथ उसको बैठायें। उसको अकेले को बैठाकर उसको फेल करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं सबके साथ एक्जामिनेशन में उसको बैठाने के लिए ? यह ठीक बात है कि मिनिस्टर साहब को इल्म नहीं हो, जब कि वह रेल्वे में था, वह रिकार्ड में इनाम लिया हुआ है। मेरा विश्वास है कि मेरी बात की माननीय केदारजी ताईद करेंगे। वह आपसे सुबह ही मिला था तो आपने कहा था कि मैंने लॉ डिपार्टमेन्ट में भेजा है और तेरी पूरी सुनवाई होगी। आपने यह फर्माया था इसलिये मैं समझता हूं कि आप शब्दों की पाबन्दी रखेंगे। वापस एक्जामिनेशन का जो हाई कोर्ट का आर्डर है उसको आपने डिफाई किया है।

श्री सम्पतराम : यह बिलकुल गलत है। हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया है।

श्री ग्योपतसिंह मकासर : एक मामूली-सा आदमी हाई कोर्ट में जा रहा है और अपने अधिकारियों की नाराजगी बरदाश्त कर रहा है। एक पुलिस कर्मचारी अपने अधिकारियों के विरुद्ध हाई कोर्ट में जाय तो हाई कोर्ट में जाना आसान नहीं है। आपको इसको ह्युमेनिटेरियन व्यू से देखना चाहिए। इमर्जेन्सी के बदौलत आप यहां आये हैं। अधिकारियों ने इमर्जेन्सी के दौरान उसको अलग कर दिया इसलिए उस पर महरबानी करें। आप जैसे इमर्जेन्सी की बदौलत यहां पर आकर बैठे हैं। इमर्जेन्सी के दौरान किसी भी अधिकारी को सजा दी गई उसकी सजा को बहाल रखा जा रहा है, तो मानवीय आधार पर उसको देखा जाय। कोई पुलिस कर्मचारी किसी बड़े अधिकारी के आदेशों का पालन न करे यह मुश्किल है।

श्री मूलचन्द डागा : पुलिस विभाग सुप्रीम कोर्ट में गया हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट से इसकी दरख्वास्त खारिज हो गई।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आपातकाल में जिन लोगों को कम्पलसरिली रिटायर किया गया है उनको दुबारा सेवा में लिया जायगा, परन्तु आज भी अनेक कर्मचारी एक मंत्री से दूसरे मन्त्री के यहां चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिन अधिकारियों ने आपातकाल में कर्मचारियों को अलग किया है वही अब आपातकाल के ऐसे मामलों को देख रहे हैं। जो

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

इस प्रकार के मरे हुए कर्मचारी है उनको दुबारा नौकरी दी जाय।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय में आई० जी० पी० से बातचीत की है। माननीय गृह मंत्रीजी से रात 11 बजे मैंने बात की है। उन्होंने यकीन दिलाया कि गुलाम मोहम्मद के साथ न्याय किया जायगा। इसी विश्वास पर उससे भूख हड़ताल तुड़वाई है। वह माइनोरिटी कौम का मामूली सा वर्कर है जिसको कोई संरक्षण नहीं मिला हुआ है। ऐसे आदमी से उच्च अधिकारियों का विरोध हो जाय तो क्या वह सेवा में आगे रह सकेगा? उसको संरक्षण देने के लिए मैं सदन से निवेदन करता हूं। उसकी हालत खराब है। उसकी शक्ल से यह नहीं लगता है कि वह थानेदार के काबिल रह गया है। उसकी बीमारी की हालत हो गई है। उसकी हालत को देखकर मैंने कल कहा कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी सुनवाई होगी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस सदन में इस विषय को लेकर आपने माइनोरिटी के आदमी के साथ में न्याय किया है। उसको फिर से सेवा में लेने का यकीन दहानी करें। मैं समझता हूं कि कोई अन्याय हो सकता है और कानूनी खामियां रह सकती हैं। ऐसी पचासों खामियां निकलती हैं। आपने आई० जी० पी० का नोट पढ़ दिया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदन उसके मामले में सहानुभूति से विचार करे।

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक पाइंटेड सवाल यह पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने 6-12-73 को निर्णय दिया है 28 (ए) के सम्बन्ध में। मैं यह पूछना चाहता हूं कि रूल 28 (ए) के सम्बन्ध में कर्मचारी पक्ष में हाई कोर्ट द्वारा फैसला करने के बाद गृह विभाग ने किसी तरीके से 28 (ए) में महत्वपूर्ण अमेण्डमेन्ट किया हो जो कि मेरी जानकारी में है....

श्री मूलचन्द डागा : नियमों की पालना करनी चाहिए।

श्री माणकचन्द सुराणा : पाली से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों का पालन किये जाने की चिन्ता आपसे अधिक हम को है।

श्री मूलचन्द डागा : कितनी चिन्ता आपको है वह हमको मालूम है।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह फैसला 6-12-73 को हुआ है। 6-12-73 को आपकी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम तो कह रहे हैं कि बचाओ उसे।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी रूल पर जो जजमेंट हुआ है उसको डिफीट करने के लिए गृह विभाग ने रूल में परिवर्तन तो नहीं कर दिया है? रूल में परिवर्तन करके उस कर्मचारी को बहाल किया जायगा। यह न्याय की कौन सी प्रक्रिया है कि हाई कोर्ट ने फैसला उसके पक्ष में दिया है और आज 23-3-78 को स्टेटमेंट में आप कह रहे हैं कि एक्जामिनेशन को होल्ड करेंगे क्योंकि हाई कोर्ट ने एक्जामिनेशन होल्ड करने के लिये कहा है। यह फैसला करते हैं जो कि फैसला आलरेडी सरकार का नहीं था।

श्री सम्पतराम : सरकार ने किया।

श्री श्योपतसिंह मकासर। उसको मारने के लिए किया है।

श्री माणकचन्द सुराणा : लेकिन उस व्यक्ति को किसी प्रकार का रिलीफ नहीं दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद....

(व्यवधान)

नियमों में परिवर्तन करके यदि हाई-कोर्ट के फैसले को डिफीट करने की कोई बात की गई है तो निश्चित रूप से उसको निरस्त किया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : अब सही बात आ गई है। Thank you very much.

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो रूल 28 (ए) के अन्तर्गत जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन या क्वालिफिकेशन को नल एण्ड वायड करार दे दिया तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। राज्य सरकार की अपील खारिज हुई है। आपके अंग्रेजी के वक्तव्य में आपने इस फेक्ट को छिपा दिया। अंग्रेजी का जो आपका वक्तव्य था उसमें सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स का जिक्र हो या न हो लेकिन रूल 28 (ए) के बारे में विशेष चर्चा की थी, लेकिन आखिर में जाकर 3 पेराग्राफ में आप खा गये।

श्री सम्पतराम : क्या स्टेटमेंट देना चाहिए था ? क्या चाहते थे ?

श्री परसराम मदेरणा : आप जरा सुनिये।

प्रारम्भ में तो आपने कहा कि हड़ताल नहीं की।

आप जरा सुनिये और बाद में जवाब दे दें।

(व्यवधान)

भूख हड़ताल तो माननीय सदस्य ने यह कहकर कि टी० बी० का पेशेन्ट है- खुलवाई है। भूख हड़ताल पर तो था, भले ही टेक्निकली आज आप यह कह दें कि भूख हड़ताल पर नहीं है। वह खुद ही आप स्वीकार कर रहे हैं। इस मामले के अन्दर जो फैसले में फेक्ट्स हैं, आपके स्टेटमेंट में यह है कि एग्जामिनेशन अकेले कर्मचारी का करना चाहिए था। अकेले कर्मचारी का एग्जामिनेशन क्यों करना चाहते थे ? उधर वह सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला गया था। तो शंका, आशंका व संदेह होना निश्चित है कि नेचरल जस्टिस नहीं मिलेगा, इसलिए उस आदमी ने ...

श्री सम्पतराम : सारा मामला विरोधी दल के नेता महोदय, आपके जमाने का है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कतल आपके जिम्मे लगेगा, आपके अधिकारियों के जिम्मे लगेगा।

श्री नूरा : आप इसको टालना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हमारे जमाने में क्या-क्या बातें थीं, उन सभी बातों के अन्दर माननीय सदस्य याने वर्तमान गृह मंत्री भी भागीदार हैं। इस समय गृह मंत्री हैं, उस समय माननीय सदस्य थे और सत्ता पक्ष में सम्मिलित थे।

(श्री परसराम मदेरणा)

पहले तो हमारे साथ लड्डू खाए और अब हम पर दोषारोपण की बातें कर रहे हैं। कल का आरोप आपने हम पर लगाया है, कल कल था और आज आज है। आप प्लेट फार्म पर बैठ कर पत्थर मत फेंके इसमें आप भी शामिल थे। मैं नहीं कहता कि गृह मंत्री ने इस मामले को नहीं देखा है। कम्पलसरी रिटायरमेंट के लिए अधिकारियों की कमेटी बैठी थी, उसने गलती की होगी। सरकार की बात आप कहते हैं तो इस सरकार को मैं चेलेंज करना चाहता हूं मेरे विभाग में नीचे कमेटी बनी थी। मैने एक केस में नहीं 10केसेज में कम्पलसरी रिटायरमेंट के मामले टर्न डाउन किए हैं। मैं नहीं मानता कि कमेटी की रिपोर्ट पर किसी आदमी को हमेशा के लिए रिटायर किया जाए। पटवारी से लेकर इन्सपेक्टरों तक, रेंजर्स से लेकर डिप्टी व असिस्टेंट कन्जर्वेटर की सिफारिशें मेरे पास आई हैं। मैंने उनकी सिफारिशों को नहीं माना है। इसलिए उसके साथ न्याय होना चाहिए। वह हाई कोर्ट में गया है, वहां फैसला हो गया है, उसके बाद में रिएग्जामिनेशन के लिए रखा है, फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वह खारिज हुई है। फिर बोर्ड बिठाया। उसके बाद में कम्पलसरी रिटायर किया है। यह सब संदेह से परे नहीं है। कृपया आप देखकर उसके साथ न्याय करें।

श्री मदन सिंह दांता : सुप्रीम कोर्ट में रिट नहीं हुई। आप कहते हैं कि रिट हुई थी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : स्टेटमेंट में यह बात आनी चाहिए थी। आपको अधिकारियों ने डिसीव किया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी गया। आपके पास कोई....

(व्यवधान)

चौधरी या ठाकुर नहीं गया। अगर चौधरी या ठाकुर जाता तो वह बहाल हो जाता।

श्री मूलचंद डागा : जिसने रिपोर्ट की है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

श्री नूरा : आपको जलन है इसलिए उसको दुखी किया है।

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : नौकरशाही आप को बदनाम कराती है।

श्री हरचंदसिंह : विरोधी दल के नेता ने गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि हमारे साथ लड्डू खाए। वह बताएं कि कितने लड्डू उन्होंने खाए, हम उनको वापस कर देंगे।

श्री मदन सिंह दांता : आप उसकी सुनवाई करने को तैयार हैं क्या ?

श्री मूलचंद डागा : उसकी औरत चली गई, उसका लड़का मर गया। इतने साल तक लड़ाई लड़ी उस गरीब आदमी ने सरकार से....

श्री सम्पत राम : माननीय सदस्य मुझसे मिले थे, हमने बात की थी, डिस्कशन हुआ था। उसके बाद मैंने कहा था कि सारे कागजात मंगाकर देखने को तैयार हूं। जो कुछ वाजिब हो सकेगा करूंगा। मैंने यह चाहा था कि सदन में डिस्कशन के लिए न रखा जाए, मैं खुद ही बात करने के लिए तैयार हूं। मैंने आश्वासन दिया और आज

(श्री सम्पतराम)

भी आश्वासन देना चाहता हूं । परसरामजी का नाराजगी महसूस नहीं होनी चाहिए, उस समय आप किस शेप में थे और मैं किस शेप में था, आप जानते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो गृह मंत्री नहीं रहा, गृह मंत्री होता तो रिटायर नहीं होने देता ।

श्री सम्पतराम : जहां तक माइनोरिटीज का प्रश्न उठाया जा रहा है, मैं सहमत हूं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए । आप सब की भावनाओं में मैं अपनी भावना भी मिलाता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं, पुलिस विभाग में माइनोरिटीज के लिए आज घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन वह करूंगा जो आपने 30 साल में नहीं किया चाहे मुझे सर्विस रूल्स बनाने पड़े लेकिन दिखा दूंगा कि उनके साथ न्याय किया है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 25 साल हो गए

श्री सम्पतराम : उस समय मेरी नहीं चलती थी । आज मेरी चलती है ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय राजगढ़ महाविद्यालय में पिछले 8-10 दिन से हड़ताल चल रही है । उसका एक मात्र कारण है कि वहां के जो प्रिन्सीपल हैं वह कालेज में समय पर नहीं आते । सुबह 11 बजे आते हैं और दो बजे चले जाते हैं । एक दिन ऐसा हुआ कि लड़कों की परीक्षा चल रही थी तो परीक्षा हॉल में शराब पीकर आ गए । आते ही उन्होंने छात्र व छात्राओं की तलाशी लेना शुरू किया । छात्राओं की अभद्र तरीके से तलाशी ली । छात्र व छात्राओं ने एतराज किया और परीक्षा हाल से निकल गये । उन्होंने परीक्षाओं में बैठने से मना कर दिया । उसके बाद शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों की छात्रवृति रोक दी क्योंकि उन्होंने प्रिन्सीपल महोदय का गलत काम में सहयोग नहीं दिया । शिक्षा मंत्री यहां पर मौजूद नहीं हैं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह प्रिन्सीपल महोदय पिछले 4-5 साल से वहां तैनात हैं । वह शराब पी कर महाविद्यालय में आते हैं । महाविद्यालय में आकर पढ़ाई लिखाई तो कराते नहीं हैं, लोगों के साथ गपशप हांकते हैं ।

राजगढ़ महाविद्यालय में 80 प्रतिशत छात्र शिड्यूल्ड कास्ट्स एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पढ़ते हैं उसका वातावरण इन बातों की वजह से बिगड़ा हुआ है । इसलिए प्रिन्सीपल को वहां से हटाया जाए और हड़ताल खतम कराई जाए । हड़ताल के कारण कालेज बंद हैं, आपस में लड़कों में मारपीट हो रही है, कुछ लड़कों के सिर फुट गए हैं, अस्पताल में दाखिल होने गए हैं फिर भी राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव ।

श्री अध्यक्ष : किस पर बोलना चाहते हैं ? आप नम्बर से चलिए ।

श्री श्योपत सिंह मकासर :

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव इस आशय का

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कि पाकिस्तान से हजारों की तादाद में मुसलमान और हिन्दू भाई हिन्दुस्तान में अपने प्रियजनों से, अपने परिवार वाले लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं, पासपोर्ट और वीसा लेकर। अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आपके मार्फत आकर्षित करना चाहूंगा कि यह वह लोग हैं जो कभी हिन्दुस्तान में रहते थे और उनके कुछ रिश्तेदार लोग यहां पर रहते हैं। उनसे मिलने के लिये वे लोग आते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सरकारी अधिकारियों का रवैया कुछ ऐसा है कि वह पाकिस्तान से आने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने और उनके रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं देते हैं। इससे उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मैं आपके माध्यम से इसी प्रकार के मामले के सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में एक सिन्धी परिवार अपने बाल बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिये हनुमानगढ़ आया तथा वहां पर ठहरा। अध्यक्ष महोदय, उस सिन्धी परिवार के मां और बाप केसरीसिंह पुर जो कि हनुमानगढ़ के पास ही है, में रहते हैं। गलती से वे लोग पाकिस्तान से आते वक्त पासपोर्ट में वीसा केसरीसिंहपुर जाने का लिखाना भूल गये। इसलिये सरकारी अधिकारियों ने उनको केसरीसिंहपुर जाने की इजाजत देने से मना कर दिया। उस सिन्धी परिवार की लड़की है उसकी मां केसरीसिंहपुर में बीमारी से तड़फ रही थी। वह लड़की अपनी मां से मिलने पाकिस्तान से 17 साल बाद आयी थी। उस लड़की की मां की हालत यह है कि वह चल फिर नहीं सकती है। जब उस लड़की ने अपने मां व बाप से मिलने के लिये जिलाधीश गंगानगर को अर्जी दी, उसको फरियाद की तब भी कलेक्टर गंगानगर ने उसे केसरीसिंहपुर जाने की अनुमति नहीं दी। सिर्फ 40 मील है, अध्यक्ष महोदय, हनुमान गढ़ से केसरीसिंहपुर वह औरत वहां जाकर कोई तूफान पैदा नहीं कर रही थी। वहां उसके चले जाने से कोई आसमान नहीं टूट रहा था। लेकिन आपके जिलाधीश महोदय ने उसको यह कहा कि आपके पासपोर्ट में वीसा में केसरीसिंहपुर का नाम नहीं है इसलिये आप केसरीसिंहपुर नहीं जा सकतीं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां पर दूसरे देशों से जो फारिनर्स आते हैं अमेरिका इंगलैण्ड से और दूसरे देशों से, उनको आप सिर्फ पोण्ड्स और डालर्स के लोभ में छूट देते है चाहे जहां घूमो फिरो। उनके लिये आप होटल्स में इन्तजाम करते हैं व्हिस्की तक का इन्तजाम करते हैं. लेकिन पाकिस्तान से आने वालों से पौण्ड व डालर नहीं मिल सकते हैं इसलिये आपने पाकिस्तान वालों को यह फैसिलिटी नहीं दी है। कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है उन लोगों के साथ जो कि कभी यहां के निवासी थे या जिनके रिश्तेदार यहां रहते हैं। आपके अधिकारी कहते हैं हम आपको आपके मां बाप से नहीं मिलने देंगे। अध्यक्ष महोदय, कितना जुल्म और ज्यादती हो रही है। सिर्फ एक तस्दीक नहीं करवाई दिल्ली में केसरीसिंहपुर जाने की उसकी वजह से यह हुआ। मेरा निवेदन है कि ऐसे आदेश निकाले जाय कि कोई भी परिवार हिन्दुस्तान पाकिस्तान से आये तो उसे पूरे राजस्थान में अपने रिश्तेदारों से मिलने की छूट हो। मेहरबानी करके आप इस व्यवस्था को तो तुरन्त लागू करें। यह लिखने पर कि मेरी मां बीमार है जिलाधीश ने उसको परमिशन नहीं दी। आखिर मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिये, उसको इजाजत देनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, उस परिवार के

(श्री श्यपतसिंह मकासर)

साथ छोटे-छोटे बाल बच्चे हैं। उनसे जासूसी करने का क्या खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं उसको विधान सभा में भी नहीं आने दिया गया। तो फिर ऐसी विधान सभा से क्या फायदा? एक व्यक्ति विदेश से आता है तो आपको मुसीबत में उसकी इमदाद करनी चाहिये। वह लोग यहां से वापस जायेंगे तो पाकिस्तान जाकर यह कहेंगे कि राजस्थान में क्या हिन्दुस्तान के अन्दर जनता पार्टी की इस प्रकार की सरकार आयी है, उसके इस प्रकार के जुल्मी अधिकारी लोग हैं जो कि विदेशों से भारत जाने वाले लोगों को मां बाप से नहीं मिलने देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप, गृह मंत्रीजी ऐसे आदेश निकालें। यह सही है कि पासपोर्ट देना आपका काम नहीं पर राजस्थान के इन्टरनल मामले में आप राजस्थान में घूमने की और मां बाप से मिलने की छूट दे सकते हैं। तो मेरा अन्त में यही निवेदन है कि आप इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। कृपया स्थान ग्रहण करें।

हां, आप फर्माइये!

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस आशय का दिया है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में टाटा मर्सीडीस के कारखानों में जो हड़ताल हुई थी उससे, जो प्रोडक्शन कम हुआ उसका असर पूरे हिन्दुस्तान पर पड़ना चाहिये था लेकिन टाटा मर्सीडीस के मालिकों ने राजस्थान का कोटा पचास-साठ प्रतिशत काट दिया और यह कह दिया कि हड़ताल की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ। मैंने यह निवेदन किया है कि अगर कटौती प्रोडक्शन कम होने की वजह से करनी ही थी तो पूरे हिन्दुस्तान भर की स्टेट्स में बराबर करनी चाहिये थी। लेकिन टाटा फोरम ने यह समझा कि बाकी दूसरी स्टेट्स तो इसका विरोध करेगी लेकिन हिन्दुस्तान में एक ऐसी स्टेण्ट है राजस्थान उसकी बिल्कुल ही नकारा सरकार है. कोई मामला हो आप चाहें जिसमें कटौती कर सकते हैं, राजस्थान सरकार कुछ नहीं कहने वाली है। टाटा फोरम ने जो कटौती चेसिस के मामले में की उसका राजस्थान सरकार ने बिलकुल ही विरोध नहीं किया। राजस्थान सरकार सोयी हुई है। इसका असर लोगों पर बहुत बड़ा पड़ रहा है लोगों का हजारों रुपये के व्याज का नुकसान हो रहा है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि वह तुरन्त इस ओर आवश्यक कदम उठाकर टाटा फोरम से यह कहे कि हमारा हक का जो कोटा है वह हमें दिलावें आज स्थिति ऐसी हो रही है कि गांव के लोग इन चेसिसों के लिए पैसा जमा करते हैं। एक चेसिस की कीमत 1 लाख 28 हजार रुपये है। उन लोगों को 1 लाख 28 हजार का व्याज देना पड़ता है। उस पैसे को पहले यूनाइटेड मोटर्स राजस्थान, जो कि एजेन्ट है; के पास जमा कराना पड़ता है। वे लोग पैसा जमा कर लेते है और पैसे को बैंक में डाल देते हैं या अपने काम में ले लेते हैं। अभी करीब 40-50 ऐसे लोग हैं जिन्होंने, हर व्यक्ति ने 1 लाख 28 हजार रुपये एक-एक चेसिस के जमा करा रखे हैं। अब वह लोग यूनाइटेड मोटर्स के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि अभी टाटा से माल उपलब्ध नहीं हो रहा है। उनके पास 40-50 लाख रुपये जमा है। वह लोग गरीब लोगों को लूट रहे

Page No 60

(60)

(श्री रामकरणसिंह)

हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह बहुत अस्पष्ट है, वेग है। उसको आप किसी दूसरे फोर्म में फ्रेम करके दें तो मैं उसके ऊपर विचार करूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी सूची है। आपको अर्ज करूं कि चार रोज पहले ही कमेटी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप नियमों के अन्तर्गत दें, आप इसको नियमों के अन्तर्गत और भी तरह से दे सकते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में दें, हाफ एन आवर डिस्कशन के रूप में दें, पर इस प्रकार वेग प्रस्ताव को मैं एडमिट नहीं करूंगा। I will not allow.

श्री अब्दुल अजीज : तो मैं इस पर आधे दिन की चर्चा के लिये निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष : इसके लिए आप पहले मुझसे चेम्बर में मिल लें।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव जयपुर नगर में कुकिंग गैस की वितरण व्यवस्था के बारे में दिया है। वितरण व्यवस्था बहुत दोषपूर्ण है और उसमें भ्रष्ट तरीके अपनाये जा रहे हैं, उसकी ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतवर्ष का समाज कुकिंग गैस प्रधान देश है। पिछले दस दिनों से हम बार-बार अखबार में यह पढ़ रहे हैं कि गैस की बहुत भारी अव्यवस्था है। गैस बुकिंग करने के लिये जो टेलीफोन्स किये जाते हैं उनको वह लोग सुनते नहीं हैं। जयपुर के करीब डेढ़ लाख परिवार इस वितरण अव्यवस्था से परेशान हैं। मान्यवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और अनुरोध करना चाहूंगा कि इस अव्यवस्था को तुरन्त ठीक करावें। गैस असेंशियल कामोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत आती है इसलिये मेरा निवेदन है इसमें गड़बड़ करने वालों के खिलाफ असेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट के तहत कार्यवाही की जानी चाहिये। आज अगर सीमेन्ट की कमी आती है तो बहुत शोर-शराबा मचाया जाता है पर कुकिंग गैस वितरण व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे हमारी गृहणियां परेशान हो रही हैं। राज्य सरकार चाहे तो नीति में परिवर्तन कर सकती है। आप लोग सत्ता में बैठे हैं आपके परिवार वालों को इस तरह की चाहे दिक्कत पैदा नहीं हो लेकिन बाकी जयपुर की जनता को बहुत भारी परेशानी हो रही है। यह एक मानवीय प्रश्न है इसलिए यह निवेदन कर रहा हूं। आज जयपुर गैस वाले लोग पांच-पांच और दस-दस रुपये सिलेन्डर की कीमत के अलावा लेकर तुरन्त गैस पहुंचा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ओपन भ्रष्टाचार है कि दस रुपये गैस सिलेण्डर कीमत से ज्यादा देकर आप पांच मिनट में ही सिलेन्डर प्राप्त कर सकते हैं। वरना पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक गैस उपलब्ध नहीं होती है। कुकिंग गैस की कोई व्यवस्था नहीं है कोयला मिलता नहीं। कोयले का एक ही डिपो है। लकड़ी मिलती नहीं। गैस की व्यवस्था आप नहीं करते हैं तो

(श्री रामनारायण चौधरी)

दूसरी व्यवस्था भी तो नहीं करते हैं। 1.50 लाख परिवारों में से हजारों की संख्या में गैस के चूल्हे हैं उनमें कुकिंग गैस की अव्यवस्था के कारण बड़ा भारी असन्तोष है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आप राजस्थान सरकार को कहें कि इसकी समुचित व्यवस्था करायें और राजस्थान सरकार मन्त्री महोदय को इस पर एक वक्तव्य देने के लिये ग्रादेश दें।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

श्रीमन, स्थगन प्रस्तावों में मेरा अन्तिम नाम है। जीरो ग्रावर होता है यह और किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को इस समय के अन्दर उठाया जा सकता है।

श्रीमन् एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की 2 करोड़ 70 लाख जनता में जो शिक्षित हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और प्रबुद्ध हैं और भारत के 65 करोड़ लोगों में जो कि शिक्षित हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं उनके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न काश्मीर विधान सभा में भी उठा और वहां के स्पीकर ने उसको एडमिट किया है। उस की अनुमति दी गयी है। यह प्रश्न राज्य सभा में भी उठा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन भी....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जिस विषय पर आप बोल रहे थे वह तो समाप्त हो गया जीरो ग्रावर है इसका मतलब यह नहीं हैं कि लाइसेन्स टू स्पीक एनीथिंग मिल जाय। लाइसेन्स टू स्पीक एनीथिंग नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने सुना ही नहीं....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जीरो ग्रावर में इस तरह की छूट नहीं है कि मर्जी ग्रावे वह बोलते चलो।

श्री रामनारायण चौधरी : यह ग्रासन का काम है आपका नहीं।

श्री रतनलाल वर्मा : जिस स्थगन प्रस्ताव की आपने सूचना दी थी, ग्रासन का ध्यान आप उस पर ग्राकर्षित कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया है वे उस पर बोल रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वे उस पर कह चुके हैं। यह दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामनारायण चौधरी : यह शासन के ध्यान देने की बात है कि प्रस्ताव स्वीकार करें या न करें। राजस्थान के 2.70 लाख लोगों का जो इस प्रश्न पर जन-मानस बना है और भारत के 65 करोड़ लोगों का जो जन-मानस बना है, इसमें जाति-पांति और धर्म का भी प्रश्न नहीं है ...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आखिर ये किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : देश का प्रधान रहा है ....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष, बहुत बोलने वाले हैं। माननीय सदस्य हमेशा सदन के अन्दर इस प्रकार बाधा उत्पन्न करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जो देश का प्रधान मन्त्री रहा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। स्थान ग्रहण करिये, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे देश के प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई ने इन्कार करके भारत के निवासियों की आत्मा को ठेस पहुंचायी है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

कई माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं होगा। नहीं होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं। भुट्टो को जब फांसी की सजा का हुक्म दिया ..

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वही की वही बात है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप सुन तो लीजिये। तो चिन्ता होना स्वाभाविक है। लेकिन जब मुजीब और उनके बच्चों को मार दिया गया उस समय आप से कुछ नहीं बोला गया, वह भी तो प्रधान मन्त्री रहा। कांग्रेस का शासन था उस समय।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बोलना चाहिए था।

एक माननीय सदस्य : तब तो चुपचाप थे।

श्री रामनारायण चौधरी: मुख्य मन्त्री जी से कहा कि विधान सभा में वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य इस सदन की गरिमा को रखिये। क्यों आप इस तरह से डिस्टरबेंस पैदा करते हैं? आप हमेशा डिस्टरबेंस पैदा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

× × ×

माननीय सदस्य, अब आरोप-प्रत्यारोप नहीं होने चाहिये। शासन पक्ष को उदारता से व्यवहार विपक्ष के साथ करना चाहिये।

(व्यवधान)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री एच० एन० शर्मा

(अनुपस्थित)

अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का उपस्थापन।

माननीय वित्त मंत्री जी :

श्री समरथलाल (राजगढ़) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर मेरा पाइन्ट

×××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री समरथलाल)

आफ आर्डर यह है कि मैंने मांगों पर कटौती प्रस्ताव रखे थे 8 मार्च को। पिछले दिनों से मेरा नाम नहीं आ रहा है इसलिये मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। आज भी मेरा नाम नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं।

श्री समरथलाल : मैंने सारे विभागों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं देख चुका हूं। कटौती प्रस्ताव रह गये हैं तो मैं देख लूंगा।

माननीय वित्त मंत्री !

अनुपूरक अनुदान की मांगों के विवरण का उपस्थापन

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1977–78 के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोधपुर शहर तथा जोधपुर सम्भाग में बिजली की कटौती के फल स्वरूप खेती को क्षति

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री खेतसिंह !

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जोधपुर शहर तथा जोधपुर सम्भाग में बिजली की कटौती के फलस्वरूप खेती की क्षति की ओर विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राज्य को रबी की फसल के महीनों में बिजली की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य कारण अणु शक्ति ताप घर, जो वार्षिक मेन्टीनेन्स के लिये 3 जुलाई, 1977 को बन्द किया गया था, का अभी तक चालू नहीं होना है। पहले यह आशा की जाती थी कि अणु बिजली ताप घर नवम्बर, 1977 में कार्य करना आरम्भ कर देगा परन्तु वहां पर मजदूरों की हड़ताल होने के कारण यह स्टेशन अभी तक चालू नहीं हो सका।

अणु शक्ति पावर हाउस के चालू रहने पर करीब 35 से 40 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन राज्य को मिलती है। राज्य की बिजली की खपत औसतन 120 से 125 लाख यूनिट प्रतिदिन की रबी के महीनों में रही है। इस प्रकार बिजली खपत के अनुसार उपलब्धि में 30 से 40 प्रतिशत कमी रही। इसी कारण राज्य सरकार को विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर बिजली-उपभोग में कटौती लगानी पड़ी जिसके लिये सरकार के आदेश दिनांक 26-11-77 को निकाले गये। बिजली की कोई कटौती कृषि उपयोग पर व अन्य नितान्त आवश्यक उपयोग जैसे अस्पताल, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, रेडियो, जलदाय विभाग पर लागू नहीं की गई।

बिजली के यूनिट्स की कमी के साथ साथ ही राज्य को पावर (मेगावाट्स) की कमी का भी सामना करना पड़ा है। मुख्यतः मेगावाट्स की कमी का प्रभाव दैनिक पीक

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

लोड के समय में सबसे अधिक रहता है जिसके कारण लोड स्टेगरिंग आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त भाखड़ा, व्यास कम्पलेक्स, सतपुड़ा चम्बल कम्पलेक्स, बदरपुर ताप बिजली घर व गुरूनानक ताप बिजली घर, जिनसे कि राज्य को बिजली मिलती है, की मशीनों में अप्रत्याशित गड़बड़ी होने के कारण भी स्टेगरिंग आवश्यक हो जाता है। किसी भी मशीन के बन्द होने का प्रभाव पूरे राज्य में पड़ता है। उस समय की उपलब्धता के संदर्भ के लोड स्टेगरिंग आदि करना नितान्त आवश्यक होता है, अन्यथा पूरे सिस्टम के फेल होने की आशंका रहती है। विद्युत मण्डल ने राज्य की कटौती के बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया है। इसीलिए चम्बल परियोजना की मशीनों से अतिरिक्त बिजली उत्पादन चालू किया। इसके साथ ही साथ राजस्थान के अपने स्थानीय ताप बिजली घर जोधपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर को भी चालू कर बिजली उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है।

जोधपुर शहर व जोधपुर ग्रिड सब-स्टेशन से बिजली जाने वाले आस पास के इलाकों में सरकार द्वारा निर्धारित कटौती के अलावा कोई कमी नहीं की गई। यद्यपि जब भी सिस्टम में दिक्कतें आई और भाखड़ा व्यास जल विद्युत योजना, गुरू नानक ताप बिजली घर, बदरपुर व सतपुड़ा ताप बिजली घर की मशीनों में कोई खराबी आई और उस कारण बिजली उपलब्धता में कमी आई तो लोड स्टेगरिंग अवश्य ही किया गया।

केवल 6 मार्च, 78 को, जब कि जोधपुर ग्रिड सब-स्टेशन पर 132 के० वी० की सप्लाई करीब आधा घन्टे बन्द हो गई थी, पूरा जोधपुर शहर कभी भी अंधेरे में नहीं रहा। यह दूसरी बात है कि किन्हीं स्थानीय खराबियों के कारण शहर के किसी भाग में कभी-कभी बिजली उपलब्ध नहीं हुई हो, परन्तु ऐसी स्थिति कुछ ही देर के लिए रही।

जोधपुर एक लम्बी ट्रान्समीशन लाइन के छोर पर होने के कारण इस क्षेत्र में वोल्टेज की कुछ कमी दिन के पीक लोड आवर्स में अवश्य रहती है। वोल्टेज की इस कमी को आंशिक रूप से केपेसिटर लगाकर पूरा किया जा सकता है। मण्डल के आदेशानुसार ऐसे केपेसीटर लगाना अनिवार्य है। यदि उपभोक्ता मोटर पर केपेसीटर लगायें और अच्छे किस्म का स्टार्टर काम में लायें तो वोल्टेज की कमी की स्थिति होते ही मोटर अपने आप बन्द हो जायेगी और उसके जलने का खतरा नहीं रहेगा।

इसी संदर्भ में दिनांक 31 मार्च, 1978 को सायं 7 बजे इस समस्या के हल के लिए सम्बन्धित अधिकारियों एवं जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यगण तथा माननीय प्रस्ताव कर्त्ता विधायक महोदय के साथ विधान सभा कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में इस स्थिति से अवगत कराया गया था कि जोधपुर में ताप बिजली घर के दो यूनिट्स को चलाया जाता रहा है। कोयले की कमी के कारण एक यूनिट कभी-कभी बन्द रखनी पड़ती है। तथापि एक यूनिट बराबर चालू है। यह निर्णय लिया गया कि कोयले की निरन्तर सप्लाई की व्यवस्था की जाये ताकि दो यूनिट चालू रखी जाकर सप्लाई व्यवस्था बनाई रखी जाये।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जहां तक पी० एच० ई० डी० को बिजली सप्लाई का प्रश्न है तिवरी से रामपुरा को 33/11 के० वी० के सब-स्टेशन व लाइन की अलग से व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया ताकि पम्पिंग लोड की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

जवाई नहर के लिफ्ट पम्प्स को भी अलग से 33/11 के० वी० लाइन से जोड़ने का निर्णय ले लिया गया है। यह कार्य भी शीघ्र ही कर दिया जायगा। इसके अलावा एक 11 के० वी० की लाइन खींच कर जवाई नहर के पम्प्स के साथ जो रूरल लोड लगा हुआ था उसे अलग कर दिया है इससे वोल्टेज में सुधार होगा।

जवाई बांध पर पम्प्स लगाने की व्यवस्था जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करेगा ताकि आगे आने वाले दिनों में डेड स्टोरेज के पानी का उपयोग किया जा सके।

मसूलिया जल रिजर्वायर को 30 मार्च तक कमिशन कर दिया जायेगा। वोल्टेज के फ्लक्चुएशन्स को कम करने के लिए केपेसीटर्स की व्यवस्था पी० एच० ई० डी० विभाग करेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है और इसके लिए मैं विद्युत् मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जोधपुर शहर की पानी और बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए अपने कक्ष में एक बैठक बुलाई थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन, चीफ इन्जीनियर और वाटर वर्क्स वाले भी मौजूद थे और हमें भी आमंत्रित किया था। वहां जो कुछ भी बातें हुई उनसे यही निष्कर्ष निकला था कि मई के प्रथम सप्ताह तक जो डिफिकल्टी है वह दूर करेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अप्रेल से जुलाई तक के ऐसे महीने हैं जिनके अन्दर शहर के अन्दर पानी की भयकर समस्या रहेगी। सर्दियों में इतनी समस्या नहीं थी। हालांकि सर्दियों में भी जैसा मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा है जोधपुर शहर में सवेरे एक घन्टा और शाम को एक घन्टा पानी मिलता है और इसी प्रकार से बिजली का भी शाम और सुबह वोल्टेज इतना गिर जाता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। शहर के अन्दर बिलकुल अंधेरा सा ही रहता है।

जहां तक काश्तकारों का प्रश्न है आपने माना है कि आपका ए० पी० पी० स्टेशन बन्द होने की वजह से, और जैसा आपने कहा भाखरा पर भी कुछ गड़बड़ी हो जाने की वजह से बिजली की कमी रही है। बिजली की कमी होने के कारण सब पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन एक बात, मान्यवर मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि जो प्रभाव जोधपुर संभाग पर पड़ा है वह जयपुर में देखने को नहीं मिला है। इसलिए आपने जवाब देते हुए यह कह कर टाल दिया कि क्योंकि आप टेल एण्ड पर हैं इसलिए हमारी मजबूरी है। टेल एण्ड पर होते हुए भी अगर आप सर्किट काटकर वहां पर बिजली देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके लिए फिर मेरा निवेदन है कि जिस तरह आज सीमेन्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया था उसके जवाब में आपके खाद्य मंत्री ने कहा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जितनी सीमेण्ट मिली है उतनी पूरे जोधपुर सम्भाग के 7 जिलों को नहीं मिली है। इसी तरह से जोधपुर में

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बिजली देते हैं इससे कहीं ज्यादा आप जयपुर को देते हैं। यह पक्षपात मत कीजिये। अगर बिजली की कमी है तो सब को भुगतना चाहिए। सब को एक समान दृष्टि से आपको देखना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आने वाले महीनों में जोधपुर में पानी की कमी न हो और बिजली पूरी मिले इसके लिए चाहे डिपार्टमेन्टल पावर स्टेशन शुरू कीजिए, आपके पास में बहुत डीजल सैट्स पड़े हुए हैं और अगर कोयले की कमी है तो डीजल सैट लगाकर आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यह मंशा का सवाल है।

मुझे विश्वास है की जिस प्रकार की भावना आपने चेम्बर में दिखाई थी उसी प्रकार की भावना दिखाते हुए कृपापूर्वक बिजली और पानी का प्रबन्ध आने वाले महीनों में करेंगे। इसके लिए मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा। यहां जन स्वास्थ्य-मंत्री भी बैठे हैं। यह समस्या जोधपुर शहर की 3।। लाख आबादी की है और पूरे जोधपुर सम्भाग के एक करोड़ आदमियों की है इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप बहुत गम्भीरता से विचार करें। इस संबंध में मंत्री महोदय निश्चित तौर पर आश्वासन देने की कृपा करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक भेदभाव का सवाल है मैं इस बात की पूरी गारन्टी देता हूं कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जोधपुर नगर बहुत बड़ा नगर है, वहां के जन जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जायेगा। जितनी केपेसिटी होगी उसके अनुसार पूरी योजना बना कर व्यवस्था की जायगी मैं चाहूंगा कि आपके सामने और कोई डिफिकल्टी आये तो उससे मुझे अवगत करायें। मैं सब प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले भेदभाव था उसे भी मिटाये।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

पुरःस्थापित किये गये विधेयक

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकिट यात्रा निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1978,

श्री केदारनाथ (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकिट यात्रा निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री केदारनाथ : मैं विधेयक को पुरः स्थापित भी करता हूं।

सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री महबूब अली : मैं विधेयक को पुरः स्थापित भी करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक (बजट) के संबंध में माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि आज की बहस 4.15 बजे समाप्त की जाय इसके उपरांत सरकारी उत्तर आयेगा, इसका ध्यान रखें।

श्री खेतसिंह राठोड़ : 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दें।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट से ज्यादा समय न लें।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मांग प्रस्तुत करनी है।

श्री अध्यक्ष : क्षमा कीजिये, मत्री महोदय! अनुदान की मांगें।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 37 कृषि व मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च 79 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10 करोड़, 15 लाख, 39 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 79 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7 करोड़, 50 लाख, 5 हजार तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 37 व 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर :

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर) :

1. राजस्थान के गांवों में कृषि केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) :

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

2. कृषि सहायतार्थ कृषकों को बीज एवं खाद समय पर न दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

3. सरकार कृषकों को कृषि विकास हेतु साधन जैसे, बीज, खाद एव औजार उपलब्ध कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

4. गन्ने की बीमारी से रोकथाम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(68)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

5. जालौर जिले के कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री विजयसिंह नवेरा (बांदीकुई) :

6. कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव कराने बाबत चर्चा के लिये।

7. राजस्थान में फसलों का बीमा प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

8. विभाग द्वारा किसानों को समय पर बीज नहीं देने, बीज महँगा देने व रोग ग्रस्त बीज देने से काश्तकार को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

9. किसानों को किसी प्रकार की ट्रेनिंग व जानकारी सरकार द्वारा समय पर न दी जाने पर चर्चा के लिये।

10. बाजरे का बीज अरगट मुफ्त उपलब्ध न करा सकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. कृषकों को महंगा बीज देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. डेगाना में कृषि मण्डी खोलने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

13. विभाग द्वारा किसानों को समय पर कृषि उपयोगी आवश्यक वस्तुएं नहीं दे सकने पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

14. कृषि कार्यों में विद्युत, डीजल एवं सीमेन्ट को प्राथमिकता के आधार पर कृषकों को दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

15. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में जिला कृषि कार्यालय स्थापित करने में विभाग की उदासीनता की नीति पर चर्चा के लिये।

16. कृषि उत्पादन एवं कृषि अनुसन्धान के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

17. कृषि विकास योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

18. तकावी ऋण उन्हीं कृषकों को दिया जाये जो शराब और अफीम का प्रयोग नहीं करते हों तथा सामाजिक कुरीतियों में खर्च न करते हों, के विषय पर चर्चा के लिये।

19. विभाग द्वारा फसलों पर कातरे (एक प्रकार का कीड़ा) के आक्रमण को नहीं रोक सकने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

20. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पर्चेज में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिये।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

21. खाद और उर्वरक महंगे मिलने पर चर्चा के लिये।

22. समय पर उत्तम बीज नहीं मिलने तथा खराब बीज के कारण फसल खराब हो जाने से कृषकों को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

23. कृषि विभाग का पुनर्गठन करने पर चर्चा के लिये।

24. कृषि विस्तार कार्यक्रम में लगे कर्मचारियों से ग्रामवासियों को कोई फायदा नहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

25. कृषि विभाग कृषि उत्थान हेतु सुझाव ग्रामीण जनता को समझा नहीं पाता इस पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

26. रेवदर विधान सभा क्षेत्र के कृषि व कृषि प्रसार व प्रचार के मामले में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

27. कृषि में सुधार एवं काश्तकारों को किफायती भाव से खाद व बीज उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

28. जहां-जहां भी कृषि उपज मण्डी है और जनता से टैक्स वसूल होता है उसका 80 प्रतिशत उसी क्षेत्र के विकास के लिये पंचायत को दिया जाये इस पर चर्चा के लिये।

29. कृषि उपज मण्डी माण्डलगढ़ द्वारा वसूल किया गया टैक्स यदि बिजोलिया, माण्डलगढ़, बीगोद, काथोला, महुआ, मानपुरा आदि पंचायतों को उनका हिस्सा उनके विकास के लिये नहीं दिया जायगा तो पूरे क्षेत्र में व्यापक असन्तोष फैलेगा, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) :

30. कृषि को उद्योग घोषित किया जावे तथा खाद एवं कीटनाशक दवाओं को उचित मूल्य पर सरकार काश्तकारों को मुहैया करावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

31. विभाग द्वारा राजस्थान में कृषि विकास पर समुचित ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

32. कृषि विभाग का गैर जरूरी विस्तार कर विश्व बैंक के धन का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

33. काश्तकारों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने तथा इनके प्रयोग से लाभ की जानकारी देने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

34. पौध संरक्षण औषधियों को यथा समय उपलब्ध कराने एवं काश्तकारों को इसका महत्व समझाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

35. समय-समय पर कृषकों को उन्नत बीज व खाद उपलब्ध नहीं कराने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री सूरजपालसिंह)

36. जालोर जिले को कृषि क्षेत्र में विश्व बैंक की कृषि योजना के तहत लिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

37. पंचायत समिति शेरगढ़ व बालेसर में कृषि प्रसार अधिकारी लगाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

38. झुंझुनू जिले में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

39. जिला कृषि अधिकारी के सिरोही के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच हेतु चर्चा के लिये।

40. जालोर एवं सिरोही जिलों में कपास और गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु सघन योजना लागू की जाये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

41. कृषकों को समय पर खाद एवं बीज न मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

42. किशनगढ़ क्षेत्र के किसानों को उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, पौध संरक्षण औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के बारे में चर्चा के लिये

43. कृषि विस्तार कार्यक्रम को अजमेर जिले में कारगर ढंग से लागू किये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

44. जिले के जालौर में हाई ब्रिड संकर बाजरे में अरगट रोग एवं अन्य फसलों में रोगों की रोकथाम एवं उपचार के बारे में चर्चा के लिए।

45. जिला जालौर में कृषि का विकास कार्यक्रमों के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

46. कृषि उपज मंडी समिति, भीलवाड़ा में डायलनुमा काँटों की खरीद में हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

47. कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा द्वारा एप्रोच रोड के निर्माण पर हुये अनियमित व्यय पर चर्चा के लिये।

48. कृषि उपज मण्डी समिति के मंडी यार्ड की जमीन पर अवैध कब्जों से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

49. कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा यार्ड में दुकानें निर्माण के लिये लीज पर जमीन देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

50. कृषि कार्यों के लिये दिये जाने वाले अनुदान, ऋण तथा वसूली से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

51. विभाग द्वारा इस वर्ष गन्ने की बीमारी की दवाई उपलब्ध कराने में हुई अव्यवस्था बाबत चर्चा के लिये।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

52. विभागीय कर्मचारियों का काश्तकारों के प्रति दायित्व नहीं निभाने हेतु चर्चा के लिये।

53. कृषि उपक्रम में ओवरशियर व कैसियर को शामिल कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

54. ब्रह्मा का छापर गांव एवं मदनपुरा की खराब जमीन पर "ओरेन्ज प्लान्टेशन" की योजना बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) :

55. राजस्व अभियान के अन्तर्गत अन्त्योदय योजना में आने वाले व्यक्तियों को ऋण एव अन्य आर्थिक सुविधाएं नहीं मिलने की चर्चा के लिये।

56. कृषकों को विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण एवं अन्य सहायता सुविधाएं दिलाने की चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

57. अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आवंटित भूमि पर काश्त करने हेतु लोगों को कृषि औजार उपलब्ध कराने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

58. कृषि उपज की बढ़ोत्तरी के लिए किसानों को समय पर ऋण एवं अन्य सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) :

59. कृषि में सुधार एवं उसका औद्योगीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

60. दलहनों के उत्पादन की विशेष योजना की नीति के संबंध में चर्चा के लिये।

61. कृषि उपज मण्डी समिति, भवानी मण्डी द्वारा कृषकों के शोषण व व्यापारियों के पोषण किये जाने पर चर्चा के लिये।

62. कृषकों को खाद एवं बीज उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

63. कृषकों से खाद व बीज की रकम की वसूली में ज्यादतियाँ रोकने व इन्हे माफ कराने हेतु चर्चा के लिये।

64. भवानी मण्डी में नारंगी एवं नीबू की कृषि को विशेष संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना):

65. झालावाड़ जिले में कृषि के विकास को प्रोत्साहन एवं प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) :

66. कृषि संबंधी नीति व कृषि उपकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

67. बूंदी में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो कर्जा देने की योजना बनाई गई उसके अनुसार सरकार द्वारा कर्जा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. बूंदी में अनेक ग्रामों में सी. ए. डी. के माध्यम से ग्राम वासियों की भावना के विरुद्ध चल रहे कार्यों पर चर्चा के लिये

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

69. कृषि विकास सम्बन्धी योजनाओं की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

70. कृषि विभाग का काश्तकार के साथ सम्पूर्ण समन्वय न होने के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

71. नवलगढ़ में कृषि उपज मण्डी को चालू करवाने पर चर्चा के लिये।

72. कृषकों को कृषि के लिए समय पर बीज, खाद व दवाइयों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

73. गांवों में कृषि केन्द्र खोलकर कृषकों को कृषि की शिक्षा दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

74. भारतीय कृषि का हमारी अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले महत्व पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

75. कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर में एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशाला के बारे में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

76. इटावा एवं खतोली में कृषि उपज मण्डी हेतु शीघ्र मण्डी यार्ड की घोषणा कराई जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

77. बांसवाड़ा जिला में कृषि उत्पादन के लिए लघु कृषकों को आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

78. बाँसवाड़ा जिला में कृषि विभाग के कर्मचारी ग्राम सेवक तथा कृषि प्रसार अधिकारी आदि अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

79. उन्नत बीजों, खाद व कीड़े मारने की दवाइयां सस्ती व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

80. गरीब किसानों को सूदखोर साहूकारों के पंजे से छुड़ाने के लिए बैंकों से आसान शर्तों व कम ब्याज पर रुपये उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

81. छोटे किसानों के लिए किराये के ट्रैक्टर्स की व्यवस्था कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

श्री भैरूंलाल बैरवा (शाहपुरा) :

82. कृषि पर आधारित उद्योगों पर जोर देने जिससे काश्तकार के फालतू समय का उपयोग हो सके हेतु चर्चा के लिये।

83. किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(सर्व श्री रामप्रसाद लड्ढा एवं भैरूलाल बैरवा)

84. कृषि में दवाइयों की पूर्ण व्यवस्थायें उपलब्ध कराने तथा दवाई स्प्रे करने पर काश्तकार से जो चार्ज किया जाता है, उसे रोकने बाबत चर्चा के लिये।

85. कृषि में फलदार वृक्षों का अधिक प्रचार प्रसार बाबत चर्चा के लिये।

86. असिंचित भूमि में पैदा होने वाली फसलों की पैदावार पर अधिक जोर देने पर चर्चा के लिये।

87. कृषि और पशुपालन इनका सुन्दर समन्वय हो, इस योजना पर चर्चा के लिये।

88. कृषकों को समय पर उत्तम किस्म के खाद व बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. काश्तकार द्वारा उत्पादित कृषि वस्तु का सही पैसा मिले इसके लिये विभाग द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों से व्यवस्था कराने बाबत चर्चा के लिये।

90. काश्तकारों को कृषि सबंधी सभी सुविधायें मिलें इसके लिये फार्मिंग सर्विसेज सोसायटी का निर्माण किये जाने पर चर्चा के लिये।

91. फसल पर बीमारी की पूर्ण रोकथाम की अविलम्ब कार्यवाही हो। अधिकतर लम्बी कार्यवाही के कारण फसल चौपट हो जाती है फिर दवाइयां छिड़की जाती है. इस पर चर्चा के लिये।

92. काश्तकारों को बीज उत्पादन करने के लिए विशेष प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. कृषि उत्पादन के लिये ब्लाक व गांव लेवल तक कम्पीटीशन (प्रतियोगिता) आयोजित किये जाने हेतु चर्चा के लिये)

94. कृषि में अधिक उत्पादन के लिए फसली बीमा योजना अविलम्ब प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

95. कृषि में सब्जियों के उत्पादन पर विशेष जोर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. देशी खाद के देने के तरीकों में नयी खोज की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से हरी खाद पर चर्चा के लिये।

98. फसल में यूरिया खाद जड़ों में न दिया जाकर केवल स्प्रे से हो इस पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

99. सोजत रोड कृषि उपज मण्डी के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री रंगजी (सपोटरा) :

श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा) :

100. सपोटरा में सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी द्वारा सब मण्डी स्थापित न किये जाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

Page No 74

(74)

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

101. जिला झुंझुनू में कृषि अन्वेषण एवं अन्य योजनाओं की क्रियान्विति में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरा पाटन) :

102. झालावाड़ जिले में अफीम की कृषि को अधिक प्रोत्साहन देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

श्री अय्यूब खां (तिजारा) :

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

103. कृषि उपज मण्डी समितियों की व्यवस्था चुनाव करा कर जन प्रतिनिधियों को सौंपने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा) :

श्री रंगजी (सपोटरा) :

104. पंचायत समिति, टोडा भीम, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र महुआ के बालघाट, मूडियां, तियरिया आदि गांवों को कृषि उपज मण्डी हिण्डौन में शामिल किये जाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :

105. कृषि उपज मण्डियों द्वारा वसूल किये जाने वाले करों के निर्धारण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

106. अलाभकारी कृषि क्षेत्रों से कृषि उपज मण्डियों को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नी लाल जेलिया (खण्डार) :

107. सवाई माधोपुर में जो कृषि फार्म है उसकी उच्च अधिकारियों द्वारा देख-रेख की कमी के कारण दुर्दशा हुई है तथा सारी आय–व्यय प्रश्नवाचक है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

108. फसलों का बीमा कराने तथा चेपा की बीमारी को कारगर तरीके से रोक कर फसलों की रक्षा करने पर चर्चा के लिये।

श्री आलम अली खां

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

109. कृषि के काम में आने वाले उपकरणों को गांवों में ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हजारी मल सारण (सरदार शहर) :

110. कृषि विकास हेतु दिये जाने वाले ऋण पर चक्रवर्ती ब्याज की दर चार्ज किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

111. हाइब्रीड बाजरे के बीज से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनी पार्क जयपुर) :

112. कृषि विभाग की अकर्मण्यता, उसमें व्याप्त धांधली व भ्रष्टाचार व समुचित परिकल्पना के अभावों पर चर्चा के लिये।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

113. फलौदी तहसील में कृषि कार्य हेतु समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां):

114. कृषि विभाग को व्यवस्थित करने एव कृषि उत्पादन में सघन कार्यक्रम पर जोर देने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

115. कृषि को उद्योग की तरह प्रचलित करने एवं कृषि बीमा के बिना किसान की उन्नति में आने वाली बाधाओं पर चर्चा के लिये ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर):

116. फर्टीलाइजर, यूरिया की खाद खरीद के भाव में घोटाले के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर):

117. कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सुझाव देने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) :

118. छोटे किसानों की उपेक्षा कर बड़े किसानों को ऋण देने की प्रवृत्ति कम करने पर चर्चा के लिये ।

119. मावली तहसील में छोटे किसानों का समय पर खाद, बीज नहीं मिलने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल):

120. काश्तकार के एक मात्र पशुधन के लिए उन्नत किस्म के घास पैदा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

121. जमीन की क्वालिटी के अनुसार फसल बोने का सुझाव व प्रशिक्षण काश्तकार को हो जिससे कम साधनों का अधिक उपयोग हो सके, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

122. कृषि विभाग द्वारा कृषकों के हितों की पूर्ण रक्षा न कर सकने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू):

123. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास में अधिकारियों द्वारा लापरवाही करने एवं कृषकों को खाद, बीज समय पर उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये ।

124. जयपुर जिले में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए रिजर्व बैंक की स्कीम शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन):

125. कृषि विभाग में प्रमोशनों में की गई धांधली व अधिकारियों की मनमानी पर चर्चा के लिये ।

126. विभाग में एक साथ किये गये स्थानान्तरणों में विभाग की मनमानी पर चर्चा के लिये ।

श्री सैयद मंजूर अली (सवाई माधोपुर):

127. खेती को बढ़ाने के लिए गलवे व बनास नदी (भगवतगढ़ की ओर) के बीच के गांवों को बिजली दिलाने में विभाग द्वारा कोई कारगर योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नूरा (मसूदा) :

128. कृषि उत्पादन एवं विपणन कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :

श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़) :

श्री हरिकृष्ण (नदबई) :

श्री गुरुचरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

129. सरकारी फार्म जहां समस्त साधन उपलब्ध होने पर भी घाटा होने तथा किसान की दयनीय दशा सुधारने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री आलम अली खां (फतहपुर) :

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) :

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

श्री हरिकृष्ण (नदबई) :

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

श्री हनुवन्तसिंह राणावत (बाली) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

130. राजस्थान के गांवों में कृषि के सभी उपकरण उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

131. जिला कृषि अधिकारी की जैसलमेर में नियुक्ति तथा एग्रोनॉमिस्ट पद पर नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

132. कृषि के महत्व को देखते हुए पाली जिले की खारची पंचायत समिति में कृषि प्रोजेक्ट बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़):

133. तहसील कुम्भलगढ़ तथा आमेट क्षेत्र में कृषि व्यवस्था हेतु उचित कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) :

134. रासायनिक खाद व अन्य कीटाणुनाशक औषधि व बीज किसानों को समय पर नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) :

135. उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) की संशोधित वेतन श्रृंखला देने पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली) :

136. कृषि में प्रगति के लिए विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त किया जाय, विभागीय कर्मचारियों विशेषतः ग्राम सेवकों को तुरन्त हटाया जाय एवं पंचायत समिति के फार्म से कब्जा हटाया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (आहोर) :

147. आहोर विधान सभा क्षेत्र में कृषि के साथ ग्रामीण लघु उद्योग का समन्वय होना चाहिये, इसके विषय में चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

138. पौध संरक्षण हेतु औषधियां उपलब्ध कराने में सरकारी असफलता बावत चर्चा के लिये।

139. खाद्य निगम (फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया) के द्वारा पूल को वितरण किये जाने वाले खाद के कट्टों में किसान को दिये जाने वाले यूरिया वजन में 5 से 6 किलो कम होने के बावत चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (तारानगर) :

140. तारानगर पचायत समिति क्षेत्र में बांटे गये बीज तथा अन्य कृषि विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

141. एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, जयपुर में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

142. राजस्थान में कृषि भूमि की मृतिका (मिट्टी) के परीक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं है व कीटनाशक दवाएं भारी तादात में बाजार में नकली मिल रही हैं; इससे उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) :

143. सूरतगढ़ कृषि फार्म को बन्द किये जाने की राज्य सरकार की सिफारिश पर चर्चा के लिये।

144. उदयपुर विश्वविद्यालय के व्याख्याता एवं दूसरे समकक्ष पदों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) :

145. कृषि उपज मंडियों की आय खुर्द-बुर्द किये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा) :

146. मंडी यार्ड महुवा रोड मंडावर में सड़क निर्माण में घोटाले की जांच न होने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

147. पंचायत समिति टोडाभीम की दस ग्राम पंचायतों को कृषि उपज मण्डी हिन्डौन में शामिल न किये जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) :

148. मेव किसानों की कृषि की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर):

149. विभाग में खुल कर हुए भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) :

150. वृहत व मझले तथा छोटे कृषि फार्मों की बिगड़ती स्थिति की ओर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

151. बीज वितरण कृषि उपज व प्रति एकड़ पैदावार की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) :

152. कृषि में काम आने वाले यंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने में सरकारी योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

(78)

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

153. कृषि उपज मंडियों को अधिक जन उपयोगी व लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

154. कर्मचारियों के कार्यों में परिवर्तन व प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

155. बीज व खाद की समय पर व्यवस्था न होने से हुई अपार क्षति पर चर्चा के लिये ।

156. पाली जिले में कृषि विभाग की अकर्मण्यता व शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

157. कृषि को उद्योग मानकर उसी के अनुरूप सुविधा एवं व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

158. कृषि उत्पादन हेतु सरकार द्वारा भूमि का फसल योग्य वर्गीकरण लागू कराने हेतु चर्चा के लिये ।

159. फसलों की बीमा योजना लागू कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

160. विभाग को पुनर्गठित करने हेतु चर्चा के लिये ।

161. पाली जिले में किसानों को जिप्सम सब्सीडाइज्ड दाम पर दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं):

162. समय पर उचित मूल्य पर काश्तकारों को खाद व बीज उपलब्ध नहीं करा पाने पर चर्चा के लिये ।

163. विभागीय भवनों पर अनावश्यक रूप से व्यय करने पर चर्चा के लिये ।

164. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कें बनाने के कार्य को सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने तथा मण्डी समितियों के अधिकार खतम कर देने पर चर्चा के लिये ।

165. कृषि उपज मण्डियों को भंग करने तथा चुनाव नहीं कराकर प्रजातंत्र को खतम करने पर चर्चा के लिये ।

166. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति में की गई मनमानी पर चर्चा के लिये ।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां) :

167. कृषकों की फसल को कीटाणुओं से बचाने हेतु दवा आदि विभाग द्वारा समय पर उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

168. किसानों को समय पर बीज व कीटनाशक दवाइयां नहीं मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

169. कृषि विभाग में प्रशासन पर अनावश्यक खर्च की कमी करने पर चर्चा के लिये ।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :

170. छोटी जोत वाले किसानों को अपनी उपज बढ़ाने हेतु रासायनिक खाद मुफ्त दिया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर) :

171. परवतसर तहसील में कृषि विकास हेतु साधनों को उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदी कुई) :

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

172. ग्राम चर्चा मण्डलों को सक्रिय नहीं बनाने संबंधी कृषि विभाग की अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं पर चर्चा के लिये।

173. कृषक प्रशिक्षण शिविरों में कृषि विभाग के विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीण बोली में न समझाने विषयक चर्चा के लिये।

174. कृषि साहित्य ग्रामीण बोलियों में न छपवाकर संस्कृतनिष्ठ हिन्दी में छपवाकर कृषकों के लिए निरर्थक बना देने संबधी चर्चा के लिये।

175. नई कृषि विस्तार योजना किसानों के लिये लाभदायक नहीं होने पर चर्चा के लिये।

176. कृषि विस्तार योजनाओं में कर्मचारियों की स्थिति अच्छी नहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

177. सरकार की कृषि नीति में कतिपय स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

178. कृषि उपज मण्डी व विपणन की मूल नीति से सरकार हट रही है, इस पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 39, मुख्य-शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर) :

1. राज्य में पशुओं के इलाज के लिए गांवों में भ्रमणशील चिकित्सालय की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) :

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) :

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

2. गांवों में पशु चिकित्सालय के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

3. सानगढ़ पंचायत समिति, मांडल में पशु चिकित्सालय खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही):

4. जालौर के पशु अस्पताल को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

5. मकराना स्थित संगमरमर की खानों में भरे पानी में मत्स्य पालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) :

6. दौसा उप जिला मुख्यालय पर जिला पशुपालन अधिकारी कार्यालय खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) :

7. राजस्थान में पशुपालकों को दूध का मूल्य सही नहीं मिलने व दर समय समय पर नहीं बढ़ाने से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

8. पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्रों में जहां पशु बहुतायत से उपलब्ध हैं पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

9. राजस्थान में डेयरी विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों में 80% गांव के लोगों को नौकरी में रखने पर चर्चा के लिये।

10. जोधपुर शहर में पशु आहार कारखाने के शीघ्र नहीं लगाने से पशु आहार समय-पर उपलब्ध नहीं कराने से पशु पालकों को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

11. मत्स्य उद्योग को राज्य सरकार द्वारा विकसित न करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. मेड़ता दूध चिलिंग सेन्टर के अव्यवस्थित कार्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13 नागौर जिले की नस्ल को और अधिक अच्छा बनाने की योजना की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. विदेशी नस्ल से देशी नस्ल को अधिक दूध हेतु उचित मात्रा में नस्ल का विकास न करने पर चर्चा के लिये।

15. दुधारू पशुओं की राजस्थान की अच्छी नस्ल का विकास करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

16. नागौर जिले के पशु मेले परबतसर, मेड़ता व नागौर के विकास पर विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामदेव चौधरी (मुंडवा) :

17. पशु चिकित्सालय में अनियमितताएं एवं अव्यवस्था व दवाओं के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. गांवों में जो की विलेज स्कीम चल रही है उसमें हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. नागौर जिले के पशु मेलों में होने वाली अव्यवस्थाएं एवं इनके निराकरण हेतु विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

20. आकोला (तहसील कोटड़ी) में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

21. जिन-जिन पंचायतों की तरफ सांड के पालन की व्यवस्था के पत्र आ जायें उन्हें फ्री अच्छी नस्ल का गायों के लिये सांड देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

22. पशु चिकित्सालयों के अभाव एवं पशुओं की दवाइयों में काला बाजारी को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

23. बाड़मेर जिले में ऊंटों में गलकिया की बीमारी अधिक फैली हुई है, जिसके बारे में विभाग द्वारा माकूल व्यवस्था नहीं करने

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

के कारण ग्रामीण जनता में तीव्र असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये।

24. बाड़मेर जिले की शिव तहसील में तिरड़िया एवं फेंफरिया की बीमारी से हजारों भेड़ें मर गई हैं और मर रही हैं जिसके लिये माकूल इलाज की आवश्यकता करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

25. बाड़मेर जिले के ग्राम बेसाला एवं वाटाडू ग्राम में पशु चिकित्सालय खोले जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

26. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में पशु चिकित्सालय भवन के अधूरे निर्माण कार्य को कम्पलीट करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

27. बाड़मेर जिले में फोडर बैंकों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. पशुपालन विकास में राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये।

29. बाड़मेर जिले में थरपारकर ब्रीड का राजकीय केटल ब्रीड खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा पशु मेले में विभाग द्वारा स्वच्छ जल, रोशनी एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था न कराने के कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

31. ग्राम निम्बीजोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर में पशु चिकित्सालय की मांग पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए।

32. ग्राम मीठड़ी सीलववाड़, तहसील लाडनूं जिला नागौर में पशु चिकित्सालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

33. ऊन की व्यापार की योजनाओं में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिये।

34. भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्रों पर जूनियर अकाउन्टेन्ट की पोस्ट समाप्त करने पर चर्चा के लिये।

35. मछलियों का ठेका देने में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

36. टोंक जिला में डेयरी योजना लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

37. टोंक मुर्गी पालन केन्द्र को फिर से शुरू कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

38. पशुओं में बीमारी के तुरन्त इलाज करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

39. रेवदर विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और पशुपालन की दृष्टि से ठीक होते हुए भी उपेक्षित है इस पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांण्डलगढ़) :

40. मांडलगढ़ क्षेत्र में जिन जिन गांवों की आबादी दो हजार की है वहां पशु–चिकित्सा की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

41. पशु चिकित्सालय ग्रामों में अधिक से अधिक खोले जावें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

42. चोरडियां तहसील शेरगढ़ में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत व पशुचिकित्सा में कमी पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

43. पशु पालन विभाग के प्रशासन की अकर्मण्यता तथा विभाग की ओर से गांवों में पशु चिकित्सालय न खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

44. जालौर जिले में पशुओं की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुये पशु चिकित्सा के अभाव तथा ग्राम करवाड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

45. अजमेर जिले के पशुपालकों को अन्य राज्यों में पशुओं के चराने की स्वीकृति न देने के फलस्वरूप पशु पालकों में उत्पन्न भयंकर स्थिति की चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मडावा) :

46. झुंझुनूं जिले के एवं सम्पूर्ण राजस्थान के पशु चिकित्सालयों में दवा के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

47. पंचायत समितियों के पशुपालन प्रसार अधिकारियों को उचित औषधियां उपलब्ध कराने एवं यात्रा हेतु उचित कोष दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

48. जालौर सिरोही पाली के क्षेत्र के लोग जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक भेड़ों को लेकर चराने हेतु जाते हैं उन पर आये सकट पर विचार हेतु चर्चा के लिये।

49. रानीवाड़ा डेयरी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु उसे अधिकृत किया जावे तथा दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम को दोनों जिलों (जालौर एवं सिरोही) में लागू किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

50. पशुओं की नस्ल सुधार पर व बीमारियों की रोकथाम पर विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

51. किशनगढ़ पंचायत समिति के तिलोनिया, करकेड़ी आदि ग्रामों में शीघ्र पशु चिकित्सालय खोलने के बारे चर्चा के लिये।

52. अजमेर जिले के रामसर ग्राम स्थित गिर नस्ल प्रजनन केन्द्र के झालावाड़ स्थानान्तरित होने से क्षेत्रीय पशुपालकों में व्याप्त असंतोष के बारे में चर्चा के लिये।

53. अजमेर जिले के पशुपालकों को आसानी से पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाई स्थापित करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

54. जिला जालौर में पशु चिकित्सालयों में साधनों के अभाव एवं उनको दूर करने के बारे में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

55. जिला जालौर में पशुपालन के लिये बजट प्रावधान करने में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) :

56. ग्राम हरदास का बास (हाथी देह) जिला सीकर के आस पास पशु चिकित्सालय नहीं होने से वहां की जनता को भारी हानि होती है उससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) :

57. ग्राम रामसर में स्थित केटल ब्रीडिंग फार्म को वहां पर से न हटाने एवं उसे पुनःस्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नवलराय बचाणी (अजमेर-पश्चिम):

अजमेर स्थित पशु चिकित्सालय जो कि व्यापारिक क्षेत्र में है उसे शहर से बाहर स्थापित कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

59. पशुधन की ब्रीड सुधारने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

60. जानवरों की संख्या के आधार पर चिकित्सालय खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

61. ज्ञानगढ़ पंचायत समिति, माण्डल में पशु चिकित्सालय खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

62. पंचायत समिति मांडल में प्रत्येक पंचायत स्तर तक डेयरी विकास सहकारिता के माध्यम से करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़) :

63. जमवारामगढ़ क्षेत्र में पशु-चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश शर्मा (रामगंजमण्डी) :

64. तहसील रामगंज मण्डी एवं लाड़पुरा में पशुबहुल क्षेत्र होते हुए भी पशु चिकित्सालयों का अभाव तथा अच्छी नस्ल के सांड भी नहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री एच० एन० शर्मा (बेंगू) :

65. पशु चिकित्सालयों को पशुधन के आधार पर खोलने की जरूरत पर चर्चा के लिये।

66. ग्रामीण क्षेत्रों में चल पशु-चिकित्सालय कायम करने हेतु चर्चा के लिये।

67. रावतभाटा में मौजूदा पशु-चिकित्सा इकाई को क्रमोन्नत कर पूर्ण पशु चिकित्सालय में परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

68. निर्वाचन क्षेत्र केशवराय पाटन में खोले गये पशु चिकित्सालय में औषधियां उपलब्ध कराने एव झालों का बराना में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

69. पशु चिकित्सालयों में दवाओं के अभाव में डाक्टर व कर्मचारियों के पास काम नहीं होने पर चर्चा के लिये।

(84)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

70. पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन विभाग की उदासीन प्रगति होने से संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी निश्चित करने एवं निश्चित प्रगति के लिए सुझावों की ओर ध्यान दिलाने की चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) :

71. पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार तथा विस्तार हेतु चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) :

72. पिड़ावा क्षेत्र में पशुपालकों को संरक्षण देने व दीर्घकालीन नीति निर्धारित करने हेतु चर्चा के लिये।

73. पिड़ावा क्षेत्र में पशु चिकित्सा की समुचित व्यवस्था न होने व पशुधन की हानि को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

74. रायपुर में पशु चिकित्सालय स्थापित करने में विलम्ब होने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

75. पशु बाहुल्य क्षेत्रों में नस्ल सुधार हेतु 'की-विलेज स्कीम' खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

76. वेटेरिनरी होस्पीटल्स एवं डिस्पेन्सरीज के समय जो इमर्जेन्सी में बदले गये थे को जन-सुविधा को मद्दे नजर रखते हुये पुनः पूर्ववत किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

77. चूरू जिले में पशुपालन अस्पताल खोले जाने के संबंध में बरती जाने वाली धांधली बाबत चर्चा के लिये।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) :

78. सुजानगढ़ जिला चूरू में चिलिंग प्लान्ट लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. गांव शोभासर छापर व कानूता में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) :

80. पशु पालन विभाग को ए० आई० के कार्य की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

81. संकर प्रजनन के उन्नत किस्म की गायों के दूध का चुकारा एस० एन० एफ० के आधार पर किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

82. परशुरामपुरा व चिराना में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपालसिंह (मावली) :

83. ईन्टाली तहसील मावली में पशु चिकित्सालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

84. जयपुर जिले में पशु पालन के लिए अस्पतालों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडा भीम) :

85. अच्छे पशुओं के विकास किये जाने में विभाग की उदासीनता के संबंध पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

86. किसानों एवं पशु पालकों को गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ों के लिए लोन दिलाने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

87. पीपल्दा क्षेत्र में पशु औषधालय खोलने तथा पर्याप्त दवा एवं औजार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :

88. कुम्हेर क्षेत्र में आज एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है, अतः इस क्षेत्र में पशु चिकित्सालय एवं आउट-पोस्ट खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

89. बांसवाड़ा जिले में पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों द्वारा बीमार गाय, भैंस, बैलों का उपचार समय पर एवं सूचना मिलने पर नहीं करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

90. अच्छी नस्ल के सान्डों की हर गांव में व्यवस्था हो व आवारा सान्डों को नीलाम किया जाये तथा 2,000 आबादी के हर गांव में पशु चिकित्सालय की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

91. ग्राम आधार योजना समाप्त करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

92. नये पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

93. भीलवाड़ा नगर में एक लाख लीटर का दुग्ध संयत्र लगाने पर चर्चा के लिये।

94. डेयरी विकास की दृष्टि से पशु चिकित्सा नियमित व सुयोग्य डाक्टर एवं कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षण देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) :

95. धौलपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में पशु चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रंगजी (सपोटरा) :

श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा) :

96. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के करणपुर तथा मण्डरायल में पशु चिकित्सालय न खोलने व असमानता का व्यवहार करने पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडा भीम) :

97. पंचायत समिति नादौती, मु० बामनवास में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

98. जिला झुंझुनूं में पशुपालन एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुआ) :

श्री रंगजी (सपोटरा) :

99. महुआ निर्वाचन क्षेत्र के पावटा, बालघाट एवं मण्डावार में पशु चिकित्सालय खोलने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

(86)

श्री अचलाराम (देसूरी) :

100. ग्राम नाडोल व खोड़ (जिला पाली) में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

101. पशु चिकित्सालयों को जो औषधियां दी जा रही हैं वे नगण्य हैं एवं अनेक पंचायत समितियां, जिन्हें इन पशु चिकित्सालयों को औषधियां समर्पित करने का निर्णय है, गत कई वर्षों से कोई औषधियां या रकम नहीं दे रही हैं, व कर्मचारी केवल वेतन भोगी मात्र बने हुए हैं, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नी लाल जेलिया (खण्डार) :

102. पशुओं की चिकित्सा के अभाव में पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

103. अलवर जिले में जरसी एवं राठी नस्ल की गायों के विकास के लिये तथा ग्राम रामपुर एवं हरसोरा जो बानसूर विधान सभा क्षेत्र में स्थित है, में पशु चिकित्सालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां (फतहपुर) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

104. राज्य में भ्रमणशील पशुपालन चिकित्सालय और अधिक खोले जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री हजारी मल सारण (सरदार शहर):

105. पशुपालन अस्पतालों में दवा की कमी से व्याप्त किसानों के असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

106. पशु अस्पतालों के खोलने में बरते गये पक्षपात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

107. पशुपालन एवं चिकित्सा के क्षेत्र में समुचित परिकल्पना व योजना के अभाव व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं धांधली पर चर्चा के लिये ।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

108. फलौदी तहसील के लिये पशु-पालन एव चिकित्सा की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

109. पशुपालन विभाग की अकर्मण्यता एवं उसमें सुधार करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

110. श्वेत क्रांति में पशुपालन एवं चिकित्सा के शुद्ध ज्ञान के अभाव में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों पर चर्चा के के लिये ।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) :

111. पशुओं की चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह (मावली) :

112. मावली नाथद्वारा क्षेत्र में पशु संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

श्री भैंरूलाल बैरवा (शाहपुरा) :

113. पंचायत समिति शाहपुरा में धनोप, बछखेडा, सूला, लसाड़िया में डेयरी खुलवाने बाबत चर्चा के लिये ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा श्री भैरूलाल वैरवा)

114. कनेधन में पशु चिकित्सालय खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

115. काश्तकार को पशुओं की नस्ल उन्नत करने हेतु उन्नत नस्ल के इन्जेक्शन का उपयोग कराने हेतु विभाग द्वारा उचित जानकारी नहीं देने पर चर्चा के लिये।

116. पशुपालन उद्योग में पशुपालकों को पशुओं की बीमारी से जो नुकसान होता है, उसे रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

117. पशुओं के लिए बीमा योजना गांवों तक हो इस हेतु प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. बागोर पंचायत समिति मांडल में पशु चिकित्सालय खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़):

119. कृत्रिम गर्भाधान सब ही स्थानों पर सम्भव नहीं है, अतः हर पंचायत मुख्यालय पर असली नस्ल का एक-एक सांड गायों के लिये उपलब्ध करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

120. ग्राम सैंथल में पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

121 जयपुर जिले के पशुपालन व्यवसाय में बैंक ऋणों को उपलब्ध कराने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

122. चौमूं क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की कमी होने से पशुधन की भारी संख्या में हानि होने पर चर्चा के लिये।

123. ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सकों के प्राथमिकता के आधार पर खोलने एवं शहरी क्षेत्र में खोलकर अनावश्यक खर्चा कम करने हेतु चर्चा के लिये।

124. चौमूं क्षेत्र की खेजडोली ग्राम में पशु चिकित्सालय के अभाव में ग्रामीण जनता में भारी असन्तोष पर चर्चा लिये।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

125. भांवता पीसांगन पंचायत तथा श्री नगर पंचायत समिति के ग्राम अरड़का में पशु चिकित्सालय खोलना आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) :

126. जानवरों की चिकित्सा व्यवस्था करने में विभाग की ढ़िलाई पर चर्चा के लिये।

127. ग्रामीण क्षेत्र पशु चिकित्सा व्यवस्था करने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

श्री सैयद मंजूर अली (सवाई माधोपुर):

128. सवाई माधोपुर व टौंक जिले में डेयरी फार्म सरकारी व प्राइवेट खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नूरा (मसूदा)

129. राजस्थान में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा के विस्तार के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

(श्री नूरा)

130 पशु पालन विभाग में निदेशक (प्रशासन) के पद पर आई ए. एस. अधिकारी लगाने बाबत चर्चा के लिये

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :

श्री हरिकृष्ण (नदबई) :

श्री सुभाषचन्द्र (सूरतगढ़) :

श्री गुरु शरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

131. पशुपालन ग्रामों में होता है, अफसर शहरों में रहते हैं, इन अफसरों का सदुपयोग ग्रामों में भेजकर पशुओं की बीमारियों से रक्षा करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां(फतहपुर) :

श्री हनवन्तसिंह राणावत(बाली) :

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :

श्री हरिकृष्ण (नदबई) :

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) :

श्री गुरुशरण छाबड़ा(सूरतगढ़) :

132. गांवों में पशुपालन विभाग द्वारा भ्रमण चिकित्सालय सेवायें उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर):

133 अधिक पशु संख्या वाले क्षेत्रों में तथा जैसलमेर में इस हेतु अधिक धनराशि पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम तथा व्यापक व चल चिकित्सालय एवं दवाइयों की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची):

134. राजस्थान के पाली जिले में पशुधन सबसे अधिक होते हुए भी पशुओं को सुविधा देने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री लालूदास (फलासिया):

135. कोटड़ा एवं फलासिया में पशुओं की नस्ल सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़ :

136. उदयपुर जिले में पशुपालन एवं चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री मालाराम (खेतड़ी):

137. पशुपालन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर):

138. पशुपालकों को ब्याज की सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने में विभाग की शिथिलता बाबत चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

139. पीपल्दा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खुलवाने तथा खातौली एव इटावा में वेटेरिनरी डॉक्टर तथा दवाओं व अन्य साधनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर):

140. पाली जिले में राजस्थान के अन्य जिलों से अधिक पशु धन होते हुए

(श्री सुखलाल सेंणचा)

भी बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं रखने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा(झालरापाटन):

141. झालावाड़ जिले के पशु-पालकों की कठिनाइयों एवं पशु चिकित्सा के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गणेशलाल वैरागी (हिण्डोली) :

142. पशुओं की नस्ल सुधारी जाय, पशुओं के चरने के लिए सुचारु व्यवस्था की जाय, लाखों भेड़ों से जंगलों को बचाया जायें तथा पशु चिकित्सालय खोले जायें इस पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल सिंह (आहोर):

143. जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों से भेड़ व बकरों का निर्यात रोक कर इन्हीं जिलों में मांस की कैंनिंग फैक्ट्रियां लगवा कर उस मांस को डिब्बों में बन्द करवा कर निर्यात कराये जाने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्रीमती मदन कौर(पचपदरा):

144. दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम के लाभ से मरू क्षेत्र के बड़ी संख्या में पशुपालक और काश्तकार वंचित रहने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये ।

श्री मणीराम (तारानगर) :

145. तारानगर तहसील के वाय, सात्यु तथा बुचास गांवों में पशु अस्पताल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा) :

146. ग्राम महुवा रोड मण्डावर में पशु चिकित्सालय स्थापित कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) :

147. कामां में पशु चिकित्सालयों के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

148 तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के ग्रामों में पशुओं की चिकित्सा का उचित प्रबन्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

149. पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाई उपलब्ध नहीं होने से गरीब किसानों के पशुओं का इलाज महंगा पड़ने पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

150. डेयरी विकास, हेतु पशु-पालन व चिकित्सा की चलती-फिरती डिस्पेन्सरियां मध्यप्रदेश में चालू करवाने हेतु चर्चा के लिये ।

151. पाली जिले में पशु चिकित्सालयों की पर्याप्त संख्या व सुविधा न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूलाल (बागीदोरा) :

152. मुगड़ा घन्टाली में पशु चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा) :

153. किसानों को मुर्गीपालन व अन्य दुधारु मवेशियों के क्रय करने हेतु अनुदान दिलाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):

154. नये पशु चिकित्सालय खोलने सम्बन्धी नीति पर चर्चा के लिये।

155. तहसील सोजत ग्राम बगड़ी में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडो (बिलाड़ा):

156 ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की बीमारियों की रोकथाम व दवाइयों की अव्यवस्था बाबत चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल (जैतारण):

157 राजस्थान पशुपालन तकनीकी कर्मचारी संघ को दिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति न होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत):

158. कोलायत में ऊन के बाजार के लिए स्वतन्त्र कृषि उपज मण्डी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

159. पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बीकानेर क्षेत्र में व्यापक पशु चिकित्सा की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम):

160. कुक्कुट पालकों की होचरी से पैदा होने वाले चूजों के विक्रय की माकूल व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

161. कुक्कुट पालन को गोपालन की तरह कृषि की संज्ञा दी जावे इस हेतु चर्चा के लिये।

162. पोल्ट्री फार्म्स को चारे में राइस पालिश सस्ते भाव में उपलब्ध कराया जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

163. पशु चिकित्सालय खोलने में विभागीय सुझावों को न मानने व मांग के अनुसार व सिद्धान्तों के आधार पर नहीं खोलकर मनमानी करने पर चर्चा के लिये।

164 पशुपालन विभाग के डाक्टरों की सीनियोरिटी का मामला मनमाने ढंग से तय कर देने पर चर्चा के लिये।

165. विभागीय अधिकारियों के खिलाफ चल रही कार्यवाहियों में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये।

166. ग्राम तीतरी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में चल चिकित्सा इकाई खुलवाने व डीडवाना द्वारा स्थापित केन्द्र को बन्द कर देने व ग्रामवासियों द्वारा इस कार्य के लिए बनाये गये भवन का उपयोग नहीं करने पर चर्चा के लिये।

167. ग्राम निम्बी जोधा, सीलनवाद व मीठड़ी तहसील लाडनूं में नियमानुसार जन सहयोग जमा कराने के लिये जनता द्वारा हाँ भरने पर भी चिकित्सालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

168. पंचायत समितियों को दवाइयां नहीं देने पर चर्चा के लिये।

169. भेड़ और ऊन विकास पर खर्च की गई राशि का मूल्यांकन नही करने पर चर्चा के लिये।

170. राज्य दुग्ध निगम में कर्मचारियों की नियुक्ति में मनमानी करने पर चर्चा के लिये।

171. राज्य डेयरी विकास निगम द्वारा बिना किसी नियमों के ही कर्मचारियों

(श्री हरजीराम बुरड़क)

की भर्ती एवं पदोन्नति किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

172. राज्य दुग्ध निगम द्वारा अभी हाल ही में गलत तरीके से डेयरी जनरल मैनेजरों की भर्ती करने पर चर्चा के लिये।

173. जयपुर डेयरी में राज्य दुग्ध निगम द्वारा गलत तरीके से ठेकेदार से मिलकर किराये पर गाड़ियां लगाने में मनमानी करने पर चर्चा के लिये।

174. राज्य दुग्ध निगम द्वारा दुग्ध उत्पादकों का शोषण करने पर चर्चा के लिये।

175 जयपुर डेयरी के लिये राज्य दुग्ध निगम द्वारा की जा रही खरीद में किये जा रहे घोटालों पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नांवा) :

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

176. पशु चिकित्सालय नालोट, तहसील नांवा, जिला नागौर को बिना किसी कारण से वहां से अन्य जगह हटा देने के सबध में चर्चा के लिये।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां) :

177. गांवों में पशु चिकित्सालय के अभाव होने से पशु धन दिनों दिन घटता जा रहा है उसके संबंध में चर्चा के लिये।

178. गांवों में पशुपालन विभाग द्वारा जानवरों में बीमारियां होने पर उनका समय पर उपचार नहीं करने से होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

179. डेयरी विकास के अन्तर्गत रोहट पंचायत समिति में वायद से चेंडा और चेंडा से मांडावास के लिये विभाग द्वारा सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम में व्याप्त भ्रष्टाचार व छोटे कर्मचारियों में भारी असन्तोष पर चर्चा के लिये।

181. दूध की कीमत डेयरी विकास विभाग द्वारा कम देने के कारण पशु-पालकों को आर्थिक नुकसान होने पर चर्चा के लिये।

श्री अयूब खां (तिजारा):

182. पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालन पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम):

183. भीम व देवगढ़ में चलाये जा रहे पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल अरवड़ (परवतसर):

184. परवतसर पशु मेला के विकास एवं परबतसर मकरी में पशु चिकित्सालय की व्यवस्था कराने के संबध में चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

185. पशु चिकित्सा विशेषज्ञों को उचित स्थान व उचित कार्य दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

186. पशु चिकित्सा विशेषज्ञों का प्रमोशन योग्यता के आधार पर करने हेतु चर्चा के लिये।

(92)

(श्री हरजीराम बुरड़क)

187. पशु चिकित्सा में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों को उनकी चिकित्सा योग्यता का लाभ उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री विजयसिंह नवेरा (बांदीकुई) :

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी):

188. पशु चिकित्सा के विस्तार और उस पर आने वाली अड़चन पर चर्चा के लिये।

189. पशुपालकों की कठिनाइयों को दूर करने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ?

पांच मिनट से अधिक कोई नहीं बोलें। 190 कट मोशन्स हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : काफी तो चले गये।

श्री हरचंद सिंह हमारे कट मोशन्स पीछे रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष । आपको सजग और विजिलेंट होना चाहिये। सर्वप्रथम आप कट मोशन्स दीजिये, आपका नाम आयेगा। मैं इस विवाद में नहीं पड़ सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय ग्राम सुधार के लिये एक व्यापक आन्दोलन राजस्थान में किया जाना आवश्यक है। हम गांवों में ग्राम विकास केन्द्र बनायें और ग्राम विकास केन्द्र के लोगों को सिचाई की सुविधा, बीज की सुविधा, तकनीकी व अन्य प्रकार की सुविधायें-सहूलियतें मिलें, यह मेरी पहली मांग है।

दूसरी मेरी मांग यह है कि सारे राजस्थान का इस दृष्टि से सर्वे कराया जाये कि कौन-कौन से कृषि आधारित उद्योग राजस्थान में पनप सकते हैं। कृषि से सम्बन्धित उद्योग पनप पायेंगे तो गांव के नौजवान, जो खेती में काम करते हैं, शहर की तरफ नहीं आयेंगे। गांवों की सारी युवा शक्ति खेती के बाद, उद्योग में लग जायेगी। राजस्थान में कृषि सिचाई और राजस्व विभाग के समन्वय का अभाव है। इसके लिये एक समिति बनाई जानी चाहिये और कृषि संबधी समस्याओं को हल किया जाना चाहिये। राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश है, रेगिस्तानी इलाके में किस प्रकार से खेती की जानी चाहिये, इसके लिये एक विशेषज्ञ समिति बनाई जानी चाहिये। वह समिति एडवाइस करे उसके अनुसार खेती को पनपाने का काम राजस्थान सरकार को करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विस्तार योजना 17 जिलों में लागू की गई है। इसमें गति नहीं आई है। गति आना आवश्यक है।

दुर्गापुरा में एक अधिकारी हैं जिनको 1-4-77 से एबजोर्ब कर लिया गया। उनका वेतन सरक्षित रहना चाहिये, जो विश्व विद्यालय में यू. जी. सी. ग्रेड दी गई वह उनको मिलनी चाहिये। 1-4-76 तारीख की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है और कोशिश यह की जा रही है कि 1-4-76 हो जाये। उनकी डेट 1-4-77 ही रहनी चाहिये। उनका वेतन संरक्षित रहना चाहिये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दूसरी जो आज की मांग है पशुपालन की उसके बारे में मेरा आपसे यही निवेदन है, पशुपालन को राजस्थान में उद्योग घोषित कर दीजिये । यदि पशुपालन उद्योग घोषित हो जायेगा तो यहां श्वेत क्रान्ति आ जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कच्चे माल लोहा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी अन्य प्रकार की सड़क की बात नहीं कर रहा हूं, न विजली की प्राब्लम की बात कर रहा हूं, केवल राजस्थान में पीने का पानी , जानवरों के लिये पीने का पानी उपलब्ध हो जाय और मरुस्थलों में पानी उपलब्ध हो जाये तो राजस्थान में हरित क्रांति आ जायगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय न लेकर यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमें पानी देंगे तो हम राजस्थान को दूध देंगे, पानी देंगे तो हम अनाज देंगे, पानी देंगे तो मक्खन मिलेगा, पनीर मिलेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें पानी देंगे तो राजस्थान को अंगूर मिलेगा, गुलाब के फूल मिलेंगे संतरे और पपीते मिलेंगे । हमारी पानी की मांग है। इसी तरह से राजस्थान में पशुपालन को उद्योग घोषित कर दीजिये । लोहे की, बिजली की, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है , हमे पानी दे दिया जाय । यही मेरा निवेदन है ।

एक मेरी मांग है अजमेर के बारे में । अजमेर में एडीशनल डायरेक्टर, पोल्ट्री फार्म का दफ्तर खोला था । अजमेर में हिन्दुस्तान भर में सबसे ज्यादा 150 पोल्ट्री फार्म खुले हुए हैं । इस तर्क से इस विभाग को वहां से हटा दिया गया है कि डिप्टी डायरेक्टर का वहां दफ्तर है । वह गांवों की समस्याओं को देखता है, शहर की समस्याएं नहीं देखता। यही मांग करूंगा कि इस बात का सर्वे कराया जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिंचाई और कृषि के लिये एक ही मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिये क्योंकि सिंचाई का कृषि विभाग से तालमेल है । केन्द्र में दोनों मंत्रालय एक मंत्री के पास हैं ।

यही बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा :

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। राजस्थान का काफी हिस्सा भी खेती पर निर्भर करता है। राजस्थान में 78.60 लाख हैक्टेयर में बुआई की जाती है । इस क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। जो वन विभाग की भूमि खेती के उपयुक्त है, वह खेती के लिये दे देनी चाहिये । उसको खेती में परिवर्तित कर देना चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी, जिस तरह इज्रायल में कम पानी से खेती की जाती है उसी तरह का प्रयोग करके खेती का विस्तार किया जाना चाहिये । मरु क्षेत्र में हम खेती किस तरह ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, इसका ज्ञान किसानों तक पहुंचाना चाहिये और इसके प्रचार-प्रसार पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मेरा निवेदन है अनुसन्धान केन्द्रों की जानकारी अभी तक किसानों तक नहीं पहुंच रही है । माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने बीज निगम की घोषणा की थी , वह अभी तक

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

घोषणा ही है। इसका इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिये। डी.पी.ए.पी. आदि कार्यों के लिये जितने पैसों का प्रावधान होता है, कहीं पर वह पैसा लैप्स हो जाता है। उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी, खेती के काम में आने वाले पशुओं के बिना खेती नहीं हो सकती है इसलिए पशुपालन के कार्य को इन्डस्ट्री घोषित किया जाय, यह मेरा निवेदन है। मैं निवेदन करना चाहती हूं, खेती और पशुपालन के लिये पानी एक प्रकार का रा-मेटीरियल है। अर्थात इनका विकास पानी पर निर्भर है इसके लिये जरूरी है कि पानी संरक्षित हो। संरक्षित का तात्पर्य यह है कि वरसात का पानी हमारे यहां एकत्रित करने का पर्याप्त साधन नहीं है। उसको संरक्षित किया जाना चाहिये और जो पानी अन्य तरीके से दे सकते हैं वह देना चाहिये। जब तक पानी नहीं दे सकते हैं तब तक कृषि, पशु पालन, मत्स्य पालन, डेयरी योजना हमारी सफल नहीं हो सकती है और इनके बिना हमारे उद्योग नहीं पनप सकते हैं। मेरा निवेदन है इनके विकास के साथ-साथ गोबर गैस प्लान्ट भी लगा सकते हैं। यदि पानी होगा तो स्थानीय धन्धे पनप सकते हैं और श्वेत क्रान्ति और हरित क्रान्ति सफल हो सकती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, जहां पशु धन है वहां चिकित्सालयों की सु-व्यवस्था होनी चाहिये। गांवों में खेती होगी, पशु होंगे वहां पशु बीमार भी होंगे। वहां से पशुओं को पशु चिकिसालय में लाने में काफी दुविधा होती है। इसलिये मेरा निवेदन है, पचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय उपलब्ध किये जाने चाहिये और तहसीलवार पशु चिकित्सालय खोले जाये चाहियें। मैं निवेदन करूंगी, पशु भानपुर से जयपुर और रामगढ़ से जयपुर लाने में काफी दिक्कत होती है इसलिए साईवाड में पशु चिकित्सालय और खोला जाना चाहिये।

इसके साथ ही निवेदन करूंगी, इन क्षेत्रों में कृषि कालेज खोला जाना चाहिये ताकि किसानों को कृषि का समुचित ज्ञान हो। यह बहुत अच्छी बात है कि गरीबों के लिये अन्त्योदय योजना स्वीकार की गई है। इसी तरह पशु पालन और खेती को बढ़ावा देकर कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसके लिये भी कोई योजना होनी चाहिये। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये कि कौन-कौन से पशुओं को पनपा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं और खेती को कैसे बढ़ाया जा सकता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, हमारी सरकार को मांस का कारखाना नहीं खोलना चाहिये। एक ओर तो पशु बली का निषेध किया गया है और दूसरी ओर आप मांस के कारखाने को बढ़ावा देते हैं। यह कतई उचित नहीं है। जो अलवर में मांस का कारखाना खोला गया है, वह खोला ही नहीं गया है बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाने के लिये जो कहा गया है। यह सरासर गलत है। इस तरह राजस्थान में पशुओं की हत्या करने के लिये लाइसेन्स नहीं दिया जाना चाहिये।

जो पशु मेले किये जाते हैं, यह परम्परा बहुत अच्छी है लेकिन इनमें कितनी अनियमिततायें होती हैं, इसको भी आप देखें। पिछले दिनों मेलों में भारी अनियमितताएँ हुई हैं। उनकी जांच होनी चाहिये और साथ ही आगे आने वाले समय में यह घटना न घटे, इसका भी पहले से प्रबन्ध कर देना चाहिये,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि और पाले से खेती का नुकसान होता है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसका बीमा किया जाना चाहिये जिससे जितनी उत्पादन में जो क्षति हो, उसकी पूर्ति हो सके। मैं निवेदन करना चाहूंगी, हमारे यहां अकाल बराबर पड़ता रहता है और अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा ओलों से खेती को काफी नुकसान होता है इसलिए बीमा योजना को लागू किया जाना चाहिये। यह बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, खेती का कीड़ों से समय पर बचाव कर सकें इस तरह की जानकारी हमें गांवों में देनी चाहिये।

दूसरे किसानों से हम उसी दर पर गेहूं ले रहे हैं जिस दर पर कांग्रेस सरकार लेती थी। इस तरीके में बदलाव आना चाहिये। 130 रुपये से लेकर 136 रुपये क्विन्टल में सरकार सस्ता गेहूं बेचे। जो व्यावहारिकता है 31 रुपये ज्यादा लेने की वह नहीं होनी चाहिये।

मैं निवेदन करूंगी, कृषि उपज मण्डी के बारे में प्रस्ताव रखा गया था उस पर सरकार ने अनियमितताओं के बारे में जानकारी दी है। इस विभाग में जितना घोटाला हुआ है, उसकी हद नहीं। उसकी पूरी जांच होनी चाहिये। उसके ड्राइवर और जीपों का कितना दुरुपयोग होता है, इसकी मेरे पास विस्तृत जानकारी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं अभी समाप्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जल महल में भूमि है। 40-50 व्यक्तियों के खेत पानी में डूबे हुए हैं। मैंने बार-बार कहा है लेकिन अभी तक पानी निकालने की कोई योजना शुरू नहीं की गई। इससे भूमि का काफी नुकसान हुआ है। यदि सरकार पानी नहीं निकाल सकती है तो उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि तत्काल पानी निकाल कर खेती को सुरक्षित किया जा सके।

इसके साथ मैं निवेदन करूंगी, इस विभाग में जितनी सर्विसेज में प्रमोशन आदि में अनियमितताएं हुई हैं, उनकी भी आप पूरी जानकारी लेकर सही ढंग से उचित कार्यवाही करके पदोन्नति करें। इसके साथ ही अन्तिम रूप से कह रही हूं।

न त्वह कामये राज्य न स्वर्ग ना पुनर्भवम
कामये दुःख तप्तानां प्राणिनाम आर्ति नाशनाम्।

मैं निवेदन करूंगी मैंने कल एक प्रस्ताव रखा था और वह प्रस्ताव है गरीब लोगों को तीन रुपये न दिये जाकर ज्यादा पैसे दिये जाने चाहिये। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस बात की गंभीरता को नहीं समझा और जल्दी में पांच रुपये....

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात कह लेने दीजिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पांच रुपये क्यों ? मैं सदन में घोषणा करती हूं कि बिलकुल पैसा नहीं लूंगी। इस बात को मान करके पांच रुपये निश्चित करने की घोषणा करें। मैं अपनी बात पर टिकी रहूंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी को भी अपनी बात पर टिके रहना चाहिये। इस तरह के प्रश्न को सदन में हल्की फुल्की बात कह कर टालना नहीं चाहिये। उन्होंने कहा, उजला अरोड़ा पांच रुपये लेना स्वीकार करें। मैं कहती हूं एक पैसा भी नहीं लूंगी। गरीबों के लिये तीन रुपये से अधिक का प्रावधान करें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था करें।

श्री परसराम मदेरणा : पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन। माननीय सदस्या किस बात पर दावा करती है कि मुख्य मंत्री जी पांच रुपये देंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने यह निवेदन किया था कि सदन के अन्य सदस्यों को भी वे तीन रुपया दें, यदि वे उचित समझते हैं कि मेहनतकश लोगों के लिये तीन रुपये काफी हैं। शेष बात तो इसके अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने तीन रुपये की बात कही थी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं अभी बाहर गया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। समय का भी ध्यान रखें। आपने टर्न मिस कर दिया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : दो मिनट दे दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मांग रहे हैं, तो दे दो इनको भी दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : खेतसिंहजी जैसे विधायक सुझाव दे रहे हैं तो लो दो मिनट।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सुझाव तो आपके सामने काफी आए हैं और काफी आयेंगे। मैं तो एक छोटा सा मामला प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1973 से आज तक एक चीज चल रही है जो आपके सामने रखता हूं। एक जीप है उस जीप का नम्बर है आर. आर. एल 9444। इस जीप का चालान हुआ और शीप एण्ड वूल के ड्राइवर का चालान हुआ। उसका चालान नम्बर है 4943/76/1973 में यह मामला चला और अदालत में बदलते बदलते 1976 हो गया उसमें पांच रुपया ड्राइवर पर जुर्माना हुआ। अपराध यह है कि इस जीप का जो नम्बर है इस नम्बर से आलरेडी रजिस्टर्ड है एक स्कूटर। यह मेरे पास में सर्टीफाइड कापी है जो रजिस्टरिंग अथोरिटी ने इन्फार्मेशन दी है वह मेरे पास है। यह इन्फार्मेशन उन्होंने 4-3-78 को ही दी है कि यह बजाज स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नम्बर है आर. आर. एल. है 9444/इसके मालिक का नाम है श्री हीरालाल सन आफ श्री पूनमचन्द बिश्नोई, डिप्टी स्पीकर, सिविल लाइन्स, जयपुर....

(व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई : इसका इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं तो अभी आगे बोला ही नहीं हूं। अच्छा, पूनमचन्दजी का नाम आ गया इसलिए आप चौंक गए।

तो यह प्रश्न पैदा होता है कि एक ही नम्बर की दो व्हीकल कैसे हो सकती हैं। अदालत ने उनके कागजात मंगाये। कागजों को देखने से मालूम हुआ कि शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट के तत्कालीन डायरेक्टर की पत्नी यह जीप फर्जी नाम से चला रही हैं। मेरा निवेदन है कि जो श्री रामचन्द्रन साहब हैं और मुख्य मंत्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप यह क्या कह रहे हैं ? आप भूमिका बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कृषि विभाग में किस तरह से अनियमिततायें होती हैं, किस तरह से जीपों का मिसयूज होता है, उसके बारे में बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विश्लेषण हो रहा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, बुद्धिमान लोग अपनी बात को जल्दी समझा देते हैं। मेरा जैसा आदमी देर से समझा पायेगा, इसके लिए क्षमा किया जाय।

मेरा निवेदन है कि शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट का ड्राइवर एक और जीप पर काम कर रहा है जो विभागाध्यक्ष की पत्नी की है जो फर्जी नम्बर से चला रही हैं। मेरा तात्पर्य इतना है कि इस विभाग में किस तरह जीप का मिसयूज होता है। मिसयूज जीपों का होता है और मिसयूज कर्मचारियों का भी होता है। मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं उत्तर देते हुए कहा था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी विभागाध्यक्ष के घर पर काम करते हुए पकड़ा गया तो छापा मरवा कर कार्यवाही की जावेगी। मेरा निवेदन है कि इस तरह से जब अदालत में यह बयान मौजूद है, बयान सिद्ध हो चुके हैं तो प्रमाणित केस के आधार पर आप विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करें ताकि भ्रष्टाचार समाप्त करने की जो बात कही जाती है, वह सरकारी विभागों से समाप्त किया जा सके। जो कर्मचारी विभागाध्यक्षों के घरों पर काम करते हैं.

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

उनकी पत्नियों की फर्जी नम्बर की जीपें चलाते हैं, वे लोग इन कामों को छोड़ कर विभाग का जो काम है, उसमें लग सकें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि यहां कृषि भूमि के बारे में बड़ा ही हल्ला होता रहा है कि बीस सूत्री कार्यक्रम में दो-दो बीघा जमीन दे दी। दो-दो बीघा जमीन देकर घोषणा की गई कि उन्होंने पिछड़े वर्ग को खेतीहर बना दिया, किसान बना दिया। अब दो बीघा जमीन से, मान्यवर, कोई व्यक्ति क्या पेट पाल सकता है ? मेरा यही निवेदन है कृषि मंत्रीजी से कि इस तरह के जो आवंटन हुए हैं भूमि के उन आवंटनों को देख कर और भूमि आवंटित करने की व्यवस्था करें ताकि वे कृषि के माध्यम से अपना पेट पालन कर सकें।

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, जब से सरकार बदली है तब से आज तक कृषि भूमि को एक्वायर नहीं किया है। जब तक नई भूमि को हल के नीचे नहीं लायेंगे तब तक खेती की बढ़ोतरी नहीं होगी। मेरा कृषि मंत्रीजी

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

से निवेदन है कि ऐसी जो कृषि योग्य भूमि है जो हल के नीचे लाई जा सकती है उसको लाने की चेष्टा करें ताकि हमारा कृषि उत्पादन बढ़ सके।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद !

(अनुपस्थित)

श्री ओमप्रकाश शर्मा !

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिला राजस्थान में कृषि के मामले में अद्वितीय माना जाता है। बूंदी में जमीन पर कार्य चल रहा है सी. ए. डी. के माध्यम से, जहां-जहां पर सी. ए. डी. के माध्यम से कार्य चालू हुए हैं वह वहीं पर चल रहे हैं जहां पर पहले से ही जमीन समतल है। समतल जमीन को फिर समतल कर रहे हैं लेकिन जो जमीन समतल नहीं है उसको समतल करने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमि समतल नहीं हैं उसको समतल किया जावे।

इसी प्रकार बूंदी क्षेत्र में जमीन नहरों से सिंचित होती है वह जमीन सीपेज के कारण खराब होती जा रही है। अतः सीपेज को रोकने के लिए ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे भूमि सीपेज से खराब न हो और उसका उपजाऊपन बना रहे। इसी प्रकार जहां पर सीपेज होता है उसके सहारे-सहारे पेड़ लगाए जावें जिससे सीपेज के पानी से पेड़ पनप सकें और जमीन सीपेज से खराब होने से बच सके। इसी प्रकार से जहां पर सड़कें हैं वहां सड़कों के सहारे पेड़ लगाए जाने चाहिए जिससे सड़कें भी एक दो वर्ष में सीलन के कारण बैठ जाती है वह बच सकें।

इसी प्रकार जहां असिंचित भूमि है, उसे सिंचित करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। बूंदी क्षेत्र में ग्यारह हजार एकड़ जमीन असिंचित है उसको सिंचित करने के लिए शीघ्र ही योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो, जैसा लूणकरणसर में लिफ्ट सिस्टम से किया है। योजना अच्छी है लेकिन उस क्रियान्वित योजना को करने में ही दस वर्ष का टाइम लग जाएगा। इसलिए जहां पर आबादी है वहां पर यह योजना लागू करके जल्दी से जल्दी सिंचाई की व्यवस्था की जावे ताकि काश्तकारों को लाभ हो सके और अधिक अन्न उपज सके।

इसी प्रकार से प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समिति के द्वारा जो कर्जा दिया जाता है उसके नियमों को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। जहां पर नहरें नहीं है वहां पर कुए खोदने के लिए कर्जा दिया जाता है ऋणदात्री समिति द्वारा लेकिन काश्तकारों को ऋण प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होती है। एक-एक किसान दो-दो महीने तक घूमता रहता है। उनको मैनेजर से मिलना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, उसके बाद लोन दिया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से योजना लागू की जाय कि किसानों को कर्जा लेने में दिक्कत नहीं हो।

इसी प्रकार से खाद, बीज कीटनाशक दवाइयां दी जानी चाहिए जिससे कि जो फसलें चूहे और अन्य कीड़े फसल को नष्ट

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

कर देते हैं, उस फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके। इसी प्रकार से कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता मण्डल बनाया जाय जो उसकी देख-रेख कर सके।

(12.56 मं0 प0)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति,पीठासीन)

बूंदी कृषि में द्वितीय स्थान रखता है वहां कृषि विद्यालय खोला जाय।

इसी तरह से बूंदी जिले में बहुत से गांव हैं जहां कुएं हैं, नहरें नहीं है, वहां पर बिजली की आवश्यकता है। बिजली की व्यवस्था होने से इन गांवों के किसान आसानी से काश्त करके उपज बढ़ा सकते हैं। ऐसे गांवों में कुछ महत्वपूर्ण ग्राम हैं सिलौर, रघुवीरपुरा, मंगाल, नीम का खेड़ा खोणियां, दयलाना वगैरह-वगैरह।

इसी तरह से पशुपालन पर भी मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पशुपालन को इन्डस्ट्री घोषित किया जावे जिससे पशुपालन में लाभ हो सकेगा।

इसी प्रकार से कोटा अस्पताल खोलने की मंत्रिमण्डल ने घोषणा की थी और वायदा किया था कि इसी वर्ष अस्पताल खोला जाएगा। मेरे क्षेत्र में गरड़दा, डोरा, लाम्बाखोर, नीम का खेड़ा ऐसे गांव है जहां पर गूजर लोग रहते हैं। वे लोग जानवर पालते हैं। इन्हें वहां से बून्दी आना पड़ता है। अगर वहां पर अस्पताल खुल जावे तो मैं समझता हूं कि जो पशुपालकों को लाभ देने की बात करते हैं इससे वास्तव में उनको बहुत लाभ होगा। पशु बिना दवाइयों के मर जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि वहां पर अस्पताल खुलवाया जाये। मन्त्रि-मण्डल ने घोषणा की थी कि लाम्बाखोर में शीघ्र ही अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। फिर आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि गरड़दा, डोरा, लाम्बाखोर नीम का खेड़ा ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसी जगह हैं जिनके आस-पास पचासों गांव हैं वहां पर अस्पताल अति आवश्यक रूप से खोले जाने चाहिए ...

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: सभापति महोदय; आधा मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

जहां पर साधारण सी जमीन है, सामान्य वर्षा होती है वहां ऐरिड जोन के लिए उपयोगी टैक्निक का प्रयोग करके फसल लेने का प्रशिक्षण देना चाहिए तथा आवश्यक साधन, सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री रामकरणसिंह !

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और बनावट के हिसाब से राजस्थान में हर तरह की जलवायु और मिट्टी है मगर अफसोस है कि इस मिट्टी और जलवायु को हम काम में नहीं ले सकते हैं पैसा भी काफी अधिक खर्च करते हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना पैसा इसके एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च करते हैं, उतना आप किसानों को औजार, खाद, बीज और दूसरी जरूरी

(श्री रामकरण सिंह)

उपयोगी चीजें पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं। आपका ग्राम सेवक है और ऊपर से नीचे तक आपके जितने अधिकारी हैं, वे जहां भी मुख्यालय हैं, चाहे तहसील का मुख्यालय हो, चाहे पंचायत समिति का मुख्यालय हो, चाहे जिला का मुख्यालय हो, चाहे आपकी राजधानी का मुख्यालय हो; वहीं पर रहते हैं। इसके अलावा डाक बंगले, रेस्ट हाउस में रहते हैं। वे किसान तक नहीं पहुंचते है। यह गलतफहमी है कि आपका ग्राम सेवक किसान तक पहुंचता है। जिसको कि आप गांव में रखते हैं वह गांव के किसानों के पास नहीं पहुंचता है। आपका जो जिला कृषि अधिकारी है, आपकी तहसील में जो दूसरे लोग हैं, जिनका कृषि से सम्बन्ध है, वे भी किसानों तक नहीं पहुंचते हैं। वे किसानों से बात करना भी पसन्द नहीं करते हैं। कृषि के बारे में कई योजनाएं हैं। इन योजनाओं के लिए आप काफी पैसा देते हैं परन्तु किसान को कुछ लाभ नहीं होता है। आपका कोई सहायक सेक्रेटरी है जिसको पिछले दिनों आपने विशेष प्रस्तावों की क्रियान्विति के लिए जिले में तैनात किया है। उनके बारे में, सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि उनकी 50 बार कार इधर से उधर कोर्ट में दौड़ती रहती है। वे किसान से, किसानों के जन प्रतिनिधियों से, पंचों से, सरपचों से कोई बात नहीं करते हैं। केवल रेस्ट हाउस में ठहरते हैं। किसानों को वे उपलब्ध नहीं होते हैं। इस तरह से क्या खेती की तरक्की होगी ? इस ढंग से आप इन अधिकारियों को रख रहे हैं। सरकार खेती के नाम पर इन अधिकारियों को ऐशो आराम के साथ रख रही है। किसानों ने उनका नाम कभी नहीं सुना। आप किसानों को टाइम पर बीज नहीं देते हैं। किसानों के लिए कोई तजवीज समय पर नहीं करते हैं। उनके नाम की फर्जी लिस्ट बना ली जाती है। कुछ लोगों को ओबलाइज करते हैं। उनका धान बीज के लिए खरीद कर और उस पर अपनी मोहर लगा कर किसानों को महंगे भाव पर मुहय्या करते हैं। इस प्रकार आप कुछ लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है लेकिन इस प्रकार किसानों का आप मखौल उड़ाते हैं। उन पर कोई तवज्जह नहीं दी जाती है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। वे आपस में बात कर रहे हैं। पहले वे बात कर लें, उसके पश्चात् ही मैं बोलूंगा....

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, कृपया बात न करें।

श्री रामकरणसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसानों के पास पशु हैं। उनके पशुओं के लिए किसी भी तरह की औषधियां नहीं हैं। किसान खेती करता है तो उसे पशु की भी जरूरत होती है। इसलिए यह जरूरी है कि उनके पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। एक तहसील में मामूली सी डिस्पेन्सरी देकर आप उसको पूरी सुविधा नहीं दे रहे हैं। किसान का यह कितना बड़ा धन है। गाय, बैल, भैंस, बकरी किसान की जीविका का आधार है। आप प्रदेश में श्वेत क्रांति लाना चाहते हैं। परन्तु वास्तविकता क्या है ? असलियत में किस तरह आप किसान की मदद कर सकते हैं, यह आज तक आपके ध्यान में नहीं

(श्री रामकरण सिंह)

है। कृषि मंत्री महोदय, आप देहात के रहने वाले हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप किसानों की वास्तविक स्थिति से परिचित हैं। अगर जनता सरकार भी इसी तरह से कार्य करती रही जैसे पिछली सरकार करती रही तो किसानों का उत्थान नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन मुद्दों पर सोचिए, इनको गंभीरता से लीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहता हुआ स्थान ग्रहण करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय सभापति महोदय, खेती देश का आधार है। देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। उसका मुख्य धंधा खेती है। खेती में अगर विकास हुआ तो काश्तकारों के घरों में खुशहाली होगी, काश्तकार खुशहाल होंगे तो गांव खुशहाल होगा। गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा।

सभापति महोदय, तीस साल के अन्दर कांग्रेस ने हरित क्रान्ति चालू की। मैं नहीं चाहता कि ऐसी हरित क्रान्ति जनता पार्टी के राज्य में भी चले क्योंकि इस हरित क्रान्ति का लाभ कुछ-कुछ, मुख्य लोगों को ही मिल पाया। सभापति महोदय, काश्तकार हर वर्ष खेती में खोने के बाद भी खेती करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खेती से उसको फायदा हो रहा है। यह उसका पैतृक धंधा है। इसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा धंधा नहीं है। परन्तु इस खेती के धंधे का विकास नहीं हुआ है इसलिये देश विकास नहीं कर पाया है। जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, चाहे कितनी ही योजनाएँ आप बनाते रहें। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि मिट्टी के अनुसार फसल की बुवाई हो, इसके साथ-साथ खाद का उपयोग मिट्टी के अनुसार हो। सभापति महोदय, पिछले तीस साल से ग्राम सेवक, कृषि अधिकारी, ये सब लोग गांव में रहते आए हैं मगर ग्राम सेवक कभी भी काश्तकार के पास नहीं गया। ग्राम सेवक तो नेताओं का मोहरा बन कर गांवों में रहता था। ग्राम सेवकों को किसी प्रकार से किसानों से बात करने की फुरसत नहीं होती थी। वे तो नेताओं के मोहरे बन कर गांव में नेतागिरी करते थे। जिस काम से तत्कालीन नेता उन से खुश रहें, वही काम वे करते थे। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्राम सेवक गांव में रहता है, इन ग्राम सेवकों से और कृषि के अधिकारियों व कर्मचारियों से काम लिया जाए और इनके कामों की जांच की जाए। अन्तोगत्वा गांव में क्या हुआ है, इसकी जांच करने की, देखने की जरूरत है।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में पशुधन घटता जा रहा है। देशी खाद की कमी हो रही है। इस खाद की कमी दूसरे खाद से पूरी की जाए। ग्राम सेवक बैठा है उसको काम दिया जाए। देश का उत्पादन जिस ढंग से होना चाहिए, उस ढंग से नहीं हो रहा है। इस कारण उत्पादन कम होता जा रहा है।

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक महत्वपूर्ण सवाल पशुपालन का है....

श्री सभापति : काफी समय हो गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं काश्तकार हूं। काश्तकारों की दिक्कतों को बताना चाहता हूं, इसमें एक दो मिनट ज्यादा भी लगे तो दीजिए। मैं कल नहीं बोलूंगा, परसों नहीं बोलूंगा। इस पर मुझे समय दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गत तीस साल के अन्दर अच्छे बीज के नाम पर काश्तकार को डुबोया गया है। जो कांग्रेस के नेता थे, या उनके नजदीक के लोग थे, उनसे बीज लेकर काश्तकार को दिया गया है। उनका बीज पंचायत समिति के मार्फत काश्तकारों को दिया गया। काश्तकारों को यह बताया गया कि यह उन्नत बीज है। वह बीज देकर काश्तकारों को बरबाद किया गया। मेरे भीलवाड़ा जिले में, पंचायत समितियों के क्षेत्र में पंचायत समितियों द्वारा कितना ही इस प्रकार का बीज बेचा गया है। गत वर्ष, सभापति महोदय, कपास का बीज बेचा गया था। उसमें 8/10 लाख का नुकसान हुआ है....

सभापति महोदय, जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां जमीन का कम पानी से अधिकाधिक उपयोग हो और अधिक उत्पादन बढ़ाया जाये।

जैसा कि मैंने निवेदन किया था, खेती का आधार पशु है। सभापति महोदय, बिना पशुपालन के खेती नहीं कर सकते हैं और बिना खेती के पशुपालन नहीं कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। पशु इसीलिए रखा जाता है कि उससे खाद मिले। मैं चाहूंगा कि पशुपालन का धन्धा इस दृष्टि से अधिक बढ़ाया जाये। अगर यह बात हो गई तो पशुपालन के नाम से उद्योग पनपेगा। फिर कोई कारण नहीं है कि गरीबी नहीं जाये, बेरोजगारी नहीं जाये और उत्पादन नहीं बढ़े। अगर सबसे बड़ी बात हो सकती है तो वह पशु पालन हो सकती है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस व्यवसाय को उद्योग मानकर चलाये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आप भूमिका बहुत बनाते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मांडल में गन्ने की खेती होती है, हर साल उसमें बीमारी होती है। लेकिन चार महीने तक उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस कारण लाखों रुपयों का गन्ना बेकार हो जाता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, ज्योंही बीमारी हो त्योंही उसकी रोकथाम की व्यवस्था की जाये। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी व्यवस्था करनी होगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 30 साल तक हमें रखा गया है, उसी प्रकार से जनता सरकार नहीं रखे। तुरन्त बीमारी की रोकथाम की व्यवस्था हो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक सैकन्ड और।

श्री सभापति : एक-एक सैकण्ड में काफी हो जाता है।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : सरकार की ओर से योजना बनाई जाये कि किस जगह क्या विकास का काम करना है। किस जगह क्या विकास का काम हो रहा है। इस बारे में जिला स्तर, तहसील स्तर पर योजना बने।

श्री सभापति : श्री रघुनन्दन व्यास!

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : सभापति महोदय, आज कृषि और पशुपालन की दो मांगें है। दो मिनट तो लूंगा ही

रानीवाड़ा में डेयरी है, वह दूध खरीदती है। एक वहां मैनेजर है। पहले वहां 20 हजार गैलन दूध होता था। अब ढाई हजार गैलन ही होता है। आसपास के सारे किसान दूध बेचते हैं। महीनों उनको पैसे नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है। मेरा निवेदन है, रानीवाड़ा डेयरी के जो अधिकारी है उनको आदेश देकर जिन किसानों का पैसा बकाया है उनको पैसा दिलायें। वहां पर जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच की जाये।

इसके अलावा जालौर में जो पशु चिकित्सालय बन रहा है, उसको बनते हुए 10 वर्ष हो रहे हैं। यों का यों ही रुपया डूबा है। तो मैं, माननीय सभापति जी, निवेदन करूंगा कि कोई दिन मुकर्रर हो जाये जिस दिन तक वह भवन पूरा हो जाये अन्यथा भ्रष्टाचार को मूर्त कर दीजिए ताकि पाप का मूल भोगना नहीं पड़े।

मैं निवेदन करूंगा कि जालौर और सिरोही जिले में कपास गन्ने और तिलहन की खेती होती है। इस खेती में एक रोग लग जाता है जिसको रोहेड़ा रोग कहते हैं। एक लाख एकड़ में बुवाई होती है। 30 लाख एकड़ में गन्ना होता है। उसमें जिला विकास अधिकारी का कोई सहयोग नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपके आफिसर हैं, यह दारू बेचने का धन्धा करते हैं? सिरोही जिले में इन अधिकारियों का काम दारू बेचने का ही होता है। गन्ना, तिलहन की खेती करने वालों के लिए यह कोई काम नहीं करते हैं।

चौथी बात पशुपालन की है। राजस्थान के अकाल पीड़ित पशुपालक पशुओं को लेकर सभी जगह पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुंचे हैं। यह दुर्भाग्य है कि लाखों की संख्या में राजस्थान की भेड़ गुजरात पहुंचती है, मध्य प्रदेश में पहुंचती है। वर्षों से पहुंचती रही है। लेकिन क्या अब हिन्दुस्तान के टुकड़े हो गये हैं? आज राजस्थान की मवेशी को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से रोका जाता है। वहां के पशुपालक मध्य प्रदेश को पैसा देते हैं। लेकिन मानवीय रूप से यह मध्य प्रदेश का अत्याचार है। सन् 1974 में कानून बना कि वहां की सरकार वनों का संरक्षण करेगी। इस कानून का पालन करने से राजस्थान के हजारों पशुपालकों के साथ में क्रूरता हो रही है। मैं आपके माध्यम से पशुपालन मन्त्री को निवेदन करूंगा कि राजस्थानियों और उनके पशुओं के साथ में जिस क्रूरता का व्यवहार हुआ है, वह कम से कम उसकी देखभाल करें। राजस्थान, मध्य प्रदेश क्या एक देश के अंग नहीं हैं? हजारों-हजारों वर्षों से राजस्थान के पशु वहां जाते रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार का पशुपालन विभाग कोशिश करे।

Page No 104

(104)

(श्री रघुनन्दन व्यास)

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि कृषि उपज मंडी सुमेरपुर और शिवगंज में हैं। इनमें दो मील का अन्तर है। जवाई नदी बीच में है। इन दोनों के बीच में चुंगी के प्रश्न पर, टैक्सेशन के प्रश्न पर कोई भेदभाव नहीं होता है। माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि शिवगंज और सुमेरपुर को एक किया जाये।

माननीय सभापति जी, दो मिनट मैं और लूंगा। देर हो गई क्योंकि मुझे अनुभव नहीं था।

सभापति महोदय, मनादर गांव है। वह शिवगंज से 18 मील है लेकिन वहां पहुंचने में 54 मील का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सड़क का कल्याण कर दिया जाये।

भीनमाल में 20 हजार पम्पिंग सैट हैं, वहां का क्रूड ग्रॉयल जोधपुर जाता है। क्रूड ग्रायल के बारे में भयंकर भ्रष्टाचार है, एक किसान को 20 ड्रम क्रूड ग्रॉयल चाहिए। आप भी किसान होंगे ही, सभापति जी। किसानों को हजारों रुपया देना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक प्रश्न और है, सभापति महोदय....

श्री सभापति : I am Sorry.

श्री रघुनन्दन व्यास : सिरोही की उसमें गोचर भूमि है। सिरोही राजमाता ने 8 हजार बीघा भूमि और 50 हजार रुपया गौ शाला के लिए दिया था। आज वहां गौ शाला नहीं है। उस सारी भूमि का फायदा कौन उठा रहा है? मैं पशुपालन मन्त्री से निवेदन करूंगा कि डेयरी बनाकर वह 8 हजार बीघा भूमि कब्जे में लें जिससे कि हमारा हित हो। 8 हजार बीघा भूमि जो लोग दबाकर बैठे हैं, वह उनसे ली जाये ताकि हमारा कल्याण हो।

श्री सभापति : माननीय श्री मूलचन्दजी सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि कृषि उपज मण्डियों के चुनाव करायें जायं। इसके बारे में यदि आवश्यकता हो तो सरकार नियमों में संशोधन भी करे क्योंकि कृषि उपज मण्डियों के चुनाव हो जाते हैं लेकिन गजट में नोटिफिकेशन नहीं हो उससे पूर्व वह कार्य नहीं कर सकती हैं। इसके स्थान पर यह हो जाय कि ज्यों ही कृषि उपज मण्डियों के चुनाव हों, जिस प्रकार से नगरपालिका और पंचायत समितियों के मामले में होता है, उसी प्रकार से वह कार्य प्रारम्भ कर दें।

जहां तक कृषि की बात है मैं निवेदन करूं कि हिन्दुस्तान में हर तरह का बीमा चालू है। एक स्कूटर खरीदने वाला स्कूटर का बीमा कराकर किसी भी अप्रत्याशित घटना से होने वाले नुकसान से अपने को सुरक्षित रख सकता है। इन्सान का बीमा हो सकता है, मोटर और ट्रकों का बीमा होता है, बड़े-बड़े कारखानेदार जो हैं वे अपने बायलर और मशीनरी का बीमा कराकर सुरक्षित हो जाते हैं, जो भी लोग धन्धा करते हैं वह अपने धन्धे को सेफ करने के लिये बीमा कराकर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन, सभापतिजी, कृषि एक ऐसा धन्धा है कि हिन्दुस्तान में और खास तौर से राजस्थान में कृषकों के सामने हर समय

(श्री मूलचन्द सामरिया)

समस्या रहती है कभी भी किसी भी स्थान पर अतिवृष्टि हो गई, कहीं अनावृष्टि हो गई, कहीं पर ओले पड़ गये, कहीं पर शीत लहर आ गई या कहीं पर कोई और अन्य प्राकृतिक आपदा आ गई तो इस की वजह से फसल नष्ट हो जाती है। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी मेहनत से खेती की, चाहे 15–20 दिन ही कटाई में बकाया रहे हों यदि किसी भी क्षण ओला वृष्टि हो जाय या अन्य कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाय तो उसकी वजह से किसान का सर्वनाश हो जाता है। एक बार फसल बरबाद हो जाने के बाद साल भर तक उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां आप और हम, हर पार्टी के सदस्य अपने आपको किसानों का हिमायती कहकर किसान से वोट तो ले लेते हैं लेकिन उस किसान के लिए कुछ करते नहीं हैं। कोई भी करोड़पति सेठ कारखाने की मशीनरी ट्रक और बस, एम्बाला और कैडलॉक गाड़ियों का बीमा करा सकता है। इस प्रकार फसल का बीमा सरकार कर सकती है या कोई भी प्राइवेट कम्पनी कर सकती है। बड़े सेठों से मिलकर ऐसी कम्पनी की स्थापना करनी चाहिए जो कि फसली बीमा लागू करे ताकि किसान को उम्मीद हो, उसको आशा बंधे कि किसी भी हालत में लागत का इतना प्रतिशत तो वापस मिल ही जायगा। किसान को खेती के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, किसान के बच्चे, औरत और मर्द, लड़के, लड़कियां सब मिलकर 12, 14 और 16 घंटे तक काम करते है, खेतों पर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात-सभी मौसम में उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस दृष्टि से देखा जाय तो उसकी मजदूरी 1/–रु. प्रति व्यक्ति भी नहीं बन सकती है। इसी तरह से बड़े–बड़े खेतों में भी एक दो रुपये से ज्यादा मजदूरी नहीं पड़ती है। इसलिये सरकार को कम से कम फसल के बीमा के लिए या तो केन्द्रीय सरकार से बातचीत करनी चाहिए या किसी प्राइवेट कम्पनी से····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बातचीत कर फसली बीमा की योजना हाथ में लेनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अधिक समय नहीं लूंगा। दिये हुए समय में ही खतम कर दूंगा।

मैं निवेदन करूं कि सब-डिवीजन दौसा में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय तो है लेकिन पशुपालन अधिकारी न होने की वजह से वहां पर लोगों को बहुत असुविधा होती है। पशुपालन विभाग का कोई काम हो तो उसके लिए जयपुर आना पड़ता है और कृषि विभाग से सम्बन्धित काम दौसा में ही निबट जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जयपुर में जो दो जिला पशुपालन अधिकारी हैं उनमें से एक जयपुर और इसके आस-पास के काम देखते हैं दूसरे को वहां पर लगा दीजिये। हमारे वहां कृषि अधिकारी का आफिस तो है लेकिन पशुपालन अधिकारी का आफिस नहीं होने से कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इसके बारे में यह भी निवेदन करूं कि जयपुर में ख्वामख्वाह आफिस खोला हुआ है जब कि उसका कार्यक्षेत्र दौसा है। इसलिए इस न्यायोचित मांग को मानते हुए

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की कृपा करें। नये साल से फर्स्ट अप्रैल के बाद इसको दौसा में स्थानान्तरित कर दें तो किसानों को लाभ मिल सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा हर जगह पशु-चिकित्सालय स्थापित नहीं किये जा सकते, इसलिए भ्रमणशील पशु चिकित्सालय होने चाहिये जो गांवों में घूम घूम कर किसानों को जानकारी उपलब्ध करा सकें, पशुओं का इलाज किया जा सके और उनका पैसा बरबाद होने में कुछ हद तक रोक लग सके।

श्री सभापति : माननीय श्री विजयसिंहजी नदेरा।

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, सरकार की कृषि नीति कृषकों को लाभ देने के लिए हो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं कि राजस्थान के कृषि मन्त्री जब केन्द्र में कृषि सम्मेलनों में जाते हैं. कृषि मन्त्रियों के सम्मेलनों में जाते हैं और वहां भावों का सवाल उठता है तो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के सामने वह चुप रहते हैं, मौन रहते हैं और अपनी बात को तथ्यों के आधार पर कमीशन के सामने नहीं रख पाते। आज किसान को जो गेहूं का भाव मिल रहा है, जो फसल का भाव उसको मिलता है वह बहुत कम है। कितना फसल पर खर्च होता है उसके आधार पर केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी बात को तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ नहीं रख पाते इस लए कृषकों को नुकसान होता है। राजस्थान सरकार कृषकों का क्या हित-चिन्तन करेगी जब कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और केन्द्रीय सरकार के सामने बिलकुल मौन रहती है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि मन्त्रियों का सम्मेलन होने वाला है, काश्तकार की फसल गेहूं की प्राइस तय की जाने वाली है अन्य जिन्सों की प्राइस तय की जाने वाली है तो कृषि मन्त्री महोदय को चाहिये की स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर वहां अपनी बात को कहें कि भाव 125/-से कम नहीं होना चाहिए इसके अतिरिक्त मैं आपको निवेदन करूं कि कृषि के मामले में सरकार का जिस तरह का रुख रहा उसके कारण आज से पहले तीस साल तक काश्तकारों को जो लाभ मिलना चाहिये था वह लाभ उनको नहीं मिला। उसका ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि एक तरफ जो कृषि से संबन्धित कर्मचारी हैं वह इस पर विचार नहीं करते, उनको कृषि से सम्बन्धित ज्ञान नहीं है, वे सर्व साधन-सम्पन्न व्यक्ति हैं, वे राजधानी के महलों में बैठ कर चिन्तन करते हैं, व्यवहार में खेतों पर जाते नहीं, खेतों पर चिन्तन नहीं करते, किसान किस प्रकार से खेती करते हैं किसान का कितना मूल्य लगता है इस पर वे विचार नहीं करते। यही कारण है कि 33 करोड़ की जो कृषि विस्तार योजना 1975 में आरम्भ हुई थी वह इतनी बोगस और इतनी बुरी है कि किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सका। 33 करोड़ की यह योजना केवल कर्मचारियों को लाभ देने के लिए है। एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई है, कृषि विस्तार अधिकारियों की। कई कर्मचारी और बढ़ाये जायेंगे। कर्मचारियों पर खर्चा होगा और किसानों को लाभ नहीं होगा। भाषण देने से किसानों को लाभ नहीं होगा, पेम्फलेटबाजी करने से किसानों को लाभ नहीं होगा।

(श्री विजयसिंह नदेरा)

कुछ भी किसानों को लाभ नहीं होता है। किसानों को यह ज्ञान है कि किस तरह से अपनी फसल को बढ़ाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे मिल सकता है यह वस्तुस्थिति किसान की समझ में आ जाय तो इस योजना की तरफ वह आकृष्ट होगा और उत्पादन बढ़ायेगा। इस 33 करोड़ की योजना में वर्ल्ड बैंक का पैसा लगा है। न पानी का सवाल पैदा होता है। इस योजना की तरफ वे किसी तरह से आकृष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें केवल आपने कृषि विस्तार अधिकारियों के भाषण देने की व्यवस्था की है, और पेम्फलेटबाजी की व्यवस्था की है। न तो इसमें खाद का सवाल है, न बीज का सवाल पैदा होता है। न पानी का सवाल पैदा होता है। जब यह सवाल इसमें नहीं है तो किसान का किस प्रकार से इससे भला होगा? मेरी यह बात समझने की कोशिश करें। आप बतायें और इस बात को स्पष्ट करें कि इस योजना के दो साल तो निकल गये और तीन साल बाकी रहे हैं तो तीन साल निकलने के बाद में इन हजारों कर्मचारियों की तनख्वाह आप कहां से देंगे? ब्याज से रकम लेकर कर्मचारियों की व्यवस्था कर रहे हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस योजना के अतिरिक्त भी किसानों के साथ किस तरह से अन्याय होता है। सन् 75 में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में खाद की आवश्यकता थी लेकिन राज्य सरकार ने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि कोई भी कम्पनी वहां पर किसी तरह का खाद नहीं मंगा सकती। तीन साल पुराना और चार साल पुराना जो खाद था उनके पास उसके ठेले लगवा कर उसको बिकवाया गया बाजार भाव से ...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री विजयसिंह नदेरा : मैं यही बता रहा हूं कि जो खाद मार्केटिंग सोसायटी के पास था। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उसके लिए अधिकारियों ने यह तय किया था कि खाद की जितनी क्षमता हो उस क्षमता के आधार पर उसकी रेट तय की जाय। लेकिन वहां के कृषि विस्तार अधिकारियों ने सरकार के कहने पर उसकी क्षमता नहीं देखी। यह जो गलती हुई है इसके कारण से काश्तकार के साथ अन्याय हुआ है। काश्तकारों को कई सालों का पड़ा हुआ खाद खरीदना पड़ा और बाजार भाव से भी 7·8 रुपया ज्यादा उस मिट्टी का देना पड़ा। इसके अतिरिक्त....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट और लेना चाहूंगा।

मैं कृषि उपज मण्डियों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। श्री मूलचन्दजी सामरिया ने चुनाव के सम्बन्ध में कहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का कृषि उपज मण्डियों का जो दृष्टिकोण था उससे वह बिल्कुल हट गई है। इस प्रयोजन के लिए कृषि उपज मण्डियां कायम की गई थीं कि किसानों को अपने उत्पादन की ठीक रेट मिले, बाजार की व्यवस्था मिले। वहां पर ढेरी कर दी जाती है और 10 आदमी आते हैं वह भाव लगाना जानते हैं या नहीं जानते हैं वह लोग नीलाम करते हैं। वह नीलाम करके ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे कि किसानों को कम मूल्य

(श्री विजयसिंह नदेरा)

मिलता है। यह जो कम मूल्य मिलता है वही किसान के लिए नुकसानदायक और घाटे का धन्धा है। इसलिए कृषि उपज मंडियों को केवल सड़क बनाने का माध्यम मत बनाइये, केवल भवन कार्यालय बनाने का माध्यम मत बनाइये, बल्कि कृषि उपज मण्डियों को इस चिंतन की तरफ ले जायं कि किसी तरह से किसान को अपनी उपज का ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। उसके लिए ग्रेडिंग होना चाहिए, उसका एक हिसाब तय होना चाहिए कि यह माल इतने रुपये में जायेगा। किसान को मालूम होना चाहिए कि इस माल की कीमत यह है और मैं इस भाव में बेचूंगा। इस बात की व्यवस्था करने के लिए कृषि उपज मण्डियों को और कृषि विभाग को चिन्तन करना चाहिए। सड़क बनाने की बात कम की जाय, मैं इसके लिए नहीं कहता हूं लेकिन इस चिंतन से कृषि विभाग को हटना नहीं चाहिए। ऐसे कृषि विस्तार अधिकारियों को, जिन्हें प्रेक्टिकल ज्ञान हो, जो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस समस्या को समझते हों, लगाना चाहिए।

बातें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन अब समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरी मजबूरी है।

माननीय श्री रामसिंहजी विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापतिजी, कृषि और पशुपालन दोनों का आपस में चोली और दामन का साथ है बिना एक दूसरे के यह घाटे का धन्धा है। यों तो कृषि और पशुपालन दोनों ही धन्धे घाटे के हैं। फिर भी दोनों को एक साथ नहीं किया जाय तो राजस्थान में क्या हिन्दुस्तान का किसान और पशुपालक दोनों में से किसी एक के अभाव में घाटे में रहता है। यह मेरी मान्यता है।

माननीय सभापति महोदय, डेयरी के सम्बन्ध में कुछ मेरे विचार व्यक्त करना चाहूंगा। राजस्थान में आज डेयरी का विकास जिस भावना से हुआ वास्तव में वह हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। जहां एक ओर पश्चिमी राजस्थान के अन्दर डेयरी किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं, वहां दूसरी ओर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पश्चिमी राजस्थान में डेयरी विकास निगम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और बड़े-बड़े शहरों के लिए एजेन्ट का काम करता है। वह पशुपालकों का शोषण कर रहे हैं। सेन्टरों के अन्दर जो दूध इकट्ठा किया जाता है उसको वह ले जाते हैं तो जितनी कीमत पशुपालकों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। मान्यवर, यह जीता-जागता उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूं कि दूध आज किसान और पशुपालकों के घर में दो रुपया प्रति लीटर पड़ता है। उस दूध की उनको केवल आठ आना 10 आना, 12 आना और एक रुपया प्रति लीटर कीमत मिलती है। वहां पर कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मान्यवर, गांव का किसान और गांव का पशुपालक न तो हिसाब रख सकता है और न उसे मालूम है कि गाय और भैंस के ऊपर कितना खर्चा पड़ता है, गाय को खिलाने के लिए किस-किस किस चीज की जरूरत है। उसको तो जल्दी पड़ी रहती है कि जोधपुर, बीकानेर,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

और जयपुर, जहां पर डेयरी लगी हुई है, दूध शीघ्र पहुंचाया जाय। वहां के अधिकारियों, और कर्मचारियों को यह जल्दी रहती है कि जल्दी से जल्दी हम दूध ले जायें। मान्यवर, दिल्ली के बड़े-बड़े रईसों के लिए डेयरी का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रान्त में पशुपालकों के हित में डेयरी का प्रादुर्भाव नहीं किया गया है। गांव के गरीब आदमियों के लिए गांव के लोग जो अकाल से पीड़ित हैं, को राहत देने के लिए वस्तुतः डेयरी का प्रादुर्भाव हुआ है, किन्तु, माननीय सभापति जी, हमारी सरकार हमारे अधिकारी बिल्कुल उससे मुकर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाय, उनको ठीक किया जाय। मुझे निवेदन करना है आपकी मार्फत मंत्री महोदय ने कि गांवों में सहकारी समितियों में दुग्ध उत्पादकों से जितना दूध इकट्ठा होता है उन्हें जो फेट के हिसाब से मूल्य मिलता है वह दूध के नाप और उस गांव के हिसाब से प्राप्त होता है तो उनको जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के फेट के नाप से पैसा मिलना चाहिए। अगर फेट में, नाप में कमी होती है तो किसान, पशुपालक और सोसाइटी वायेबल यूनिट नहीं बन सकती है क्योंकि उससे दूध उत्पादक समितियों को घाटा होता है। जो होशियार हैं, जिनको ज्ञान है, जो पैसा लगाना चाहते हैं वह उनको चला रहे हैं बाकी तो सोसाइटी मात्र है जो दूध इकट्ठा कर लें। इसलिए उनका शोषण करने के लिए करोड़ों और अरबों रुपया गांवों के अन्दर लगाते हैं। श्वेत क्रान्ति की बात करते हैं किन्तु वह वहां पर पैसा बनाते हैं। हरएक किसान, जो दूध का उत्पादन करता है, जानता है कि किसानों से 6 फेट गाय का और 6 फेट भैंस का कह कर लेते हैं वह जोधपुर, बीकानेर और जयपुर में 4 फेट हो जाता है। जोधपुर में दूध जाता है उस समय तक 4 फेट हो जाता है। 500 किलो दूध जाता है वह कम से कम 510 किलो होना चाहिए क्योंकि जब एक काश्तकार से आप दूध लेते हैं तो दो तीन किलो लेते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ मात्रा में ज्यादा जाएगा। जब 100 किलो भरा जाता है तो एक किलो बढ़ता है। एक हजार किलो जिस गांव में दूध इकट्ठा होता है तो 10 किलो दूध बढ़ना चाहिए और 10 किलो का मतलब एक दिन में 20 किलो। 20 किलो का मतलब $1\frac{1}{2}$ रुपये के हिसाब से 30 रुपये। अगर 30 रुपये सोसाइटी को नहीं मिलते हैं और फेट में कमी होती है तो उसका शोषण होता है। यह कर्मचारियों व अधिकारियों की मिली भगत है। उन लोगों के लिए एजेन्सी काम करती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं घंटी से बैठने वाला नहीं हूं।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे एक गांव को चुना गया। उसमें दूध इकट्ठा होता है, जो गाय का फेट है वह फेट जोधपुर, बीकानेर या जयपुर जहां पर भी है वहां से मिलना चाहिए। ट्रक शीट वापस रिटर्न होती है कि सोसाइटी को कितना दूध प्राप्त हुआ, कितना फेट था, कितना बढ़ा या कम हुआ, क्यों कम हुआ उसकी जांच गांव के आदमियों से हो जानी चाहिए अगर नहीं होती है तो सोसाइटी फेल हो जाएगी जिस तरह से सहकारी समितियां फेल हुई हैं उसी तरह से ये भी फेल हो जायेंगी।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

गांवों के अन्दर सांड व पाड़ों की व्यवस्था पहले से करनी चाहिए। लाखों-करोड़ों रुपये आप दे रहे हैं तो आप क्राइटेरिया तय करें। क्या विदेशी नस्ल राजस्थान में पनपाना चाहते हैं या जो राजस्थान की ब्रीड है, हरियाणा की नस्ल है, नागौरी नस्ल है उसको कायम रखना चाहते हैं, या दूध के हिसाब से नस्ल अडाप्ट करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपको नस्ल से मतलब नहीं है दूध से ही मतलब है, नस्ल यूं की यूं रहे तो नीति स्पष्ट होनी चाहिए वरना बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर की नस्ल नष्ट हो जाएगी। न तो इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? केवल दूध ही हो या नस्ल में भी सुधार चाहते हैं? यदि आप नस्ल सुधारना चाहते हैं तो जैसे बाड़मेर में सांडों की गाय पालने की व्यवस्था हो 50-50, 100-100 सांड बढ़िया नस्ल के हरियाणा से लायें। आपने गांवों में करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। सांड व पाड़े भी गांव के लोग लेने को तैयार हैं। आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। गांव में जहां भी समितियां हैं उनको यह सुविधा दें, उनको सांड व पाडे उपलब्ध कराये जायं ताकि नस्ल सुधार हो और दूध का उत्पादन भी ज्यादा हो।

दो तीन साल हुए पश्चिमी राजस्थान में डेयरी का प्रोग्राम चला लेकिन आज तक जोधपुर में जहां 15 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त है वहां पर ग्वार इतनी ज्यादा पैदा होती है कि यदि पशु आहार केन्द्र खोलें तो आपको घाटे का सौदा नहीं है फिर भी विभाग पशु आहार केन्द्र खोलना नहीं चाहता। ये उनसे मिले हुए हैं या दिल्ली वालों से। वहां प्लांट नहीं लगाना चाहते हैं। जब हमें आवश्यकता नहीं होती है सावन भादों में तब खूब सप्लाई करते हैं। जोधपुर में अत्यावश्यक है कि पशु आहार प्लांट लगाया जाए।

श्री सभापति: आपने 10 मिनट ले लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई - राजस्थान में विशेष कर जोधपुर डिवीजन में, पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऊंटों की बहुतायत है। वहां बीमारी भी होती है तो वह मरे बगैर नहीं रह सकता। उसको जिंदा रखने के लिए विदेशों से एक इन्जेक्शन आता है। जहां ऊंट ज्यादा मात्रा में हैं वहां विक्रेताओं को वह इन्जेक्शन उपलब्ध कराना चाहिए न कि मध्य प्रदेश, तामिलनाड और पंजाब को इस इन्जेक्शन की व्यवस्था युद्ध स्तर पर विभाग के मार्फत होनी चाहिए।

श्री सभापति: श्री रामरघुनाथ!

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): सभापति महोदय, खेती देश का आर्थिक स्तम्भ है। जिस वर्ष उपज अच्छी होती है सबको अच्छी लगती है, देश में अनाज का बड़ा भंडार होता है लेकिन जिस वर्ष अनावृष्टि व अतिवृष्टि के कारण खेती अच्छी नहीं होती तो खेती देश की चिंता हो जाती है। हमारा फर्ज है और सरकार का भी फर्ज है कि हम सब मिलकर इस चिंता की तरफ ध्यान दें। जहां पर देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या देहातों, ग्रामीण क्षेत्र में रहती हो वहां उनका भाग्य इसी पर निर्भर करता है। उसके प्रति हम चिंतित नहीं होंगे तो इस देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर नहीं सकती। हम देखते हैं कि देहातों के लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, काश्त

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

करते हैं, उनके साथ में हमारा कैसा बर्ताव होता है ? विधान सभा के सामने थोड़े दिन पहले आपने देखा कि किसान अपनी मांगों को लेकर आए थे और आपने उन्हें एक सुनहरा तोहफा दिया था पुलिस द्वारा उनके उपर गोलियां चला कर, गैस छोड़ कर लाठी प्रहार व मारपीट कर। अगर राज्य सरकार किसानों को यही दे सकती है तो क्या राज्य सरकार इन्हीं बातों से और इसी आधार पर उनकी आर्थिक हालत सुधारना चाहती है ? यह मुश्किल है। काश्तकार जब अपनी खेती करता है तो आप उसको बिजली नहीं दे सकते और अगर बिजली देते भी है तो रात्रि में देते हैं। रबी की फसल सर्दियों में होती है जब मारे सर्दी के आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, शहर मे रहने वाले तो हीटर व कोयला जलाकर घर में बैठे व सोये रहते हैं उस समय किसान कड़कडाती ठंड में रात को 12 बजे खेत में पानी में खड़ा रहता है क्योंकि आप दिन में उसको बिजली नहीं दे सकते। जिसको हम आर्थिक स्तम्भ कहते हैं जिस पर हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है, उसके साथ में इतनी भयानक रूप से निर्दयता व कठोरता कर उसकी यह हालत हमने कर रखी है।

आपको निवेदन करना चाहता था कि राजस्थान में मुख्यतया तीन मुख्य फसलें होती हैं, गेहूं, बाजरा और मक्का, इन तीनों को भारतीय एवरेज के आधार पर देखें तो उस एवरेज स्तर से बहुत नीचे है। जो गेहूं, बाजरा और मक्का अधिकतम पैदा करते हैं उनको छोड़िये, हम तो एवरेज से भी नीचे है, गेहूं पंजाब में होता है 33 क्विटल प्रति हैक्टेयर, राजस्थान में 13 क्विटल प्रति हैक्टेयर होता है। जब कि हिन्दुस्तान का एवरेज कई जगह 5·6 क्विटल प्रति हैक्टेयर ही है। बाजरा पंजाब में एवरेज 10 क्विटल, राजस्थान में 3 क्विटल, हिन्दुस्तान पूरे में 5 क्विटल प्रति हैक्टेयर है। मक्के का पंजाब का 14, राजस्थान का 11, हिन्दुस्तान का 12 क्विटल प्रति हैक्टेयर है। ये तीन मुख्य अनाज हैं जो खाने के काम में लेते हैं। पूरे राजस्थान का क्षेत्र जो मक्का व बाजरा पर आधारित है उसका एवरेज हिन्दुस्तान एवरेज के पीछे है। ये हमारे खाने के मुख्य अनाज हैं फिर भी राज्य सरकार इस सम्बन्ध में चुप है। कृपया इसकी ओर गौर कर किसान के लिए कुछ चिन्ता करें तो ठीक होगा ? पर लगता है, सभापति महोदय, चिन्ता नहीं है। यह जो एक पुस्तक हमें मिली है या यो कहिए प्रगति विवरण विभाग से मिला है इस प्रगति विवरण में एक जगह दिया है, "अधिक उपज वाली किस्में" सभापति महोदय, मैंने इसको कुछ ध्यान से पढ़ा। इस प्रगति विवरण में एक भी उन्नत किस्म का नाम नहीं है। पता नहीं, यह कैसा आपका प्रगति विवरण है। पता नहीं, कैसी धोखा धड़ी है। मैं तो समझता हूं कि आपकी राजस्थान सरकार व कृषि विभाग उन्नत किस्मों के प्रति जागरूक नहीं है। गेहूं की जो 821 और 1114 की क्वालिटी है इसकी आपके यहाँ कोई जानकारी नहीं। आज तीस साल से ज्यादा हमारे देश को आजाद हुए हो गये पर राजस्थान में कृषि के मामले में कोई साइन्टिफिक बेसिस पर एग्रीकल्चर के काम में प्रगति नहीं हुई। इसके अलावा हमारे राजस्थान में बाजरा ज्यादा पैदा होता है।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

राजस्थान में बाजरा ही मोटे अनाज के बजाय बोते हैं। करीब पूरी फसल का 75 प्रतिशत हमारे यहां पर बाजरा बोया जाता है उस बाजरा में हमारे यहां पर रोग होता है उसका नाम अरगट है। हमारे यहां पर कई बार कई जगह करीब 90-95 प्रतिशत में अरगट की बीमारी लग जाती है। जहाँ फसल को इतनी अधिक मात्रा में अरगट लग जावे उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है, यह एक विचारणीय विषय है। किसान की क्या दुर्दशा होगी यह उससे भी अधिक गम्भीर है। इस पर कभी गौर नहीं किया। कोई अनुबन्धन नहीं किया-कोई वैज्ञानिक तरीका ही नहीं रखा जब कि आज के युग में विज्ञान व अनुबन्धन एक प्रमुख साधन होना चाहिए। हमारे यहां पर डाइरेक्टर कृषि विभाग के जो हैं वह कोई टैक्निकल कृषि से संबंधित व्यक्ति नहीं हैं। यहाँ पर आई० ए० एस० आफिसर को डाइरेक्टर लगाया हुआ है और उनको इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। पर मंत्री महोदय, किसान है शायद वह जानते हैं कि पंजाब ने पी० बी० 14 बाजरे का अरगट प्रूफ बीज निकाला है इसमें अधिक से अधिक 2 प्रतिशत अरगट होने की ही सम्भावना है। श्रीमान् पंजाव राज्य, जहां हमारे से बाजरा कम क्षेत्र में बोया जाता है, कम होता है फिर भी वह इतना चिन्तित है पर हम व हमारी राज्य सरकार चिन्तित नहीं। क्यों? राजस्थान में मुख्य तौर से तीन मुख्य उपज हम बोते हैं बाजरा, मक्का व गेहूं तो लाजमी तौर से इस पर ध्यान देना होगा, सतर्क रहना होगा, काश्त वैज्ञानिक तरीकों से करनी होगी और अच्छे व आधुनिक उपज वाले बीजों के लिए नए-नए अनुसंधान करने होंगे ताकि किसान की आर्थिक हालत सुधरे किसान अधिक लाभान्वित हो सके व राज्य सरकार की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अगर कृषि संबंधित मांगों पर भी हमे बोलने नहीं दिया जाय तो फिर क्या फायदा?

श्री सभापति : आपको आलरेडी काफी समय दे दिया गया है। पहले ही ज्यादा समय दे दिया है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, मैं, आपके माध्यम से सदन को कुछ अमूल्य सुझाव देना चाहूंगा जिनके बारे में सदन के कई माननीय सदस्य जानते नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि हमें हमारे कृषि में अनुसन्धान करने की जरूरत है और वैज्ञानिक तरीकों से हमारे यहां पर अगर हम खेती करें तो लाभ हमारे यहां के किसानों को हो सकता है और प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है।

जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहां वर्षा का काफी औसत बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है तो इसके साथ ही हमें क्रोप पैटर्न भी बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमें रिसर्च करनी होगी, अनुसन्धान करना पड़ेगा कि कौन-कौन से क्षेत्र में कौन-कौन सी फसल बोई जावे वरना फसल नहीं होगी या रोग ग्रस्त हो जायेगी। सभापति महोदय, हमारे यहां पर फसलों में कातरा और सफेद लट दो तरह के रोग लगते हैं। इनके बारे में बार-बार इस सदन में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

किया गया है, पर इसके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। सभापति महोदय, कातरा तो फूंदी से पैदा होता है। जब फूंदी पैदा होने लगती है वर्षा के साथ, उन दिनों खेतों में अगर हम रोशनी या आग लगा दें तो यह उस रोशनी या आग में जलाया जा सकता है या जल सकता है। इसका तो पता पहले ही लग जाता है पर उस वक्त तो कोई कार्यवाही सरकार करती नहीं है और जब फूंदी से कातरा बन जाता है, फसल को खराब करने लगता है तब इधर-उधर भागदौड की जाती है, एपेडेमिक की घोषणा की जाती है, उसको मारने के लिए महंगी-महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और वह भी अधिकतर बेअसर रहती है। किसान को नुकसान, राज्य सरकार को नुकसान तो फिर क्या कारण है कि राज्य सरकार उस स्टेज पर ध्यान नहीं देती? जब फूंदी बनने लगती है उस समय उसे मारना सस्ता रहता है ताकि कातरे का जन्म ही नहीं हो अन्यथा फिर वह भागदौड़ बेकार हो जाती है। मेरा निवेदन है कि ज्यों ही पता लगे कि फूंदी खेत में बननी शुरू हो गई है तुरन्त उसको जला दिया जाना चाहिये ताकि उससे कोई नुकसान नहीं हो सके। इसके अलावा दूसरा कीड़ा जो होता है यह है सफेद लट, इसको भी आरम्भ की स्टेज पर मारने का क्रम होना चाहिए, ताकि किसान को नुकसान से बचाया जा सके।

अब मैं थोड़ा सा रासायनिक उर्वरक के संबध में निवेदन करना चाहूंगा। रासायनिक उर्वरक जो अधिकतर हमारे यहां फसलों में काम में लेते हैं वह है नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटाश और एमोनिया। हमारे यहां जो यूरिया खाद काम में लिया जाता है उसमें सिर्फ 40 से 45 प्रतिशत तक ही नाइट्रोजन होता है। मेरा निवेदन है कि अगर उसकी जगह हम तरल एमोनिया काम में लावें, उसका स्प्रे करें तो अधिक लाभ होगा। उसमें 80-85 प्रतिशत तक नाइट्रोजन होता है यह खर्चे में सस्ता रहता है एवं इससे हमारे यहां का प्रोडक्शन और अधिक बढ़ सकता है। मैं, सभापति महोदय आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करके यह निवेदन करना चाहूंगा, इसमें अगर आप तरल एमोनिया ही सप्लाई डाइरेक्टली करें तो आपको काफी चीपर पड़ सकता है। इसमें आपको 30 प्रतिशत खर्चे की बचत होगी।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, प्रोन ए पाइन्ट आफ आर्डर। आप हमको तो सिर्फ पांच मिनट ही देते हैं और इनको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आप इनको बोलने दीजिये। यह बहुत ही अच्छे सुझाव दे रहे हैं कृषि से संबधित।

श्री सभापति : No interruption, please माननीय सदस्य व्यावहारिक सुझाव दे रहे हैं। आप इन्ट्रप्शन नहीं करें। इनको समय इसलिये अधिक दिया जा रहा है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : तो मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय अगर तरल एमोनिया का डाइरेक्टली लिक्वीड फोर्म में स्प्रे किया जाय तो फसल पर सीधा असर होता है एवं तुरन्त व कम समय में अधिक लाभ होता है। जिस प्रकार एक इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगता है एवं एक इंट्रावेनस

Page No 114

(114)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

इन्जेक्शन लगता है इसमें इन्ट्राविनस जल्द असर करता है क्योंकि सीधा खून के साथ मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार तरल एमोनिया के स्प्रे करने से फसल को तुरन्त असर व लाभ होता है। फिर इसमें खर्चा भी कम आता है किसान को करीब तीस प्रतिशत की बचत होती है। तरल एमोनिया में नाइट्रोजन 80 से लेकर 90 प्रतिशत तक होता है। आज जितने एकड़ में हमारे राज्य में खेती होती है उसमें अगर तीस प्रतिशत की बचत हो तो हमारे किसान को और राज्य सरकार को लाभ होगा। इतना ही नहीं इसमें प्रोडक्शन में कम खर्च आता है। अगर एक फैक्ट्री में 1000 टन तरल एमोनिया प्रतिदिन पैदा करने की क्षमता हो तो सभापति महोदय, वर्ष भर में करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है। इसी प्रकार थोड़ा मैं तिलहन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज कल लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कामर्शियल क्रोप की खेती की ओर आकर्षित होने लगे हैं। सभापति महोदय, इस तिलहन में तीन तरह की खेती मुख्य हैं जो किसान को अधिक लाभदायक हो सकती है; मूंगफली सूरजमुखी और सोयाबीन की खेती। सभापति महोदय, मूंगफली फसल औसतन 6 क्विंटल होती है। इसमें 40 प्रतिशत तेल और 26 प्रतिशत प्रोटीन होता है सूरजमुखी 15 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, जिसमें 50 प्रतिशत तेल एवं 20 प्रतिशत प्रोटीन होता है। सोयाबीन, जो कि 8 क्विंटल पर एकड़ होती है, में 20 प्रतिशत आइल व 40 प्रतिशत प्रोटीन होता है। इस तरह हमारे यहां पर सरसों काफी मात्रा में किसान पैदा करता है पर उपज के हिसाब से सूरजमुखी का प्रोडक्शन अधिक अच्छा होता है। सूरजमुखी की उपज 15 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, मूंगफली 6 क्विंटल ही होती है और सोयाबीन 8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। यह सोयाबीन जो है, वह ज्यादातर बिस्कुट, दूध, पनीर, तेल दवाइयां आदि के बनाने में काम आता है। तो निवेदन है कि किसानों को सूरजमुखी का महत्व, उसकी कीमत बताई जाय जिससे इनकी आय बढ़े व राज्य को तेल अधिक मिल सके। अभी आपको हजारों टन तेल बाहर से मंगाना पड़ता है अतः राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे व इसका प्रचार करे। तो मेरा निवेदन है कि हमारे यहां

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़े में ही समाप्त कर रहा हूं। आपने अपने बजट भाषण में बताया है कि हमारे यहां पर एक्सटेन्सिव फार्मिंग प्रोग्राम्स चलाये जायेंगे। यदा-कदा आप कृषकों को व युवा कृषकों को यहां बुला कर ट्रेनिंग देते हैं जिसमें न तो अधिक किसान आते हैं न खर्च को देखते हुए ही बुलाए जा सकते हैं। नतीजा यह होता है कि वर्ष भर में मुश्किल से कोई 40-50 किसानों को ट्रेनिंग दे पाते होंगे। यह तरीका बिल्कुल गलत है। होना तो यह चाहिये कि प्रति जिले में इस प्रकार के कैम्प प्रति वर्ष या वर्ष में दो बार लगें और किसानों को हर नई बात से अवगत कराया जाय। वैसे भी आपके यहां पर बहुत से पशु मेले लगते हैं। हर पशु मेले में हजारों की तादाद में लोग आते हैं। आप वहां पर अच्छी अच्छी प्रदर्शनियां लगाकर उन्हें आकर्षित करें। वहीं पर उन्हें इस विषय की ट्रेनिंग दें तथा हर नई प्रगति, बीज व औजारों की जानकारी दें।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सभापति महोदय, हमारे यहां पर जो मेले लगते हैं उसमें कृषि व पशुपालन विभाग की जो प्रदर्शनियां लगतीं हैं वह अच्छी व आकर्षक नहीं लगती हैं। आपको मेरा निवेदन है कि आप उनका स्वरूप सुधारें और पशु मेले में आकर्षक प्रदर्शनियां लगायें ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषक आकर्षित हो सकें एवं उनको उसका लाभ मिल सके।

अब थोड़ा, सभापति महोदय, मैं भेड़ पालन के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारे सूखा सम्भावित क्षेत्रों में भेड़-पालन को ज्यादा प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम बनाया गया है। आज हमारे देश में करीब चार करोड़ भेड़ें हैं। इस प्रगति विवरण में आपने राजस्थान में सिर्फ 90 लाख भेड़ें ही बताई हैं। इससे सहमत नहीं हूं, इसी प्रगति विवरण में लिखा है कि राजस्थान में सारे भारत में होने वाली ऊन का 45-50 प्रतिशत ऊन होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे भारत में जितनी भेड़ें हैं उसका 45-50 प्रतिशत भेड़ अकेले सिर्फ राजस्थान में हैं। इसको अगर सही मान लें तो स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में दो करोड़ भेड़ होनी चाहिये। पर मेरी सूचना के अनुसार राजस्थान में किसी भी प्रकार 1 करोड़ 80 लाख भेड़ तो हर हालत में हैं, इस से कम नहीं हैं। इन भेड़ों के सहारे पांच लाख परिवार अपना पेट पालते हैं। भेड़ पालकों के साथ कितना बड़ा मखौल मेरे जिले में हो रहा है उसके बारे में निवेदन करना चहता हूं। सूखा सम्भावित क्षेत्र के अन्तर्गत भेड़ पालन योजना भी है और भेड़ों के लिए चरागाह बनाये गए हैं। अभी 39 चरागाह में से 9 चरागाह, जो एक चरागाह सौ हैक्टेअर भूमि का होता है, भेड़ों के चरने के लिए खोले गए और उनमें भेड़ें चरायी गई दो सौ पचास। यह कितना बड़ा मखौल है। ऐसी बात नहीं है कि आप इस समस्या को समझते नहीं हैं। तभी तो यहां पर फतेहपुर का फार्म है उसमें 9300 एकड़ में सिर्फ 2461 भेड़ें ही हैं। तो यह बात आप देख लें कि राजस्थान की दो करोड़ भेड़ों व भेड़ पालकों की क्या स्थिति है? आज पांच लाख परिवार भेड़ पालकों के हैं। राजस्थान में चरागाह न होने से वह लोग अपने पशु लेकर बाहर जाते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह वहां पर कई बार झगड़े व खून हो जाते हैं, पिटाई की जाना तो साधारण बात है। हमारे मुख्य मंत्री जी को इसकी जानकारी है। इस बार भी यह समस्या पैदा हुई जब मुख्य मंत्री जी ने मध्य प्रदेश मुख्य मंत्री जी को टेलीफोन किया था। पत्र लिखा था कि इस बारे में व्यवस्था की जाये। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भेड़ पालकों के बच्चों को भेड़ पालने की ट्रेनिंग दी जाये। उन्हें टैक्निकल शिक्षा दी जाये। भेड़ पालकों के बच्चों का ध्यान किसी नौकरी की ओर न जा कर इसी धंधे की ओर लगे, इसकी व्यवस्था करें। यह अच्छी आय वाला धंधा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और अगर इसमें इन लोगों को खपा सकें तो बेरोजगारी मिटाने में भी सहायक हो सकेंगे। क्यों नहीं इन बच्चों को आस्ट्रेलिया भेजते, क्यों नहीं इनको डाइवर्ट होने से रोकते?

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय थोड़ा मैं बेरोजगार लोगों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जावे, उन्हें गांवों की तरफ डाइवर्ट किया जावे ताकि वह लोग शहर की तरफ न जायें एवं आप लोगों की बेरोजगारी की समस्या को और विकट न करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको 15 मिनट से ज्यादा हो गए हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मुझे जानकारी मिली है कि आप कुछ बड़े व मुख्य स्थानों पर पोली क्लिनिक खोलने जा रहे हैं। उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि आपके पास दो प्रकार के डाक्टर हैं एक वह जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं दूसरे वह जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अभी आपने इनमें कोई अन्तर नहीं समझा है और अण्ट-शण्ट लगा रखा है। मेरा निवेदन है कि मुख्य जगहों पर पोस्ट ग्रेजुएट को लगाएं ताकि उनके साथ न्याय हो सके जैसे कि पोली क्लीनिक में। आखिर उन लोगों ने दो वर्ष पढ़ाई अधिक की है, पैसा अधिक खर्च किया है, ज्ञान अधिक है तो फिर उनका उपयोग क्यों नहीं लिया जा रहा है?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम को क्रियान्वित किया जाय। पश्चिमी राजस्थान के किसानों के दुःख को समझने का प्रयत्न करें। एव उनकी व देश की आर्थिक हालत सुधारने हेतु अविलम्ब इस लिफ्ट योजना को प्रारम्भ करने की कृपा करें।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : बस इन्हीं शब्दों के साथ कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उनकी ओर ध्यान दें, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री बिरदमल सिंघवी!

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय सभापतिजी, मैं कृषि मन्त्रीजी का ध्यान कृषि के वैज्ञानीकरण और आधुनिक-करण की ओर दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में 80 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हैं। कृषि पर आधारित होते हुए भी पर्याप्त धान उपलब्ध नहीं कर पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें विदेशों का मुंह ताकना पड़ता है। अमेरिका में 15 पर्सेन्ट खेती पर आधारित है लेकिन इतना धान वे उत्पन्न कर लेते हैं कि न केवल अपने देश की जरूरत को पूरा करते हैं परन्तु दूसरे देशों में भी धान भेजते हैं। इसलिये इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। कुछ प्रमुख कारण उसके यह है कि वहां खेती का आधुनिक-करण कर दिया गया है। हमें भी कृषि का आधुनिक-करण करना चाहिये। ट्रेक्टर्स आदि चीजों की किसान को आवश्यकता होती है वह अधिक मात्रा में उनको सुलभ तरीके से उपलब्ध करायी जा सके और उसके साथ-साथ जो उनको कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं उनकी ओर भी हमें ध्यान देना होगा। जैसे किसी किसान के पास ट्रेक्टर हैं लेकिन डीजल की उसको सुलभता नहीं होने से उसको बड़ी तकलीफ होती है। उसको उसके अभाव में ट्रेक्टर को पड़ा रखना पड़ता है। कई उसको चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिये अधिक से अधिक डिपो गांवों में खोलने की व्यवस्था होनी चाहिये। सीमेंट

(श्री बिरदमल सिंघवी)

हम उसको उपलब्ध कर नहीं पाते हैं। उसको फसल के समय दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए सीमेन्ट उसको उपलब्ध करायें तो अच्छा है। विद्युत के लिये भी आप ईयर मार्क कर दें कि इतनी बिजली खेती बाड़ी के लिये दी जायगी। यह करेंगे तो अच्छा रहेगा। समय पर यदि किसान को बिजली नहीं मिलती है तो बड़ी दिक्कत होती है।

पिछले वर्ष कातरे की बीमारी लग गयी खास कर पश्चिमी क्षेत्र में जिसके कारण फसल नष्ट हो गयी. पहले से ही इसका ध्यान रखते तो फसल नष्ट नही होती। बरसात भी अच्छी हो गयी थी। किसान ने सोचा कि वह अच्छी फसल प्राप्त कर सकेगा। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो कातरा लग गया और उसकी फसल नष्ट हो गयी।

डेयरी के मामले में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूध का हमारे यहां उत्पादन होता है। इसके विकास के लिये मशीनों की व्यवस्था पी.डब्ल्यू.डी करती है। और इन्जीनियरिंग के लिये इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट काम करता है। नक्शे बनते हैं। इन्जीनियर रिपोर्ट देते हैं। हमारे राजस्थान में इस प्रकार की सारी व्यवस्था है फिर दूध बाहर क्यों जावे ? यहां पर मिल्क प्रोडक्ट्स बनने चाहियें। इसलिये राजस्थान में डेयरी प्रोडक्ट्स के कार्य को शुरू किया जाना चाहिये।

पशु धन के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि घास जो पशुओं के लिये चाहिये उसका आप स्टोरेज कीजिये। घास तो होती है लेकिन स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है। अकाल के समय में जब घास की आवश्यकता होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। पशुओं को बाहर ले जाना पड़ता है। इस विषय में काफी चर्चा हो चुकी है। पशुधन जब बाहर जाता है तो सब तरह की तकलीफ होती है। बहुत कम पशुधन वापस लौट पाता है। पशुधन मर जाता है। रास्ते न होने के कारण जब मवेशी दूसरे के खेतों में चरती जाती है तो दिक्कत होती है, झगड़े होते हैं। आप घास के डिपो खोलते हैं इसलिये आपको घास के स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिये।

इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने पशुपालन और कृषि दोनों विषयों पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यदि इकोनोमी को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो वह पशुधन के आधार पर ही कीया जा सकता है। पशुधन के लिए चरागाह महत्वपूर्ण है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में चरागाहों का दिन व दिन ह्रास हो रहा है। चरागाह कृषि भूमि में आ रहे हैं। चरागाहों का अतिक्रमण भी होता है। चरागाहों के अतिक्रमण समाप्त करने का प्रयास राज्य सरकार की ओर से नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायतें भी विशेष तौर से ध्यान नहीं देती हैं। चरागाहों पर अतिक्रमण हो तो विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में चरागाहों के बिना किसी प्रकार भी उन्नति नहीं हो सकती है। अकाल की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो पशुधन अधिक संख्या में मर जाते हैं। सन् 67-68;

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

68-69 में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पशुधन की सख्या थी. वह संख्या अब वन फोर्थ हो गयी है। स्थिति यह हो गयी है कि बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे कम पशुओं की संख्या रह गयी है। सबसे कम सख्या जैसलमेर में और उससे कम दूसरे नम्बर पर बाड़मेर में पशुओं की संख्या रह गयी है। यह आंकड़े मैंने देखे हैं। यह मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप पशुधन को बढ़ाना चाहते हैं तो फोडर बैंक्स स्थापित कीजिये। मेरे से पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि फोडर का स्टोरेज होना चाहिये जो कि नहीं किया जा रहा है। फोडर बैंक की आपको स्थापना करनी चाहिये। सेवल घास हमारे उधर आता है जो कि बहुत अच्छा होता है और एक टाइम में आता है। पशुओं के लिये यह बहुत पौष्टिक चारा है। इसलिये इसका स्टोरेज करना चाहिये। वन विभाग ने प्रयास भी किया था। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि फोडर बैंक स्थापित कर लिया जाय, सेवल घास को एकत्रित कर लिया जाय और सारी इसकी व्यवस्था हो जाय तो क्या जरूरत है हमारे पशुओं को मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों पर जाने की ? कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

ब्रीड के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि थरपारकर ब्रीड नष्ट हो रही है हमारे क्षेत्र के अन्दर। मध्य प्रदेश के कृषि अधिकारी और एक्सपर्ट्स आये थे, थरपारकर के अच्छे-अच्छे सांड लेकर चले गये आज यह नस्ल बिलकुल नष्ट हो रही है। जैसलमेर में आप कोशिश कर रहे हैं। बाड़मेर में भी आप कीजिये। कांकरेज। ब्रीड है वह भी अच्छी ब्रीड है। अच्छे बैल हैं। गायों का दूध भी अच्छा होता है। इसके फार्म सिंदरी आदि कई स्थानों पर स्थापित किये जा सकते हैं।

ऊंट और भेड़ एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। शिव तहसील में भेड़ों में फडिया और पपरिया की बीमारियां फैली और हजारों भेड़ें मर गयीं। कोई उपचार का साधन नहीं किया। कोई इलाज नहीं किया। गलकिया रोग ऊंट में होता है। इसके लिये इन्जेक्शन होते हैं। उस इन्जेक्शन की मोनोपोली है। जोधपुर में पोरवाल ब्रदर्स है उनकी मोनोपोली है। इस इन्जेक्शन से यह बीमारी ठीक हो जाती है और दो दो हजार रुपयों के ऊंट बच जाते हैं। इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

अब मैं कृषि के बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। कृषि के बारे में मैंने जब पहले प्रश्न पूछा था, उस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर सम्पतरामजी ने उत्तर दिया था, जिस प्रकार वे बात करते थे कि 30 सालों में क्या प्रगति हुई....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात कह कर खतम कर रहा हूं।

उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जिला कृषि कार्यालय स्थापित होना चाहिये। उन्होंने दोषारोपण भी किया था कि पहले क्यों नहीं स्थापित किया गया ? मैं आपकी गवर्नमेंट पर चार्ज लगाता हूं ९ महीने हो गये. आपकी गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाये ? जब आप इतनी आवश्यकता समझ रहे थे तो अभी तक क्यों नहीं कृषि कार्यालय स्थापित हुआ ? मैं यह चाहता हूं कि एक महीने के अन्दर-अन्दर स्थापित हो जाये। कृषि का कार्य है,

Page No 119

(119)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

भू सर्वेक्षण का कार्य है. यह सभी कार्यक्रम प्रगति नहीं कर रहे हैं। 27 हजार वर्ग किलोमीटर के एरिया में सूखा सम्भावित कार्यक्रम रखा है 8 लाख की आबादी है, जिला कृषि कार्यालय हो तो इस कार्य को देख सकता है। बालोतरा क्षेत्र में कृषि की बहुत गुंजाइश है। इसके लिये आप ईमानदारी के साथ व्यवस्था करें।

दूसरी बात है, नवीन कृषि विस्तार योजना के अन्तर्गत 17 जिले ले लिये। बाड़मेर जिले को क्यों नहीं ले रहे हैं? बाड़मेर जिला पहले ही पिछड़ा हुआ था, अब आपकी गवर्नमेंट भी इस जिले में कृषि विस्तार योजना लागू कर विकसित नहीं करना चाहती। बालोतरा में, शिवाना में, गुढ़ा क्षेत्र में काफी विकास की गुंजाईश है। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बाजरे का प्रोडक्शन सारे राजस्थान से अच्छा होता है। टाइमली प्रोडक्शन हो जाता है इसलिये इस जिले में भी यह नवीन कृषि विस्तार योजना स्थापित की जानी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजी राम बुरडक!

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह (टोंक): सभापति जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 80 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। जब गांव में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि काश्तकारों को नई-नई जानकारी देने में यह कृषि विभाग असफल रहा है, इसलिये मैंने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। माननीय मंत्री महोदय इसको देखें और इस सम्बन्ध में एक्शन लें ताकि काश्तकारों को लाभ मिल सके। सभापति महोदय, एग्रीकल्चर डाइरेक्टर का पद अभी तक खाली पटक रखा है। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति नहीं बैठेगा, तब तक कृषि का सुधार होने वाला नहीं है। जब तक समस्याओं को समझने वाला अधिकारी नहीं बैठेगा. तब तक किसानों को लाभ नहीं मिल सकता, उनकी समस्यायें नहीं सुलझ सकतीं। मैं चाहूंगा कि अपने भाषण में मंत्री महोदय बतायें कि डायरेक्टर की नियुक्ति कब कर रहे हैं।

इसके साथ, सभापति महोदय, विकास विभाग के जो बी० डी० ओज थे, उनको ले रहे हैं। बी० डी० ओज० का अब इस विभाग में क्या उपयोग करने जा रहे हैं? इनकी उपयोगिता इस डिपार्टमेंट में नहीं करेंगे, तो अधिकारियों को शामिल करके घर बैठाकर तनख्वाह देने का कोई लाभ नहीं है। पहले ग्राम सेवकों को अपने डिपार्टमेंट में लिया। आज हालत यह है कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर ग्राम सेवक दरियां बिछा कर बैठे हैं किन्तु नतीजा कुछ नहीं। काश्तकारों से सम्पर्क करने की जो योजना थी, वह योजना असफल रही है, उसका कतई लाभ नहीं हुआ है। पहले दवाइयां वितरित करने की व्यवस्था पंचायत समितियों के पास थी, वह ज्यादा उपयुक्त थी। वह हटाकर ग्राम सेवकों को दे दी जिससे अव्यवस्था हो गई। गांवों के अन्दर पहले कृषि के जो अधिक साधन उपलब्ध थे, वे भी नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही डिपार्टमेंट में दवाई छिड़कने वाली मशीन थी वह भी आपने किराये पर देना बन्द कर दिया। दवाइयां छिड़कते थे और दवाइयों

(श्री अजीतसिंह)

के वितरण का काम था वह बन्द हो गया। मेरा निवेदन है कि इससे डिपार्टमेंट का गांवों में एप्रोच बिल्कुल खतम हो गया। नये सिरे से इसकी उपयोगिता को देखकर इस काम को आगे बढ़ाया जाये। आज जो नये-नये अन्वेषण हो रहे हैं उसके बावजूद मेरा निवेदन है इसके खुद के फार्म घाटे में जा रहे हैं। नये-नये प्रयोग में एक्सपेन्डीचर होता है, हर किसान को भी नुकसान होता है। महँगा बीज है, टाइम पर पानी नहीं मिलता, इसलिये वह अफसल हो जाते हैं। मैं चाहूंगा. आप सरलीकरण करें ताकि प्रोडक्शन सस्ता पड़े, किसान उसका फायदा ले। इतना महँगा बीज देते हैं, उसको उपयोग में नहीं ले सकते। दवाइयां महँगी पड़ती हैं।

मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव पशुपालन विभाग के ऊपर भी हैं। आप यह निर्णय अभी तक नहीं कर पाये कि कौन-कौन से जिले में कौन-कौन से पशु रखे जायेंगे। अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, कई जिलों में ब्रीड डवलप हो रही थी वह भी रोक दी। गांवों में आवारा सांड फिरते हैं। पशु गांवों में खेती के काम आता है। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा किसान को किस तरह से हो. काश्तकारों को समय पर इसकी जानकारी करायें ताकि काश्तकारों को लाभ हो।

श्री सभापति: माननीय श्री माधोसिंह जी

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रतनाराम चौधरी !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मनोहरसिंह जी मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़): सभापति जी, कृषि तथा पशुपालन गाड़ी के दो पहिये हैं और भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। सारा सुख इन्हीं पर आधारित है। मनुष्य को बचाना जितना जरूरी है उतना ही गाय को बचाना जरूरी है। गाय के हम पर अनन्त उपकार हैं। भेड़ों के मुकाबले में गाय पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि हर साल बिजोलिया क्षेत्र में भेड़ें टिड्डी दल की तरह खाकर चरागाह को नष्ट कर देती हैं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कृषि उपज मण्डी का टैक्स है, मैं हमेशा टैक्स का समर्थन करता हूं पर टैक्स का सदुपयोग होना चाहिये, लोगों के हित में होना चाहिये। माण्डलगढ़ के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि 5.7 लाख का टैक्स आता है वह आप सड़कों पर खर्च करते हैं। छोटे-छोटे गांवों का जिन-जिन पचायतों से जितना टैक्स आता है उस टैक्स का 80 प्रतिशत उसी गांव के हित में खर्च करिये और वह टैक्स ग्राम में खर्च होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीज आप दें पहले उसका प्रयोग करें बाद में दें। भीलवाड़ा जिले में लाखों रुपये का नुकसान हो गया है बिना प्रयोग के खन्डवार देने से। जहाँ एक ओर किसानों का भारी नुकसान हुआ है वहां आपके ऊपर से विश्वास उठ गया है। इसलिये निवेदन है कि पहले आप बीज का प्रयोग करें, फिर आप उनको दें।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां की पचायतें सांड का खर्चा उठाने को तैयार हैं वहां पर आप उनको

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

अच्छे नस्ल के सांड दें। अच्छे नस्ल से मतलब जो यहां की जलवायु के अनुकूल हों, जो अच्छे हार्डी बछड़े देते हों और दूध भी अधिक होता हो ऐसे सांडों का उपयोग कीजिए। जर्सी हर जगह सफल नहीं हो सकती। विदेशों में तो बछड़ों को काट देते हैं पर यहां जर्सी के जो बछड़े होंगे उन पर क्या शिव-पार्वती की तरह बैठ कर फिरेंगे ? इसलिए सांड वहीं होने चाहिएँ जिसके बछड़े यहां की जलवायु के अनुकूल हों।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि आप दस-दस पंचायतों के बीच में कम से कम एक वेटेरिनरी डिस्पेन्सरी निश्चित रूप से रखिये ताकि लोगों को समय-समय पर सुविधायें मिल सकें। मैं दस-दस पंचायतों के बीच में एक वेटेनरी डिस्पेन्सरी की बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास अधिक पैसा नहीं है। कम से कम इतना तो आप कीजिए।

अब मैं आपको फोडर बैंक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आप अन्न के लिए तो निश्चित हैं। मेरे क्षेत्र दीगोद के पास नगराय का तीड़ है आप वहां आधी पांती में घास कटवाइये। आधी घास किसान को मिल जाये और फिर आधी रह जाये उसमें से एक चौथाई जरूरत वालों को दे दें और एक चौथाई का फोडर बैंक लगाते जाइये। वह फोडर अकाल के दिनों में काम आयेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इसका भी उपयोग कीजिए और इसे अत्यन्त आवश्यक मानिये।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पवित्र महकमा है इसलिए इसमें अगर कोई भी शराब पीने वाला है तो मैं आपकी मार्फत मन्त्रीजी से कहता हूं कि वह उनकी मीटिंग बुलायें और उसमें तय करे कि जो शराब पीने वाले हैं वह शराब छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ें तो उन्हें इस विभाग से आप मुक्ति दे दें तो कृषि और पशुपालन के प्रति बड़ा उपकार होगा।

एक माननीय सदस्य : पहले मन्त्रीजी तो छोड़ें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मन्त्रीजी पीते हैं उनका तो मुझे नहीं पता है। पीते होंगे तो छोड़ देंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।

श्री सभापति : श्री हरचन्दसिंह !

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, आप घण्टी नहीं बजायें क्योंकि मैं डरता हूं।

श्रीमान्, कृषि के बारे में बहुत कुछ सुझाव दिये गये हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि देश की आर्थिक नींव अगर कृषि को कह दिया जाये तो यह कोई गलत नहीं होगा। इस नींव को हम और ज्यादा मजबूत किस तरीके से करें यह समस्या हमारे सामने है। जिस तरीके से सरकार की ओर से कृषक के साथ वर्ताव किया जा रहा है क्या वह बर्ताव कृषक की नींव को मजबूत करने का है या देश की आधार शिला को बिगाड़ने का है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज कृषक की खराब स्थिति कर दी गयी है। कृषक के ऊपर मिनिमम पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट लागू कर दिया गया है। अनेक और कानून लागू कर दिये हैं, सागड़ी एक्ट लागू कर दिया गया है, जब हम यह चाहते हैं कि यह एक्ट लागू कर दिये जायें तो फिर कृषि को इण्डस्ट्री

(श्री हरचन्दसिंह)

घोषित करने में सरकार को क्या उज्र है ? क्यों नहीं सरकार इसको इण्डस्ट्री घोषित करती ? इसलिए इण्डस्ट्री घोषित नहीं करना चाहते कि आज देश के कृषक के साथ सरकार सौतेला व्यवहार करती है। एक करोड़पति जो इण्डस्ट्री लगाता है उसको बिजली 5 पैसा प्रति यूनिट दी जाती है, जिस हिसाब से कि बिजली पैदा होती है उसी हिसाब पर उसको मुहय्या करवाते हैं और देश के काश्तकार को कृषि के लिए 23 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मुहय्या करवा रहे हैं ...

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : यह तालियां बजाने की बातें नहीं हैं। शर्म, शर्म कहो।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इनको पता ही नहीं तालियां कब बजाते हैं।

श्री हरचन्दसिंह : इसके अलावा जो काश्तकारों को बिजली के कनेक्शन देने की प्रवृत्ति इस बिजली विभाग की रहती है वह बड़ी शर्मनाक है। मिनिमम गारन्टी सिस्टम काश्तकारों पर थोप कर एक व्यवधान पैदा कर दिया गया है, वह काश्तकारों के ऊपर व्यवधान नहीं बल्कि देश के ऊपर एक तरीके का व्यवधान है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस मिनिमम गारन्टी सिस्टम को फौरन ही खतम किया जाये और कृषि को उद्योग घोषित करके 5 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से काश्तकारों को बिजली मुहय्या कराई जाये।

श्रीमान्, काश्तकार नीले आसमान के नीचे पलता है और प्राकृतिक विपदाओं से घिरा रहता है। वह जब अपने खेत से आता है तो खेत को हरियाली को देख कर रात को अपने भविष्य के ऐसे स्वप्न संजोता है कि मैं यह करूंगा, मैं यह करूंगा। भगवान अगर उस पर नाराज हो जाये, रात को ओलावृष्टि हो जाये तो उसके सारे सपनों की दुनियां तहस-नहस हो जाती है। कहीं ओला-वृष्टि, कहीं अतिवृष्टि और कहीं अकाल और कहीं आगजनी -इस तरह की घोर विपदाओं से घिरा हुआ काश्तकार का जीवन होता है। अगर इन सब को वह पार कर जाये तो फिर नतीजा यह आता है कि बनिये के सामने ले जाकर इसको पटक दिया जाता है और सरकार की लेवी प्रथा उसके सिर पर लटकती रहती है। श्रीमान, दुनिया मे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा।

बनिये के पास हम जाते हैं और पूछते हैं कि सेठ इस चीज का भाव क्या है ? वह जितना भाव बताये, उस पर हम यदि कहें कि नहीं हम तो यह देंगे तो वह कहता है दुकान से नीचे उतरो। श्रीमान, हमारे माल की नीलामी होती है बोली होती है। श्रीमान जिस तरह जिसके माल का कोई वारिस नहीं होता उसकी नीलामी होती है इसी तरह से हमारे माल की नीलामी होती है, जो काश्तकार है उसके माल की नीलामी होती है। एक, दो तीन करके माल को नीलाम कर दिया जाता है। जैसे ही जिस काश्तकार का माल बनिये का हो गया, वही काश्तकार यदि एक क्विन्टल माल चाहे तो बनिया उसको उसी भाव पर नहीं देगा, बाजार भाव पर देगा। कहेगा कि हमको पड़ता नहीं खाता। तो इस पड़ते की कोई व्यवस्था करायें, माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्रीमान, इस महकमें के अन्दर भ्रष्टाचार है, यह कहने की हमारी आदत पड़ गई है मैं एक उदाहरण पेश करूंगा। एक ज्योइन्ट

(श्री हरचन्दसिंह)

डायरेक्टर हैं गंगानगर में मिस्टर वसु, उनके बारे में कलेक्टर गंगानगर ने यह रिपोर्ट दी कि यह भ्रष्ट आदमी है क्योंकि उसको कृषि उपज मंडी का प्रशासक नियुक्त किया गया है और उसको वहां से हटाया गया। फिर जो पब्लिक सर्विस कमिशन में एग्जामीनेशन होते हैं उसमें कृषि एक्सपर्ट बैठता है उसमें यह श्रीमान, निश्चित रूप से जाते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसके बारे में यह रिमार्क्स दिये कि इनकी इन्टेग्रिटी डाउटफुल है। श्रीमान, विश्वनाथ एण्ड कं० कीटनाशक दवाइयों की फर्म है, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। इस फर्म पर वहां के बी० डी० ओ० ने अभी कुछ रोज पहले छापा मारा और लाइसेंस नहीं होने की वजह से डिप्टी डाइरेक्टर ने तीन हजार रुपये की रिश्वत देकर बी० डी० ओ० पर दवाव डाला कि इसका चालान नहीं। किया जाये श्रीमान इतना ही नहीं उसकी ऊपर के विभाग से सांठ गांठ है। उसको पिछले तारीखों मे लाइसेंस जारी करवा दिया गया है। जो बैंक में फीस भरी जानी चाहिये थी वह बहुत बाद में भरी गई है। उसको बेक डेट में लाइसेंस दिया जा सकता है लेकिन बेक डेट में बैंक में रुपये नहीं भरे जा सकते हैं, क्योंकि रोज के खाते रोज बन्द कर दिये जाते हैं। यह भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है, श्रीमन्।

इस तरीके से अगर देश के आधारभूत उद्योग कृषि में भ्रष्ट तरीके अपनाते रहे तो मै निवेदन करूं यह देश हिल जायेगा। कीटनाशक दवाओं से बजाय फायदा होने के नुकसान हो जाय तो वह कितना बड़ा अपराध है। अगर इसी तरह सारी फसलों का नुकसान जोड़ा जाय तो देश का कितना नुकसान हुआ होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पवित्र धंधे के लिये बहुत ईमानदार आफिसरों की आवश्यकता है। जो इस मामले में राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत हों उनको ही रखा जाय।

श्रीमन, मैं एक निवेदन और करूंगा। खाद कृषि के लिये निहायत जरूरी है। और खाद का वितरण सहकारी समितियों के मार्फत हमारी सरकार करवाती है। बड़े अफसोस की बात है कि गंगानगर में खाद की शार्टेज है। जहां ज्यादा आवश्यकता है वहां खाद न भेजकर कोटा अलाट किया जाता है। बाड़मेर में जहां किसान खाद का नाम नहीं सुनना चाहते हैं वहां की कृषि सहकारी समिति ज्यादा पैसा लेकर गंगानगर में बेचती है। इस तरह की जो अव्यवस्था है वह या तो अधिकारी अज्ञानवश करते हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि इस प्रदेश में कौनसे हिस्से में कौनसी खाद का इस्तेमाल होता है या फिर उनकी इन्टेग्रिटी डाउटफुल है। मैं सबके लिये तो ऐसा नहीं कहूंगा, हो सकता है अज्ञानवश ऐसा करते हों। तो इन अज्ञानी अधिकारियों से हमारा पीछा छुड़वायें और जिनको ज्ञान है उन अधिकारियों को बुलायें ताकि उचित और सही व्यवस्था हो सके। जिस इलाके में जिस खाद की आवश्यकता है वह वहां मुहय्या करावें।

श्रीमन, पशुपालन का जहां तक सवाल है इस प्रगति विवरण में यह बताया गया है कि मोबाइल डिस्पेन्सरियां जो बड़े-बड़े शहर हैं जयपुर, बीकानेर, जोधपुर उनमें चलेंगी। श्रीमन, पशुओं की संख्या छतरगढ़ में अधिक है। यहां जितने चिकने चेहरे है उतनी पशुओं की संख्या अकेले बीकानेर डिवीजन में है। राजस्थान में वन थर्ड पशु हैं वे वहां के

Page No 124

(124)

(श्री हरचन्दसिंह)

इन्टीरियर क्षेत्र में हैं। वहां पशुओं के इलाज की व्यवस्था न हो, जयपुर में हो तो इसका मतलब है अधिकारियों ने अपने लिये जगह बनाली है ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पा जाय और वहीं बैठे रहें। At the cost of whole of the province. ऐसी व्यवस्था न करवाये। पशुओं के इलाज की व्यवस्था ऐसी जगह करवाई जाय जहां आवश्यकता है।

श्रीमन्, जहां नीतियों का सवाल है असिस्टेन्ट वेटेरिनरी सर्जन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिजेक्ट हुये हैं, दुग्ध उत्पादक संघ बनाया है। ऐसे सब लोगों ने उसमें आकर पदोन्नति लेने का एक तरीका अपनाया है। इस दुग्ध उत्पादक संघ के अन्दर ऊंची ऊंची पोस्टों पर बैठे हैं कोई डायरेक्टर, कोई डिप्टी डायरेक्टर और कोई असिस्टेन्ट डायरेक्टर बन कर बैठा है। क्योंकि हर कोई वेटेरिनरी सर्जन नहीं हो सकता है। इस तरह इस उद्योग के अन्दर ऐसा माहोल बनाकर भ्रष्टाचार को पनपाया जा रहा है, उसे खतम कीजिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : श्री रामकृष्णदास !

श्री मूलचन्द डागा : On a point of order....

श्री सभापति : He is an independant member and he has requested to give him time.

श्री राम रघुनाथ चौधरी : On a point of order....

श्री सभापति : There is no point of order.

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : लों पर बोलेंगे, खेती पर क्या बोलेंगे ?

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मैं बीकानेर में कृषि उपज मण्डी के बारे में बोलना चाहता हूं....

श्री रतनलाल वर्मा : अंग्रेज चले गये और अंग्रेजियत छोड़ गये।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : हिन्दी में बोल रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : बीकानेर में आपातकाल के समय....

श्रीमती सुमित्रासिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बीच में कहां से आ गये ?

(व्यवधान)

बीच में कहां से आ गये। मेरा नाम है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : बीच में बोलें और ज्यादा समय भी लें । इस तरह क्रम का उल्लंघन करके नहीं चल सकते हैं चाहे कोई पार्टी हो ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : गलती इनकी नहीं है XXX

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह । यह ईर्ष्या का विषय नहीं है । नियमों का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आसन ने समय दिया है तो आसन भी नियमों से बन्धा हुआ है । नियमों के मुताबिक लिखकर दिया है तो....

श्री सभापति : मेरे पास लिखा हुआ आया है ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापतिजी, जो वाक्य माननीय सदस्य ने कहा है उसको एक्सपंज किया जाय । यह कहा है कि XXX इस पवित्र सदन में आपके होते हुये यह कह दें, बड़ा मुश्किल है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : One by one, please माननीय सदस्य एक एक करके वोलिये ।

(व्यवधान)

आसन सबकी बात सुन लेगा । एक एक करके बोलें ....

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं निवेदन कर रहा था अभी माननीय गुप्ताजी ने कहा कि ये XXX करने की ।

श्री मदनसिंह दांता : वह औरत है लेकिन वह भी औरत है क्या ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : इस तरह जो ईर्ष्या शब्द का प्रयोग किया गया है....

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ चौधरी : यह सभी नारी जगत के लिये आपत्तिजनक बात है । XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है । सुनिये ।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : ये शब्द निकाले जायं....

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न है....

XXX अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस तरह काम नहीं चलेगा।

श्री सभापति : आसन की बात सुनियेगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अपने विचारों को स्पष्ट करने का मौका दिया गया है, माननीय सदस्या को क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठिये। माननीय सदस्य विराजिये। जो शब्द कहे हैं....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य गुप्ता जी ने कुछ शब्द कहे हैं जो, मैं समझता हूं, परम्परा के अनुकूल नहीं है। उनको एक्सपंज कर दिया जाय।

Now you can continue

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं अपनी गलती मानता हूं। माननीय सदस्या से अनकण्डीशनल माफी मांगने को तैयार हूं। मुझे यह मालूम नहीं था कि तुलसीकृत रामायण से उद्धरण देना भी पाप है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर उसी बात पर आ रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : I tender my apologies.

श्री रतनलाल वर्मा : हिन्दी में बोलिए

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं किसी स्त्री को अपनी मां और बहिन के अलावा कोई नहीं मानता। मेरे शब्दों की वजह से किसी को ठेस लगी है तो मैं अनकण्डीशनल माफी मांगता हूं ...

श्री सभापति : Kindly take your seat,please.

(व्यवधान)

No interruption

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : I will speak on my cut motions.

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक को छोड़ कर कहो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक भी है कहां।

श्री सभापति : काफी हो गया।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, अपने कुछ कटौती प्रस्तावों के जरिये बीकानेर में आपातकाल में हुए अत्याचारों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

If I am disturbed, I will retort and I will not tender any apology.

श्री रतनलाल वर्मा : हिन्दी में बोलो, अंग्रेजी में नहीं बोलने देंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : I will speak in English.

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आप रोक नहीं सकते किसी को इस तरह से।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : English is a Constitutional language.

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय वर्माजी, कृपया बैठें ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम यहां पर संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं। संविधान में अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा माना गया है। जिस संविधान की शपथ लेकर हम यहां बैठे हुए हैं उसके अन्दर अंग्रेजी को इस देश की भाषा मानते हुए यहां पर बोलने से मना करना देश की साठ करोड़ जनता का अपमान है और अपनी XXX को जाहिर करना है....

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो मैं संस्कृत में बोलूंगा। फिर मुझे भी रोका नहीं जाय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

श्री कौशलकिशोर जैन : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर। आन ए पोइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : सभापतिजी पोइन्ट आफ आर्डर तो सुनिये।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सदस्य ने एक सदस्य को XXX कहा है, यह शब्द कार्यवाही से निकाला जावे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसमें कोई गलत नहीं है, आप देखिए तो सही।

श्री कौशलकिशोर जैन : आप व्यवस्था दीजिए आसन की ओर से।

(व्यवधान)

श्री सभापति : No interruption, please. माननीय सदस्य, बैठिये।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं अपने वाक्य को अमेंड करता हूं कि माननीय सदस्य बुद्धिमत्ता का काम नहीं कर रहे हैं..

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह अन-पार्लियामेंट्री नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! मैं प्रार्थना करता हूं, कृपया बैठिए।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : इस शब्द को कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे बोलने का अधिकार है।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिन्डोली) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इनको टाइम तो दे दिया है लेकिन 15 मिनट हो गए हैं और अभी तक बोल रहे हैं। आप व्यवस्था दें कि ये अभी कितना समय और लेंगे। हमारा नम्बर नहीं आ रहा है। न तो ये खुद बोल रहे हैं और न हमको बोलने दे रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : जो भद्दा शब्द इन्होंने बोला है, वह वापस लें।

(व्यवधान)

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No 128

(128)

(श्री रतनलाल वर्मा)

जब तक वापस नहीं लेंगे, हम नहीं बोलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : इनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करें। इनको मालूम ही नहीं है कि क्या शब्द बोले जा सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले एक नारी को अपशब्द कहे और माफी मांग ली, अब फिर दुबारा XXX शब्द कह रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : यह संसदीय भाषा है, आप देखें तो सही।

श्री रतनलाल वर्मा : ये शब्द वापस लें।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सदस्य, आप व्यवस्था दीजिए। क्या माननीय सदस्य XXX शब्द का प्रयोग कर सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री सभापति : भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है....

(व्यवधान)

कृपया व्यवस्था सुन लीजिये।

प्रश्न यह है कि यह शब्द निकाला जाय जो माननीय सदस्य ने कहा है तो प्रोसीडिंग्स देख ली जाएगी। अगर कोई शब्द अनुचित है, अनवान्टेड या अनपार्लियामेंट्री है तो ...

श्री ईश्वरचन्द्र : नियमों में यह व्यवस्था है....

श्री सभापति : व्यवस्था दी जा रही है, उसको तो सुन लें।

श्री ईश्वरचन्द्र : वे अपने शब्द वापस ले लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आसन पैरों पर है। आप उनको तो सुन लें।

श्री रतनलाल वर्मा : इस हाउस में अंग्रेजी में बोलना हाउस का अपमान है....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे याद दिला दिया कि आज हमारे सम्माननीय लोहियाजी का जन्म दिवस है। उनके प्रति सम्मान प्रकट करने की दृष्टि से मैं कहता हूं कि आज जो कुछ भी मैंने अंग्रेजी में कहा है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जावे।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सदस्य, बार-बार बोल कर समय बरबाद कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : Now let me decide the issue one by one.

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि क्या सदन में हिन्दी में बोलने के लिये आग्रह करने पर हमें आप XXX प्रदर्शित कर रहे हैं सुनना पड़ेगा

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अगर आप उचित समझते हैं तब तो ठीक है वरना हम माननीय सदस्य के स्पष्टीकरण से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं होंगे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप XXX का व्यवहार करें और उसके लिए कोई कहे कि XXX का व्यवहार कर रहे हैं तो इसमें गलत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : No interruption please.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं XXX शब्द को वापस लेता हूं। आज डाक्टर लोहिया का जन्म दिवस है उसके उपलक्ष में अब मैं हिन्दी में बोलूंगा, अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा और उस महान नेता के आदर के रूप में, मैं समस्त स्त्री जाति से और पुरुष जाति से माफी भी मांग सकता हूं....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : पहले गाली देते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब कार्यवाही आगे चलने दें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आज से नई परम्परा डाल रहा हूं। अब मैं हिन्दी में बोलूंगा। आज डा० लोहिया का जन्म दिवस है इसलिए उनके सम्मान में हिन्दी में बोलूंगा लेकिन जो कुछ भी कहा है वह अनपार्लियामेंट्री नहीं है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बार-बार हठधर्मिता कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बैठिये।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं पहले तो माननीय सदस्य ने अच्छी बात कह दी, 'जो कुछ मैंने कहा है उसके लिए माफी चाहता हूं' अब यह कह रहे हैं जो कुछ मैंने कहा है, वह सब पार्लियामेन्ट्री पद्धति से कहा है, उसके विरुद्ध नहीं कहा है। इससे तो पहले जो माफी मांगी थी, श्रीमान् वह भी खतम हो गयी है ..

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैंने कहा है वह सही कहा है। यह सब प्रोसिडिंग्स में आ गया है।

श्री मूलचन्द डागा : पहले गलती की फिर माफी मांग ली।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : श्रीमान् यह फिर हठधर्मी कर रहे हैं। यह सही बात नहीं कर रहे है। आप इस बात को गम्भीरता से लीजिए। इनकी जुबान पर लगाम लगाइये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये हमारा समय जाया नहीं कर सकते।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, आसन से पहले यह व्यवस्था हो गयी है

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आज सदन का कार्य समय 5 बजे तक रहेगा और किसी भी माननीय सदस्य को 5 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्य रामकृष्ण दास 30 मिनट ले चुके हैं....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैंने 30 मिनट नहीं लिए हैं। यह झूठ है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, व्यवस्था कीजिए, यह हमारा समय क्यों खराब कर रहे हैं ...

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : चाहे जिस जुबान में बोलें तो भी नहीं बोलने दिया जाएगा....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

व्यवस्था दे दी गई है और माननीय सदस्य ने क्षमा याचना करली है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस चर्चा को आगे चलाने में कोई लाभ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता से मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपने कटौती प्रस्तावों पर ही बोलें। 5 मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : सभापति महोदय आपकी व्यवस्था के बाद भी माननीय सदस्य यह कह रहे हैं। यह आप सब लोगों का सुनियोजित षड्यन्त्र है कि मुझे नहीं बोलने दिया जाए। क्या आप षड्यन्त्र कर रहे हैं। फिर ये ऐसा कैसे कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बिराजिए

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, इस सदन की गरिमा, मर्यादा का भी सवाल है....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं इस सदन की गरिमा के लिए अपने खून की एक-एक बूंद देने को तैयार हूं....

श्री दाऊ दयाल जोशी : जो बोलना है वह बोलो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, ये कृषि की डिमान्ड पर बोलना चाहते हैं तो समय दीजिए। वरना हमारा समय क्यों खराब किया जा रहा है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, मैं बीकानेर शहर की कृषि उपज मंडी के बारे में बोलना चाहता हूं ....

श्री भंवरलाल ऐरन : सभापति महोदय, हमें माननीय सदस्य का खून नहीं भाषण चाहिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर शहर में जो कृषि उपज मंडी बन रही है, पहले उसके लिए जो जगह पसन्द की थी आपातकाल के पहले बीकानेर शहर में कृषि उपज मंडी के लिए एक जगह पसन्द की गई थी 132 एकड़ जमीन और इस पर करीब एक लाख रुपया खर्च कर दिया गया था परन्तु आपातकाल में ज्यादती हुई, किसी वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के गलत दबाव में आकर वहां के जिलाधीश ने और तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इस मंडी के लिए ऐसी जगह पसन्द की है, जो कृषि उपज मंडी के लिये बहुत छोटी रहेगी। जमीन महंगी होगी और आस पास का काम्प्लेक्स, रेजीडेन्शियल एरिया है उसमें दिक्कत होगी। मैंने इस

(श्रीरामकृष्णदास गुप्ता)

सम्बन्ध में कृषि मंत्री महोदय को अनेक बार आवेदन और निवेदन किया है कि कृपया आप इस विषय पर पुनः विचार कीजिए। नये सिरे से विचार विमर्श करके जो पुरानी जगह पसन्द की थी और जिस पर सरकार का एक लाख रुपया खर्च कर दिया है, वहां पर ही कृषि उपज मंडी ठीक ढंग से बनाई जाए।

दूसरा प्रश्न यह है कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पशु पालन और पशु चिकित्सा का घोर अभाव है। अगर हमें पश्चिमी राजस्थान का आर्थिक दृष्टि से विकास करना है तो चूंकि वहां पर पानी बहुत गहरा है, नहर नहीं आ सकती है, हर वर्ष अकाल रहता, वर्षा नहीं होती है, इस कारण वहां पर भेड़, गाय और ऊँट ये जो पशु हैं उनकी बीमारियों की रोकथाम के लिए पशु चिकित्सालय खोले जाने चाहिये। यह आवश्यक है कि गाय, बैल, ऊंट के उपचार की उचित व्यवस्था इस क्षेत्र में की जाए। आज पश्चिमी राजस्थान में, जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर बीकानेर में 30-40 मील की दूरी तक कोई भी पशु चिकित्सालय नहीं है। इसके अभाव के कारण आए साल भेड़ें, गायें मरती है हजारों ऊंट मर गये हैं। गरीब किसानों की मवेशी मर जाती हैं। एक एक ऊंट की कीमत तीन, चार हजार रुपये से कम नहीं होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय नुकसान हो रहा है इसको बचाया जाए। इस प्रकार मवेशी के मरने से अकालग्रस्त क्षेत्र के टूटे हुए किसान की रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है। श्रीमन् पश्चिमी राजस्थान का यह जो इलाका है इसमें वेटेरिनरी फेसेलिटीज बिल्कुल भी नहीं हैं, और कहीं पर हैं तो नाकाफी हैं। वहां पर कोई ज्यादा स्टाफ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें। आप ध्यान दीजिये और जो मरु प्रदेश की मांग है, उस मांग से राजस्थान को टुकड़े होने से बचाना है तो आप वेटेरिनरी साइन्सवेटेरिनरी हास्पिटल हर जगह खोलिए ताकि वहां का पशुधन बच सके। दूसरे जो दूध का उत्पादन है वह वहां पर काफी है इसलिए वहां पर इसके छोटे छोटे उद्योग लगाइये। बीकानेर में पूरे दूध का कलेक्शन नहीं होता है। वहां पर बढ़िया से बढिया नस्ल की गाय हो उस एरिया में दूध का उत्पादन बहुत काफी है। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि बीकानेर से 60 मील दूर का यह जो एरिया है वहां पर एक चिलिंग प्लान्ट लगाया जाना चाहिए ताकि 100 वर्ग मील एरिया का दूध इकट्ठा हो सके दूध को बाजार मिल सके और वहां के किसानों की माली हालत अच्छी हो सके।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यू. जी. सी. की स्केल आपने यूनिवर्सिटी और दूसरे लेक्चरार को दे दी है किन्तु एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को नहीं दी है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने भी यह मान लिया है कि कृषि के जो लेक्चरार हैं जो वेटेरिनरी लेक्चरार हैं, उनके लिए भी यू. जी. सी. की पे स्केल लागू की जाए परन्तु राजस्थान सरकार इन लेक्चरर्स पर यू. जी. सी. पे स्केल, लागू नहीं करके इनके साथ भेद भाव कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। इस कारण से वे लोग डिस्करेज हो रहे हैं और आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं। इन लेक्चरार्स ने स्ट्राइक का नोटिस भी सरकार को दे दिया

Page No 132

(132)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

है। रूटा ने सरकार को नोटिस देकर यू. जी. सी. की पे स्केल लागू करवा ली। मैं यह मांग करूंगा कि राज्य सरकार एक सा काम करने वाले और एक ही केडर के व्यक्तियों के साथ भेद भाव की नीति नहीं अपनावे और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को भी 700-1600 की यू जी. सी. ग्रेड दे जिससे बढ़िया टेलेन्ट राजस्थान की ओर अट्रेक्ट हों और जो कार्यरत टेलेन्ट हैं वह राजस्थान को छोड़ कर दूसरी यूनिवर्सिटिज में न जावे और हमारा इससे जो इर्रिपेरेबल लास होता है वह न हो।..

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अन्त में, सभापति महोदय, कृषि विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा जीपों का जो दुरुपयोग होता है, उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा जीपों का अपने निजी कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। छोटे कर्मचारियों पर दबाव डाल कर झूठी एन्ट्रीज की जाती हैं। इस प्रकार लाखों रुपयों का पैट्रोल जो कृषि विस्तार के कार्यक्रमों पर खर्च होना चाहिए, गांवों में खर्च होना चाहिए उस पर, न होकर बड़े शहरों की सड़क पर फूंका जाता है और बजट खर्च हो जाता है। माननीय मंत्री जी आप इस विभाग में नये आये हैं। जैसे गेहूं खोखला होता है वैसे ही आप का विभाग खोखला हो चुका है। आप देखते हैं माली हालत किसान की ठीक नहीं है ओर आपके विभाग में भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक है। विभाग की हालत ठीक नहीं करोगे खाया पिया नहीं निकलवाओगे जैसी कि मुख्य मंत्री जी की घोषणा है

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैंने जो कहा है वह माफी मांगने लायक नहीं है। फिर भी किसी महान नेता के बारे में मेरे शब्दों से किसी को चोट पहुंची हो तो मैं पुनः माफी मांगने के लिए तैयार हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री सूरजपाल सिंह!

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैंने कृषि की मांग पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। जालोर जिला कृषि की दृष्टि से काफी उन्नत है। इसका प्रमाण आपको मिलेगा की सम्पूर्ण राजस्थान में जितने कृषि यंत्रों का प्रयोग होता है उसका 50 प्रतिशत जालोर में होता है। वहां पम्पिंग सेट लगे हुए हैं। अगर अधिकारियों का अच्छा सहयोग हो तो और भी विकास हो सकता है। लेकिन अधिकारियों का सहयोग बिल्कुल नहीं रहा है। वहां जो लोगों ने प्रगति की है वह अपनी हिम्मत से की है। वह अपनी हिम्मत से वहां बैठे हैं। मैं चुनौती देता हूं, वहां का जो सरकारी विभाग है उसने वहां पर जागृति करने, शिक्षा देने में किसी प्रकार का किसानों को सहयोग नहीं दिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो इन्दिरा गान्धी के हैं .....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : सभापति महोदय समय क्यों बरबाद करते हैं

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां लोग आगे बढ़ने को तत्पर हैं इसलिए जो सरकारी कर्मचारी हैं वह अच्छे बीज,

(श्री सूरजपालसिंह)

अच्छी खाद, आधुनिक टेक्निक की शिक्षा दें और वहां लोगों को उनका प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करें।

जालौर जिले में काफी लम्बे चौड़े एरिया में खेती होती है। इस वर्ष वहां फसलों पर रोग का काफी प्रकोप हैं। लाखों एकड़ में रोहेडा कीड़े के कारण खेती नष्ट हो रही है फिर भी कृषि विभाग ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। वहां न तो रोहेड़ा कीड़े को नष्ट करने के लिये प्रयत्न किया और न वहां एरिड को कण्ट्रोल करने के लिए ही किसी प्रकार का प्रयत्न किया...

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आपस में बातें नहीं करें।

श्री सूरजपाल सिंह : बहुत से यन्त्र वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं। उनको उपलब्ध कराने के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। मैं निवेदन करूंगा कि कृषि विभाग द्वारा यन्त्र खरीदने की सुविधा किसानों को दी जाये।

इसके अलावा जो यूरिया दिया जाता है, उसमें सात-आठ किलो कम आता है। फर्टिलाइजर कण्ट्रोल एक्ट के सैक्शन 57 के सब सैक्शन 14 में लिखा है।

"Contents there of can not be tempered with without breaking the seal ...

जितना भी यूरिया दिया जाता है उससे 7 किलो कम होता है। यह किसानों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं है।

इसके अलावा पशु पालन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पशुपालन विभाग द्वारा 50 पशु चिकित्सालय खोले गये हैं उनमें से जालौर जिले में एक भी अस्पताल नहीं खोला गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जालौर की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें। वहां के लोग काफी संख्या में पशु रखते हैं। इसलिए जालौर की उपेक्षा करना जनता के साथ अन्याय है।

डेयरी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, रानीवाडा में डेयरी है उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। वह सही रूप में नहीं चल रही हैं। इस पर आप ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : समय कम है।

माननीय श्री खेतसिंह !

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, पहले मैं बोल लूं। मुझे जाना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं बाद में बोल लूंगा। इनको जाना है यह पहले बोल लें।

श्री ईश्वर चन्द्र : कटौती प्रस्ताव की सूची में जिस क्रम में नाम दिये गये हैं उसी प्रकार बोलेंगे।

श्री मदन सिंह दांता: आपको क्या फर्क पड़ता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सिर्फ बोलने की बात है।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई(सांचौर) : सभापति महोदय पिछले वर्षों से हमारे यहां संकर बाजरा बोया जाता है। उसमें कोई

[(श्रीरघुनाथ विश्नोई)

ऐसा रोग आ गया है जिससे सारा बाजरा नष्ट हो गया है। सेण्ट पर्सेण्ट खतम हो गया है। चारा भी पशुओं के खाने के काबिल नहीं रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस बाजरे के रोग का क्या कोई इलाज निकाला है। अगर कोई इलाज नहीं निकाला गया तो वहां लोग सोचते हैं कि हमको फिर पुराना बाजरा ही वापस बोना पड़ेगा। इस रोग से सारी फसल खराब होती है, और चारा भी खराब होता है। पहले यह और स्थानों जैसे सीकर झुन्झुनु वगैरह में था अब यह रोग जालौर ज़िले में आ गया है।

मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इसका सेम्पल लेकर कोई इलाज निकाला हो तो वह सदन में बतायें। नहीं पता हो तो रिसर्च करा कर कोई इलाज निकलवायें। वेस्ट राजस्थान की संकर बाजरा की क्राप सारी की सारी नष्ट होती जा रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट......

(3.09 म. प.)

(श्री राम नारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

इसको रोकने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है।

सभापति महोदय, रायड़े में एक नई बीमारी लगी है चेपा की। पिछले तीन चार सालों से सिरोही, जालौर और पाली में 50 पर्सेन्ट से ज्यादा फसल नष्ट हो जाती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के पास पुराने और आउट आफ डेट इम्पलीमेन्टस पड़े हैं, उनकी वजह से यह विभाग उन बीमारियों को रोकने में नाकामयाब रहा है। तो, सभापति जी, इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कपास गन्ना और रायड़े में जो नये रोग लग गये हैं उनका इलाज जल्दी से जल्दी कराया जाय।

दूसरी बात मैं जीरे के बारे में कहना चाहता हूं। बीज के समय जीरे का भाव 60 रुपया क्विंटल था और अब 15 रुपये क्विन्टल हो गया है। इससे किसानों में भारी असन्तोष है। इसलिए तो या बीज के समय उपयुक्त व्यवस्था की जाय और नहीं तो फसल के समय में भावों में समानता रहनी चाहिए, इतना भाव नहीं गिरना चाहिए। आज उसकी कीमत में जमीन और आसमान का अन्तर है इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं, इसकी आप घोषणा करें।

इसके अलावा आज क्रोप फेल होने के कारण किसान बरबाद हो जाते हैं। इसलिए किसानों की फसल के इन्श्योरेन्स के बारे में कोई घोषणा करें।

पशु पालन के मामले में जालौर जिला काफी पीछे है, वेस्टर्न राजस्थान एज ए होल में खेती और पशुपालन दोनों समान धंधे चलते हैं। दुग्ध की योजना आप जगह जगह चालू कर रहे हैं लेकिन जालौर में हमको प्राइवेट डेयरी मिली है उसको भी सौ माइल का एरिया दिया गया है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहूंगा कि दुग्ध कार्पोरेशन के सेक्रेट्री या किसी विशेषज्ञ को भेजकर इस डेयरी को एग्जामिन करवायें दूध के पैसे वहां पर पशु पालकों को बराबर नहीं मिल रहे हैं, उनको रुपया सवा रुपया से ज्यादा नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मिल रहा है इसलिए सरकार को इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेना चाहिए। एनीमल हस्बेण्डरी का कोई प्रोग्राम हमारे यहां नहीं चल रहा है। इस डेयरी के कारण कोई केटल ब्रीडिंग प्रोग्राम नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय सभापति महोदय, वह डेयरी कौनसी है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आइडियल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, रानीवाडा। इसकी व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए सरकार को बीच बचाव करके इसको अपने कब्जे में लेना चाहिए एनीमल हस्बेन्डरी के लिहाज से सारा सिरोही, जालौर और बाड़मेर का एरिया पीछे रह गया है। वहां पर एनीमल हस्बेण्डरी का कोई प्रोग्राम नहीं है, डी. पी. ए. पी. का कोई प्रोग्राम नहीं है। आपने पचास डिस्पेन्सरीज पशु चिकित्सा की खोलने की घोषणा की थी उसमें भी जालौर का नम्बर नहीं आया। हमने सोचा थी कि एक डिस्पेन्सरी हमारे यहां भी खोलेंगे लेकिन नहीं खोली गई।

यहां के बेल कांकरेज नस्ल के हैं वे हिंदुस्तान भर में मशहुर हैं यहां की गाय भी दूध के मामले में सब से आगे हैं। माननीय मन्त्री जी जब जवाब दें तो मैं चाहूंगा कि वे इन बातों का भी जवाब दें। आप स्वय काश्तकार रहे हैं, आपको यह विभाग मिला है। पहले आप भी सुझाव दिया करते थे। सौभाग्य से अब आपको यह पोर्ट फोलियो ही मिल गया है। कृषि के क्षेत्र में आप क्या नई स्कीम बना रहे हैं और क्या नये प्रोग्राम हाथ में लेने जा रहे हैं इस बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से उत्तर चाहूंगा।

पंचायत समितियों में से आपने ए. ई. ओज को विथड्रा कर लिया है. इससे वहां पर काफी असर्टेन्टी हो गई है। उनको विथड्रा करके आप समितियों में क्या काम करेंगे, आपका इस बारे में क्या स्टेप होगा, यह भी बतायें।

कृषि यूनिवर्सिटी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फसलों की बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई रिसर्च नहीं कर रही है। पहले जब विभाग के हाथ में यह काम था तब अच्छा कार्य चल रहा था। यूनिवर्सिटी में इसके लिए कोई रिसर्च नहीं हो रही है। इसलिए इसको वापस विभाग को लेना चाहिए और अगर वापस नहीं ले तो यूनिवर्सिटी में अच्छा काम होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह !

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय सभापति महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में अर्थात हमारे बजट की आमदनी में 52 प्रतिशत केवल खेती और पशु पालन से आय होती है। हमारी 52 प्रतिशत आय जहां इन दो विभागों से होती है वहां इन विभागों पर खर्चा कुल बजट में 2 प्रतिशत रखा गया है, मतलब राजस्थान के सम्पूर्ण बजट का केवल दो प्रतिशत इन दोनों विभागों के लिए खर्च किया जायगा, मैं निवेदन कर रही थी कि यह इस बात का द्योतक है कि हम खेती और पशुपालन, जो हमारी आय का मुख्य स्रोत हैं, को कितनी उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि विभाग ने जो विव-

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

रण पत्रिका दी है उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि हम खेती में सब से पीछे हैं, न केवल सिंचित क्षेत्र में बल्कि खाद के वितरण में, उन्नत बीजों के वितरण में, किट-नाशक दवाइयों के वितरण में और प्रति एकड़ उपज में आल इण्डिया एवरेज से कहीं नीचे हैं। पंजाब की बात मैं नहीं करती वहां तो 77 प्रतिशत एरिया सिंचित क्षेत्र हैं वहां पर तो खाद, बीज और उन्नत किस्म के बीज द्वारा कुछ खेती में बहुत अधिक तरक्की हुई है लेकिन राजस्थान न केवल प्रति एकड उपज में पीछे है, न केवल गेहूं की हाई ब्रीड में पीछे है, न केवल प्रति एकड़ बाजरे के उत्पादन किस्मों के अनुसंधान में पीछे है, न केवल प्रति एकड़ मूंगफली के उत्पादन में पिछे है बल्कि प्रति एकड कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल में पीछे है। प्रति एकड खाद के इस्तेमाल में पीछे है, तथा सिंचित क्षेत्र में पीछे है। तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं आपके जरिये सभापति महोदय, वैसे तो हमारे प्रान्त में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, उसके साथ दुर्गापुरा का फार्म भी लगा हुआ है, जोबनेर का कृषि कालेज भी कार्य कर रहा है लेकिन इन सबके बावजूद उन्नत किस्म के बाजरे के उत्पादन में हम प्रगति नहीं कर सके हैं। सिंचित क्षेत्र में और असिंचित क्षेत्र में भी नहीं कर सके हैं। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि पिछले साल के मुकाबले में हमारी खरीफ की फसल का उत्पादन गिर गया। अभी जैसा कि पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा हमारी मुख्य फसल बाजरे की है। इसमें तीन बीमारियां लगी हुई हैं। पहली बीमारी है अरगट। विभाग ने लिखा है कि इन बीमारियों की वजह वैसे उत्पादन गिर रहा है। अरगट रोग का प्रकोप और सफेद लट के कारण प्रान्त में से बाजरे का उत्पादन गिर रहा है। तीन बीमारियां बाजरे में लगी हुई हैं। सफेद लट, कातरा और अरगट पहले तो कातरा खा जाता है, उससे बच जाय तो सफेद लट खा जाती है और उससे भी बच जाय तो अरगट की बीमारी नहीं छोडती है। और इन तीनों बीमारियों से बाजरे की फसल को बचाने में राजस्थान का कृषि विभाग असफल रहा है। यह विभाग के प्रगति विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि बाजरे की जो मेन क्रोप है उसका उत्पादन वर्ष दर वर्ष गिरता जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह तो हुई अन्न उत्पादन की बात। अब मैं उद्यान विकास पर आती है जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हम सब चीजों के अन्दर चाहें वह सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे खाद बीज के वितरण का सवाल हो, चाहे उद्यान विकास हो, पीछे हैं। उद्यानविकास के नाम पर अंगूर की बलें लगाने के बारे में। जिन लोगों ने अंगूर की बेलें लगाई हैं जयपुर शहर के अन्दर उन सबने बेलें काट डाली है। भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी श्री हरिदेवजी, रामसिंहजी, जिनके खेतों पर काफी संख्या में बेलें लगी हुई थीं, ने काट डाली। और हमारे प्रान्त के मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी इजराइल जाकर आये तो अंगूर को बेलें लगाने की योजना अपने साथ लाये थे। लोगों ने एक्सपेरीमेंट के बतौर बेलें लगाई थी, लेकिन विभाग का सहयोग उद्यान विकास को नहीं मिला समय पर किस दवा का छिड़काव किया जाय, कौन से माइक्रोन्यूटरेट्स किस समय पर उपलब्ध होने चाहिए, कौन सी खाद दी जाय, कब दी जाय, उसका प्रूनिंग

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

करना है यह उनको मालूम नहीं था इन सब से परेशान होकर सब लोगों ने ग्रेप वाइन्स के बगीचे काट डाले। इसलिए उद्यान विकास का प्रश्न नहीं उठता है। होर्टीकलचर के बगीचे जितने थे वह बजाय इन्क्रीज होने के धीरे-धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। सन् 52 में जब मैं यहां पढ़ती थी तब देखा करती थी कि जयपुर के आसपास सांगानेर और झोटवाड़े की तरफ लोगों के ग्रामों में काफी अच्छे बगीचे थे। लेकिन जैसे-जसे आबादी का विस्तार हुआ, वैसे-जैसे वह बगीचे बजाय बढ़ने के धीरे-धीरे कम हो गये। वह कम ही नहीं हुए करीब-करीब समाप्त हो गये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान का कृषि विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में काश्तकारों को मदद करने में असफल रहा है चाहे उसके कारण कुछ भी रहे हों, चाहे धन की कमी रही हो, चाहे संबंधित मंत्री की उदासीनता रही हो, चाहे अधिकारियों की उदासीनता अथवा अकर्मण्यता रही हो। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूं कि इस संबंध में राजस्थान का कृषि विभाग अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरीके से अभी तक नहीं निभा रहा है।

मैं कृषि के साथ-साथ पशुपालन के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगी। राजस्थान में पशु पालन और डेयरी विकास निगम यह दोनों अलग-अलग विभाग हैं। इन दोनों विभागों में कतई समन्वय नहीं है। डेयरी विकास निगम की स्थापना श्वेत क्रान्ति के लिए, जो लोग पशुओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले हैं उनकी आर्थिक बहबूदी के लिए हुई है। लेकिन पशुपालन विभाग के साथ उसका ठीक तरीके से समन्वय नहीं होने के कारण उनका आपस में ठीक तरीके से तालमेल नहीं होने के कारण वांछित प्रगति नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, यह बात मैं इसलिए कहना चाहती हूं कि अभी तक डेयरी विकास निगम ने उन्नत किस्म के पशुओं की क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम, गर्भाधान की समुचित व्यवस्था की शुरूआत नहीं की है क्रास ब्रीडिंग का कार्य डेयरी विकास निगम के नीचे दिया गया है। लेकिन जो लोग किसी दुग्ध सहकारी समिति के सदस्य नहीं है उनको परेशानी है। इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पशुपालन विभाग को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। मान लें यदि कोई किसी समिति का सदस्य नहीं है, दूध नहीं बेचता है और घर के कन्जम्पशन के लिये गाय या भैंस रखना चाहता है तो उसको कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा नहीं मिलेगी, ए. आई. (आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन) की सुविधा नहीं मिलेगी। यह डिस्क्रिमिनेट्री ट्रीटमेंन्ट है। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि पशुपालकों को ए. आई. करवाने की सुविधा देनी पड़ेगी। मंत्रीजी आज श्वेत क्रांति की बात करते हैं; किसानों को आर्थिक तौर से उन्नत करने की बात करते हैं, लेकिन उसमें एक एनोमली है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल एक बात कहकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगी।

आप दूध का चुकारा करते हैं फेट के आधार पर और दूसरी तरफ आपका क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम चल रहा है केवल गायों का। आप ए. आई. केवल गायों का करते हैं, लेकिन गाय के दूध में फेट कम होता है। क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम तो गाय का है और चुकारा करते है दूध का फेट के आधार

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

पर, तो यह बात चलेगी कैसे ? इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज जो लोग उन्नत किस्म के पशु रखते है उनको दूध का चुकारा पंजाब के तरीके पर सालिड नाट फेट पर करना होगा। यदि आप सालिड नाट फेट के आधार पर चुकारा नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी गाय रखने के बजाय भैंस रखना पसन्द करेगा। इसलिए डेयरी विकास निगम से या बैंक के थ्रू चाहे अंत्योदय योजना के तहत, चाहे और किसी योजना के तहत लोन देते हैं तो वह बजाय गाय रखने के भैंस रखना पसन्द करेगा। निश्चित तौर से इस बात को मानें क्रॉस ब्रीडिंग के प्रोग्राम को धक्का लगेगा पंजाब की लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अन्दर इस बात का एक्सपेरीमेंट हो चुका है। एक व्यक्ति एक.एकड़ के अन्दर हरा चारा पैदा करता है या केवल खेती करता है या केवल भैंस रखकर डेयरी के जरिये अपना जीवन-निर्वाह करना चाहता है या क्रॉस ब्रीड गाय रखना चाहता है। क्रासब्रीड गाय के मुकाबले बाकी इकोनामी कम फायदे की होगी। आप श्वेत क्रान्ति को आर्थिक उन्नति का माध्यम बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से जो लोग क्रॉस ब्रीड गाय रखते हैं उन लोगों को इन्साफ देने के लिए आप दूध का चुकारा सालिड नाट फेट के आधार पर करें न कि फेट के आधार पर।

माननीय सभापतिजी, इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, जैसा कि मुझ से पहले बोलने वाले सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, हिन्दुस्तान में अपनी जो देशी किस्म की गाय है वह विदेशी नस्ल की गाय से कोई कम नहीं है। आपको मालूम होगा कि क्रॉस ब्रीड गाय अगर 20-25 किलोग्राम दूध दे सकती है तो कांकरेज, थरपारकर, राठी गाय 15 किलो देती है। उसके साथ में वह कॉफ, बछड़ा भी ऐसा देती है जो कि खेती के काम आता है। ब्रीड गाय का बछड़ा खेती के काम नहीं आ सकता है। ऐसी लोगों की धारणा इसलिए किसानों और पशुपालकों का एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि वह क्रास ब्रीड गाय रखने में हिचकिचाते हैं। काश्तकारों और पशु-पालकों को इस एटीट्यूड से दूर नहीं करा सके हैं। उनको इससे स्वतन्त्र कराने के लिये चाहे एट्रैक्शन के तौर पर, चाहे डिमान्स्ट्रेशन के तौर पर करें लेकिन उनके दिमाग में यह बात घुसानी पड़ेगी और विभाग को उनके काव्ज बछड़ों को खरीदना पड़ेगा। वरना वह यह समझते हैं क्रास ब्रीड गाय की कीमत 10-12 महीनों बाद जब ड्राई होकर दूध देना बन्द कर देती है महंगी पड़ती है। इसलिए विभाग की जिम्मदारी ह कि क्रास ब्रीड गाय से जो कॉफ मिले उनको विभाग खरीदे। मैं नहीं कहती कि सरकार हमेशा के लिए काफ खरीद कर उनको मदद देती रहे, लेकिन कुछ समय तक के लिए जब तक इस प्रोग्राम को स्वीकार कर लें, आपको इसमें कुछ घाटा भी उठा कर इस व्यवस्था को करना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम' में विदेशी खून 50 पर्सेन्ट और साढ़े बासठ पर्सेन्ट तक ही रखना उचित होगा। क्योंकि यहां की जलवायु और वातावरण के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेंगे। डेयरी विकास निगम और पशुपालन विभाग के अन्दर आज कोई ऐसी व्यवस्था इस सम्बन्ध में नहीं हैं जिससे यह पासिबल हो सके। मुझे निवेदन करना है कि आप को क्रासब्रीडिंग के पशु

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

50 पर्सेन्ट और 62½ तक रखना होगा और निश्चित तौर पर रखना होगा । उसके लिए डेयरी विकास निगम में जैसे 100 पर्सेंट हैं बुल की व्यवस्था है वहां 50 पर्सेंट और 75 पर्सेंट तक सांडों की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि 50 पर्सेंट और 62½ पर्सेंट तक हम हमारी गायों को कायम रख सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं यही निवेदन करना चाहूंगी माननीय कृषि मंत्री जी से कि डेयरी विकास निगम और विभाग के अन्दर अच्छा तालमेल होगा तो ठीक रहेगा ।

आज हालत पशुपालक की यह है कि क्रास ब्रीड में एक साल में ही 3–4 तरह के वेक्सीन कराने पड़ते हैं जो किसान नहीं करा सकता । यह विभाग की जिम्मेदारी है। डेयरी विकास निगम पता नहीं किस हद तक ध्यान दे रहा है क्योंकि मुझे जब वेक्सीन कराना पड़ता है किसी न किसी बड़े आदमी से टेलीफोन करना पड़ता है । जब मेरी हालत यह है तो साधारण पशु पालक को तो क्या परेशानी उठानी पड़ती होगी क्या हालत होगी ? नियमित रूप से आपके विभाग के पास पशुओं की उन्नत किस्म के पशुओं का रजिस्टर मेन्टेन होना चाहिए कि किस पशु पालक के पास कितने कितने पशु हैं और उनका टाइमली वेक्सीनेशन हुआ है अथवा नहीं क्योंकि यह उनके विभाग की जिम्मेदारी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं ।

श्री सभापति: श्री जयनारायण सालोदिया ! (अनुपस्थित) ।

श्री करतार सिंह !

श्री करतार सिंह (किशनगढ़): सभापति महोदय, कृषि व पशुपालन की मांगों पर माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए। इस सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्य चिंतित प्रतीत होते हैं कि कृषकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है । मैं भी समर्थन करता हूं कि किसानों को आज तक किसी भी सरकार ने राहत नहीं पहुंचाई । मैं अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से कृषि विभाग के बारे में और कृषकों की दुर्दशा के बारे में चर्चा करना चाहता हूं ।

किसी इकानामिस्ट ने कहा था कि भारत का किसान गरीबी में पैदा होता है और गरीबी में ही मर जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? किसान दिन रात खेती का काम करता है उसके बाद भी वह गरीब का गरीब है। भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । 80 प्रतिशत जनता की यह स्थिति है तो निश्चित रूप से इस देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कृषि के क्षेत्र में किसानों का भविष्य उज्ज्वल न हो। किसान के पिछड़ेपन या गरीबीपन के मुख्य कारण हैं, कृषि विभाग के अधिकारियों की विभागीय अकर्मण्यता, समय पर उचित एग्रीकल्चरल इनपुटस सप्लाई न करना, उसकी उपज का उचित मूल्य न मिलना और प्राकृतिक आपदायें ।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में जो राज्य सरकार ने कृषि का बजट बना रखा है, वह कृषि उत्पादन व ग्रामोन्मुख नीति के अनुकूल है ? पर्याप्त

(श्री करतार सिंह)

है क्या ? आज काश्तकार के पास कोई चीज पैदा होती है तो उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। खेत में अनाज पैदा होने के बाद मिडिल मैन के पास चला जाता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब तक किसान को उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक उसकी प्रगति संभव नहीं। जब किसान रूई पैदा करता है तो वह सस्ती बिकती है लेकिन कपड़ा मंहगा होता है। गन्ना सस्ता बिकता है लेकिन चीनी महंगी होती है। इसका क्या कारण ? किसान दिन रात मेहनत करके जो पैदा करता है उसका उसकी उचित मूल्य नहीं मिलता है उसके बाद जब वापस उपभोक्ता को मिलता है तब महंगा होता है। जब तक उत्पादक व उपभोक्ता के बीच मिडिल मैन की कड़ीन समाप्त नहीं होगी इस देश का किसान खुशहाल नहीं हो सकता। अतः मेरा सुझाव है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु यह आवश्यक है कि उसे अपना माल प्लेज करने की सुविधाये दी जांय।

आपके जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं मैं उनके सम्पर्क में रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आपके अधिकारियों को कुछ ज्ञान नहीं है मंत्री महोदय है खुद किसान है। आपको कृषि का अनुभव है, आप बतायें आपके अधिकारी कृषि के मामले में कितने जानकार हैं। किसान को आज प्रशिक्षण की जरूरत नहीं वह खुद ट्रेन्ड हैं। आप उनको केवल एग्रीकल्चरल इनपुट्स समय पर सप्लाई करें व उचित मूल्य दिलायें।

जिस तरह से कागज के फूल से खुशबू नहीं आती है उसी तरह से वर्तमान में एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन प्रोग्राम से भी किसान का भला नहीं होने वाला है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके एग्रीकल्चरल सेट अप में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण है कि विभागीय कर्मचारी गांवों की तरफ नहीं जाना चाहते। जब तक उनको ग्रामोन्मुख नहीं करेंगे, किसानो के साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगे तब तक यह सफल नहीं हो सकेंगे। इस वर्ष आपने विश्व बैंक की सहायता से जो नवीन कृषि विस्तार पद्धति प्रारंभ की है वह दोषपूर्ण है। क्लस्टर की मीटिंगों में ग्राम सेवक जाते हैं, वहां इन्हें मात्र थोड़ी सी बातें सिखाई जाती हैं जिससे कि किसानों को तत्काल राहत मिलना असंभव है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन क्लस्टर मीटिगों में कितना टी. ए. डी. ए. पर धन व्यय होता है, उसका रिजल्ट क्या है ? आप किसानों को कृषि इनपुट्स सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो ऐसी योजना से क्या लाभ मिल सकता है ? ग्राम सेवक मीटिंग में जाता है, टी. ए. डी. ए. खर्च होता है, किन्तु वहां उल्टी सीधी बातें सिखाई जाती हैं। आज आवश्यकता है किसान को अधिक सहयोग देने की।

जब तक फील्ड में जाकर डिमोन्सट्रेशन नहीं करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर उनमें साथ कार्य न करेंगे उसको कृषि इनपुट्स बैंक ऋण उपलब्ध नहीं करवायेंगे, फसल की बीमा योजना लागू नहीं करेंगे तब तक कृषक की हालत सुधारना असंभव है। आपकी जो नवीन कृषि विस्तार पद्धति चल रही है उसके धन का दुरुपयोग ही हो रहा है। शहरों के अंदर मीटिंग करने की क्या जरूरत है? गांवों में करिए। इसके साथ ही एग्रीकल्चरल इनपुट्स समय पर नहीं मिलते हैं। किसान को हाईब्रिड वैराइटीज के लिए कहा जाता है, फर्टीलाइजर्स के लिए कहा जाता है, प्लांट

(श्री करतार सिंह)

प्रोटेक्शन औषधियों के लिए कहा जाता है। आज ग्राम सेवक गांवों में जाता है, वह उसको नई बात बताता है किसान मांग करते हैं तो नजर नहीं आता है। किसान को भले आप राय दें लेकिन राय के साथ-साथ यदि किसी चीज की वह मांग करता है तो वह भी उसे उपलब्ध करायें, पैसा नहीं है तो बैंक से लोन दिलवायें। यदि उपलब्ध नहीं करायेंगे तो किसान का भाग्य उज्ज्वल नहीं हो सकता।

उन्नत खेती के लिए सब से पहले सोइल वाटर टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। वर्तमान में राज्य में तीन चार स्थानों पर ही ये लेबोरेटरीज हैं। राजस्थान के किसान को यदि आगे बढ़ाना है, नई पद्धति को कारगर ढंग से बढाना है, उत्पादन बढाना है तो हर पंचायत समिति स्तर पर लेबोरेटरी कायम की जाय जिससे किसान को मालूम हो कि किस एलीमेंट की कमी है, उसकी जमीन में कौनसी वेरायटी होनी चाहिए। वेरायटी के विकास के लिए किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। उदाहरणार्थ बाजरे का अपने यहां उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, हाई-ब्रीड बाजरा खूब बोया गया परंतु पिछले कुछ वर्षो से गुजरात के बाजरे को किसान को मजबूर होकर बोना पड़ा जिसके फलस्वरूप अरगट जैसे रोग पैदा हुए। किसान ने अब बाजरा बोना ही छोड़ दिया है। अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप परम्परागत बोई जाने वाली फसलें नष्ट हो रही हैं और नेचरल केलेमिटीज बढ रही हैं। इसलिए किसानों को क्रोपिंग पैटर्न बतायें और यह सिखायें कि किस तरह से फसल खराब होती है वह, कौन सी दूसरी फसल बो सकता है

कृषि मंडियों के लिए आपने जो बोर्ड बनाया है इस बोर्ड को बंद कर दें, इसका कोई उपयोग नहीं है, कृषि मंडिये खुद सक्षम हैं। इस बोर्ड में भ्रष्टाचार है। क्रेताओं से एक पर्सेंट मंडी टैक्स ले रही है वह दो पर्सेंट टैक्स वसूल किया जाय। करीब 12 करोड़ रुपए की आपको वर्तमान में जो आमदनी हो रही है वह 24 करोड़ होगी उसमें से 12 करोड़ इरिगेशन पर लगायें तो नेचरली किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे।

कृषि उपज मन्डियों में मंडी यार्ड बनाने पर जो धन खर्च कर रहे हैं उससे क्या फायदा? फायदा काश्तकारों को होना चाहिये वह तो हो नहीं रहा है। मेरा निवेदन है कि जब तक आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक आपको कोई लाभ हो जाय वह बात नहीं होने वाली है। केवल टैक्स लगाकर रोड्स बना देने और मन्डियों की बिल्डिंग्स बना देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले यह पैसा कृषि उत्पादन बढ़ाने पर लगाना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं थोड़ा पशुपालन विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आपके पशुपालन विभाग की एक विवरण पत्रिका मिली है उसमें लिखा है कि एक बहुद्देशीय मांस कारखाना अलवर में स्थापित किया है। उसमें यह भी लिखा है कि सन 77 वर्ष के दौरान जून, 77 तक 785 किलोग्राम मांस उत्पादित हुआ एवं 906 मुर्गियों का वध किया गया। मुझे आपकी इस पुस्तक को देख कर आश्चर्य हुआ कि किस तरह की योजनाएं आप बना रहे हैं इसमें तो घाटा ही घाटा है इससे राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं होगा। अत: ऐसी योजनाओं को तत्काल बन्द किया जाना चाहिये। इस तरह की आपकी योजनाओं

(श्री करतार सिंह)

से कुछ होना जाना है नहीं। यही कारण है कि आज गांवों के सभी लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप केवल बात ही कर देते हैं इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से पशुपालन मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज पशुओं के लिये गांवों में अस्पताल खोलें उसके साथ साथ-आप मोबाइल अस्पताल भी पशुओं के लिये रखें जो गांव गांव में जाकर पशुओं का इलाज करें जिससे हमारे पशुधन की रक्षा हो सके। मोबाइल अस्पतालों का आप हैडक्वार्टर गांवों में रखें तो उचित रहेगा। नहीं तो आपके डाक्टर लोग जो हैं वह शहरों में एयरकन्डीशन कमरों में बैठे रहते हैं। शहरों में रहने वालों से गांवों में काम नहीं होता है।

इसी तरह यहां पर आप डेयरी की बातें करते हैं तथा यह योजना भी बनाते हैं कि क्रोस ब्रीडिंग की व्यवस्था की जाय जिससे कि पशु ज्यादा दूध दे सकें और डेयरी का विकास हो सके। आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान का पशु धन अपना महत्व रखता है। जैसा कि कहा जाता है कि हमारे यहां पर दूध की नदियां बहती थीं तो इसका मतलब है हमारा पशुधन खराब नहीं था। कहां गई दूध की नदियां ? क्या जरूरत है फौरिन से विदेशी बुल मंगाकर क्रोस ब्रीड कराने की? हमारे खुद के ही ओरिजनल पशुओं की जो नस्लें हैं उन्हीं का अगर आप विकास करें तो आपको काफी लाभ हो सकता है। सभापति महोदय, अजमेर जिले में रामसर ग्राम में एक फार्म है। उस फार्म के अन्दर गीर नस्ल का ब्रीडिंग फार्म था उस फार्म के समीपवर्ती इलाकों में ही गीर नस्ल पाई जाती है। उससे पशु पालकों को लाभ हो सकता था। परन्तु कुछ माह पूर्व उस फार्म को झालावाड़ जिले के डग नामक फार्म पर भेज दिया गया जहां कि गीर नस्ल के पशु नहीं हैं। अतः निवेदन है कि उस फार्म को पुनः रामसर ग्राम में ही रखा जावे ताकि उस फार्म का सदुपयोग हो सके। हमारे ओरिजनल नस्ल के पशुओं का अगर विकास किया जाय तो बहुत अच्छे परिणाम निकल सकते हैं पर पता नहीं क्यों यह एक तरह भेड़ चाल शुरू हो गई है कि फोरिन की गायों को लाया जाय और फोरिन के बुल्स से क्रास-ब्रीडिंग कराया जाय; आपके विभाग में यह तुगलकशाही शुरू हो गयी है। यह बिना बात की योजनाएं हैं इनको तुरन्त बन्द किया जाय और अपनी देशी नस्ल को ही विकसित किया जाय, यदि उनकी तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको जरूर लाभ होगा अन्यथा आपको लाभ नहीं होने वाला है।

श्री सभापति : श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैंने आज की मांगों पर कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेते हुए आपको दो तीन बातें ही अर्ज करूंगा। सभापति महोदय, पशुपालन की दृष्टि से यह बात छिपी नहीं है कि हमारे राजस्थान की गायें, जिसमें थरपारकर की गाय, रेन्डी, गाय, गीर गायें इस प्रकार से 9 तरह की गायें हैं जो हमारे देश में दूध के मामले में अपना नाम रखती हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पशुपालन की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का वातावरण, वहां की जलवायु और वहां

(श्री खेतसिंह राठौड़)

का घास बहुत ही अच्छी है। यही कारण है पश्चिमी राजस्थान में पशुओं के अन्दर बहुत ही कम बीमारी होती है। मेरा कहने का मकसद यह है कि वहां की जलवायु है और वहां पर पैदा होने वाली जो सेवन घास है वह गाय और दूसरे पशुओं के लिये बहुत ही मुफीद है। सभापति महोदय, बाडमेर, जैसलमेर के इलाके में पशुधन का बहुत विकास हो सकता है। उसका कारण है रेगिस्तान की जलवायु उसके विपरीत जहां पर बारिश अधिक होती है वहां पर रेगिस्तान के मुकाबले पशु ज्यादा बीमार होते हैं। जहां बारिश अधिक होती है वहां पर पशुओं को बीमारी भी अधिक लगती है दूसरे वहां पर सेवन घास भी पैदा नहीं होती है जो कि जैसलमेर और बाड़मेर वगैरह जिलों में, जो कि पश्चिमी राजस्थान के जिले है, होती है। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि करीब करोड़ों का पशु धन, अकेले पश्चिमी राजस्थान में है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस पर यानि पशु चिकित्सा व्यवस्था करने के बारे में गम्भीरता से विचार करें। पिछले साल कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में 50 पशु चिकित्सालय खोले थे उन पचास पशु चिकित्सालयों से काम चलने वाला नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको प्राथमिकता देकर जहां पशु धन अधिक है वहां ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोलें। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने पिछले साल अस्पताल खोले किन्तु जनता पार्टी की सरकार बनते ही उन पशु चिकित्सालयों के खोलने के आदेश आपने कैंसिल कर दिये। उसमें आपने यह प्ली दिया था कि कांग्रेस सरकार ने जाते जाते अपने इलाकों में पशु चिकित्सालय खोल दिये। सभापति महोदय, उनमें से एक पशु चिकित्सालय मेरे इलाके में भी था उसको भी कैन्सिल कर दिया। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा मकसद कतई यह नहीं था कि हम अपने ही इलाके में अस्पताल खोलें बल्कि यह था कि जहां पशु धन अधिक है वहां पर यह पशु चिकित्सालय खोले जायं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के डेजर्ट एरिया में मोबाइल पशु चिकित्सालय खोले जायें। सभापति महोदय, डेजर्ट एरिया में पशु जो हैं वह दूसरे इलाकों से कम बीमार पड़ते है। लेकिन जब उस एरिया के पशुओं में यदि एक बार बीमारी फैलती है तो वह एक के बाद एक पशु में फैलती ही जाती है जैसे एक बकरी में अगर बीमारी लगी तो एक से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में यों आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार हजारों बकरियों में बीमारी फैलती है। दूसरे पशुओं की भी यही हालत होती है। इसलिए अगर मोबाइल पशु चिकित्सालय होंगे तो हमारे राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के पशु धन की रक्षा हो सकेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो घास राजस्थान के पश्चिमी इलाके में और खास तौर से जैसलमेर, बाड़मेर इलाके में पैदा होती है सेवन घास वह घास पशुधन के लिए बहुत ही मुफीद होती है इसलिए आप फोडर बैंक बनाने की योजना बनायें ताकि जब कभी अकाल पड़े उस वक्त फोडर बैंक से पशुओं की रक्षा की जा सके। पहले एक बार अकाल पड़ा था तब

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हमें फोडर बाहर से मंगाना पड़ा था तो भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने बड़ी सूझबूझ से काम लेकर यहां पर फोडर बैंक बनाने की कार्यवाही की। मेरा निवेदन है कि इस साल जैसलमेर में बहुत सी मात्रा में सेवन घास खड़ी है आप इसको कटा कर फोडर बैंक बना लें तो बहुत ही काम की चीज रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो राजस्थान में अकाल के समय पशुओं को चारा नहीं मिल सकेगा।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई कृषि प्रसार अधिकारी नहीं है। अभी वहां पर डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब वहां पर दो क्रोप्स की भी व्यवस्था हो गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कृषि प्रसार अधिकारी नहीं होने से किसानों को टैक्निकल मदद कृषि प्रसार अधिकारी से मिल सकती है वह नहीं मिल पा रही है। मेरा निवेदन है कि शेरगढ और बालेसर पंचायत समितियों में कृषि प्रसार अधिकारी भेजकर वहां के काश्तकारों को लाभान्वित करें। अगर आप उनको भेज देंगे तो वह काश्तकारों को नई-नई टैक्निक खेती के संबंधित बता कर उनको लाभान्वित करेंगे।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा की आप केटल फील्ड क्रियेट कीजिये। आज डी. पी. ए पी. के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सभापति महोदय, जोधपुर में ग्वार गम की छोटी बड़ी करीब 17–18 इण्डस्ट्रीज हैं। गवार गम का बचका होता है वह भी केटल्स के लिये बहुत ही मुफीद रहता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि शेरगढ़ और बालेसर में जोधपुर के साथ-साथ कारखाना खोलने की व्यवस्था करें। इससे पशुओं का विकास तो होगा ही यह डेयरी विकास में भी काफी लाभदायक सिद्ध होगा।

मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार मेरे सुझावों पर विशेष रूप से ध्यान दे।

श्री सभापति : श्री कौशल किशोर जैन!

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, हमने जनता को विश्वास दिलाया था कि जनता पार्टी हर हाथ को काम देगी और हर खेती को पानी देगी।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मेरा नाम।

श्री सभापति : आप विराजें। अभी माननीय सदस्य का भाषण चल रहा है।

श्री कौशल किशोर जैन : सभापति महोदय, आज हमारे देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 23 प्रतिशत भाग सिंचित होता है किन्तु पंजाब में जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका 77 प्रतिशत सिंचित होता है। इसी तरह सभापति महोदय, हरियाणा में 50 प्रतिशत भूमि सिंचित होती है लेकिन हमारे राजस्थान में 10–11 प्रतिशत भूमि सिंचित होती है सभापति महोदय, एक ओर हमारे भारतवर्ष की 72 प्रतिशत जनता किसान है दूसरी ओर आज सिंचाई के पूरे साधन नहीं है और किसानों को पूरी सहूलियतें नहीं देते हैं। जो किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता है वह शहरों में 200–250 रुपयों की नौकरी के लिये भागता है। मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार के कृषि मन्त्रीजी से यह निवेदन कि हमारे यहां पर खेती के साथ–साथ खेती

Page No 145

(145)

(श्री कौशल किशोर जैन)
से पैदा होने वाले प्रोडक्ट के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिये। भारतवर्ष में किसान साल भर में 6 महीने फ्री बैठा रहता है, वह बेकार रहता है राजस्थान के अन्दर अनई-इकोनोमिक होल्डिंग होने के कारण काश्तकार अपनी खेती के साथ-साथ छोटे छोटे उद्योग लगा सके तो उसको लाभ मिल सकता है, जो खेती करता है उसके पूरक उद्योग लगा सकता है, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा था। मेरा निवेदन है कि टमाटर की खेती होती है गांवों में टमाटर फसल के समय एक रुपया किलो और डेढ किलो तक बिकते हैं। टमाटर को बडी-बडी इण्डस्ट्रीज वाले खरीद लेते हैं वे जो टोमेटो सोस बनाते है वह टोमेटो सोस बाजार में दस रुपये किलो बोतल में मिलती है। मैं, सभापति महोदय, आप के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और सुझाव दूंगा कि बडी इन्डस्ट्रीज वालों को आप इसमें नहीं घुसने दें। यह काम हमारे यहां के किसान भाइयों को दें ताकि वह लोग अपनी खेती के साथ उद्योग लगा अपने बाकी समय में लाभ प्राप्त कर सकें।

सभापति महोदय, उद्योगपति को बिजली राजस्थान सरकार पांच पैसे प्रति यूनिट देती है और काश्तकार को 25 पैसे प्रति यूनिट देती है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप किसान को भी सस्ती बिजली दीजिये और उसको लाभान्वित कीजिये सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर राजस्थान विद्युत मंडल की सलाहकार समिति बनी हुई है उस सलाहकार समिति के सदस्य कौन हैं ?

लक्ष्मीनारायण झुंझुनूं वाला राजस्थान स्पिनिंग मिल को, मैं निवेदन करना चाहूंगा पांच पैसे यूनिट बिजली दी जाती है और किसान को 25 पैसे यूनिट बिजली देते हैं जब की किसान को पांच पैसे यूनिट बिजली मिलनी चाहिये।

कृषि विभाग के प्रगति विवरण 77-78 को कोट करना चाहता हूं। 20 कृषि जिलों को 50 उप कृषि जिलों में विभाजित किया जा चुका है तथा इनके लिये 100 विषय विशेषज्ञ के पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। साथ ही 50 जीपें खरीदने का प्रावधान भी किया जा चुका है। विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा रही है। इसके साथ ही करीब 2500 ग्राम सेवक एवं कृषि क्षेत्र पाल इस योजना में कार्यरत हैं। इनमें से 1819 पद कृषि विभाग के अधीन लाये जा रहे हैं इसके अलावा 681 नये पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। एतदर्थ ग्राम सेवक एवं क्षेत्रपालों के निरीक्षण आदि के लिये 310 कृषि प्रसार अधिकारियों की व्यवस्था की जा चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले भी मैंने निवेदन किया था कि प्रशासनिक खर्चे को कम करना पड़ेगा पता नही कौन-कौन संस्थायें इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। शायद कृषि के क्षेत्र में 8-10 संस्थायें काम कर रही हैं। किसी का आपस में समन्वय नहीं है यदि प्रशासनिक खर्चों को जोड़ा जाय तो किसान को मिलने वाले बीज, खाद और बिजली की मात्रा को देखते हुए बहुत ज्यादा है. प्रशासन का पेट्रोल आदि पर खर्च होता है, नौकर चाकर खड़े रहते हैं। इस प्रशासनिक खर्चे पर नियन्त्रण बहुत ही आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के लिये जो

(श्री कौशल किशोर जैन)

भूमि नीलाम की जाती है। वह चाहे भूमि विकास बैंक करे, चाहे, कोआपरेटिव बैंक करे, चाहे कोई भी एजेन्सी करे हमने 30 साल तक सागडी प्रथा का विरोध किया और उसको समाप्त किया। यह खुशी की बात है लेकिन किसान की जमीन यदि नीलाम होती है तो वह महाजन का गुलाम नहीं होगा वह गांव के किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं होगा किन्तु वह सरकार का अवश्य गुलाम हो जावेगा। मेरा निवेदन है कि चाहे किसी प्रकार का ऋण हो किसान पर, चाहे खाद का ऋण हो, चाहे बीज का ऋण हो किसान को इस बात की गारन्टी मिलनी चाहिये कि उसकी जमीन नीलाम कभी नहीं की जावेगी।

श्रीमान् सभापति महोदय, कृषक को सिंचाई के साधन, अच्छे खाद और बीज उपलब्ध कराकर कृषि का विकास किया है। लेकिन हमने उसको महँगे भाव पर ये चीजें मुहय्या कराई है। एक तरफ हम उससे गेहूं खरीदते हैं 110 रुपये क्विंटल में और उसको बेचते है 136 रु. क्विन्टल में। गांवों में 2) 2॥) और 3) रुपये प्रति किलो से कम भाव नहीं है। एक तरफ आप किसान से 110) रु० क्विन्टल में खरीदते हैं और दूसरी तरफ यह भाव है। कभी हमने इस बात की कल्पना की कि किसान का उपज पर कितना खर्चा आता है। एक तरफ खाद महँगा, बीज महँगा, औजार महँगे, कृषि के औजार महँगे और ट्रेक्टर पर टैक्स और दूसरी ओर किसान से 110) रुपये क्विन्टल में गेहूं खरीदते हैं। इसका हमको हल ढूंढ़ना होगा।

सभापति महोदय, डेयरी के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सारे राजस्थान में 171 लाख गायें और भैंसे मिला करते हैं दूध कितना ? 70 लाख लीटर। बड़े आश्चर्य की बात है। आधा लीटर प्रति गाय दूध बनता है। हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि नस्ल सुधार के कार्यक्रम को हाथ में लें। यह जरूरी है। मैं एक पायलेट दूध वितरण योजना के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। जन-लेखा समिति की रिपोर्ट है 76-77 की। उसके अन्दर आंकड़े देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। इसमें यह कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने 5 लाख 49 हजार 500 प्रारम्भिक परियोजनाओं पर खर्च किया। 15 लाख 44 हजार उसके बाद और दिया है दूध कितने में बेचते हैं ? 1.20 पैसे प्रति लीटर में और खरीदते कितने में हैं 62 पैसे प्रति लीटर में। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से यह जो संस्थान हैं, 1963 से लेकर 72 तक 24 लाख रुपये का इसमें घाटा है। क्या डेयरीज इसलिये बना रहे हैं ? इस पर हमें विचारना पड़ेगा।

कृषि उपज मंडी भीलवाड़ा की चर्चा करना चाहता हूं। उसमें जितनी जमीन एक्वायर की गयी, मैं आज कहना चाहता हूं कि उसमें से कई बीघा जमीन लोगों ने कई सालों से दबा रखी है। मिली भगत से दबा रखी है फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहते। मैंने पहले भी निवेदन किया। उस जमीन को छुड़ा कर कृषि उपज मंडी का विकास करें।

कुछ कांटे खरीदे गये। कितने खरीदे गये? चार। किसान की उपज का सही मूल्यांकन हो, सही तोल हो उसके लिये कांटे खरीदे गये। 66 हजार 730 रुपये 35 पैसे में ये कांटे खरीदे गये। एक कांटा कहां गया, पता नहीं। तीन कांटें में से 2 कांटा बेकार पड़े है और चौथा कांटा ताले में बंद है। यह खरीद

(श्री कौशल किशोर जैन)

क्यों की गयी ? यह किसका पैसा था ? कृषि उपज मंडी का यह पैसा था। यदि इस पैसे को मंडी यार्ड के लिये काम में लिया जाता तो समझ में आता, एप्रोच रोड में इसको लगाया जाता तो समझ में आता। कृषि उपज मंडी के पैसों के चार कांटे खरीदे जिनका उपयोग करना ही नहीं चाहते थे, किन्तु पूंजीपति को खुश करने के लिये ये खरीदे गये। एक भी बोली खुली नहीं। इस तरह का जो अपव्यय हो रहा है उसको रोकना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, केवल एक बात और निवेदन करके अपनी बात पूरी करूंगा। कृषि प्रसार योजनाओं के सम्बन्ध में विश्व-बैंक का योगदान लिया जा रहा है। 17 जिलों में कृषि अनुसंधान योजना लागू की गयी है। पांच वर्ष में 24 करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च होंगे। बहुत अच्छा है। मेरा निवेदन है कि इस योजना के अन्तर्गत वास्तव में किसान को कुछ दे सकें, प्रशिक्षण दे सकें खाद का बीज का इसकी आवश्यकता मैं अनुभव करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : बातें रह गयी हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : यह आपके बोये हुए बीज हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : सरकार ने 77-78 के अन्दर 1 लाख 31 हजार वितरण की योजना बनायी है यह वितरण ठीक प्रकार से हो इसका लाभ मिले, इसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।

अन्त में एक बात कह कर अपनी बात पूरी करूंगा। कृषि से सम्बन्धित जितने विभाग हैं, चाहे कृषि विभाग हो, पंचायत विभाग और जिन बैंकों का सम्बन्ध कृषि से हो, चाहे भूमि विकास बैंक हो इनका आपस में समन्वय नहीं है इसलिये किसान को परेशानी होती है। भूमि विकास बैंक, किसान की जमीन गिरवी रख कर पैसा देता है, कोआपरेटीव बैंक कर्जा देता है, इन सब का समन्वय होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरीश शर्मा !

श्री श्योपतसिंह मकासर : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर। सभापति जी, कल जब मीटिंग हो रही थी प्रोग्राम के बारे में तो यह तय किया गया था माननीय अध्यक्ष के चेम्बर में कि सब प्रतिनिधि $4\frac{1}{2}$ बजे तक बोल लें। उसके बाद मुख्य सचेतक की ओर से यह इशारा भी किया गया था कि कल इसको खतम कर देंगे। दूसरे दलों को भी टाइम दिया जाय। मेरे दल को भी समय दिया जाय बोलने के लिये।

आपका नम्बर बहुत नीचे है शायद। माननीय सदस्य नम्बर से लें तो आप का नम्बर बहुत नीचे है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नम्बर का हिसाब नहीं था।

श्री सभापति : कोई विशेष बात हुई थी क्या ?

श्री श्योपतसिंह मकासर: यह तय हुआ था कि सीरियेटम से नहीं बोलेंगे। उस समय

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

यह तय हुआ था कि सभी दलों को मौका मिलेगा सब दलों को मिल गया। लेकिन मुझे नहीं मिला।

श्री सभापति : मैंकोशिश करूंगा, आपको 5 मिनट देने की।

श्री हरीश शर्मा !

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : सभापति महोदय, सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि खूब अन्न उपजाओ। काश्तकार बेचारा अपने मन और लगन से काम करता है। भू-संरक्षण कार्यालय के अधिकारी उसकी मिट्टी की जांच करने और उसका परीक्षण करने के लिए ले जाते हैं लेकिन उसकी मिट्टी के परीक्षण की जांच का परिणाम दो दो और तीन तीन साल तक नहीं आता। जब किसान के खेत जोने का वक्त आता है तो उसे मालूम नहीं होता कि वह कौन सी खाद डाले, कौन सा बीज डाले। किसान मिट्टी की जांच की रिपोर्ट के बारे में बाट जोहता रहता है लेकिन भू-संरक्षण कार्यालय के अधिकारी एक बार रूमाल में मिट्टी बांधकर ले जाते हैं और वापस नहीं आते। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में व्यवस्था की जाये कि जो मिट्टी ले जायं उसकी जांच कर तीन महीने के अन्दर अन्दर उसका परिणाम दें दे अन्यथा नौकर शाही हावी हो जायेगी और किसान को जो लाभ मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, मेरी पंचायत समिति चेचट का ग्राम मदनपुरा और आलोद है। वहां की सारी जमीन खराब हो रही है। उसके आसपास भी जितने गांव हैं सब की जमीन खराब है। किसानों ने इसके लिए मांग की थी और दरख्वास्त दी थी कि पास में एक नाला बह रहा है और वह बारहों महीनों ही बहता है उस पर एनीकट बनाया जाय उससे आसपास की जमीन भी खराब नहीं होगी और सिंचाई भी हो जायेगी। वहां की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए अधिकारी ले गये लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मैं निवेदन करूंगा कि सारे राजस्थान में और खास तौर पर पंचायत समिति लाडपुरा और चेचट में ऐसे नाले हैं उनके ऊपर एनीकट बनाये जायें। इससे पशुओं को, मनुष्यों को और खेती को फायदा होगा। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में गौर किया जाय।

सभापति महोदय, चेचट के पास में एक पुलिया बनी थी रावतभाटा जाने के लिए। गांव वालों ने आग्रह किया था कि इसको नीचे मत बनाओ क्योंकि बरसात के दिनों में उल्टे इससे नुकसान होता है। वह नीचे बनाई इसका परिणाम यह हुआ कि बरसात के दिनों में कितने ही पशुओं की मौत हो जाती है और रास्ता बेकार हो जाता है। वह पुलिया पुलिया नहीं है डायन बन गयी है। उसके लिए कहा गया था कि उसमें दो तीन मोखे बनाये जायें। किसान यदि इसको रात को तोड़ दे तो क्या परिणाम होगा? इसी प्रकार बास का नाला है वहां एनीकट बनाया जाय तो हजारों बीघा जमीन पर खेती हो सकती है और उसका पानी उपयोग में आ सकता है।

ओरेन्ज प्लान्टेशन के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था, सभापति महोदय कोटा में 13 और 14 अक्टूबर को मंत्रिमण्डल की मीटिंग हुई थी। उस समय यह घोषणा की गयी थी कि रामगंज मण्डी में इस योजना को शीघ्र ही लागू कर दिया जायेगा लेकिन

(श्री हरीश शर्मा)

आज तक वह योजना पता नहीं कहां अटकी हुई है, उसका पता नहीं चलता कि कब यहां से निकलेगी । बार-बार आग्रह करते हैं कि योजना को निकालें लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती । हमारे यहां इसके लायक जमीन भी अच्छी है । सन्तरे वहां अच्छे होंगे लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

इसी तरह से कृषि उपज मण्डी के लिए लिंक रोड बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा और जिलाधीश ने भेजा उसका मास्टर प्लान बना रहे हैं । बजट है पैसा है लेकिन स्वीकृत होने के लिए यहां अटका हुआ है । अतः मेरा निवेदन है कि ऐसी सडकें जो कि स्वीकृत होने के लिए अटकी हुई हैं, स्वीकृत करके भेजी जायें ताकि किसानों को राहत मिले और अपना माल आसानी से आ जा सके ।

इसके साथ ही कृषि विभाग द्वारा एक कार्यालय रामगंजमण्डी में खोलने के लिए विचार किया जा रहा था । इसके लिए मैंने डाइरेक्टर साहब को लिखा, कृषि मंत्री जी को भी लिखा कि कार्यालय रामगंजमण्डी में खोलना चाहिए । कार्यालय के लिए वही एक उपयुक्त केन्द्र स्थान है, सारे किसान वहां इकट्ठे होते हैं तथा वहां पर कार्यालय नहीं होने से किसानों को भटकना पड़ता है और झालावाड़ और कोटा जाना पड़ता है । इसलिए कृषि उपज मण्डी का एक शाखा कार्यालय रामगंज मण्डी में हो, इसकी मांग की गई लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुआ इस पर विचार नहीं हुआ ।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपातकालीन स्थिति में बोराबास में जहां 1/2 लाख पशुओं की संख्या है और वहां पशु चिकित्सालय था लेकिन उसको बन्द कर दिया गया है । मेरा निवेदन है कि ऐसे पशु चिकित्सालय जहां पहले बने हुए थे उनको तुरन्त खोलने की इजाजत दी जायं । इसी तरह से पंचायत समिति चेचट में जुलमी की जनसंख्या तीन हजार के करीब है और वहां आसपास बहुत सारे पशु हैं जिससे काफी मात्रा में दूध मिलता है वहां पशु चिकित्सालय का होना जरूरी है । अतः मैं निवेदन करूंगा कि बोराबास में पशु चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करें ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कोटा में खाद तैयार होती है । जो फैक्ट्री खाद बनाती है वह खाद कोटा में किसानों को उपलब्ध नहीं होता और वह खाद बाहर जाता है । कोटा में जो खाद मिलता है वह टैक्स मिलाकर और दूसरी चीजें मिलाकर किसानों को महँगी उपलब्ध होती है । तो मेरा निवेदन है कि जहां खाद बनती है वहां पर किसानों को सस्ती दर पर मिलनी चाहिए । इसके लिए उद्योगपतियों को आप कहें । लेकिन आप बड़े लोगों पर और उद्योगपतिओं के उपर दबाव देने में हिचकिचाहट अनुभव करते हैं । मेरा निवेदन है कि किसानों को क्यों नहीं वहीं का बना हुआ खाद सुलभ कराया जाता है ? यह मेरा निवेदन है ।

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंहजी !

श्री माणकलाल ठाकोर : मेरा नाम है ।

श्री सभापति : आपका भी नाम है और भी बहुतों का नाम है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर !

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ) : माननीय सभापतिजी, वक्त बहुत थोड़ा है और

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कृषि विभाग पर जो बहस हो रही है उसमें मामले बहुत ज्यादा हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। कृषि की इमदाद का काम जो सी. ए. डी. ने छेड़ा उसके लिए विश्व बैंक-उधार रुपया देता है लेकिन हमारे अधिकारियों का मन ऐसा हो गया है माले मुफ्त दिले बेरहम। उधार का रुपया इस तरह से लगा रहे हैं जैसे कि उसका पेमेन्ट ही नहीं करना है। पेमेन्ट वाकई उनको तो नहीं करना होगा लेकिन देने वाले की आफत आ जायेगी, मुसीबत आ जायेगी। यह सी. ए. डी. ऐसा काम करता है कि हनुमानगढ़ में एक दफ्तर खोला गया और प्रोजेक्ट डाइरेक्टर महोदय ने लाखों रुपया खर्च किया और अपने व्हिम्स पर उस कार्यालय को उठाकर बीकानेर ले गये। क्यों ले गए? क्यों तो क्वार्टर्स बनाये और क्यों स्टाफ का सारा खर्चा किया? अगर सी. ए. डी. कृषि की इमदाद के लिए है तो इसका कार्यालय राजस्थान कैनाल के सेन्टर में जाना चाहिए। वहां नहीं गया और बीकानेर उठा कर ले गए। रोज गाड़ियों का आना और वहां बैठना सारा का सारा काम ऐसा हो रहा है कि बयान नहीं किया जा सकता।

वहां पर खाले पक्के बनाये गये। हमने जब एतराज उठाया कि यह खाले सारे टूट गए हैं। किसान रोये और आन्दोलन हुआ, एस. ई. के खिलाफ तो हमारे अधिकारी रूठ गए। वह 6 महीने से निठल्ले बैठे हैं और मुफ्त की तनख्वाह उड़ा रहे हैं। कोई मालिक नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके सी. ए. डी. का काम बन्द कर दो, बहुत बड़ी सेवा होगी किसानों की। जब आपके इन्स्टालमेन्ट्स आयेंगे, कुर्कियां जायेंगी, तब क्या हालत होगी? मैं कहना चाहता हूं कृषि मन्त्री महोदय से कि आप किसानों की ऐसी सेवा मत करो।

दूसरी बात मैं राजस्थान के कृषि अनुसंधान वैज्ञानिकों के बारे में कहना चाहूंगा। सन 74 में हमारे वैज्ञानिकों को विश्व विद्यालय को सौंप दिया। अब क्या चक्कर हो गया। अब आपकी व्हिम आई विश्व विद्यालय से कृषि विभाग में कर दिया जाये। पे में कोई खर्चा आ जाता है? उस वक्त क्यों भेजा। कृषि वैज्ञानिकों को तनख्वाह नहीं देंगे आप? उनको प्रोत्साहन देना चाहिये अच्छी पे दो। अगर नहीं, यह एतराज कर रहे हैं। वे आन्दोलन पर बैठे हैं। आप मेहरबानी करके उन वैज्ञानिकों के साथ जस्टिस कीजिये। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट बीच में आ गया। कौन है यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट? यह हम करेंगे, हमारा डिपार्टमेन्ट करेगा। इसलिये मेहरबानी करके उन कृषि वैज्ञानिकों के बारे में आप बड़ी सजीदगी से विचार कीजिये, उनमें असंतोष है। इस हालत में रिसर्च करेंगे तो बहुत भयानक रिजल्ट्स होंगे। इसी साल खरीफ की फसल के अन्दर एक कीड़ा लगा। उस कीड़े को मारने को हमारे वैज्ञानिक नहीं पहुंच सके। परिणामस्वरूप अकाल पड़ गया सारे राजस्थान में। मेहरबानी करके हमारे वैज्ञानिकों को सुविधायें उपलब्ध कराइये ताकि किसानों की समस्याओं पर विचार करके किसानों को हल बतायें।

इसके साथ-साथ डेयरी की चर्चा करूंगा। यह क्या बला है? यह डेयरी में दूध का 100 पैसे, 110 पैसे और 120 पैसे लीटर के भाव से भुगतान होता है और दिल्ली में दूध बिकता है 2½ रुपये के हिसाब से।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जो सेवा करे गाय की, जो चारा करे जो मेहनत करे, वह 120 पैसे के भाव से डेयरी को दूध बेचे, और डेयरी फायदा कमाये। इतना बड़ा भारी मुनाफा कमाये। क्यों नहीं ऐसा करते कि जितना पैसा बचे, वह उन दूध देने वाले पशु पालकों को मिले? आप तय कर दीजिये, एक लीटर पर पचास पैसे मुनाफा लेंगे तो बात समझ में आती है लेकिन पशु पालकों को दूध की जितनी कीमत मिलती है उससे ज्यादा हमारी सरकार डेयरी की मार्फत कमाती है। फिर भी कहती है डेयरी में घाटा है सारे किसान परेशान हैं। किसानों को परेशान करते हैं। यह बहुत बड़ा भारी असंतोष है। कृषि मंत्री जी, आप कान्फ्रेंस बुलायें, अधिकारियों को बुलायें, किसानों के प्रतिनिधियों को बुलायें। डेयरीज को इन्वाइट कीजिये कम्पीटीशन के लिये। दूसरी डेयरी को आप क्यों नहीं देते हैं। इन सवालों को तय करें।

इसके साथ-साथ मैंने बीज के बारे में कट मोशन्स दिये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट मेरे, पांच मिनट पार्टी के।

श्री सभापति : 10 मिनट आपने ले लिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : बीज के बारे में मैं कह रहा हूं। बीज कितना महँगा दे रहे हैं। आपके पास पंजाब और हरियाणा हैं, वहां गेहूं का क्या भाव है? आप क्या भाव से दे रहे हैं? 50 रुपये का फर्क है। अगर आप किसानों का उत्थान करना चाहते है किसानों को राजस्थान में आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें सस्ते दामों में बीज दीजिये और साथ-साथ दवाइयों की कीमत कम कीजिये तो खेती राजस्थान में पनप सकती है। कोटा में यूरिया बनता है लेकिन राजस्थान के लोगों को नहीं मिलता। हानिकारक खाद की बात आई। ढेलों की शक्ल में जो खाद पड़ी थी वह किसानों को दी। यह बहुत बड़ा गुनाह किया था ऐसी खाद की फर्टिलिटी और क्वालिटी में कमी आ जाती है। उन ढेलों को हमारे यहां के किसानों को उठाना पड़ा। उन्होंने मजबूरन लिया। इस ओर ध्यान दीजिये। आपसे काम नहीं चलता तो कोई राज्य मन्त्री और ले लीजिये लूट-खसोट को छोड़िये। राजस्थान के काश्तकार बहुत मेहनती हैं यहां की जमीन उपजाऊ है। पंजाब के मुकाबले ज्यादा उपजाऊ है मैंने देखा है। पंजाब वैज्ञानिकों ने और सरकार ने कृषि की ओर ध्यान दिया। वहां पानी के नये क्राप पैटन देकर चारों तरफ धान ही धान कर दिया। पंजाब आगे चला गया। पंजाब की जमीन राजस्थान से कम उपजाऊ है।

इसके साथ-साथ मैं एक और आपसे अर्ज करना चाहूंगा। आप गांवों में अच्छी नस्ल के पशु किसानों को दें। उसके साथ साथ आपके आवारा सांड हैं उनका इलाज कीजिये ....

श्री नवनीत पालीवाल : कुछ तो सीमा होनी चाहिये, रिप्लाई भी होना है। सारे का सारा प्रोग्राम फैल हो जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : नाथद्वारा में आवारा सांड ज्यादा हैं।

एक माननीय सदस्य : पाली चले गये।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

आखिर में कृषि विपणन बोर्ड के बारे में कहूंगा ' जितनी भी सड़कें बनाई वह ऐसी बनी कि जिन पर चल नहीं सकते। भवन बनाये दफ्तर के लिये, उनमें दफ्तर रह नहीं सकते। मेहरबानी करके आपने यह फैसला किया कि पी० डब्ल्यू० डी० से काम करायेंगे तो सारे लोगों ने लाबी बनाकर सारे एम० एल० एज० को घेर लिया कि कन्स्ट्रक्शन का काम हम को सौंपा जाय, कमीशन मिल जायेगा। आप एक बात कीजिये, कृषि उपज मण्डी के जिम्मे काम मत छोड़िये। भवन हम देंगे पी० डब्ल्यू० डी० से काम कराइये। आप के पास जिम्मेदारी रहे एक एजेन्सी रहे ताकि पैसे को यूटिलाइज कर सकें। उनको अधिकार दीजिये।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय कृषि मंत्रीजी बहस का उत्तर देंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : सभापति महोदय, हम लोगों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं किन्तु हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। हमारे कटौती प्रस्तावों का माननीय मंत्री महोदय से लिखित उत्तर मिलना चाहिये। इस सरकार को उत्तर देना चाहिये बाद में।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

माननीय मंत्री महोदय आपके कटौती प्रस्तावों के लिखित उत्तर भेज देंगे।

माननीय कृषि मंत्री महोदय !

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : वे उत्तर पर्याप्त आने चाहियें।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

सरकारी उत्तर पर्याप्त होता है।

श्री माणकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, जितने कटमोशन प्रस्तुत हुए हैं, परम्परा यह रही है कि इन कट मोशन्स को मूव हुआ समझा जाना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे पायें या नहीं दे पायें लेकिन मूव्ड समझ कर ही उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जितने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये हैं उन सबको ध्यान में रखते हुये कटौती प्रस्तावों का उत्तर आयेगा। जो माननीय सदस्य नहीं बोल सके हैं उनका उत्तर भी माननीय सदस्यों को लिखित में पहुंच जायगा और मैं समझता हूं वह पर्याप्त होगा। माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे दें उसके बाद जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाये हैं और जिनके कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उनको क्लेरिफिकेशन की इजाजत दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : कुए खुदवाने की बात किसी ने नहीं कही....

(व्यवधान)

यह काम सरकार स्वयं करे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, कृपया बहस का उत्तर दें ।

श्री माणकचन्द ठाकोर : सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों पर नहीं बोल सके हैं, वह तो ठीक है लेकिन जिनका नाम क्रमशः आना चाहिये था वह न आकर बीच-बीच में दूसरे माननीय सदस्यों के नाम बोल दिये गये हैं। यह पक्ष-पात की नीति है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं।

श्री सभापति : आज सवा चार बजे बाद कटौती प्रस्तावों पर बहस समाप्त करने की व्यवस्था हो चुकी थी। यह अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था थी। जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पर बोलने के राइट को फोर-गो किया है उन माननीय सदस्यों को राइट दिया था और जिनके कटौती प्रस्तावों में नाम थे, उन्हीं का नाम पुकारा गया था। केवल एक माननीय सदस्य, जो सी० पी० एम० के हैं, को आसन की तरफ से इसलिये अवसर दिया गया है कि विपक्ष मे बैठने वाले वह एक ही माननीय सदस्य हैं। यह भी प्रश्न था कि कटौती प्रस्तावों पर अपने वर्णन को, व्यू पाइन्ट को नहीं रख सकेंगे इसलिये आसन ने उचित समझा इसमें भेद भाव जैसी कोई बात नहीं थी।

माननीय कृषि मंत्री जी !

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि एवं पशुपालन मंत्री) : सभापति जी, आज दिन भर कृषि और पशुपालन की मांग पर चर्चा हुई। कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा के दौरान बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और अपने विचार रखे हैं जिससे मुझे खुद को और हमारे विभाग को भी, मैं समझता हूं, लाभ होगा।

सभापति महोदय, मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं यदि काश्तकारों की हालत को ठीक करनी है और काश्तकारों को ऊंचा उठाना है तो कृषि क्षेत्र में, पशुपालन क्षेत्र में हमको अधिक ध्यान देना होगा, इस कार्य को बहुत सुचारु रूप से चलाना होगा। सभापति महोदय, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि राज्य सरकार ने सीमित साधन होते हुये भी जो कार्यक्रम हाथ में लिये हैं, और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारे काश्तकार की हालत ठीक होगी और काश्तकार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जो कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा चलाये जाते हैं उनके अन्तर्गत बीज वितरण, खाद वितरण, पौध संरक्षण अनुसंधान कार्य, कृषि विपणन विस्तार कृषि उपज मण्डी के कार्यक्रम हैं।

बीज के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस वर्ष जैसा कहा गया है कि खरीफ के अन्दर ज्वार, बाजरा, मक्का और धान के संकर बीज, उन्नत बीज 14938 क्विन्टल वितरण किया गया है जब कि गत वर्ष 9159 क्विन्टल बीज बांटा गया था। इसी प्रकार 36126 क्विन्टल वितरण किया गया है जो पिछले वर्ष बांटा गया था 1820 क्विन्टल मतलब 9468 क्विन्टल चने के उन्नत बीज के वितरण से ज्यादा है। इसी प्रकार कुल मिलाकर 60362 क्विन्टल बीज वितरण किया गया है जब कि गत वर्ष 46853 क्विन्टल बीज वितरण किया गया था।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, खाद के सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम खुद काश्तकारों को यदि समय पर बीज

(श्री दिग्विजयसिंह)

उपलब्ध करा दें तो अधिक अच्छा होगा। पर इसके साथ निवेदन है कि गत वर्ष खाद वितरण किया गया था 98552 टन और इस वर्ष वितरण किया गया है 1 लाख 13 हजार 904 टन। आप अनुमान लगा सकते हैं इस वर्ष जो वितरण हुआ है वह गत वर्ष से 18 प्रतिशत अधिक है।

माननीय सदस्यों का संकेत है कि खाद काश्तकारों को सही समय पर, सुलभ मात्रा में, सुलभ तरीके से और सस्ती दर पर उपलब्ध हो। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि खाद की प्राइस है वह राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट आफ इंडिया निर्धारित करती है। जिस प्रकार से खाद की प्राइस गत 2-3 वर्षों में शूट–अप हुई है उससे काश्तकारों को खाद के उपयोग में इनसेन्टिव में कमी आई है। खाद की जो प्राइस है उसमें भारत सरकार से बातचीत करके कमी की जा सके, हम इसकी कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : हरियाणा से कोटा की खाद मिलती है। भारत सरकार कन्ट्रोल करती है तो हमको वैसे ही मिलनी चाहिये....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : साथ ही यह भी बता दें कि कब-कब बात की और क्या फल निकला ?

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, पौध संरक्षण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। इस वर्ष 49.20 लाख हैक्टेयर भूमि में पौध संरक्षण कार्य किया गया है जब कि गत वर्ष 48.36 लाख हैक्टेयर भूमि पर कार्य किया गया था।

सभापति महोदय माननीय सदस्यों ने जैसा चेपा के सम्बन्ध में कहा, चेपा और अरगट की बीमारी पौधे में हो जाती है। उसके लिये राज्य सरकार ने एरिया सर्वे कराया है और 40769 हैक्टेयर भूमि पर स्प्रे कराया गया है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में भी जागरूक है। फसल को बीमारी से बचाया जा सके और काश्तकारों को लाभ हो सके इसके लिये भी सरकार प्रयत्नशील है। इस वर्ष हमने हेलीकोप्टर से स्प्रे करवाया है।

कृषि विस्तार एवं अनुसन्धान योजना के सम्बन्ध में निवेदन है कि विश्व बैंक के सहयोग में भारत में 1 अक्टूबर से कृषि विस्तार एवं अनुसन्धान योजना चालू कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 17 कृषि प्रधान जिलों में चालू कर दिया गया है एवं इस योजना के अन्तर्गत चार हजार कार्यकर्त्ता एव 500 कृषि विकास अधिकारी कार्य करेंगे।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से बीज परियोजना को राज्य सरकार ने हाथ में लिया है। अगले पांच वर्षों में 6.78 करोड रुपये की बीज परियोजना के लिये स्वीकृति दी है। इसके अन्तर्गत एक निवेदन है कि ...

श्री शिवचरणसिंह : सभापति महोदय, जैसा अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि बीज परियोजना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड बैंक से इस स्कीम के तहत रुपया आएगा वह सारा का सारा रुपया तनख्वाहों में ही चला जाएगा या इसका अन्य उपयोग भी होगा?

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज । पहले माननीय मंत्री महोदय को बोलने दें, उनको ग्रपनी बात कह लेने दें. । उसके बाद ग्रगर ग्रापको कोई क्लेरिफिकेशन करना हो कोई इन्फार्मेशन सीक करनी हो तो मैं ग्रापको मौका दूंगा ।

श्री शिवचरणसिंह : एक बहुत छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, वर्ल्ड बैंक के रुपये से तनख्वाहें तो नहीं दी जायगी ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : बीच-बीच में प्रश्न नहीं करें ।

श्री दिग्विजयसिंह : राज्य सरकार शीघ्र ही राजस्थान में बीज निगम की स्थापना करने जा रही है । बीज निगम का निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा ।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ-साथ एक बात ग्रौर निवेदन करना चाहूंगा । कृषि विपणन बोर्ड हमारे यहां पर चल रहा है, जिसके ग्रन्तर्गत कृषि उपज मण्डियां काम कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ये कृषि उपज मंडियां काम कर रही हैं । माननीय सदस्यों ने कृषि उपज मंडी के सम्बन्ध में सुझाव दिए हैं ग्रौर मांडलगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया है कि उनकी ग्रामदनी को उनके निजी काम में, सड़कों के काम में नहीं लगा कर नालियों इत्यादि के काम में लगाया जावे तो ग्रधिक उपयोगी होगा । यह प्रश्न विचारणीय है । मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि इसको हम एक्सपेरीमेंट के तौर पर ट्राई करेंगे ग्रौर देखेंगे कि यह कहां तक सक्सेसफुल हो सकेगा ।

इसी के साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन कृषि उपज मंडियों की ग्रामदनी से हम सड़कों का निर्माण करायेंगे । ग्राज दिन तक जो सड़कों का निर्माण हुआ वह ढंग से नहीं हुग्रा । उनके जो भी मनोनीत सदस्य थे, इलेक्टेड सदस्य थे, उन्होंने ग्रपने मन चाहे ग्रनुसार नालियां, सड़कों का निर्माण कराया ग्रौर पैसों का दुरुपयोग किया । हम प्लान्ड वे में प्लान बना कर जिलेवाइज प्लान बना कर सड़कों का निर्माण करायेंगे । साथ ही पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा इनका निर्माण होगा । इसका मुख्य कारण यह है....

श्री वृद्धिचन्द जैन : फिर तो करप्शन ग्रवश्य होगा ।

श्री दिग्विजयसिंह : करप्शन की भी मेरे पास जानकारी है कि किस प्रकार का करप्शन इलेक्टेड मेम्बरान ने किया है। गंगानगर में.......

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक्शन लें ।

श्री दिग्विजयसिंह : गंगानगर जिले में कृषि उपज मंडी के सदस्यों ने प्रस्ताव पास किया और नालियां बनाने के नाम पर निजी तौर पर पैसा ले लिया । हर मेम्बर को ग्रलग-ग्रलग ग्रपने क्षेत्र के लिए पैसा दे दिया ताकि ग्रपने यहां पर नालियां बना लें लेकिन ग्राज दिन तक नालियां नहीं बनी ग्रौर पैसे का दुरुपयोग हुआ ।

श्री शिवचरणसिंह : उसके खिलाफ कार्यवाही करने से मत चूकिए ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं बताता हूं कि उसकी जांच करने से पहले....

(व्यवधान)

Page No 156

(156)

श्री अब्दुल अजीज : आप करप्शन की बात करते हैं, मैं आपको याद दिलाऊं कि नागौर जिले में किस तरह का करप्शन हुआ है। आप चार पांच साल का रिकार्ड देख लीजिए....

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : ये बार-बार इण्ट्रप्शन कर रहे हैं, बीच-बीच में बोलकर व्यवधान कर रहे हैं।

श्री अब्दुल अजीज : आठ हजार में कैसे नीलाम हुआ....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल शर्मा : कांग्रेस के पाप सिर पर चढ़ कर बोल रहे हैं।

श्री अब्दुल अजीज : जो चार साल का पुराना रिकार्ड है उसको देख लें, आठ हजार में कैसे बिका है....

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : यह जानकारी बाद में भी ली जा सकती है।

श्री अब्दुल अजीज : जब आप उस समय के करप्शन की बात कह रहे हैं तो अभी मौजूदा करप्शन की बात को क्यों छुपा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री अब्दुल अजीज : जब पुराने करप्शन की बात कहते हैं तो मौजूदा करप्शन को क्यों छुपा रहे हैं....

श्री मूलचन्द डागा : इधर बैठने वालों को भ्रष्टाचार से चिढ़ है। हम तो बरदाश्त ही नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। निवेदन है कि आप माननीय सदस्य जब तक मन्त्री महोदय अपना वक्तव्य पूरा न कर लें तब तक बीच में टोकें नहीं। माननीय मंत्रीजी ने आपकी बातों को शांतिपूर्वक सुना है, वे बीच में नहीं बोले हैं। वे भी बीच में टोंक सकते थे। जैसे उन्होंने शांतिपूर्वक आपकी बातों को सुना है वैसे ही आप सुनिए और उनको अपनी बात कहने दें। इसके बाद अगर आप महसूस करते हैं कि आपको कुछ पूछना चाहिए तो मैं आपको पूछने की इजाजत दूंगा और मंत्री महोदय उत्तर देंगे। मैं एक इशारा मंत्री महोदय को भी करना चाहूंगा कि बीच में कोई माननीय सदस्य प्रश्न करें तो उसको वे इग्नोर करें, उत्तर नहीं दें।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न यह है, सभापति महोदय, उन्होंने स्वयं भ्रष्टाचार की बात कही और कहा कि पहले के माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार किया। यह बात उन्होंने कही इसलिए बीच में बोलना पड़ा। हमारे तो कान कस रहे हैं लेकिन वे बोलते रहें।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मेरी यह कतई भावना नहीं थी कि किसी के ऊपर लांछन लगाया जावे। जो तथ्य है उससे सदन को अवगत कराया है। इसी के साथ-साथ मैं निवेदन करूं कि कृषि उपज मंडियों के सम्बन्ध में जो मैंने बात कही उसी

(श्री दिग्विजयसिंह)

को मद्दे नजर रखते हुए यह उपयुक्त समझा गया जो कार्यक्रम है सड़कों का वह पी० डब्ल्यू० डी० के माध्यम से कराया जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने भी फर्माया था। सदन में जिन बातों पर चिन्ता व्यक्त की गई, उन पर थोड़ा विचार कर लिया जाएगा। उसके ऊपर जो भी निर्णय होगा उससे अवगत करा दिया जाएगा।

इसी के साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उपज मंडियों के चुनाव के बारे में बात कही गई। यह स्पष्ट कह दिया है कि जब तक अन्य संस्थाओं के चुनाव नहीं होते हैं इनके चुनाव कराना सम्भव नहीं होगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कब करा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : फिर बीच में बोल रहे हैं।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज !

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं अधिक नहीं कहूंगा।

सीड प्रोजेक्ट के बारे में जैसा अभी मैंने कहा था कि यह पांच साल का प्रोजेक्ट है। इसके सम्बन्ध में कहा गया कि सारा रुपया सैलेरीज में ही चला जाएगा। मैं निवेदन कर दूं कि 5.56 करोड़ का खर्चा सीड कम्पोनेन्ट पर होगा और एक करोड़ अन्य होगा। इसलिए यह कहना गलत है कि सारा ही खर्चा सैलेरी में चला जाएगा या अफसरान के काम में लग जाएगा, या कुछ दूसरे कामों में लग जाएगा। आप खुद ही अन्दाजा लगाइये कि जब 5.56 करोड़ सीड कम्पोनेंट पर खर्चा किया जाएगा तो क्या होगा ?

अब मैं एग्रीकल्चर के ऊपर विशेष नहीं कहूंगा क्योंकि समय कम है। पशुपालन के सम्बंध में माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं और कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मोटे तौर पर जो बातें कही गई हैं उनमें एक है कि जो डिस्पेंसरीज वेटेरिनरी की, पश्चिमी राजस्थान में जो खोली गई, वे केटल की पोपुलेशन के अनुपात में बहुत कम हैं। ऊंट की बीमारियों और उनकी दवाइयों के बारे में भी ध्यान दिलाया गया कि ऊंट को बीमारियां लग रही हैं और दवाइयां नहीं हैं। इस बारे में माननीय सदस्यों ने काफी चिन्ता व्यक्त की है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ लाख की दवाइयां बाहर से आयात कर ली गई हैं और उपचार के लिए भेज दी गई हैं। बीच में दवाइयां उपलब्ध नहीं थी इस वजह से समय पर उपचार नहीं हो सका। यह दवाई हिन्दुस्तान में बनती नहीं है, बाहर से आती है जर्मनी से। इस वजह से विलम्ब हुआ। अब उपलब्ध हो गई हैं और उपचार की समुचित व्यवस्था दी गई हैं।

इसी के साथ-साथ में बहु-उद्देशीय चिकित्सालय इस वर्ष चालू किये गए हैं। जयपुर में पोली-क्लिनिक प्रारम्भ कर दिया गया है और 78-79 में अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

प्रादेशिक प्रयोगशालाओं की उपयोगिता को देखते हुए मैं निवेदन करना

(श्री दिग्विजयसिंह)

चाहता हूं कि वर्ष 76-77 के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं में 125 लाख वेक्सीन तैयार किए गए जबकि 77–78 में 150 लाख तक पहुंचने की सम्भावना है जो कि एक कीर्तिमान है। इसके साथ जो औषधालय खोले गए हैं उनके बारे में कहा गया कि पश्चिमी राजस्थान का कोई खास ध्यान नहीं रखा गया। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो औषधालय-वेटेरिनरी डिस्पेंसरीज खोली गई थी वे 26 जिलों में से 17 जिलों में ही खोली गई थी अब 26 जिलों में ही खोली गई हैं, इस तरह से पूरे के पूरे 26 जिले कवर किए गए हैं। इसलिए यह कहना और लांछन लगाना बिल्कुल गलत है कि हम पार्टीबाजी के आधार पर डिस्पेंसरीज खोल रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में ही 14 वेटेरिनरी डिस्पेंसरीज खोली हैं। सभी जिलों को कवर किया है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत भीलवाड़ा चितौड़ नागौर और झुन्झुनू जिले में 87 पशु उत्पादन केन्द्र चलाए गए हैं।

इसके साथ ही साथ मैं मत्स्य के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं हालांकि माननीय सदस्यों ने उस ओर कोई संकेत नहीं किया है। मत्स्य के अन्तर्गत जो कार्यक्रम लिए गए हैं उस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि भीलवाड़ा जिले में दो जलाशयों को 15 वर्ष की अवधि की लीज पर दिया जाएगा। इसके साथ ही हम कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहित करेंगे। और उनको भी हम लीज के ऊपर टैक्स देंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मत्स्य को प्रोत्साहन देने के लिए हम यह विचार कर रहे हैं कि जलाशयों का री-डिमार्केशन करें और री-डिमार्केशन करके उनको लांग टर्म लीज पर दें क्योंकि जिनको इनका कान्ट्रेक्ट साल, दो साल के लिए दिया जाता है उनको इन्सेन्टिव नहीं मिल पाता है। इसलिए हम इन टैंक्स को लांग टर्म लीज पर देना चाहते हैं ताकि उनको इन्सेन्टिव मिले और चाहे सोसाइटी हो या इंडिविजुअल हो, जो भी इन टैंक्स को लेंगे इन्हें डवलप कर सकेंगे, ऐसी हमारी योजना है।

अब मैं माननीय सदस्यों को डेयरी डवलपमेन्ट के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, कहा गया कि डेयरी डवलपमेन्ट के अन्दर नुकसान हुआ है और इसके अन्तर्गत जितना दूध इकट्ठा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। सदन की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1972-73 में 1.44 लाख लीटर दूध कलेक्ट हुआ था, उसके मुकाबले में 1977-78 में 10 हजार करोड़ लीटर दूध इकट्ठा किया गया। इसी प्रकार पेड टू दी मिल्क प्रोड्यूसर 1.35 लाख रुपये थे, वह अब 15 करोड़ रुपये हो जाएंगे।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो हमारी ही उपलब्धि बता रहे हैं ....

श्री दिग्विजयसिंह : आपकी ही उपलब्धि है परन्तु आपने इसको क्रिटिसाइज किया है।

इसी प्रकार जहां नम्बर आफ सोसाइटीज बेनिफिटेड 12,000 थी 72-73 में वहां 77-78 में 80,000 सोसाइटीज बेनिफिटेड होंगी। इसी प्रकार एवरेज डेली मिल्क

(श्री दिग्विजयसिंह)

कलेक्शन सन् 1972-73 में जहां 0.1 लाख लीटर था; वह अब 3.10 लाख लीटर्स हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आप खुद इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमने दूध योजना के अन्दर काफी प्रगति की है।

सभापति महोदय, सदन में यह भी कहा गया है कि दुग्ध योजना से गरीबों को लाभ नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत कुल 20 करोड़ रुपया व्यय हुआ है, जिसमें से 15 करोड़ रुपये तो फार्मर्स को मिले हैं, 2 करोड़ रुपये ट्रान्सपोर्टेशन वालों को मिले, 60 लाख रुपये सोसाइटीज को एज कमीशन प्राप्त हुआ है, 2.40 करोड़ रुपये का एक्सपेन्डीचर हुआ है ऑन दी डेयरी। इस प्रकार यह कहना गलत है कि सोसाइटीज या फार्मर्स को पैसा नहीं मिला और इसमें हानि हुई है,....

श्री श्योपतसिंह मकासर: बीकानेर में 1.20 पैसे किलो दूध लेकर दिल्ली में 2.50 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। That is wrong.

श्री दिग्विजयसिंह: सभापति महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर डेयरी प्लांट्स जो चल रहे हैं, उसके अतिरिक्त इस वर्ष डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत सीकर और झुन्झुनूं, इन दोनों में से एक स्थान पर एक डेयरी प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। मेरे खयाल से, सभापति महोदय, इस बात से आप स्वयं प्रसन्न होंगे कि हम यह स्थापित करेंगे आपके क्षेत्र में। चिलिंग प्लान्ट के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे चिलिंग प्लान्ट चल रहे हैं, उनके अतिरिक्त 6 नये हम खोलने जा रहे हैं। इसकी घोषणा पहले की जा चुकी है फिर भी सदन की सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अलावा डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत राजगढ़ और फलौदी में भी चिलिंग प्लान्ट की स्थापना की जा रही है, जिसकी 20 हजार लीटर की क्षमता होगी। इसी प्रकार से डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत सीकर और एक डूंगरपुर के अन्दर भी स्थापना की जाएगी। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने यह भी चिन्ता व्यक्त की और यह सुझाव दिया है कि जोधपुर क्षेत्र के अन्दर काफी क्षमता है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जोधपुर और बीकानेर के अन्दर भी हम प्लान्ट स्थापित करने जा रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह: मंत्री महोदय तो लिखित भाषण पढ़ रहे हैं ....

श्री सभापति: लिखित भाषण नहीं है। नोट्स देख कर कह रहे हैं....

श्री बजरंगलाल शर्मा: हमारे मंत्री महोदय, पढ़े लिखे हैं इसलिए लिखा हुआ पढ़ देते है

श्री मूलचन्द डागा: अच्छा अच्छा आप तो इनको दोनों तरफ से काट रहे हैं....

श्री दिग्विजयसिंह: सभापति महोदय, मैं सदन का अधिक समय न लेकर यह निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों के कट मोशन का जवाब नहीं दे सका हूं उनके कटमोशन का जवाब मैं लिखित में भेज दूंगा।

सभापति महोदय, पोल्ट्री के सम्बन्ध में भी यहां पर कहा गया है। यह कहा गया है कि पोल्ट्री फार्म को एग्रीकल्चर डिक्लेयर

(श्री दिग्विजयसिंह)

किया जाना चाहिए। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस दिशा में निश्चित रूप से प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि Poultry should be included in Agriculture.

यू. जी. सी. के पे स्केल एग्रीकल्चर स्नातक को देने के सम्बन्ध में भी यहां पर कहा गया है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे मुझसे मिले थे। हमारे और उनके बीच में बातचीत चल रही है और आशा है कि जल्दी से जल्दी कोई हल निकल पाएगा और जो उनकी वाजिब मांगे होंगी, उनको हम स्वीकार करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : और सांडों की नसबन्दी ?

श्री दिग्विजयसिंह : आप मदद करेंगे तो कर देंगे।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर जो कुछ सुझाव और विचार व्यक्त किए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इन मांगों को पारित करेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री डागा !

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, कृषि मन्त्री महोदय ने यह बताया कि बीज का ज्यादा वितरण हुआ लेकिन अभावग्रस्त और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ज्यादा होने के कारण कन्जम्शन कम हुआ। यह तो आपने बताया, क्षेत्रफल कम था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य भाषण नहीं। प्रश्न पूछिये।

श्री मूलचन्द डागा : ज्यादा बीज नहीं दिया गया, एरिया ज्यादा है। क्या बाढ़ पीड़ित होने के कारण लोगों की मांग कम हो गई ? कृपया इसका उत्तर दीजिएगा ?

श्री दिग्विजयसिंह : ऐसा नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह : कृषि मन्त्री महोदय, आपके विभाग में कई सफेद हाथी हैं। यह राशि कहीं उनकी तनख्वाह में ही समाप्त न हो जाय। इसलिए आप अपने महकमे के इन सफेद हाथियों से सतर्क रहें...

श्री दिग्विजयसिंह : आपकी राय लेकर करूंगा।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रासिंह !

श्रीमती सुमित्रासिंह : सभापति महोदय, मैंने मुख्य रूप से दो सुझाव दिये थे। एक सुझाव तो यह था कि क्रास ब्रीड गाय जो दूध देती है, उस दूध की कीमत का चुकारा चर्बी के प्रतिशत के आधार पर नहीं हो कर सोलिड नाट फेट के आधार पर होना चाहिये, उसके बारे में आपकी क्या राय है ? दूसरा मैंने यह सुझाव दिया था कि जो क्रोस ब्रीडिंग प्रोग्राम हेतु कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था है उसमें 50 % एवं 75 % सांड भी रखे जाना चाहिये ताकि हम इन गायों को 50 % और 75 % की सीमा तक इसे कायम रख सकें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो भाषण हो रहा है ...

श्री मूलचन्द डागा : भाषण कहां है ? समझते तो हैं नहीं ?

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, एक निवेदन है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मन्त्री महोदय, सदन को गुमराह कर रहे हैं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, No speech, No speech.

माननीय श्री रामकृष्णदास गुप्ता !

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मन्त्री महोदय ने बीकानेर की कोलायत तहसील के बारे में क्या बताया है ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने माननीय सदस्य को इस सम्बध में

श्री सभापति : लिख कर उत्तर दे दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय मेरा एक निवेदन है।

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री बजरंगलाल शर्मा : पाईन्ट ऑफ ऑर्डर मेरा भी है।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे यह प्रगति विवरण दिया गया है जिसके आधार पर आपकी सेवा में बहस कर सके। इसमें जो फिगर्स दिये गये हैं और आपने जो दिये हैं, उनमें अन्तर है। या तो यह रिपोर्ट गलत है या आपका बयान सही नहीं है।

श्री सभापति : तथ्यों के सम्बन्ध में पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं उठा सकते।

ऑर्डर प्लीज। अभी भेड़ ऊन मन्त्री महोदय का स्टेटमेन्ट बाकी है। वह स्टेटमेण्ट देंगे।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन) : सभापति महोदय,....

(व्यवधान)

मध्य प्रदेश में जो भेड़े चरने जाती हैं। मध्य प्रदेश में वन के विकास के लिये उन पर पाबन्दी लगा दी गई थी। उसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय पत्र व्यवहार कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं जो 5 रु० बढ़ा दिया गया है। वह वापस पूर्ववत हो। 45 दिन आने-जाने के लिये अवधि बढ़ाई जाये।

श्री मूलचन्द डागा : आश्वासन दिया था मुख्य मन्त्रीजी ने। आज 6 महीने हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज।

यह बिल्कुल अनुचित है। मन्त्री महोदय स्टेटमेंट दे रहे हैं। माननीय सदस्य व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : नवीन योजना के अन्तर्गत ऋण दिया जा चुका है। राज,

(श्री नन्दलाल मीणा)

स्थान के 10 जिलों में प्रत्येक लघु एवं सीमान्त कृषक एवं भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों को 30 भेड़ और एक मेड़ा दिया जायगा। इसके लिए 25 से 33 % अनुदान कामर्शियल बैंक अथवा सहकारी बैंक देते हैं।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बीमारी के बारे में कहा है उसके बारे में जिलाधीश को वायरलेस किया जिससे मालूम हुआ यह बीमारी (सिस्टोसोमियसिस) पहली बार हुई है। इसके लिए विभाग के अनुसन्धान अधिकारी, उपनिदेशक को भेजा है। वहां पर दवाइयां मुहैया कर दी गई हैं। सदन से मांग करता हूं, मेरी मांगें पास की जायें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मन्त्री महोदय, इतनी तेजी से भाषण पढ़ रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री मूलचन्द डागा : इतना तेज बोल रहे हैं। तूफान मेल की तरह भाग रहे हैं। कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मन्त्री महोदय, भाषण पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं देख रहा हूं। मन्त्री महोदय पढ़ नहीं रहे हैं। उनके हाथ में कागज थे, उनको देख रहे थे। यदि कोई मन्त्री महोदय स्टेटमेन्ट पढ़े तो भी कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : वाह ! वाह !

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, डायरेक्टर, शीप एण्ड वूल के बारे में एक प्रश्न उठाया था। उसके बारे में मन्त्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया है। जांच कराने का इरादा है तो उसकी घोषणा करनी चाहिए थी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

माननीय श्री राम रघुनाथ !

श्री राम रघुनाथ : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है....

(व्यवधान)

आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें आपकी भेड़ चराने....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 5 मिनट और बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 5 मिनट और बढ़ाया गया।

श्री मूलचन्द डागा : यहां भेड़े बहुत हैं।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री रामरघुनाथ : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के बारे में कोई उत्तर....

श्री सभापति : भाषण नहीं, माननीय सदस्य !

श्री वृद्धिचन्द जैन : सभापति महोदय, अधिकारियों का कार्यालय बाड़मेर में खोलने का आश्वासन दिया था तत्कालीन मन्त्री महोदय ने उसके बारे में क्या कदम उठाया जा रहा है ?

डॉ० हरिसिंह : माननीय बजरंगलाल शर्मा ने एक स्पेसिफिक करप्शन कराने का केस भेड़ मन्त्री जी को बताया था। उसके बारे में मन्त्री महोदय का क्या कहना है या उसको भीXXX

श्री अब्दुल अजीज : नागौर के पशु मेले में पिछले 3 साल में 22 हजार का मैन्योर आक्शन हुआ है।

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भेड़ मन्त्री जी के लिए जो XXX शब्द कहा गया है, वह कार्यवाही से हटाया जाये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

माननीय मन्त्री महोदय को XXX शब्द कहा गया है वह कार्यवाही से हटा दिया जाये।

XXXअभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या भेड़ चाल है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आप भाषण दे रहे हैं।

श्री अब्दुल अजीज : क्या मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि पिछले तीन वर्ष में मैन्योर आक्शन हुआ था वह तकरीबन 22 हजार का हुआ। क्या वजह है ....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! कटौती प्रस्ताव में नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : आपका कटमोशन नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जो बात कट मोशन में नहीं उठायी गई है उसका सरकार की तरफ से उत्तर नहीं आ सकेगा।

श्री अब्दुल अजीज : करप्शन का कटौती प्रस्ताव से क्या ताल्लुक है ?

श्री सभापति : माननीय श्री शिवचरणसिंह !

श्री शिवचरणसिंह : सभापति महोदय, पिछले सत्र में मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि मध्य प्रदेश से कान्ट्रेक्ट कर रखा है और राजस्थान की भेड़ें वहां जाने पर पाबन्दी लगा दी गई है उसको खुलवा दिया जायगा। तो क्या यह पाबन्दी खोल दी गई है ? यदि नहीं तो भविष्य में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : एक छोटा सा सवाल....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, आप कृपा कीजिये ।

श्री मूलचन्द डागा : आज कृषि की भूमि अवाप्त की जाती है तो रेवेन्यू विभाग....

(व्यवधान)

श्रीमन् जमीन अवाप्त करते समय रेवेन्यू विभाग से पूछा जाता है और जमीन दे देते हैं लेकिन क्या कृषि विभाग से भी पूछा जाता है कि जमीन दी जानी चाहिए कि नहीं ?

श्री अब्दुल अजीज : संगमरमर की खानों में जो पानी भरा हुआ है उसमें मछली-पालन करेंगे क्या ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह(कृषि मन्त्री) : इसका जवाब यही है कि पूर्व में जो आश्वासन दिया गया है उसको मैं देख लूंगा और जो कार्यवाही हो सकेगी वह की जायगी ।

मांग संख्या 37 व 39 पर पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,15,39,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई !

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39–पशु पालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,50,05,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई !

सदन की कार्यवाही 27 मार्च, 1978 प्रातः 11-00 बजे सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5-04 बजे सोमवार दिनांक 27 मार्च, 78 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न सं० 467 की सूची)

'अ'

राज्य सरकार को 1 जुलाई, 77 से 31-12-77 तक आवन्टित मात्रा की सूची

क्र० सं०	नाम जिला	तृतीय तिमाही में प्राप्त आवंटन	चतुर्थ तिमाही में प्राप्त आवंटन
1.	अजमेर	4825	5165
2.	अलवर	5670	6170
3.	बाड़मेर	1085	1135
4.	बांसवाड़ा	955	1405
5.	भरतपुर	5250	5750
6.	भीलवाड़ा	2250	2475
7.	बीकानेर	2025	2290
8.	बून्दी	600	735
9.	चित्तौड़गढ़	1700	1965
10.	चूरू	2140	2615
11.	डूंगरपुर	790	825
12.	गंगानगर	5100	5480
13.	जयपुर	13030	14630
14.	जोधपुर	3580	4080
15.	जैसलमेर	260	285
16.	जालोर	1100	1250
17.	झुन्झुनू	1875	2025
18.	झालावाड़	750	885
19.	कोटा	3105	3605
20.	नागौर	2025	2200
21.	पाली	2550	3025
22.	सवाई माधोपुर	1910	1980
23.	सीकर	2140	2215
24.	सिरोही	1275	1515
25.	टोंक	880	915
26.	उदयपुर	7080	7580
	योग....	73,950	82,700

166

'ब'

आवंटित सीमेन्ट में से जिलेवार प्राप्त सीमेन्ट की सूची

क्र० सं०	नाम जिला	तृतीय तिमाही में जिलेवार प्राप्ति	चतुर्थ तिमाही में जिलेवार प्राप्ति
1.	अजमेर	5183	5518
2.	अलवर	2653	4295
3.	बाड़मेर	1650	1504
4.	बांसवाड़ा	605	895
5.	भरतपुर	6217	4728
6.	भीलवाड़ा	2350	2548
7.	बीकानेर	1619	1436
8.	बून्दी	799	395
9.	चित्तौड़गढ़	1450	1605
10.	चूरू	1942	2189
11.	डूंगरपुर	831	1042
12.	गंगानगर	5883	7097
13.	जयपुर	1682	15069
14.	जोधपुर	3280	2833
15.	जैसलमेर	197	124
16.	जालोर	1741	1311
17.	झुन्झुनूं	1902	2034
18.	झालावाड़	625	4[illegible]8
19.	कोटा	2658	2975
20.	नागौर	1683	2064
21.	पाली	2658	3253
22.	सवाई माधोपुर	2326	2587
23.	सीकर	1990	2657
24.	सिरोही	928	1138
25.	टोंक	865	1041
26.	उदयपुर	6768	8281
	योग	72485	79077

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न संख्या 470 की सूची)

अंतारए व मण्डावल सड़क जिसकी योजना मद में रिवाइज सीमित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति 4.50 लाख रुपये थी, उसके अन्तर्गत वर्षवार बजट प्रावधान व खर्च की गई राशि की तालिका निम्न प्रकार है:—

योजना मद में

वर्ष	बजट प्रावधान (लाखों में)	खर्च की गई राशि (लाखों में)
1969-70	2.50 लाख	2.11577
1970-71	0.50	0.67657
1971-72	1.08	1.10162
1972-73	0.80	0.59010
योग....		4.48406
	4.[illegible]8	4.48

168

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 473 की सूची)

सूची तहसील तारानगर के ग्रामों की जिनके प्रस्ताव पटवारीगण ने किये थे।

क्रम सं०	नाम गांव
1.	धायं
2.	रेवासी
3.	सलाऊताण व टोबा
4.	कालश
5.	बुचावास
6.	नेठवा
7.	आनन्दसिहपुरा
8.	गोडास
9.	चणककोई बीकान
10.	बीधरान
11.	झाड़सा गजिया
12.	ढाणी कुम्हारान
13.	मलायण
14.	लूनास
15.	गडान
16.	झाडसा कान्खलान
17.	मनीम
18.	बास सारायण
19.	कोहिणा
20.	सारायण
21.	रैंडी

परिशिष्ट—4

(तारांकित प्रश्न संख्या 479 की जानकारी व सूची)

भूतपूर्व मन्त्री श्री भीखा भाई, श्री हरजी भूतपूर्व प्रधान, पंचायत समिति, सीमलवाड़ा व श्री विमल प्रकाश, भूतपूर्व प्रधान, पंचायत समिति, सागवाड़ा के बारे में पुलिस तफतीश से जो तथ्य सामने आये हैं व जो कानूनी कार्यवाही की गई है, उसका विवरण पुलिस अधीक्षक ने इस प्रकार दिया है:—

श्री हरजी भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति सिमलवाड़ा व श्री विमल प्रकाश प्रधान पंचायत समिति सागवाड़ा ने 4 लाख रुपये का भुगतान तो झूठा नहीं किया, अलबत्ता श्री विश्वेश्वरलाल पाण्डे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के द्वारा जांच पर 1 लाख रुपये की धनराशि का दुरुपयोग होना अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है। परन्तु तफतीश से केवल 8680 रुपये की ही धनराशि का दुरुपयोग होना जाहिर आया है। पुलिस द्वारा अपराध संख्या 38/75 धारा 409. 468, 420 ता० हि० में तफतीश की गई। तफतीश के 17 मुलजिमानों के खिलाफ जुर्म साबित होने से राज्य सरकार से गिरफ्तारी की स्वीकृति लेकर गिरफ्तारी अमल में लाई गई तथा जरिये चार्ज शीट नं० 42 दिनांक 31-12-77 को चालान बनाकर अदालत में पेश किया लेकिन अदालत ने एतराज किये जिनकी पूर्ति की जा रही है। अदालत ने चालान पेश करने की तिथि 7-4-78 दी है।

इस अपराध में पुलिस द्वारा बावजूद प्रयास के दुरुपयोग शुदा धनराशि बरामद नहीं हो सकी है। मगर अन्वेषण से धनराशि का दुरुपयोग होना अवश्य साबित हुआ है। सहायता का दुरुपयोग करने वालों की सूची निम्न प्रकार है जिन्हें गिरफ्तार किये जाकर उनके विरुद्ध चालान मुरतब हो चुका है:—

1. श्री पुरुषोतमलाल गिरदावर ह० सागवाड़ा
2. ,, शंकर सरपंच विकास पंचायत, कोचरी
3. ,, दोउदावली खां पटवारी चीखली
4. ,, शाह मोहम्मद पटवारी, तहसील सागवाड़ा
5. ,, इसमाइल खां पटवारी, तहसील सागवाड़ा
6. ,, ऊंकार भाई अध्यक्ष, सहकारी समिति, बावड़ी
7. ,, धूलजी सरपंच, विकास पंचायत, मांदड़ो
8. ,, प्रेमपुरी पटवारी, तहसील सागवाड़ा
9. ,, विमल प्रकाश, प्रधान पंचायत समिति, सागवाड़ा
10. ,, जीतमल जैन, टी० आर० ए०, तहसील, सागवाड़ा
11. ,, हरजी भाई, प्रधान, पंचायत समिति, सागवाड़ा
12. ,, रमाशंकर गिरदावर, तहसील कानूनगो, सागवाड़ा

(170)

13. श्री गुलाबसिंह चौहान, तहसील सागवाड़ा
14. ,, अमृतलाल ओ० का०, तहसील सागवाड़ा
15. ,, राम प्रसाद नायब तहसीलदार, सागवाड़ा
16. ,, कमलाशंकर, पटवारी, तहसील सागवाड़ा
17. ,, रतनलाल रीडर, तहसील सागवाड़ा

जांच के दौरान भुगतान करने में पाये गये दोषी सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्तियों की सूची

सरकारी दोषी व्यक्तियों के नाम, तत्कालीन कार्यरत :—

1. श्री गुलाबसिंह, तहसीलदार, सागवाड़ा
2. ,, रामप्रसाद राय, नायब तहसीलदार, सागवाड़ा
3. ,, अमृतलाल ओफिस कानूनगो (भू-अभिलेख) सागवाड़ा
4. ,, दयाशंकर, गिरदावर (भू-अभिलेख) सागवाड़ा
5. ,, पुरुषोत्तमलाल, द्विवेदी भू-अभिलेख
6. ,, जीतमल जैन टी० आर० ए०
7. ,, रतनलाल व्यास, रीडर
8. ,, प्रेमपुरी पटवारी
9. ,, बादर खां पटवारी
10. ,, कमला शंकर पटवारी, गोड़ापला
11. ,, शाह मोहम्मद पटवारी, चिबुड़ा
12. ,, गौतमलाल पटवारी, पादरड़ी बड़ी
13. ,, फकीर मोहम्मद पटवारी, कानपुर
14. ,, सैदाअली पटवारी, चीखली
15. ,, ईश्वरदास पटवारी
16. ,, ईस्माईल खां पटवारी, बड़गा
17. ,, मुकुरअली पटवारी, रातड़िया
18. ,, अब्दुल मजीद पटवारी
19. ,, हरिकृष्ण पटवारी, नोलियावाड़ा
20. ,, शमशेर खां पटवारी, अम्बाड़ा
21. ,, दलपतसिंह पटवारी, रामखोर
22. ,, खण्डेलवाल विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सागवाड़ा, (राज०)
23. ,, जाकिर हुसैन, ई० ओ०, पंचायत समिति, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर
24. ,, प्रेमजी पाटीदार, कर्मचारी वन विभाग।

गैर सरकारी दोषी व्यक्तियों के नाम :—

1. श्री विमल प्रकाश रोत, प्रधान पंचायत समिति, सागवाड़ा
2. श्री हरजी, प्रधान, पंचायत समिति, सीमलवाड़ा

Page No 171

(171)

3. श्री कचरा सरपंच, दिवड़ा बड़ा
4. ,, धनजी सरपंच सेमलिया पंड्या
5. ,, पूंजा कलाल, बगेरी
6. ,, हिम्मतसिंह, राजपूत ग्राम बगेरी
7. ,, पुमोनाथ बाबा
8. ,, दयाशंकर सरपंच
9. ,, भारतसिंह राजपूत, निवासी बगासा
10. ,, नाथू मेम्बर पादरड़ी बड़ी
11. ,, सज्जनसिंह राजपूत, पादरड़ी बड़ी
12. ,, नारायणलाल पुरोहित, नि० पादरड़ी बड़ी
13. ,, हीरा पिता नाथिया डेडोर, नि० पादरड़ी बड़ी
14. ,, प्रेमजीतसिंह राजपूत, सरपंच, कानपुर
15. ,, प्रेमजी सरपंच, दिवड़ा बड़ा
16. ,, मणीलाल महाजन, निवासी दिवड़ा बड़ा
17. ,, नाथू दोवड़ा बड़ा
18. ,, कूरा सरपंच, भाकोदरा
19. ,, रामेंग सरपंच, चीखली
20. ,, शंकर सरपंच, कोचरी
21. ,, नानिया मीणा, गड़ा जसराजपुर
22. ,, ऊंकार, अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति, बावड़ी
23. ,, धूलजी सरपंच, बावड़ी
24. ,, बाबूलाल सरपंच, नौलियावाडा
25. ,, सेवालाल, वनगांव
26. ,, भूरजी उप-सरपंच, रातड़िया
27. ,, पदमजी सरपंच, बड़गामा
28. ,, मणीशंकर सरपंच, जेसेला
29. ,, लालूरामजी, केसरपुरा
30. ,, दुबल सरपंच, सालेड़ा
31. ,, शंकर सरपंच, कोचरी ।

———

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न संख्या 154)

भूतपूर्व सरपंच दरोली को वर्ष 1957 से वर्ष 1969 तक आवंटित की गई भूमि का विवरण

नाम ग्राम	आराजी नं०	रकबा	ना० करण नं०	दिनांक
मन्देरिया	630	8 ।)2	23	2-2-61
,,	624/2	॥)1	39	सन् 63
,,	631/1	।)4	39	,,
,,	635/1	॥)2	39	,,
,,	636/1	॥)	39	,,
,,	637	॥।)3	39	,,
,,	638/1	॥।)	39	,,
,,	639	)3 बिस्वा	39	,,
,,	640/1	।)1	39	,,
,,	641/1	॥)	39	,,
दरोली	401	15) पै० गे०	379	11-5-64
		30 ॥)1		

अनु० जाति एवं जन जातियों से खरीदी गई भूमि का विवरण

नाम ग्राम	नाम व्यक्ति जिससे खरीदी	आराजी नं०	रकबा	ना० करण नं० मय दिनांक
दरोली	श्री चतरा पिता लाला मेघवाल देह	870	॥)	139/23-10-57
,,	श्री चतरा पिता लाला मेघवाल देह	870	॥)	151/ 7-5-58
,,	श्री सकुड़ा पिता परथा भील दरोली	1649	2।)2	182/ 6-12-58
,,	श्री सकुड़ा पिता परथा भील दरोली	1644	2॥)तलाई	181/ 6-12-58
,,	श्री अमरा पिता रूपा चमार दरोली	818	॥।)4	185/ 10-12-58
			7।)।	

परिशिष्ट–6

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

बून्दी जिले में शुगर मिल की स्थापना

481. श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि मंत्रिमण्डल की कोटा केम्प की बैठक में यह घोषणा की गई थी कि बून्दी जिले में एक और शुगर मिल लगाई जा रही है ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और यह मिल कब चालू कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां। बून्दी जिले में दूसरी शुगर सहकारी मिल का पंजीयन हो चुका है। इस सहकारी शुगर मिल द्वारा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) हेतु निवेदन किया गया था परन्तु अनुज्ञप्ति समिति भारत सरकार ने इस शुगर मिल का आवेदन-पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सरकारी अथवा अन्य क्षेत्र में चीनी उद्योग की स्थापना हेतु अनुमति नहीं दी जानी है। विभाग ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु निवेदन कर रखा है जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है।

अनुज्ञप्ति के लिये उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए पुनः निवेदन किया है। अनुज्ञप्ति एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

ग्राम सेवकों के सेवा नियम

482. श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1952 से जब से सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ, राज्य में क्या प्रगति हुई और इस कार्यक्रम में लगे हुये लगभग 4 हजार ग्राम सेवकों के सेवा नियमों और समस्याओं के संदर्भ में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये ?

(2) क्या यह सही है कि विकास अधिकारियों के वेतनमान का न कोई स्थिरीकरण हुआ है और न ही उनका कोई अपना कैडर है बल्कि यहां तक भी है कि पदोन्नति पर भी उनकी पे प्रोटेक्ट नहीं की जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों तथा यह सब कब तक हो जायेगा ?

(विकास मंत्री)

उत्तर

(1) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। ग्राम सेवकों के सेवा नियम सन् 1959 से ही बने हुए हैं। ग्राम सेवकों की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के प्रतिशत में वृद्धि करने और विभिन्न विभागों में पदोन्नति देने व मकान किराये के भत्ते में वृद्धि करने आदि से सम्बन्धित मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) विकास अधिकारियों का वेतन मान650-30-1070-40-1270 निर्धारित किया हुआ है। विकास अधिकारी के पदों पर, प्रसार अधिकारी के पद पर कार्य करने का निर्धारित अनुभव रखने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों में से राजस्थान पंचायत समिति (विकास-अधिकारियों के चयन) नियम 1968 के प्रावधानों के अनुसार चयन करके प्रतिनियुक्ति पर लगाये जा सकते हैं। विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति से लगाये गये व्यक्तियों को वापस सम्बन्धित विभाग में अपने मूल पद पर अथवा पदोन्नति पर जाने की स्थिति में ऐसे अधिकारियों को उनके मूल पद अथवा पदोन्नत पद के लिये निर्धारित वेतन श्रृंखला ही देय योग्य है। प्रतिनियुक्ति की अवधि में देय योग्य वेतन श्रृंखला प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नहीं दी जा सकती है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन 1952 से 1976-77 तक की प्रगति का संक्षिप्त विवरण

क्र० सं०	मद	इकाई	भौतिक प्रगति
1	2	3	4
1.	जन सहयोग	लाख रुपयों में	1,443-96
2.	रासायनिक खाद वितरण	क्विंटल	1,8 42,751
3.	बीज वितरण	,,	69,60,785
4.	कृषि औजार वितरण	संख्या	967334 (1974-75 तक)
5.	कृषि प्रदर्शन	,,	324,813
6.	उन्नत पशु वितरण	,,	58,074
7.	उन्नत मुर्गियों का वितरण	,,	689901
8.	सिंचाई के कुए बनाये गये	,,	2,61,205
9.	सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र	हेक्टेयर	767694

1	2	3	4
10.	नई सहकारी समितियाँ बनाई	संख्या	8469 (1975-76 की स्थिति)
11.	सदस्य सहकारी समिति में सदस्य संख्या	,,	1584,149 (1975-76 की स्थिति)
12.	पीने के पानी के कुए बनाये गये	,,	25184
13.	प्रौढ़ों में साक्षर किये जाना	,,	121.908

सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों को वेतन का भुगतान

483. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग में करीब 80 सहायक वाणिज्य कर अधिकारी गत सात साल से पूर्ण रूपेण तदर्थ बेसिस पर कार्यरत हैं ?

(2) उक्त अधिकारियों के स्थायीकरण के लिए डी० पी० सी० कब तक बैठाने की सम्भावना है ? निश्चित तारीख बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त एडहोक बेसिस पर कार्यरत अधिकारियों को कभी साल में एक बार व कभी दो बार ही कई महीनों का वेतन के भुगतान होता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस विभाग में केवल 28 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ही गत सात वर्षों से एडहोक बेसिस पर कार्य कर रहे हैं।

(2) उक्त अधिकारियों के स्थाईकरण के लिए डी० पी० सी० जून, 1978 तक बैठने की सम्भावना है।

(3) एडहोक बेसिस पर कार्यरत अधिकारियों के सेवाकाल की अवधि में वृद्धि राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अतः कई बार भुगतान कई महीनों का एक साथ करना पड़ता है।

नोहर निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों पर व्यय की गई राशि

484. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या सार्वजनिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नोहर निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने गांव है तथा कितने गांव पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा निर्मित सड़कों से जुड़े हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नोहर, साहवा, नोहर पल्लू, नोहर सरदार शहर तथा पल्लू सूरतगढ़ सड़कों पर राज्य सरकार का कुल कितना कितना रुपया व्यय हो चुका है, तथा इन सड़कों को कब तक पूर्ण करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नोहर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 162 गांव हैं और केवल 23 गांव पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा निर्मित सड़कों से जुड़े हुये है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन सड़कों पर उनके सामने अंकित राशि आज तक अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत व्यय की गई :—

1—नोहर-साहवा सड़क निर्माण हेतु रु० 2,01 530

2—नोहर पल्लू सड़क निर्माण कार्य हेतु रु० 6,55,643

3—नोहर सरदार शहर निर्माण कार्य हेतु शून्य

4—पल्लू (विरधवाल) सूरतगढ़ रुपये 2,15,535

इन सड़कों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि कोई प्रावधान नहीं है प्रावधान उपलब्ध कराने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

इन सड़कों को पूरा कराने के लिये अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

1—नोहर साहवा	8 लाख रुपया
2—नोहर सरदारशहर	27 लाख रुपया
3—पल्लू विरधवाल सड़क	25 लाख रुपया

झालावाड़ जिले में उद्योग स्थापित करने की योजना

485. श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में राज्य सरकार कौनसा उद्योग लगाने का विचार कर रही है ?

(श्री निर्मल कुमार सकलेचा)

(2) क्या झालावाड़ जिले में अफीम से सम्बन्धित कोई कारखाना लग सकता है ?

(3) क्या झालावाड़ जिले के लिए एक हजार हैन्डलूम लगाने का राज्य सरकार का विचार है ?

(4) क्या गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र झालावाड़ जिले में प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) उद्योग विभाग द्वारा उद्योग नहीं लगाये जाते हैं। राजस्थान सरकार झालावाड़ में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उद्योग फिलहाल लगाने की बात नहीं सोच रही है।

(2) जी हां। परन्तु यह प्रश्न भारत सरकार के यहां विचाराधीन है और मध्यप्रदेश व राजस्थान दो राज्यों के बीच इस उद्योग के स्थापित करने का सिलसिला चल रहा है ।

(3) झालावाड़ जिले में राजस्थान सरकार ने मार्च, 1978 तक 50 नये उन्नत किस्म के करघे लगाने का तय किया है। अगले वर्ष 100 नये करघे और लगाने की योजना है।

(4) जी नहीं।

जालौर में ग्रेनाइट पोलिशिंग एवं कटिंग मशीन लगाने की योजना

486. श्री टीकमचन्द्र कान्त (जालौर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रेनाइट पोलिशिंग एवं कटिंग मशीन को जालौर में ही लगाने का आश्वासन गत विधान सभा काल में दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त मशीन को जोधपुर में लगाने की कार्यवाही क्यों की जा रही है जब कि सारा ग्रेनाइट जालौर में ही उपलब्ध है ?

(2) क्या जिले में अन्य उद्योगों को लगाने व पनपाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? ब्यौरा सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परियोजना को जोधपुर में प्राप्त लाभों को दृष्टिगत रखते हुये जोधपुर में कारखाना स्थापित किया जा रहा है। जालौर में उपलब्ध ग्रेनाइट के खनन हेतु आर० आई० एम० डी० सी० ने लगभग 10 लाख रुपये की राशि खनन

(178)

(खनिज मंत्री)

उपकरणों के क्रय में खर्च कर रही है। उद्योग मन्त्री द्वारा 3-3-78 को विधान सभा में की गई घोषणा की पालना में जालोर में ग्रेनाइट कटिंग व पालिशिंग की यूनिट लगाने की योजना तैयार की जा रही है।

(2) जी नहीं।

ऋषभदेव के मन्दिर के कर्मचारियों का वेतन

487. श्री गम्भीर लाल मीणा (सराड़ा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देवस्थान विभाग के अन्तर्गत मन्दिर ऋषभदेव, जिला उदयपुर में सेवारत कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उन कर्मचारियों को आज भी 100 रु० प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उन्हें पूरा वेतन दिलाने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब से व कितना वेतन दिलायेगी ?

उत्तर

(1) श्री ऋषभदेव मन्दिर में सेवारत कर्मचारियों को वेतन उनके कार्यभार एवं मन्दिर की आय को ध्यान में रखते हुये विभिन्न दरों से दिया जाता है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वेतन कार्य एवं मन्दिर के फण्ड की स्थिति के अनुसार वेतन मिलता है।

(3) यह विभाग के डायरेक्ट चार्ज श्रेणी का मन्दिर न होकर आत्मनिर्भर श्रेणी का है। इसके कर्मचारियों का वेतन मन्दिर की आय के अनुपात से निश्चित किया जाता है।

मंत्रालयिक स्टाफ

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वेतन	वि. विवरण
1	2	3	4
1.	श्री सज्जनसिंह शक्तावत, प्रभारी अधिकारी	575.00	
2.	,, नारायणलाल रावत, नामेदार	175.00	
3.	,, भीमराज भोई केशियर	275.00	

Page No 179

(179)

1	2	3	4
4.	श्री दाडमचन्द रावत, वायरमैन	200.00	
5.	,, सुमेरसिंह राणावत, पेशकार	165.00	
6.	,, रिक्त पद, कामदार मंदिर	165.00	
7.	,, मनोहरसिंह पंवार, कामदार केशर	160.00	
8.	,, महेन्द्रकुमार त्रिवेदी	160.00	
9.	,, गणेशलाल दशोरा, कामदार सराय	175.00	
10.	,, नाथूलाल रावत, अहलमद सीगा पुलेव	160.00	
11.	,, रिक्त पद, कामदार पर्सनल प्रापर्टी	160.00	
12.	,, चन्द्रशेखर, रिकार्ड कीपर	160.00	
13.	,, रविशंकर व्यास, पार्ट टाइम वकील	25.00	
14.	,, मोतीलाल सुथार, मिस्त्री	10.00	माहवार
15.	,, गोमा, चपरासी	105.00	अलाउन्स
		2090.00	

मंदिर कर्मचारी व दीगर स्टॉफ

1.	श्री शंकरलाल गुमास्ता, भण्डार	85.00	
2.	,, मगनलाल, ,,	85.00	
3.	,, नारायणलाल ,,	85.00	
4.	,, महाशंकर ,,	85.00	
5.	,, रखवदास, गोटेदार	60.00	
6.	,, गणेशलाल, छड़ीदार	60.00	
7.	,, मगनलाल, पुजारी	65.00	
8.	,, कालुशंकर, पुजारी	65.00	
9.	,, मोहनलाल, पुजारी	65.00	
10.	,, छबीलाल, पुजारी भैरूजी	85.00	
11.	,, सूर्यनारायण, पुजारी	85.00	
12.	,, किशनलाल, छड़ीवालजी	45.00	
13.	,, मांगीलाल, ,,	45 00	
14.	,, महेन्द्रकुमार, पुजारी	65.00	
15.	,, कूरीलाल, छड़ीवालजी	45.00	
16.	,, भीखालालजी	75.00	
17.	,, प्रहलादजी	65.00	

Page No 180

(180)

1	2	3	4
18,	श्री बन्शीलाल, प्र. चा.सु	30.00	
19.	,, रामलाल, चपरासी	60.00	
20.	,, संग्रामा, स्नानघर पर	60.00	
21.	,, रूपा, ,,	60.00	
22.	,, लीला भाई, स्नानघर पर	60.00	
23.	,, सीवा, कचरेवाला	45.00	
24.	,, सलीवा, कचरेवाला	45.00	
25.	,, कानजी, कचरेवाला	45.00	
26.	,, टोडो, कचरेवाला	45.00	
27.	, नर्बदाबाई, प्याऊघर	25.00	
28.	,, नारायणलाल, नगारची	60 00	
29.	,, हीरालाल, नगारची	60.00	
30.	,, सरस्वती, नगारचन	35.00	
31.	,, भूरी नगारचन	35.00	
32.	,, अम्बा नगारचन	45.00	
33.	,, शंकरलालजी, धोबी	45.00	
34.	,, ककुबाईजी, बागवान	85.00	
35.	,, रूपा, हाली	70.00	
36.	,, पेमा, हाली	70.00	
37.	,, पूंजा, हाली	70.00	
38.	,, शिवशंकर, हाली	70.00	
39.	,, दीता, सईस	70.00	
40.	,, नाथू, सईस	70.00	
41.	,, मालचन्द सराय	25.00	
42.	,, रामसिंह, फर्रास	70.00	
43.	,, दला, फर्रास	70.00	
44.	,, माना, फर्रास	65.00	
45.	,, फूला, फर्रास	65.00	
46.	,, कस्तुरा, धोबी	30.00	
47.	,, मनोहरलाल, हरिजन	60.00	
48.	,, सोहनी, हरिजन	60.00	
49.	,, मेवली, हरिजन	60.00	
50.	,, रामलाल, हरिजन	80.00	
51.	, गंगादेवी, हरिजन	60.00	

1	2	3	4
52.	श्री पार्वती,	60.00	
53.	,, दयाराम, भिश्ती	60.00	
54.	,, रामा, भिश्ती	60.00	
55.	,, प्याऊ सराय	30.00	
56.	,, लच्छीराम, टीडी प्याऊ	25.00	
57.	,, गणेशलाल, वाचनालय	50.00	
	योग:–	3325.00	

फोर्स स्टॉफ

1	2	3	4
1.	श्री , ऑफिसर फोर्स	300.00	
2.	,, जवानसिंह, जमादार, मंदिर	133.00	
3.	,, जीवा वीरजी, जमादार फोर्स	129.00	
4.	,, थावरा लालु, हवलदार	126.00	
5.	,, जीवा गांगा, हवलदार	126.00	
6.	,, सूरजी पुंजा, हवलदार	126.00	
7.	,, सकरा नाथू	126.00	
8.	,, नाथूराम लालू	126.00	
9.	,, मंगला गांगा	126.00	
10.	,, कालू मंगु	122.00	
11.	,, मनोहरसिंह भटनागर, हवलदार	124.00	
12.	,, रूपा हरमा, सिपाही	116.00	
13.	,, नाना मन्ना ,,	116.00	
14.	,, परता मन्ना ,,	116.00	
15.	,, कबरा सकरा ,,	116.00	
16.	,, धुना खातु ,,	116.00	
17.	,, रतना तेजा ,,	116.00	
18.	,, भरता कावा, सिपाही	116.00	
19.	,, थावरा लालु ,,	116.00	
20.	,, खातु नाथू ,,	116.00	
21.	,, वेसा मामा ,,	116.00	
22.	,, फूला कमला ,,	116.00	
23.	,, देवा डोला ,,	116.00	

1	2		3	4
24.	श्री लाल धनजी	सिपाही	116.00	
25.	,, भगतसिंह	,,	116.00	
26.	,, गांगा मेघा	,,	116.00	
27.	,, सोमा लालु	,,	116.00	
28.	,, चुनीलाल भोई	,,	116.00	
29.	,, धावरा गांगा	,,	116.00	
30.	,, कपूरा देवा	,,	116.00	
31.	,, गलोबा मंगवा	,,	116.00	
32.	,, कूरा रूपा	,,	116.00	
33.	,, कमला नाथु	,,	116.00	
34.	,, शामा लालू	,,	116.00	
35.	,, चोखा हीरा	,,	116.00	
36.	,, लालु जोगा	,,	116.00	
37.	,, पेमा थाना	,,	116.00	
38.	,, मांगीलाल देवीलाल	,,	116.00	
39.	,, नारायणलाल पालीवाल	,,	116.00	
40.	,, लक्ष्मीलाल, सिपाही	,,	113,00	
41.	,, मांगीलाल	,,	116.00	
42.	,, दलसिंह	,,	114.00	
43.	,, ऊंकारसिंह	,,	114.00	
44.	,, मंगला कमला	,,	114.00	
45.	,, धावरा नाथु	,,	114.00	
46.	,, पन्नालाल हरीराम	,,	114.00	
47.	,, गोविन्दराम	,,	114.00	
48.	,, धर्मनारायण भोई	,,	114.00	
49.	,, किशोरकुमार	,,	112.00	
50.	,, नाथु हुकजी,	चोकीदार	99.00	
51.	,, सवजी रामा	,,	99.00	
52.	,, भेरा हीजा	,,	99.00	
53.	, शंकर पेमा	,,	99.00	
54.	,, चुनीलाल नाई	,,	99.00	
55.	,, धकरी भैया	,,	99.00	
56.	,, धुला पूंजा	,,	99.00	
57.	,, धमरा सिंगरा	,,	99.00	

1	2		3	4
58.	श्री नाथू मनु	चौकीदार	99.00	
59.	,, सकरा काला	,,	99.00	
60.	,, मन्नु सिगरा	,,	99.00	
61.	,, लाला थावरा	,,	99.00	
62.	,, भीमा फूना	,,	99.00	10 अलाउन्स
63.	,, कमजो पति पनालाल, हरिजन		25.00	
64.	,, मोहनलाल	धोबी	40.00	
		योग....	6,486.00	
		कुल योग....	11,901.00	

भेड़ों को चराने की व्यवस्था

488. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या भेड़ व ऊन विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी में अन्य स्थानों में हर वर्ष भेड़ों को लेकर जो संघर्ष होता है, उसे रोकने का राज्य सरकार ने कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) इस वर्ष भेड़ों को पिछले वर्ष की भांति वर्षा ऋतु में कहां चराने के लिए भेजने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने भेड़ों के परिव्रजन की समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये एक समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) राज्य सरकार द्वारा भेड़ों को चराने के लिये कहीं नहीं भेजा जाता है। भेड़ पालक स्वयं अपनी सुविधानुसार भेड़ों को चराने के लिये ले जाते है। अतः इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है।

तहसील कोटपूतली में भू-प्रबन्ध का कार्य

489. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) तहसील कोटपूतली में भू-प्रबन्ध का कार्य कब से चल रहा है ? कब तक पूरा हो जायगा ?

(184)

(श्री रामकरणसिंह)

(2) तहसील में कार्य करने वाले कितने कर्मचारी व अधिकारियों की शिकायत किस किस प्रकार की हुई है ? कब हुई, उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या जिला भू-प्रबन्ध अधिकारी ने राजस्व अभियान के समय अमीनों को यह आदेश दिये थे कि वे रिकार्ड सहित जयपुर चले आयें ?

(4) क्या यह सत्य है कि ऐसे समय में जब कि राजस्व अभियान चलाया जा रहा था रिकार्ड को मंगा कर राजस्व अभियान को फेल किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि तहसील के किसानों को बैंक से ऋण लेने के लिये जमीन को रहन रखने की प्रक्रिया की पूर्ति न तहसीलदार करता है और न भू-प्रबन्धक विभाग के अधिकारी जिससे तहसील के किसान इस अकाल के समय में बेताब हैं ? क्या यह भी सत्य है कि तहसीलदार कागजों को (प्रार्थना-पत्र) भू-प्रबन्धक अधिकारियों के पास भेजता है जिससे जयपुर में कागजात पड़े रहते हैं ? इस पर क्या राज्य सरकार तुरन्त विचार कर किसानों को राहत पहुंचायेगी ?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली में भू-प्रबन्ध कार्य सन् 1975 से चल रहा है, जिसके सन् 1978-79 के अन्त तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है। इसके बाबत सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व अभियान के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी कम सहायक लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर हो मौके पर पुराने खसरा नम्बरों के आधार पर नामान्तरकरण आदि के मामले तय कर दें एवं इनका बाद में भू-प्रबन्ध विभाग के रिकार्ड में इन्द्राज हो जावे। अतः अमीनों का वहां भेजा जाना आवश्यक नहीं था।

(4) सही नहीं है क्योंकि राजस्व अभियान में राज्यहित में ही यात्रा व दैनिक भत्ता की रकम की बचत को ध्यान में रखकर वित्त आयुक्त के परामर्श से यह कदम उठाया गया था। भू-मापकों के फील्ड पर न होने का प्रभाव अभियान पर बिल्कुल नहीं पड़ा। इस कार्य में सहयोग देने के दृष्टिकोण से प्रत्येक सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी के साथ एक या दो-दो निरीक्षक राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग देने हेतु लगाया गया था। भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने जो दौरे करके कार्य को प्रोत्साहन दिया है। अतः अभियान को फेल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता और न अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उठता है।

Page No 185

185

(राजस्व मन्त्री)

(5) जी नहीं ।

बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये सभी को अपनी भूमि सम्बन्धित बैंक के रहन करनी पड़ती है । पंजीयन नियम के अनुसार-बैंक स्वयं ही भूमि सम्बन्धी रजिस्ट्री का कार्य करता है । इसके पश्चात् ऋणों की भूमि पर बैंक के हित का अमल-दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार के पास डिक्लेरेशन का कार्य किया जाता है। इस घोषणा-पत्र को तहसीलदार सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के पास राहिन मूर्तहीन को इन्द्राज करने हेतु भेजता है जो कि भू-प्रबन्ध के रिकार्ड में दर्ज करके वापस भेज दिया जाता है । अतः कागजात के पड़े रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

——

'क'

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रम सं.	नाम कर्मचारी/अधिकारी जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई तथा पद	दिनांक शिकायत	शिकायतों का विवरण तहसील कोटपूतली से प्राप्त शिकायत का विषय	कार्यवाही जो इस कार्यालय द्वारा की जा रही है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, भू-मापक	माह अक्टूबर, 77	ग्राम कल्याणपुरा खुर्द तहसील कोटपूतली में सन् 1975 के अमीन द्वारा ग्रामवालों के एक दूसरे के प्रति झूंठी-अफवाह फैला कर व धोखा देकर करीब 2500/–रुपये रिश्वत लेने बाबत	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है निर्णय किया जाना शेष है।	
2.	भू-प्रबन्ध विभाग के स्टॉफ के विरुद्ध	सितम्बर, 77	ग्राम पाबूडाला में बन्दोबस्त अधिकारियों के द्वारा लूट।	कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है जांच चल रही है।	
3.	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के विरुद्ध	25-5-77	ग्राम पुरुषोत्तमपुरा में 400 रुपये लेकर किशन मीणा को पर्चा देने बाबत।	जांच करने पर तथ्य हीन पाई गई।	

4.	श्री जुगलकिशोर शर्मा, भू-मापक	29-7-77	ग्राम पनिवाला तहसील कोटपूतली में अनियमित कार्य करने बाबत ।	जांच करने पर शिकायत निराधार पाई गई ।
5.	श्री मुस्तखिम उल्ला, निरीक्षक	जनवरी, 78	सन् 76 में तहसील कोटपूतली में सर्वे के समय बहुत हाथ मारे हैं व सरकार को धोखा देने बाबत एवं अमीन को तंग कर वसूली करने बाबत ।	सहायक प्रबन्धक अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है जांच चल रही है ।
6.	सैटिलमेन्ट स्टाफ के विरुद्ध	अगस्त, 77	ग्राम बोनगीर तहसील कोटपूतली में अमीनों द्वारा खातेदारी की भूमि का रकबा कम दर्ज करने व पैसे खर्च करने बाबत	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है जांच चल रही है ।
7.	भू-मापक के विरुद्ध	अगस्त, 77	ग्राम खेडकी मूकट तहसील कोटपूतली में भू-मापक द्वारा पैमाइश की जांच के सम्बन्ध में ।	,,
8.	श्री मानसिंह शेखावत, अमीन	मार्च, 77	ग्राम तलाना तहसील कोटपूतली के सम्बन्ध में उपस्थित होने हेतु ।	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी से रिपोर्ट चाही गई है जो नहीं आई है । शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है ।

1	2	3	4	5	6
9.	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं स्टाफ के विरुद्ध	1-11-77	तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर में ए. एस. ओ. द्वारा अलग-अलग नीतियों से चालान करने बाबत	तथ्यहीन होने पर फाइल कर दिया गया।	
10.	,,	अक्टूबर, 77	ग्राम भालोज बसई में एक की भूमि किसी दूसरे के नाम करने बाबत।	शिकायत तथ्यहीन होने पर फाइल करदी गई।	
11.	स्टाफ के विरुद्ध	6-1-76	ग्राम सामटेडा की सर्वे के सम्बन्ध में एवं पैसे लेने की कोशिश में रहने बाबत स्टाफ।	,,	
12.	भू-मापक के विरुद्ध	4-4-76	खसरा नं. 1110 से 1117 ग्राम बेरी में अमीन द्वारा जबरन रास्ता निकालने व अधीन रास्ता चाहने बाबत।	सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। निर्णय लिया जाना शेष है।	
13.	स्टाफ के विरुद्ध	अगस्त, 76	ग्राम बघराना में रास्ता मौके अनुसार शीट में बनवाये जाने बाबत।	कृषक पुराना रास्ता होने के उपरान्त भी नया रास्ता बनवाना चाहते थे मगर पुराना रास्ता मौके पर चालू होने के कारण नया नहीं बनाया गया। इस तरह शिकायत का निराकरण कर दिया गया।	

14.	स्टाफ के विरुद्ध	जनवरी, 77	भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा जनता का शोषण ग्राम ग्रामपुरा, तहसील कोटपूतली ।	शिकायत तथ्यहीन है।
15.	श्री सुरेन्द्रसिंह, भू-मापक	11-10-77	ग्राम मंदा तहसील, कोटपूतली में गलत नामान्तरकरण करने बाबत।	जांच जिलाधीश, जयपुर द्वारा की जा रही है ।
16.	श्री लालवचन प्रसाद, भू-मापक	,,	ग्राम खण्डव, तहसील कोटपूतली	जांच कराई जा रही है।
17.	श्री श्यामलाल गुप्ता, भू-मापक	,,	ग्राम भाखरी तहसील कोटपूतली में अनियमित कार्य करने बाबत	जांच चल रही है।
18.	श्री यादराम गौड, भूतपूर्व ए० एस० ओ०, बवक्त ए० एस० ओ० आर०	,,	मिसलों में अनियमित फैसला देने	डी.ओ.पो क. 3 कमांक 9 मू 11 दिनांक 2-1-78 द्वारा चार्जशीट का प्रारूप भेजा गया है।
19.	श्री प्रहलाद शर्मा, भू-मापक	,,	मिसलों में गलत रिपोर्ट करते	एस० ओ० जयपुर को क्रमांक 6 दिनांक 2-1-78 द्वारा चार्जशीट देने को लिखा गया है।

Page No 190

(190)

अनुसूचित जन-जाति के घनी आबादी वाले क्षेत्र

490. श्री समरथलाल (राजगढ़): क्या जन-जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार Tribal Welfare Commission में अनुसूचित जन-जाति के घनी आबादी वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो राज्य में अनुसूचित जन-जाति के घनी आबादी वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा उनको कब तक Tribal Welfare Commission में सम्मिलित कर लिया जावेगा?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार ने अनुसूचित जन-जाति के घनी आबादी वाले क्षेत्रों को "ट्राइबल सब प्लान" में सम्मिलित किया है। इन क्षेत्रों में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के पूरे जिले, उदयपुर जिले की फलासिया, खेरवाड़ा, कोटड़ा, सराड़ा, सलूम्बर और लसाड़िया तहसील व गिरवा ब्लॉक चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील और सिरोही जिले की आबू रोड तहसील सम्मिलित है।

ट्राइबल सब-प्लान में सम्मिलित करने हेतु कुछ नये 'ब्लॉक' बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

काश्तकारों एवं छोटे उद्योग धन्धे वालों को ऋण

491. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नेशनलाइज्ड कामर्शियल बेंक्स में से कौन-कौन से बेंक राज्य के किन-किन जिलों में सरकारी नीति के अनुसार काश्तकारों (लघु तथा सीमांत) तथा छोटे-छोटे उद्योग धन्धे में लगे आर्टिजन्स को ऋण देने का कार्य करते हैं?

(2) क्या यह सही है कि ये नेशनलाइज्ड बेंक्स काश्तकारों तथा आर्टिजन्स को जो विकास ऋण देते हैं उन पर ब्याज चार्ज करते हैं? वह चक्रवर्ती (ब्याज) दर से करते हैं? यदि हां, तो क्या यह नेशनलाइजेशन ऑफ बेंक्स के मूल सिद्धान्तों के खिलाफ नहीं है?

उत्तर

(1) राज्य में स्थित समस्त 15 राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा सभी 26 जिलों में सरकारी नीति के अनुसार यह कार्य किया जाता है।

(वित्त मन्त्री)

(2) जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विश्व बैंक से मिलने वाली राशि

493. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कृषि विभाग को विश्व बैंक द्वारा जो राशि दी जा रही है, पंचायत समिति एवं कृषि विभाग का आपस में तालमेल नहीं होने से उस राशि का सही उपयोग नहीं हो रहा है ? क्या राज्य सरकार दोनों विभागों के तालमेल हेतु कोई प्रयत्न कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि अगर यह तालमेल आपस में नहीं बैठा तो राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का ऋणी हो जाना पड़ेगा ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस हेतु क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । कृषि एवम् विकास विभाग में पूर्णतया तालमेल है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य की उद्योग नीति

494 श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार उद्योग सम्बन्धी और उद्योग स्थान सम्बन्धी नीतियों को क्षेत्र में यथोचित तकनीक इस्तेमाल की दृष्टि से कब तक बना लेगी ?

(2) क्या राज्य में स्वदेशी आन्दोलन के लिये स्वदेशी तकनीक आवश्यक है?

(3) क्या राज्य सरकार बड़े-बड़े उद्योगों के साथ छोटे-छोटे कारखाने उद्योग के नाम पर खोलने का विचार सिद्धान्त स्वीकार करती है ?

(4) क्या राज्य सरकार छोटे-छोटे व्यवसायों को चलाने के लिए कर्जा दिलवाये जाने की व्यवस्था करेगी ?

(उद्योग मन्त्री)

उत्तर

(1) औद्योगीकरण में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि, श्रम कच्चा माल एवम् अन्य सुविधाओं की उपलब्धि पर स्थानों का चयन किया जाता है। इस दिशा में व्यापक सर्वेक्षण कराना आवश्यक है। आंशिक रूप से कराया जा चुका है एवम् शेष कराया जा रहा है।

(2) जी हां। स्वदेशी एवं विदेशी तकनीकी जानकारी गुण भेद पर नहीं मात्रा भेद पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टि से तकनीकी जानकारी की बुनियादी प्रकृति के सामान्य नियम होते हैं जो सब जगह एक से होते हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है।

(4) जी हां। यहां व्यवसायों का अर्थ छोटे-छोटे उद्योगों से है तो राज्य सरकार वित्त निगम के माध्यम से ऐसे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराती है।

कृषि उपज मण्डी समिति, रामगंज मण्डी एवं कोटा की प्रस्तावित सड़कें

495. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति रामगंजमण्डी एवं कोटा ने कितनी सड़कों को पक्का करने हेतु प्रस्ताव किया है ? क्या यह सही है कि विपणन बोर्ड ने अभी तक भी उक्त सड़कों की स्वीकृति नहीं दी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दी ? बोर्ड क्या चाहता है ?

(2) क्या तहसील रामगंजमण्डी के लिए "ओरेंज प्लान्टेशन" की योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो इसे लागू करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, रामगंजमण्डी द्वारा इस वर्ष 6 तथा कोटा द्वारा 22 सड़कों को पक्का करने के प्रस्ताव किये गये थे। इस वर्ष राज्य सरकार के निर्णयानुसार नवीन ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति ग्रामीण सड़कों के मास्टर प्लान की स्वीकृति हो जाने के पश्चात् दी जायेगी। ये मास्टर प्लान अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) तहसील रामगंजमण्डी में पंचायत समिति, चेचट के लिये एक माइनर इरिगेशन एवं ओरेन्ज प्लान्टेशन स्कीम कृषि पुनः वित्त एवं विकास निगम द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर ली गई है जिसका कुल वित्तीय प्रावधान 56.75 लाख

(कृषि मंत्री
रुपये है। इस योजना की अन्तिम स्वीकृति अभी नहीं आई है। उसके आते ही स्कीम की क्रियान्विति प्रारम्भ कर दी जायेगी।

नमक उत्पादक क्षेत्र को बाढ़ से बचाने की योजना

496. श्री बंशी लाल सारस्वत (नागौर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सांभर एवं समीपवर्ती नमक उत्पादक क्षेत्र में बाढ़ के कारण अत्यधिक मात्रा में पानी भरा हुआ है ? यदि हां, तो क्या बाढ़ की रोक-थाम के लिए राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। सांभर झील में नमक उत्पादन भारत सरकार की कम्पनी, सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस झील में बाढ़ की रोकथाम करने के सम्बन्ध में सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा गुढ़भपोग बांध को करीब 10 फीट ऊंचा किया जा रहा है। साथ ही नमक बनाने के कुछ क्यारों की डोलियां (Embankment) को ऊंचा किया जा रहा है ताकि बाढ़ का पानी नमक बनाने के क्षेत्र में न जा सके। सांभर झील के समीपवर्ती क्षेत्र कुचामन सारड़ा, सरगोट, खारिडिया, मीठड़ी, जावदी-नगर उलाहूनां, खारडिया, काकाकारडी आदि क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। बाढ़ के पानी से इन क्षेत्रों को बचाने के लिए बांधों का निर्माण करने हेतु सर्वे करवाने की कार्यवाही जारी है। कुचामन लवण झील के चारों ओर एक रिंग बांध बनाने की योजना पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति प्रदान कर नमक आयुक्त, भारत सरकार को भेज दी गई है। इस पर केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर बांध का कार्य चालू करने की कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम गांतोड़ सड़क का कार्य

497. श्री मावजी भाई (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गेम सेन्चुरी (डिमडा फाटक) से ग्राम गांतोड़ तक एक मील का कच्चा रास्ता बना हुआ है और ग्राम गांतोड़ में आदिवासियों का रामचन्द्र जी का मन्दिर बना हुआ है उसमें सभी तहसील के आदिवासी दर्शनार्थ जाते हैं, रास्ता खराब होने से आने-जाने में बड़ी कठिनाइयां होती है ? यदि हां, तो क्या इस एक मील के रास्ते को पक्का बनाने का राज्य सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसे कब तक पूरा करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

इस विभाग की सूची में कोई ऐसा रास्ता नहीं है। यह कच्चा ट्रैक फोरेस्ट के फाटक से ग्राम गांतोड़ तक कच्चा ट्रैक है और मन्दिर तक की दूरी लगभग एक मील है। इस विभाग के द्वारा इस सड़क को बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। न ही प्राथमिकता के अन्तर्गत आता है।

भेड़ प्रजनन फार्म

498. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान भेड़ व ऊन विभाग के अन्तर्गत कितने भेड़ प्रजनन फार्म कार्य कर रहे हैं ?

(2) भेड़ प्रजनन की क्या प्रगति है ? अब तक फार्म पर कितनी भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान किया गया और कितने मैमने पैदा हुये ? पैदा हुये मैमनों में से कितने जिन्दा हैं ?

उत्तर

(1) भेड़ व ऊन विभाग के अन्तर्गत पांच भेड़ प्रजनन फार्म कार्य कर रहे हैं।

(2) अब तक फार्मों पर 3061 भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान किया गया जिनसे 1542 संकर मैमने उत्पन्न हुये तथा अब 1039 मैमने जिन्दा हैं।

———

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 201 की सूची)

अभावग्रस्त जिलों की सूची

1. अजमेर
2. अलवर
3. जयपुर
4. झुन्झुनू
5. सवाई माधोपुर
6. सीकर
7. टोंक
8. उदयपुर
9. डूंगरपुर
10. बांसवाड़ा
11. भीलवाड़ा
12. चित्तौड़गढ़
13. बाड़मेर
14. जैसलमेर
15. नागौर
16. पाली
17. सिरोही
18. चूरू
19. भरतपुर

राहत कार्यों हेतु जिलावार आवंटित राशि

(राशि लाखों में)

क्रम सं०	नाम जिला	आवंटित राशि
1	2	3
1.	डूंगरपुर	13.89
2.	बांसवाड़ा	12.40
3.	चित्तौड़गढ	7.837
4.	उदयपुर	23.067
5.	झुन्झुनू	4.625
6.	सीकर	5.021
7.	अलवर	5.00
8.	अजमेर	2.50
9.	जैसलमेर	1.00
10.	बाड़मेर	2.50

Page No 196

(196)

1	2	3
11.	सिरोही	2.50
12.	पाली	4.48
13.	चूरू	2.50
14.	नागौर	2.50
15.	जयपुर	7.50
16.	भीलवाड़ा	5.25
17.	सवाईमाधोपुर	2.00
18.	टौंक	3.00
19.	भरतपुर	6.00
	योग :—	112.570

Page No 197

जिला झुन्झुनू के स्वीकृत राहत कार्यों को सूची वर्ष 1977-78 व 1978-79

क्रम सं०	नाम तहसील	नाम कार्य	मोटे रूप से कार्य का विवरण	अनुमानित राशि वर्ष 1977-78 व 1978-79 (लाखों में)	आवंटित राशि 1977-78 (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1. भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से:–मद 289 प्रा० प्रा० स० राहत गा राहत कार्य (ग) अन्य निर्माण कार्य–(i) सूखा सहायता (ii) कृषि विभाग के अभिकरण से (आयोजना भिन्न)					
1.	तहसील झुन्झुनू	बीबासर नाला बाइडिंग			
		1. बीबासर–i 7	मिट्टी का कार्य, पत्थर की दीवार व साइफन बनाना	0.069	0.032
2.	तहसील झुन्झुनू	2. बीबासर–ii	,,	0.060	0.028
3.	पं० स०; सूरतगढ़	भोजा का वास	,,	0.060	0.024
4.	तहसील झुन्झुनू	देरवाला पुराने नाले की मरम्मत	मिट्टी का कार्य पत्थर की दीवार व बाई पास चैनल का कार्य पूर्ण करने हेतु	0.180	0:033

1	2	3	4	5	6
5.	पं० स० बुहाना	माकरा	मिट्टी का कार्य पत्थर की दीवार बनाना व साइफन का कार्य	0.141	0.036
6.	तहसील झुन्झुनू	खेजर जार	बंध फेन्सिंग, केटल पोण्ड की खुदाई, ईंटों की मेसनरी प्लास्टर कार्य, बन्ध पर टोनेस बिछाना; — प्रायाति पास व साइफन बनाना ।	0.360	0.062
			योग....	0.870	0.215

क्र० सं०	नाम तहसील	नाम कार्य	मोटे रूप से कार्य का विवरण	अनुमानित राशि वर्ष 1977-78 व 1978-79 (लाखों में)	आवंटित राशि 1977-78 (लाखों में)	श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
2. सिंचाई विभाग के माध्यम से:—मद 289–ग्रा० ग्रा० स० राहत या राहत कार्य (ख) सिंचाई का सिंचन कार्य (i) सिंचाई विभाग के अभिकरण से (आयोजना भिन्न)						
1.	तहसील उदयपुर वाटी	बागोली बांध	मौजूदा बांध पर मिट्टी व नहरों का कार्य, नाला खुदाई कार्य व बाई	1.43	0.47	43

			वास के लिये चट्टानों की खुदाई मेसनरी कार्य		
2.	तहसील उदयपुर वाटी	पोल बांध फीडर	मिट्टी का कार्य बेड़वों मेसनरी कार्य	0.47	0.24
3.	पं० स० नवलगढ़	कोलसिया माइड बांध	मिट्टी का कार्य, पेचिंग का कार्य व अन्य कार्य	0.78	0.18
4.	चिड़ावा	छत्तरखाल माइड बांध	मिट्टी का कार्य ट्रेन्च व नाला खुदाई मिट्टी का कार्य, पेचिंग व मेसनरी कार्य	1.00	0.33
5.	चिड़ावा	बबाव बांधा	,,	0.46	0.15 63
6.	तहसील खेतड़ी	रैवा बांध खेतड़ी	,,	0.70	0.16
7.	तहसील खेतड़ी	लोयल-माइड बांध	,,	1.00	0.26
			योग....	5.84	1.79

क्र० सं०	नाम तहसील	नाम कार्य	मोटे रूप से कार्य का विवरण	अनुमानित राशि वर्ष 1977-78 व 1978-79 (लाखों मे)	आवंटित राशि 1977-78 (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से:—मद-289 प्रा० प्रा० स० राहत या राहत कार्य (क) सड़कें—सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण (1) सा० नि० वि के प्रभिकरण से (आयोजना भिन्न)				
1.	पं० स० सूरजगढ़	पिलानी से मण्ड्रोल सड़क	1/0 से 5/0 तक 4 कि० मी० में मिट्टी का कार्य	2.35	0.18
2.	तहसील चिड़ावा	सुलताना कि० ना रोड	3/0 से 5/0 तक 2 कि० मी० में मिट्टी का कार्य	0.92	0.07
3.	प० स० बुहाना	सूरजगढ़ बुहाना रोड	0/0 से 4/0 तक कि मी० में व 13/0 से 17/0 कि० मी० से मिट्टी का कार्य	3.56	0.30
4.	तहसील चिड़ावा	अरडावता के तारवाला कुम्रा	6/0 से 10/0 कि०मी० के मिट्टी का कार्य	1.28	0,13
5.	चिड़ावा	सुलतान-चिनाना	3कि०मी०में इस वर्ष मिट्टी का कार्य	1.76	0.10
6.	पं० स० सूरजगढ़	पिलानी-सेबेरी सड़क	वर्ष 1977-78 में पुरानी सड़क फोरमेशन के लिये 2 कि० मी० में मिट्टी का कार्य	0.43	0.04

7.	पं० स०, बुहाना	सिंघाना से बुहाना रोड	0/0 से 4/0 कि० मी० में 2 कि० मी० का मिट्टी का कार्य	1.20	0.09
8.	पं० स० बुहाना	बसावला से बुहाना	1/0 स 5/0 कि० मी० में 2 कि० मी० का मिट्टी का कार्य	1.33	0.09
9.	तहसील खेतड़ी	मेहड़ा जाबुवास सिहोड़ रोड	0/0 से 2/0 कि० मी० तक 2 कि. मी. की मिट्टी का कार्य	0.70	0.05
10.	तहसील खेतड़ी	खेतड़ी से जसरापुर	2/0 से 6/0 तक 4 कि० मी० में मिट्टी का कार्य	2.00	0.17
11.	तहसील झुन्झुनू	झुन्झुनू से चिड़ावा	8/0 से 14/0 तक 6 कि० मी० में मिट्टी का कार्य	1.62	0.10
12.	पं० स० अलसीसर	अलसीसर से गाडियासर	0/0 से 3/0 कि० मी० में 34 कि० मी० में मिट्टी का कार्य	1.69	0.12
13.	तहसील झुन्झुनू	झुन्झुनू से उदयपुर वाया वाकरां	0/0 से 5/0 कि मी0 में 5 कि० मी० मिट्टी का कार्य	1 49	0.10
14.	तहसील उदयपुर वाटी	स्थल से पोखं सड़क	,,	1.34	0.16
15.	पं० स० अलसीसर	मलसीसर से टमकोर	0/0 से 3/0 कि० मी० में 3 कि० मी० मिट्टी का कार्य	1,32	0.10
16.	तहसील उदयपुर वाटी	मावटा से माणकवास	0/0 से 5/0 कि० मी० में 5 कि० मी० मिट्टी का कार्य	1.71	0.14

1	2	3	4	5	6
17.	तहसील उदयपुर वाटी	बुडा से नीम का थाना वाया पंख	0/0 से 5/0 कि० मी० तक 5 कि० मी० मिट्टी का कार्य	1.62	0.18
18.	पं० स०, मलसीसर	मलसीसर से राजगढ़ रोड	वर्ष 77-78 में पुरानी सड़क की मरम्मत व मिट्टी का कार्य 0/0 से 7/0 तक 4 कि० मी० में	1.84	0.15
19.	तहसील झुन्झुनू	झुन्झुनू - मण्डेला	इस वर्ष 0/0 से 2/0 कि मी० में 2 कि० मी० में मिट्टी का कार्य	0.75	0.75
20.	पं० स० नवलगढ़	नवलगढ़ से रुड़की रोड तक	इस वर्ष 0/0 से 10/0 तक 5 कि० मी० में मिट्टी का कार्य	1.50	0.12
21.	पं० स० अलसीसर	मण्डावा बिसाऊ	इस वर्ष 8/0 से 10/0 तक 2 कि0 मी0 में मिट्टी का कार्य	0.86	0 06
22.	पं० स० नवलगढ़	झांझड़-गोलियाना रोड	0/0 से 5/0 तक 5 कि० मी० मे मिट्टी का कार्य	1.84	0.12
			योग....	33 11	2.62

——

Page No 203

(203)

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 210 की सूची)

क्रम सं०	भूतपूर्व प्रधान जिनके विरुद्ध शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई	राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
	जिला जयपुर	
1.	श्री मूलचन्द बोहरा पं० स० सिकराय	जिलाधीश जयपुर द्वारा जांच की जा रही है।
2.	„ गोगराज, पं० स० सामर	„ „
3.	„ जगदीशप्रसाद, पं० स० बस्सी	„ „
4.	„ भैरू लाल पं० स० जमवारामगढ़	„ „
5.	„ प्रभाती लाल, पं० स० बस्सी	„ „
6.	„ मांगीलाल, पं० स० दूदू	„ „
7.	„ हरि नारायण, पं० स० शाहपुरा	„ „
	जिला झुन्झुनू	
8.	श्री प्रहलाद सिंह, पं० स० बुहाना	जिलाधीश झुन्झुनू द्वारा जांच की जा रही है।
9.	„ पूर्व प्रधान, पं० स० अलसीसर	„ „
10.	„ जयकरण, पं० स० सूरतगढ़	„ „
	जिला सीकर	
11.	श्री श्रीनारायण सिंह, पं० स० दांतारामगढ़	भ्रष्टाचार विभाग में विचाराधीन है।
12.	„ रामेश्वर लाल, पं० स० धोंद	जिलाधीश सीकर द्वारा जांच करवाई जा रही है।
13.	„ दीप चन्द, पं० स० खण्डेला	„ „
14.	„ जगदीश प्रसाद पं० स० दांतारामगढ़	„ „

1	2	3
	जिला डूंगरपुर	
15.	श्री विमल प्रकाश, पं० स० सागवाड़ा	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
16.	,, हरजी भाई, पं० स० सिमलवाड़ा	,, ,,
17.	,, महताब सिंह, पं० स० आसपुर	राशि वसूल की जा चुकी है।
	जिला चित्तौड़गढ़	
18.	श्री भेरूलाल महता; पं० स० डूंगला	धनराशि का समायोजन हो जाने से मामला समाप्त किया गया।
19.	,, चतर सिंह महता, पं० स० भदेसर	जांच जिलाधीश द्वारा की जा रही है।
20.	,, रतन लाल, पं० स० छोटीसादड़ी	,, ,,
21.	,, चुन्नीलाल, पं० स० प्रतापगढ़	,, ,,
	जिला उदयपुर	
22.	श्री रामचन्द्र सिंह, पं० स० खेरियावद	केवल वसूली की कार्यवाही जारी रखते हुए मामला समाप्त किया गया।
23.	,, केशरीमल, पं० स० कुम्भलगढ़	जांच जिलाधीश द्वारा की जा रही है।
24.	,, भंवर लाल, पं० स० भिण्डर	वसूली की प्रगति जिलाधीश से प्राप्त की जा रही है।
25.	,, रतन लाल, पं० स० सराड़ा	जांच अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा कराई जा रही है।
	जिला भरतपुर	
26.	श्री पूर्व प्रधान, पं० स० राजाखेड़ा	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।
27.	,, रामसिंह, पं० स० बाड़ी	,, ,,
28.	,, रामगोपाल उप प्रधान, पं० स० बाड़ी	,, ,,
	जिला अलवर	
29.	श्री गुजरमल गुप्ता, पं० स० थानागाजी	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।
30.	,, पूर्व प्रधान; पं स० राजगढ़	,, ,,
31.	,, पूर्व प्रधान, पं० स० बहरोड़	,, ,,

Page No 205

(205)

1	2	3
	जिला अजमेर	
32.	श्री धर्मवीर, पं० स० श्रीनगर	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।
33.	,, कुंज राजसिंह, पं० स० केकड़ी	,, ,,
34.	,, हरिश चन्द्र शर्मा, पं० स० किशनगढ़	,, ,,
35.	,, रतन लाल, पं० स० भिनाय	,, ,,
	जिला जोधपुर	
36.	श्री थानाराम, पं० स० लूणी	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।
37.	,, रामसिंह, पं० स० बिलाड़ा	मामला पुलिस में दिया हुआ है।
38.	,, इस्माईल खां, पं० स० बाप	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।
39.	,, अर्जुन देव, पं० स० ओसियां	,, ,,
40.	,, अमर सिंह, पं० स० बालसेर	,, ,,
	जिला भीलवाड़ा	
41.	श्री नेमी चन्द, पं० स० रायपुर	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।
42.	,, रतनलाल, ताम्बी पं० स० जहाजपुर	,, ,,
43.	,, पूर्व प्रधान, पं० स० शाहपुरा	,, ,,
	जिला कोटा	
44.	श्री जीवन लाल, पं० स० शाहबाद	जांच प्रतिवेदन से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त किया जा रहा है।
45.	,, मोहन सिंह, पं० स० छबड़ा	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।
46.	,, गोपी राम, पं० स० इटावा	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।
	जिला बाड़मेर	
47.	,, तेज सिंह, पं० स० बालोतरा	जिलाधीश से जांच करवाई जा रही है।
48.	,, तेजा राज, पं० स० सिन्धरी	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।
49.	,, पूर्व प्रधान, पं० स० बायतू	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।
50.	,, सबोज खां, पं० स० चोहटन	स्पष्टीकरण हेतु अभिलेख प्राप्त किया जा रहा है।
	जिला जैसलमेर	
51.	श्री पूर्व उप प्रधान, पं० सं० पोखरन	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।

Page No 206

(206)

1	2	3
	जिला नागौर	
52.	श्री दिलीप सिंह पं० स० परबतसर	न्यायालय के निर्णय के आधार पर जिलाधीश से सम्मति प्राप्त की जा रही है ।
53.	,, चेना राम पं० स० डीडवाना	जांच विचाराधीन है ।
54.	,, पूर्व प्रधान पं० स० लाडनू	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है ।
55	,, राम लाल पं० स० रीयां	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है ।
56.	,, पूर्व प्रधान पं० स० कुचामन	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है ।
57.	,, रामेश्वर लाल पं० स० कुचामन	फर्जी यात्रा भत्ता उठाने का मामला पुलिस में देने हेतु जिलाधीश को लिखा जा चुका है ।
	जिला पाली	
58.	श्री बंशी लाल पं० स० सुमेरपुर	स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है ।
59.	,, मांगी लाल पं० स० रायपुर	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है ।
60.	,, भवानी सिंह पं० स० पाली	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है ।
	जिला सिरोही	
61.	श्री मगन लाल पं० स० पिण्डवाड़ा	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है ।
62.	,, धर्मदत्त बोहरा पं० स० आबूरोड़	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है ।
	जिला जालौर	
63.	श्री जनक सिंह पं० स० भीनमाल	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है ।
64.	,, मूल सिंह पं० स० सायला	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है ।
65.	,, मंगल सिंह पं० स० रानीवाड़ा	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है ।
66.	,, मिश्री लाल पं० स० सांचोर	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है ।
	जिला टौंक	
67.	श्री रामानन्द पं० स० निवाई	आरोप प्रमाणित नहीं होने से कार्यवाही समाप्त की गई ।
68.	,, धर्म चन्द पं० स० देवली	जिला परिषद से राय प्राप्त की जा रही है ।

Page No 207

(207)

1	2	3
69.	श्री महेन्द्र कुमार, पं० सं० देवली	राज्य सरकार द्वारा अनियमितताओं के कारण चेतावनी देकर मामला समाप्त किया गया।
70.	,, मोहन लाल; पालीवाल पं० स० टोंक	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।

जिला चूरू

71.	श्री जीवन राम, उप प्रधान पं० स० राजगढ़	जांच पूर्ण करके निर्णय लेखबद्ध किया जा चुका है।
72.	,, दूला राम, कार्य० प्रधान पं० स० डूंगरपुर	न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त की जा रही है।
73.	,, सुभाष चन्द्र, पं० सं० राजगढ़	न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त की जा रही है।

जिला सवाई माधोपुर

74.	श्री बृज लाल, पं० स० गंगापुर	जांच जिलाधीश से कराई जा रही है।
75.	,, भूपेन्द्र राजपाल, प० स० सपोटरा	,, ,,
76.	,, रामहेत लाल, पं० स० महुवा	,, ,,
77.	,, रामजी लाल, पं० स० हिण्डोन	,, ,,

जिला गंगानगर

78.	श्री प्रताप सिंह, पं० स० भादरा	जांच जिलाधीश से कराई जा रही है।
79.	,, नानू सिंह, पं० स० नोहर	,, ,,
80.	,, पूर्व प्रधान, पं० स० सूरतगढ़	,, ,,
81.	,, उदयसिंह, पं० स० सादुलशहर	न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त की जा रही है।
82.	,, गुरु वचन सिंह, प० स० रायसिंहनगर	जिलाधीश से जांच कराई जा रही है।

———

(208)

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 211 की सूची)

कोटपूतली पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बकाया की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति			बकाया 28-2-78 को मूल	बकाया 28-2-78 को ब्याज
1.	सरूण्ड ग्राम सेवा	सहकारी	समिति	66917-69	8774-46
2.	दातेल धात्रो	,,	,,	10778-74	1498-53
3.	मालपुरा ,,	,,	,,	139987-87	4765-29
4	कुजोटा ,,	,,	,,	74206-09	5405-73
5.	हैसियावास	,,	,,	198213-97	7645-81
6.	रामकरणपुरा	,,	,,	58663-10	1927-31
7.	पाथरेडी	,,	,,	1 02099-00	2010-00
8.	पूतली	,,	,,	1,38095-22	3692-97
9.	खड़ब	,,	,,	1,36636-60	3699-94
10	चतरभुज	,,	,,	74946-10	1845-46
11.	सागतेडा	,,	,,	1,05424-00	5516-24
12	चरेडा	,,	,,	10900- 0	259-51
13	श्री कृष्णाद्वारकापुरी ,,		,,	27223-16	116-74
14.	मोंणावास	,,	,,	34899-66	11190-65
15.	बुचारा	,,	,,	154-54	22-56
16.	नरेडा	,,	,,	1313-87	1022-13
17.	मोलिया	,,	,,	4112-47	1780-01
18.	बनेठी	,,	,,	5675-02	341-75
19.	भूरी मराज	,,	,	1 54222-50	958-51

— — — —

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 212 का विवरण)

भूतपूर्व सरपंच एवं भूतपूर्व पंचों, ग्राम पंचायत बासड़ी पंचायत समिति कोटपूतली के विरुद्ध गबन एवं धनराशि के दुरुपयोग के मामलों का विवरण:—

श्री शंकरलाल, तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच बासड़ी ने निम्न प्रकार ग्राम पंचायत बासड़ी की रोकड़ पुस्तिका के आधार पर पंचायत कोष की धनराशि पंचायत कोष से बैंक में पंचायत के खाते में जमा कराने हेतु निकलवाई: —

9-8-68	750) रु.
26-8-68	250) रु.
1-11-68	300) रु.
23-8-69	10570) रु.
योग	11870) रु.

इसी प्रकार निम्नानुसार बैंक से विविध दिनांकों को राशि निकलवाकर पंचायत कोष में जमा कराना दर्शाया:—

16-9-68	400) रु.
28-9-68	2000) रु.
10-10-68	250) रु.
8-11-68	400) रु.
27-9-69	1000) रु.
योग	2250) रु.

बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, कोटपूतली के पत्र संख्या 1782 दिनांक 20 अगस्त, 71 के अनुसार ग्राम पंचायत बासड़ी का कोई खाता बैंक में नहीं होना पाया जाता है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच श्री शंकर लाल द्वारा उपरोक्त धनराशि का जमा खर्च पंचायत कोष से करना गबन की श्रेणी में आता है। साथ ही पंचायत बासड़ी के बैंक खाते के नाम से पंचायत कोष से धन राशि निकालना फर्जी इन्द्राजात रोकड़ बही में करके पंचायत कोष की राशि का गबन करना पाया जाता है।

2. पंचायत की रोकड़ बही में दिनांक 27-9-69 को जरिये वाउचर नम्बर 40 श्री शंकरलाल के नामे मुख्य मन्त्री महोदय को अकाल सहायता कोष

के लिये दिनांक 28-9-69 को माला भेंट करने के लिये 1001) रुपये देना नामे लिखा है किन्तु वाऊचर नम्बर 40 दिनांक 27-9-69 राशि प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी दशा में श्री शंकरलाल उप-सरपंच द्वारा 1001) रुपये का गबन किया जाना प्रकट होता है।

3. पंचायत की रोकड़ बही में श्री शंकरलाल भूतपूर्व कार्यवाहक, सरपंच ने दिनांक 26-9-69 को जरिये वाऊचर नम्बर 39 श्री पूरणमल पंच वार्ड नम्बर 5 को अग्रिम वास्ते मरम्मत रास्ता नेशनल हाईवे रोड से ढाणी जाड़ा वाली तक के लिये 2500) चुकाना अंकित किया है जबकि वाऊचर नम्बर 39 पर दिनांक 26-9-69 पर राशि प्राप्ति प्रमाण स्वरूप पूरण के हस्ताक्षरों के नीचे 26-10-69 अंकित है तथा श्री पूरण ने दिनांक 2-1-70 को उक्त रसीद पर अपने हस्ताक्षर नहीं होना राजेन्द्र-प्रसाद सिंघल, विकास अधिकारी कोटपूतली के समक्ष अंकित किया है तथा उक्त राशि के खर्च का हिसाब भी पंचायत में पेश होना नहीं पाया गया। अतः उक्त 2500) रुपये की राशि का अपहरण श्री शंकरलाल, भूतपूर्व कार्यवाहक सरपंच द्वारा करना पाया गया है। श्री शंकरलाल ने झूठा वाऊचर तैयार करके श्री पूरण मल के नाम से धनराशि प्राप्त की।

4. श्री मंगल राम पूर्व पंच विघटित पंचायत बासड़ी को दिनांक 7-12-71 को 500 रुपये दिनांक 21-12-71 को 823-00 रुपये तथा 11-5-72 को 400-00 रुपये कुल 1723) रु० हरिजन कूप निर्माण हेतु अनियमित अग्रिम भुगतान करके राशि का दुरुपयोग किया।

5. श्री मंगलराम पूर्व पंच, विघटित पंचायत बासड़ी को भूतपूर्व कार्यवाहक सरपंच-विघटित पंचायत बासड़ी ने सब्जी मंडी हेतु दिनांक 15-3-73 को 18,000) रुपये. दिनांक 19-4-73 को 7000) रुपये दिनांक 25-4-73 को 15,000) रुपये दिनांक 28-7-73 को 15,000) रुपये दिनांक 1-8-73 को 15,000) रुपये, 23-10-73 को 30,000) रुपये तथा दिनांक 30-1-74 को 24,000) कुल 1, 24,000) रुपये का अनियमित अग्रिम भुगतान करके राशि का दुरुपयोग किया।

6. उक्त श्री मंगलराम पूर्व पच ने एवं श्री शंकरलाल कार्यवाहक सरपंच ने मिल कर दिनांक 13-2-74 को रोकड़ में उक्त श्री मंगल राम द्वारा प्राप्त की गई अग्रिम राशि में से 1,12,084.11 का हिसाब अनियमित ढंग से समायोजित किया जिसमें 670) रुपये का अधिक व्यय अंकित कर गबन किया एवं शेष राशि 13, 638.89 पैसे का कोई हिसाब पेश नहीं, दुरुपयोग किया। इस राशि में पैरा नम्बर 4 की राशि 1723) भी शामिल है।

7. उक्त श्री शंकर लाल कार्यवाहक सरपंच, विघटित पंचायत बासड़ी ने दिनांक 28-12-71 को 400) रुपये, दिनांक 18-1-72 को 700-00, दि० 29-4-72 को 2725.95 पं. व दिनांक 17-5-72 को 205) कुल 4110-95 रुपये अनियमित अग्रिम

प्राप्त करके दिनांक 13-2-74 को उक्त 4110.95 पैसे की राशि में से 4045.20 का अनियमित हिसाब समायोजन करके राशि का दुरुपयोग किया, और 360-00 का गबन वाऊचर नं० 11 के योग में कुल 360) रुपये अधिक दर्शाकर किया वास्तविक जो 218)-का है जब कि 578)- वाऊचर नं० 11 में दर्शाया गया है।

8. उक्त श्री शंकरलाल पूर्व कार्यवाहक सरपंच, विघटित पंचायत बासड़ी में 4500) रुपये दिनांक 14-3-73 को अनियमित अग्रिम राशि प्राप्त कर दुरुपयोग किया।

9. श्री मोतीराम पूर्व पंच, विघटित पंचायत बासड़ी को पूर्व कार्यवाहक सरपंच विघटित पंचायत बासड़ी ने दिनांक 29-11-72 को 2800-00, रुपये दिनांक 11-12-72 को 4000-00, दिनांक 22-12-72 को 4,000),रुपये, दिनांक 6-1-73 को 500) रु.,दि. 12-1-73 को 1000रु., दि. 2-2-73 को 3,000)रु.,दि. 17-2-73 को 1000) रुपये व दिनांक 22-2-73 को 1000) रुपये कुल 17,300) रुपये पंचायत भवन, अधूरा कार्य खेल कुआ आदि हेतु अनियमित अग्रिम भुगतान कर दि०3-12-73 को17,300)रुपये का अनियमित ढंग से रोकड़ में समायोजन करके राशि का दुरुपयोग किया।

— —

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 214 की सूची)

क्र. स.	नाम समिति	तहसील मेड़ता	प्रकार घाणी तेल	दिनांक एकत्रित हिस्सा राशि बैंक में जमा कराने की	दिनांक पंजीयन
1	2	3	4	5	6
1.	मेड़ता सिटी घाणी तेल सहकारी समिति लि०	मेड़ता	घाणी तेल	9–3–70	2–4–70
2.	हरसोडाव ,, ,, ,,	,,	,,	25–1–60	30–1–60
3.	रेणा ,, ,, ,,	,,	,,	7–1–61	20–1–61
4.	जारोला ,, ,, ,,	,,	,,	1–8–58	18–8–58
5.	रामदेव चर्म उत्पादन सहकारी समिति	मेड़ता	चर्म उत्पादन	17–10–60	15–11–60
6.	जसनगढ़ ,, ,, ,,	,,	,,	24–12–63	31–1–64
7.	खाकाडले ,, ,, ,,	,,	,,	8–1–61	28–1–61
8.	जेलधन ,, ,, ,,	,,	,,	28–12–60	2–1–61
9.	बड़ापली ,, ,, ,,	,,	,,	10–12–63	20–12–63
10.	गोटन ,, ,, ,,	,,	,,	13–3–59	14–5–59
11.	रोयाबड़ी ,, ,, ,,	,,	,,	8–7–68	19–9–68
12.	मेड़ता सिटी ,, ,, ,,	,,	,,	15–1–57	21–1–57
13.	मेडता हाथ करघा सहकारी समिति लि०	,,	हाथकर्घा	15–8–51	2–9–51
14.	मकाला बुनकर स० स० लि०	,,	बुनकर	27–2–55	12–3–55
15.	जसनगर वस्त्र उत्पादक स० स०	,,	वस्त्र उत्पादक	26–2–55	12–3–55
16.	श्री सत्यनारायण वस्त्र उत्पादक स० स०	,,	,,	9–4–59	4–5–59

17.	मेड़ता सिटी भारतीय हाथ कर्घा स० स०	मेड़ता	हाथकर्घा	25-6-60	7-7-60
18.	बायीमल वस्त्र उत्पादक स० स०	"	वस्त्र उत्पादक	10-1-71	16-3-71
19.	चारणावास हाथ कर्घा स0 स०	"	हाथ कर्घा	6-4-71	16-6-71
20.	रियाश्यामतीस हाथ कर्घा स० स०	"	"	1-8-72	22-8-77
21.	मेड़ता सिटी चूना उत्पादक स० स० लि०	"	चूना उत्पादक	10-4-72	1-8-72
22.	ईंट भट्टा स० स० लि०	"	ईंट भट्टा	18-3-73	30-3-73
23.	रेणा मिट्टी उत्पादक स० स० लि०	"	उत्पादक	25-3-61	31-3-61
24.	बड़ायली रेगरान चर्म उत्पादक स० स०	"	चर्म उत्पादक	10-12-63	20-12-63
25.	मेड़ता रेगरान " "	"	"	15-1-57	21-1-57
26.	मोरी " "	"	"	19-2-57	23-5-57
27.	खरगड रेगरान " "	"	"	29-5-57	1-8-57
28.	गोटन रेगरान " "	"	"	13-3-59	14-8-59
29.	रेणा " "	"	"	17-10-60	15-11-60
30.	ढाबाडक " "	"	"	8-1-61	28-1-61
31.	बडावली " "	"	"	10-12-63	20-12-63
32.	रीपावाली " "	"	"	8-7-68	19-9-68
33.	एग्रो सेल्स मेन्यूफेक्चर "	"	"	24-5-72	13-8-72
34.	एलोफेक्ट्री स० स० " "	"	"	13-1-56	27-1-56
35.	वेला की ढाणी रेशा उत्पादक	"	"	8-1-61	20-2-61
36.	गांधी बहुऔद्योगिक स० स०	"	औद्योगिक	26-7-61	23-9-61
37.	मेड़ता धातु वस्तु उत्पादक स० स०	"	धातु उत्पादक	27-5-54	30-7-64

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 215 की सूची)

सूची संचालकों की जिन्हें एच०एम० टी० की घड़ी दी गई

1.	श्री गुलाबसिंह शक्तावत	अध्यक्ष
2.	,, नत्थीसिंह	सदस्य
3.	,, राम प्रसाद लड्डा	,,
4.	,, पंकज पचोली	,,
5.	,, राजेन्द्रसिंह	,,
6.	,, पवनकुमार रोकड़िया	,,
7.	,, माधोसिंह	,,
8.	,, इन्द्रजीतसिंह	,,
9	,, सूर्यदेवसिंह	,,
10.	,, रतनसिंह	,,
11.	,, वी०आई० राज गोपाल	,,
12.	,, एल०एन० लढ्ढा	,,
13.	,, गणपतराय	,,
14.	,, जी०ए० भीमनाथवाला	प्रबन्ध संचालक

———

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 221 की सूची)

(सीमेन्ट के अभाव में बन्द होने वाली औद्योगिक इकाइयों की सूची)

क्रम सं०	इकाई का नाम । पता	वर्ष जिसमें	प्रति वर्ष उत्पादन की हानि हुई
1.	मैसर्स नौरत सीमेन्ट वर्क्स, अजमेर रोड, किशनगढ़	1975	रुपया 17525
2.	,, दौलतमल गुलाबचन्द कुमावत, किशनगढ़	1975	रुपया 10946
3.	,, रामविलास कुमावत एण्ड कं०, किशनगढ़	1975	रुपया 8000
4.	,, मंगलराम मेघवाल, किशनगढ़	1975	रुपया 4232
5.	,, चतुर्भुज बद्रीलाल कुमावत, किशनगढ़	1975	रुपया 6737
6.	,, हनुमानबक्स शिवाजीराम, किशनगढ़	1975	रुपया 8930
7.	,, नारायण स्टोन सप्लायर, अजमेर	1974	रुपया 3343
8.	,, चौहान जाली उद्योग, अजमेर	1974	रुपया 3132
9.	,, गणेश सीमेन्ट स्टोन वर्क्स, अजमेर	1974	रुपया 3000
10.	,, किशोर सीमेन्ट स्टोन ब्रदर्स, ब्यावर	1976	रुपया 18112
11.	,, गणपति सिमेन्ट उद्योग; सरवाड	1974	रुपया 8002
12.	,, सदर मार्बल एण्ड सीमेन्ट उद्योग; गोविन्दगढ	1974	रुपया 3333
13.	,, रिखबचन्द उम्मेदसिंह चन्द्र सीमेन्ट उद्योग, गोविन्दगढ़	1975	रुपया 2689
14.	,, मोहम्मद हुसेन एण्ड सन्स, ब्यावर	1975	रुपया 4404
15.	,, मधु ए०सी० प्रोडक्ट्स, ब्यावर	1976	रुपया 12000
16	,, दर्गेश एसबेस्टोन सीमेन्ड प्रोडक्टस, ब्यावर	1976	रुपया 1300
17.	,, गुडएज पाइप इन्डस्ट्रीज, ब्यावर	1977	रुपया 11999
18.	,, जे०के०एस०टीन, ब्यावर	1976	रुपया 8737
19.	,, भारत सीमेन्ट उद्योग, सरवाड़	1975	रुपया 4000
			1,41,121/-

Page No 216

(216)

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 222 की सूची)

सूची (अ)

राजस्थान न्यायिक सेवा में सेवारत अनुसूचित जाति व जन-जाति के अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	न्यायिक सेवा में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान पद
1.	श्री ओम प्रकाश वर्मा, अ० जा०	5-7-75	सिविल जज
2.	,, आनन्दीलाल वर्मा, अ० जा०	1-7-59	मुन्सिफ एवं न्या० मजि०
3.	,, सालिगराम चौहान अ० जा०	19-9-67	,,
4.	,, सोहनलाल महुम्दवरिया अ० जा०	22-9-67	,,
5.	,, हरि प्रसाद अ० जा०	16-5-70	,,
6.	,, सम्पतलाल सोनगरा अ० जा०	1-6-71	,,
7.	,, माणकलाल चौहान अ० जा०	1-6-71	,,
8.	,, रामकल्याण अंकोड़िया अ० जा०	20-11-72	,,
9.	,, भीमसेन लेखरा अ० जा०	20-11-72	,,
10.	,, देवचन्द मीणा अ० ज० जा०	15-5-73	,,
11.	,, सुवालाल सिरवा अ० जा०	26-11-73	,,
12.	,, लल्लूलाल बैरवा अ० जा०	29-8-74	,,
13.	,, नारायणलाल वर्मा, अ० जा०	29-8-74	,,
14.	,, देव बक्ष रेगर अ० जा०	29-8-74	,,
15.	,, हजारीलाल धनवाल अ० जा०	5-12-74	,,
16.	,, राजाराम वर्मा (मीणा) अ० ज० जा०	26-5-75	,,
17.	,, उदयचन्द वारूपाल अ० जा०	26-5-75	,,
18.	,, शांतिलाल चौहान अ० जा०	14-6-76	,,
19.	,, रामकिशन सोनगरा अ० जा०	6-12-76	,,
20.	,, हिम्मतसिंह अ० जा०	4-12-76	,,
21.	,, मांगीलाल गोगिया, अ० जा०	8-12-76	,,
22.	,, भगवानराम भूरिया, अ० जा०	6-12-76	,,
23.	,, प्रहलाद दास बैरवा अ० जा०	8-12-76	,,
24.	,, रामचन्द्र नरगरा अ० जा०	7-12-76	,,

Page No 217

(217)

सूची (ब)

दिनांक 1 अप्रेल, 1974 से राजस्थान न्यायिक सेवा से राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत अधिकारियों की सूची

I अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश के पद पर

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति आदेश संख्या	दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री विरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	एफ 19 (3) न्याय/74	23-3-74
2.	,, बलवीर प्रसाद भटनागर	एफ 19 (3) न्याय/74 सपठित स्था (रा० न्या से०) 61/74	,, 29-3-74
3.	,, रवीन्द्र नाथ	एफ 19 (3) न्याय/74 सपठित स्था (रा० न्या० से०) 61/74	23-3-74 29-3-74
4.	,, प्यारे मोहन बगरहट्टा	एफ 19 (3) न्याय/74	23-3-74
5.	,, ज्योति प्रसाद बंसल	,,	,,
6.	,, प्रेमचन्द जैन	,,	28-4-75
7.	,, सुन्दरलाल मेहता	,,	,,
8.	,, जसकरण दसानी	,,	,,
9.	,, प्रीतम आधार सिन्हा	,,	,,
10.	,, प्रेम चन्द गोयल	,,	,,
11.	,, प्रतापसिंह यादव	,,	,,
12.	,, गोविन्दलाल शर्मा	,,	,,
13.	,, राम एच अजवानी	,,	,,
14.	,, नागराज मेहता	,,	,,
15.	,, संकटा राय	एफ 19 (3) न्याय/75	8-5-75
16.	,, दिनेश चन्द्र देलेला	,,	31-7-75
17.	,, भगवानदास जोहरी	एफ 19 (39) न्याय/68	28-4-76
18.	,, प्रमोद कुमार तिवाड़ी	,,	,,
19.	,, अमरनाथ पुरोहित	,,	,,
20.	,, गोपाललाल गुप्ता	,,	,,
21.	,, राजेन्द्र प्रसाद मिश्रुका	,,	,,
22.	,, मोहम्मद असगर अलीखां	,, पार्ट II	22-11-76
23.	,, प्रहलाद प्रसाद	,, ,,	,,
24.	,, मथुरा प्रसाद मित्तल	,, ,,	,,

1	2	3	4
25.	श्री गोपालकृष्ण श्रीवास्तव	एफ 19 (39) न्याय/68 पार्ट	II 22-11-76
26.	,, मगनलाल व्यास	एफ 1० (39) न्याय/68	,,
27.	,, चम्पालाल बांठिया	एफ 19 (39) न्याय/68 सपठित स्था० (रा०न्या० से०) 39/77	II 22-2-77 29-4-77
28.	,, निरंजनसिंह	एफ 19 (39) न्याय/68 सपठित स्था० (रा० न्या से०) 39/77	II 22-2-77 29-4-77
29.	,, सतीश चन्द्र मित्तल–1	एफ 19 (39) न्याय/68 संपठित स्था० (रा० न्या० से०) 39/77	II 21-4-77 29-4-77
30.	,, अमरसिंह गोदारा	एफ 19 (39) न्याय/68 सपठित स्था० (रा० न्याय से०) 39/77	II 21-4-77 29-4-77
31.	,, कृष्ण स्वरूप शर्मा	एफ 19 (39) न्याय/68 सपठित स्था० (रा० न्या० से०) 42/77	II 21-4-77 2-5-77

दिनांक 1 अप्रेल, 1974 से राजस्थान न्यायिक सेवा में पदोन्नत अधिकारियों की सूची (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर पदोन्नत

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नत आदेश संख्या व	दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री प्रेमचन्द जैन	स्था० (रा०न्या०से०)63/64	1-4-74
2.	श्री सुन्दरलाल मेहता	,,	,,
3.	श्री जसकरण दसानी	,,	,,
4.	श्री भगवानदास जौहरी	,,	,,
5.	श्री प्रीतम आधार सिन्हा	,,	,,
6.	श्री प्रेमचन्द गोयल	,,	,,
7.	श्री प्रतापसिंह यादव	,,	,,
8.	श्री गोविन्द लाल शर्मा	,,	,,

1	2	3	4
9.	श्री राम एच अजवानी	स्था (रा०न्या०से०)63/74	1-4-77
10.	श्री मातादीन गुप्ता	,,	,,
11.	श्री नागराज मेहता	,,	,,
12.	श्री संकठा राय	,,	,,
13.	श्री दिनेश चन्द्र दलेला	,,	,,
14.	श्री प्रमोद कुमार तिवाड़ी	,,	,,
15.	श्री अमर नाथ गोयल	,,	,,
16.	श्री धरम चन्द	,,	,,
17.	श्री अमर नाथ पुरोहित	स्था० (रा० न्या० से०)63/74	1-4-74
18.	श्री गोपाल लाल गुप्ता	,,	,,
19.	श्री राजेन्द्र प्रसाद मित्रुका	,,	,,
20.	श्री मोहम्मद अजगर अली खाँ	,,	,,
21.	श्री प्रहलाद प्रसाद	,,	,,
22.	श्री मथुरा प्रसाद मित्तल	,,	,,
23.	श्री गोपाल कृष्ण	,,	,,
24.	श्री मगन लाल व्यास	,,	,,
25.	श्री निरंजन सिंह	,,	,,
26.	श्री सतीश चन्द्र मितल-1	,,	,,
27.	श्री अमर सिंह गोदारा	,,	,,
28.	श्री मोहम्मद यामीन	स्था० (रा०न्या०से०) 100/75	9-5-75
29.	श्री अमरेश कुमार सिंह	,,	,,
30.	श्री कृष्ण स्वरूप शर्मा	,,	,,
31.	श्री सतीश चन्द्र मितल II	,,	,,
32.	श्री नन्द कुमार अग्रवाल	,,	,,
33.	श्री प्रेम शंकर शुक्ला	,,	,,
34.	श्री उमा शंकर भार्गव	,,	,,
35.	श्री जगदीश प्रसाद	,,	,,
36.	श्री सुखदर्शन कुमार	,,	,,
37.	श्री महेश बक्ष सिंह	स्था० (रा०न्या०से०) 246/75	6-10-75
38.	श्री चम्पा लाल बांठिया	स्था०(रा० न्या०से०)25/76	25-2-76
39.	श्री कामता प्रसाद मिश्रा	,,	,,
40.	श्री राज राजेश्वर प्रसाद भटनागर	स्था०(रा०न्या०से०)60/76	6-5-76

1	2	3	4
41.	श्री राधेश्याम शर्मा	स्था० (रा०न्या०से०) 60/76	6-5-76
42.	श्री श्याम सुन्दर गुप्ता	,,	,,
43.	श्री राम चन्द्र उपाध्याय	स्था०(रा०न्या०से०)149/76	7-9-76
44.	श्री नृपति सिंह राजावत	स्था०(रा०न्या०से०)101/76	21-8-76
45.	श्री कैलाश नारायण सक्सेना	स्था०(रा०न्या०से०)146/76	30-11-76
46.	श्री कन्हैया लाल व्यास	स्था० (रा० न्या० से०) 146/76	30-11-76
47.	,, गोविन्द नारायण शर्मा	,,	,,
48.	,, सुनील कुमार गर्ग	,,	,,
49.	,, डी० एन० जोशी	,,	,,
50.	,, वासुदेव व्यास	स्था० (रा० न्या० से०) 36/77	29-4-77
51.	,, अरविन्द कुमार मिश्रा	,,	,,
52.	,, जगतसिंह	,,	,,
53.	,, खेमचन्द शर्मा	,,	,,
54.	,, सुरेन्द्र सिंह	,,	,,
55.	,, शशिकान्त शर्मा	स्था०(रा० न्या० से०) 40/77	29-4-77

(2) सिविल जज (साधारण वेतन श्रृंखला) में पदोन्नत

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति आदेश संख्या	दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री मोहम्मद यामीन	स्था० (रा० न्या० से०) 64/74	1-4-74
2.	,, श्याम सुन्दर गुप्ता	स्था० (रा० न्या० से०) 26/76	25-2-76
3.	,, नृपति सिंह राजावत	,,	,,
4.	,, सुरेन्द्र सिंह	स्था० (रा० न्या० से०) 64/76	15-5-76
5.	,, कैलाश नारायण सक्सेना	स्था० (रा० न्या० से०) 61/76	6-5-76
6.	,, कन्हैया लाल व्यास	स्था० (रा० न्या० से०) 102/76	21-8-76
7.	,, बी० डी० गुप्ता	,,	,,
8.	,, अरविन्द कुमार मिश्रा	स्था० (रा० न्या० से०) 150/76	7-12-76